शिक्षा के प्रति जनपद सीतापुर के दरी उद्योग के बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरूकता एवं तत्परता : एक अध्ययन

पी-एच. डी. उपाधि (शिक्षा शास्त्र)

हेतु

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

निर्देशक :

प्रो. डी. एस. श्रीवास्तव

विभागाध्यक्ष/निदेशक

शिक्षा संस्थान

अधिष्ठाता एवं संयोजक

शिक्षा संकाय

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी (उ0प्र0)

अन्वेषक

शिव कुमार यादव

एम.एस–सी., एम.एड.

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ. प्र.)

2004

Institute of Education
BUNDELKHAND UNIVERSITY
Kanpur Road, Jhansi - 284128 (Uttar Pradesh) • Tel: 0517-2321200 (R)
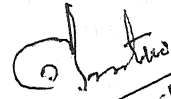
Prof. D.S. Srivastava
Dean, Faculty & Education
Professor and Head, Director

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शिव कुमार यादव ने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ०प्र०)द्वारा शिक्षा शास्त्र विषय में स्वीकृत शीर्षक ''शिक्षा के प्रति जनपद सीतापुर के दरी उद्योग के बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरूकता एवं तत्परता : एक अध्ययन'' पर मेरे निर्देशन में बहुत ही लगन, निष्ठा, परिश्रम एवं रूचि के साथ अध्यवसाय से २०० दिनों से अधिक उपस्थित रहकर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पूर्ण किया है। यह इनका मौलिक प्रयास है, इसकी विषय सामग्री सम्पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य परीक्षा के लिए प्रयोग नहीं की गयी है।

यह शोध प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय, झांसी (उ०प्र०) की पी-एच० डी० उपाधि परीक्षा की नियमावली के सभी उपबन्धों की पूर्ति करता है। मैं संस्तुति सहित अग्रसारित करता हूँ कि इसे मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाय।

30-12-04

दिनाँक- 30.12.04

(प्रो०डी०एस०श्रीवास्तव)

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि शिक्षा शस्त्र विषय पर शोध प्रबन्ध शीर्षक ''शिक्षा के प्रति जनपद सीतापुर के दरी उद्योग के बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरूकता एवं तत्परता : एक अध्ययन'' को प्रो० डी० एस०श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष / निदेशक शिक्षा संस्थान, अधिस्ठाता एवं संयोजक शिक्षा संकाय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी (उ०प्र०) के निर्देशन में पूर्ण किया है। यह मेरी मौलिक कृति है इसका प्रयोग किसी अन्य परीक्षा या अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त नहीं की गयी।

दिनाँक-

(शिव कुमार यादव)

(अन्वेषक)

प्राक्कथन एवं आभार प्रदर्शन

तीसरी दुनिया के बच्चों के विकास की स्थितियों को लेकर आज विश्व–मानस चिंतित है । बाल–अधिकार को लेकर 1990 में हुए जिस सम्मेलन में 150 देशों ने शिरकत की थी और चरणबद्ध तरीके से बाल समस्याओं के समाधान की तरकीबें सुझाई गई थी, उन समस्याओं में मॉ–शिशु स्वास्थय और बाल–श्रम पर केन्द्रित चिंता मुख्य थी। बाल–श्रम को लकर उन्नत देशों के दबाव और जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रमिकों के काम करनें पर रोक लगानें के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इस ओर न केवल सरकार का विशेष ध्यान आकृष्ट हुआ है, बल्कि पूरा सामाजिक–कार्यक्षेत्र भी पूर्वापेक्षा अधिक चिंतित हो उठा है।

गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, नशाखोरी, अनियोजित परिवार आदि समस्या के कई पक्ष हैं। अतः जब तक इन पर अलग–अलग दृष्टि से विचार किया जाता रहेगा, समस्या का कोई समाधान नही मिलेगा। अभी तक हम लगभग यही करते आए हैं– कभी मातृ–बाल कुपोषण को लेकर मृत्यु–दर पर विचार तथा अभियान, कभी परिवार–नियोजन के लिए विशेष अभियान, कभी नशाखोरी और नशाबंदी पर विशेष ध्यान, कभी गरीबी–उन्मूलन के लिए विशेष योजनाएं और राहत–घोषणाएं, तो कभी बाल–श्रम को लेकर विशेष चिन्ताएं, पर कोई भी सच्चा समाजशास्त्री या समाज–चिंतक, इन्हें अलग–अलग करके नहीं देखेगा। कुल मिलाकर यह एक समन्वित और संशलिष्ट समस्या है। चाहे किसी भी समस्या को उठा लें, उस पर इन सभी कोणों से विचार करना होगा और समन्वित बाल–विकास तथा उन्नत मानव–संसाधन का लक्ष्य पाने के लिए समन्वित कार्यक्रम ही बनाना पड़ेगा। जैसे–गरीबी–समस्या के साथ जुड़ा है, बाल श्रम। गरीबी जुड़ी है, अस्वस्थ तथा अक्षम मानव–संसाधन से और साधनों के असमान वितरण से अन्यथा अशिक्षा भी मुख्य बाधा न होती।

इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि गरीबी एक प्रमुख कारण है जो बच्चों को छोटी आयु में काम करनें पर विवश कर देती है, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। भारत में अधिकांश बाल मजदूर उन ग्रामीण परिवारों से आते है जो रोजगार की तलाश में गाँव छोड़कर शहरों की ओर भागते हैं ताकि उन्हें अपनी गरीबी से छुटकारा मिल सके। उन्हें किसी भी तरह का काम, कोई भी मजदूरी करनें का मौका मिले, उसके लिए वे तैयार हो जाते हैं। उनके सामनें जीवन की वास्तविकता इतनी कठोर होती है कि परिवार के सभी पुरूष महिलायें, बच्चे–लड़के और लड़कियां भी काम करनें को विवश होते हैं। गरीबी और आर्थिक आवश्यकताएं इन परिवारों के बच्चों और बड़ों में अंतर नहीं करतीं।

सवाल यह भी उठता है कि अगर ऐसे परिवार अपनें बच्चों को काम पर न भेजें, तो क्या करें। उन्हें बताया जाता है कि बच्चों को काम पर भेजनें के बजाय उन्हें स्कूलों में पढ़नें भेजना

चाहिए। परन्तु क्या हम इन बच्चों के लिए पढ़ने की समुचित व्यवस्था करा सके हैं ? एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार – अभी ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ प्राथमिक विद्यालय भी नहीं हैं। जो विद्यालय हैं, उनमें या तो बैठने का स्थान नही हैं, या शिक्षक ही नियुक्त नहीं हुए हैं। आजादी के पचास वर्ष बाद भी अभी तक हम सबको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कराने के प्रयास ही कर रहे हैं। हमारे साथ आजाद हुए कई देशों ने और कई अन्य छोटे–छोटे देशों ने शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया। वे अपनी सकल आय का काफी बड़ा भाग शिक्षा पर व्यय करते हैं लेकिन हम शिक्षा के महत्व को समझते हुए भी इस पर केवल तीन–साढ़े तीन प्रतिशत ही खर्च करते हैं।

अगर यह मान भी लिया जाए कि सबके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया जाएगा तो भी हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि वह शिक्षा हमारे बच्चों के कितने काम आयेंगी। जिस परिवार में बच्चों को बड़े होकर हथकरघे पर काम करना हैं, उसके लिए भूगोल और इतिहास की जानकारी का कोई उपयोग नहीं है। जिन भूमिहीन किसानों के पास जोतने को खेत नहीं हैं, उनके लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान किस काम का हो सकता है। जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली को धरती की सच्चाई से नहीं जोड़ा जायेगा, तब तक न देश की गरीबी मिट सकेगी, न बाल मजदूरी की मजबूरियां कम होगी।

बाल मजदूरी के मूल कारण गरीबी, अशिक्षा का प्रभाव हैं, लेकिन इन मूल कारणों को दूर किए बिना, केवल कानून बनाने से इस समस्या के समाधान के प्रयास कभी सफल होंगें, इनमें सन्देह हैं। अगर हमने बच्चों को काम पर न रखने का कानून बना लिया और उस पर सख्ती से अमल करके, सभी बाल मजदूरों को रोजगार से हटा दिया तो उसके परिणाम और अधिक भयानक होंगें। इस तथ्य को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता कि भारत में कुल मजदूरों की संख्या में सात प्रतिशत बाल मजदूर हैं और वे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में करीब 20 प्रतिशत का योगदान करते हैं। अगर एकाएक इन्हें काम से हटा दिया गया तो इन बच्चों और उनके परिवार के सामने आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाएगी। साथ ही, अर्थव्यवस्था पर भी उसका दुष्परिणाम दिखाई देगा। हम रातों–रात उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था और वह भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं कर पायेंगे।

इसका यह अर्थ नहीं कि बाल मजदूरी जारी रहनी चाहिए। इस कुप्रथा को जितनी जल्दी हो सकें, दूर करना ही होगा, लेकिन उसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। न केवल इन बालकों को व्यस्त रखनें, उन्हे देश और विश्व का उपयोगी नागरिक बनाने के लिए, उन्हें उनका बचपन लौटाने के लिए, उनके चेहरों पर बालसुलभ मुस्कान बिखरने और उनकी किलकारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी बल्कि जिन रोजगारों पर उन्हें अभी लगाया जाता है उसके लिए भी वैकल्पिक

श्रम शक्ति विकसित करनी होगी। गरीब बालकों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जो उनके जीवन के लिए उपयोगी हो। अतः सर्वप्रथम आवश्यकता है कि उनमें शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण पैदा किया जाए, उनमें शिक्षा के प्रति जागरुकता एवं तत्परता उत्पन्न की जाए। इस विचार से प्रेरित होकर शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध के माध्यम से दरी उद्योग में लगे बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जागरुकता एवं तत्परता को जानने का प्रयास किया है।

मानव एक सामाजिक प्राणी है। परस्पर निर्भरता उसका सहज स्वभाव है। दूसरों के काम आना और अपने कार्य में दूसरों की सहायता प्राप्त करना मानव का स्वाभाविक धर्म है। मनुष्य के छोटे बड़े सभी कार्यो में प्रभु की कृपा, बड़ों के आशीर्वाद, मित्रों की शुभकामनाओं और छोटों की सदइच्छाओं को मिश्रित परिणति होती है। प्रत्येक व्यक्ति पर दूसरों के उपकार की सतत् परिछाया रहती है और उस उपकार की स्वीकृति प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, शिष्टता की अनिवार्य औपचारिकता है। मेरे इस कार्य की पूर्ति में मुझे जिन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना मेरा पुनीत कर्तव्य एवं दायित्व है।

प्रस्तुत शोधकार्य सरस्वती उपासक प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव प्रो0 डी0 एस0 श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष शिक्षा संस्थान, अधिष्ठाता एवं संयोजक, शिक्षा संकाय बुन्देल खण्ड विश्व विद्यालय झांसी के श्री चरणों के प्रताप का ही परिणाम है, जिनके सुयोग्य निर्देशन से ही मैं इस अकल्पनीय कार्य को साकार करने में सफल हो सका। अतः सर्वप्रथम मैं उनका ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

शोधकर्ता डॉ0 ओमकार चौरसिया (प्रवक्ता शिक्षक शिक्षा विभाग, पं0 जे0 एम0 पी0 जी0 कालेज बाँदा (उ0 प्र0)) व डॉ0 इन्द्राणी श्रीवास्तव (प्रवक्ता आचार्य नरेन्द्र देव टीचर्स ट्रेनिंग (पी0 जी0) कालेज सीतापुर) के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हैं, जिनके अतुलनीय मार्ग दर्शन, सहयोग तथा अमूल्य परामर्श के परिणाम स्वरुप प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध चरमावस्था को प्राप्त हो सका।

मैं अपने विद्यालय के प्रबन्धक श्री रामकिशुन श्रीवास्तव व प्रधानाचार्य डॉ0 जे0के0 वर्मा जी0 का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने समय–समय पर सत्यप्रेरणा देकर मेरा उत्साह वर्धन किया।

मै अपने प्रेरणा स्रोत डॉ0 सुरेश सिंह (जिला प्रशिक्षण अधिकारी सीतापुर) का विशेष आभारी हूँ। जिनकी प्रेरणा के कारण ही यह शोध कार्य हो पाना सम्भव हो सका है। साथ ही श्री राम नरायण यादव (जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सीतापुर), श्री डी0 एन0 पाण्डेय, श्री हाजी अब्दुल रसीद एवं श्री मुन्नी लाल यादव का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनका विशेष सहयोग मुझे इस शोध कार्य को पूर्ण करने में मिला।

शिक्षा के अलौकिक शिखर तक पहुंचने वाले परम पूजयनीय पिता श्री राम बडाई यादव एवं ममतामयी माता श्रीमती कुसुम यादव, परमपूज्नीय, चाचा श्री मूलचन्द मौर्य व ममतामयी चाची श्रीमती विमलेश मौर्य के श्री चरणों मे नतमस्तक हूँ। जिनकी अनुपम प्रेरणा, संरक्षण एवं अगाध स्नेह के परिणाम स्वरुप यह शोध कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त मै अपनी धर्म पत्नी श्रीमती ममता यादव एवं अपनें समस्त परिवाजनों का भी आभारी हूँ जिनका प्रेम एवं सहयोग मुझे इस शोध कार्य को पूर्ण करने में निरन्तर मिला ।

मैं आभारी हूँ उन सभी विद्वानों का जिनके द्वारा लिखित पुस्तकों, आलेखों और विचारों से मुझे अपना शोध ग्रंथ तैयार करने में सहायता मिली है। मैं उन सभी पुस्तकालयाध्यक्षों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनके रचनात्मक सहयोग से मुझे विभिन्न पुस्तकालयों के संदर्भ ग्रंथो को पढ़ने और अनुशीलन करने का सुयोग मिला। इस दिशा में सेन्ट्रल लाइब्रेरी बुन्देल खण्ड विश्व विद्यालय, झाँसी, आई0 ए0 एस0 ई0 बरेली आई0 सी0 एस0 एस0 आर0 नई दिल्ली, टाटा लाइब्रेरी, दिल्ली आदि पुस्तकालयों के नाम उल्लेखनीय हैं।

मैं उन सभी बाल श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों का भी आभार प्रदर्शन करता हूँ जिन्होंने इस शोध कार्य हेतु अपना महत्वपूर्ण समय प्रदान किया जिससे यह शोधकार्य संभव हो सका।

मैं श्री आलोक कुमार सिंह का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने अल्प समय में टंकण कार्य सम्पन्न किया।

शोधार्थी उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग इस शोधकार्य को पूर्ण करने में प्राप्त हुआ है।

शिव कुमार यादव

दिनांक :-

अनुक्रमाणिका

चतुर्थ–अध्याय

(आंकड़ो का विश्लेषण तथा निर्वचन)

पंचम–अध्याय

(निष्कर्ष एवं सुझाव)

प्रथम - अध्याय

(प्रस्तावना)

प्रस्तावना

1–1 अध्ययन की पृष्ठ भूमि

उसकी माँ अब लोरी नहीं सुनाती, कहानी भी नहीं सुनाती । कहती है, ' सो जा बेटे' कल तड़के, तुम्हे काम पर जाना हैं । अगर कल तू समय से नहीं पहुँचेगा, तो मालिक तुम्हारी छुट्टी कर देगा। 'फुटपाथों पर खुले आसमान तले सोने वालों और मालिकों की चारदीवारी में कैद मासूमों के पास तो लोरी सुनाने वाली माँ भी नहीं होती और न ही उन्हें सोनें के लिए 'लोरी' की जरूरत होती है। वे या तों काम करते–करते वहीं सो जाते हैं या ऊँघते–ऊँघते पूरी रात काम करते रहते है। इन्हें आप किसी भी चाय की दुकान या ढावे पर देख सकते है। सड़क पर बूट पॉलिस करते हुए या फिर किसी सभ्य परिवार के छोटे मुन्ने को सड़क पर टहलाते हुए भी ये देखे ज सकते हैं । अगर कोई ध्यान से देखना चाहे, ता हाथ से वने हुए बर्तनों, सुन्दर कालीनों, दरीयों नक्काशीदार सामानों और चमकते आभूषणें में भी इनकी तस्वीर दिखई पड़ती है। 14 वर्ष से कम उम्र वालों की इस जमानत में लड़के भी हैं और लड़किया भी । आधुनिक लोकतंत्र में इसी को 'बाल मजदूरी' यानी

'चाइल्ड लेवर' के नाम से जाना जाता है। बाल–श्रम की समस्या एक प्रचीन एवं विश्वव्यापी सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। वास्तव में बाल–श्रम की समस्या हर युग में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। भारत के कृषि प्रधान समाज में बालक कृषि एवं पारम्परिक व्यवसाय में सहायता करते थे परन्तु वास्तव में बाल–श्रम का विकृत रूप और उसका दुष्परिणाम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति के दौरान सामने आया । 18 वीं शताब्दी के अन्त में लंकाशायर और यार्कशायर में स्थानित सूती मिलों मे अधिकतर काम बच्चों के जिम्में था । मिल में बच्चों की जो दयनीय दशा थी, वह बाल–श्रम के इतिहास में एक काला अध्याय है। भाप शक्ति के अविष्कार के साथ ही कोयला खदानों और अन्य फैक्टरियों में श्रम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार के साथ रहने वाले बच्चों को भाड़े पर लिया जाने लगा–यहाँ इन बाल श्रमकों से 14–18 घंटे तक काम लिया जाता था । न केवल इंग्लैड बल्कि फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और अमरीका में भी औद्योगीकरण के दिनों में बाल–श्रम के अनेकानेक उदाहण है। लेकिन जब पश्चिमी देश बाल–श्रम के सामाजिक दुष्परिणामों को देखकर प्रगतिशील श्रम–कानूनों के जरिये इससे निपटने का प्रयास कर रहे थे–तभी 19 वीं शताब्दी के मध्य भारत में कारखानों की शुरूआत के साथ ही उसमें बच्चों को कार्य करने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी । प्रारम्भ में भारत में जूट और सूती मिलों में बच्चों को काम पर लगाया गया । इसके बाद, भूमिगत कोयला खदानों में भी बच्चों से काम लिया जानें लगा । इसके बाद तो बालश्रमिकों की संख्या निरन्तर बढ़ती ही जा रही है।

यहाँ पर विचारणीय तथ्य यह है कि बच्चे कच्ची उम्र में ही अर्थोपार्जन क्यों करने लगते हैं। किसी भी देश में बाल–श्रम का मूल कारण गरीबी है। अधिक जनसंख्या, अशिक्षा और बेरोजगारी उसके अन्य मुख्य कारण है।

बाल–श्रम और गरीबी परस्पर संबंधित है। भरत में लगभग 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहें है।[1] गरीबी के कारण ही माता–पिता द्वारा कर्जा लिया जाना तथा बदले में बच्चों का बंधक रखना आम बात है। कर्ज कभी चुक नहीं पाता और बाल मजूदूर कभी छूट नहीं पाते। बाल–श्रम और गरीबी अन्तर्संबंधित होने के साथ ही बाल–श्रम और अधिक जनसंख्या में भी संबंध है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण माता–पिता अपने बच्चों को होस सम्भालते ही काम पर लगा देते हैं अन्तराष्ट्रीय बाल अध्ययन के संगठन के महनिदेशक के अनुसार भारत के बहुत–से परिवार ऐसे हैं जिनमें यदि बच्चे काम बंद कर दे तो पूरे परिवार के भूखों मरंने की नौबत आ जाए।

---

[1] राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी 2003 को संसद के सयुक्त अधिवेशन मे दी ।

बेरोजगारी का भय भी बाल–श्रम को हमारे यहाँ बढ़ावा दे रहा है। योजना आयोग के अनुसार एक करोड़ चालीस लाख लोग बेरोजगार है। अतः बेरोजगारी का सामना न कर अधिकांश माता–पिता अपनें बच्चों को पढ़ानें की अपेक्षा उनसे काम कराना ज्यादा पसंद करते है। बाल–श्रम और गरीबी के कारण अधिकांश बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहें है।

हमारे यहाँ 14 वर्ष से कम आयु के 8 करोड़ 22 लाख बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित है और मजदूरी कर रहे है। श्रम मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार हर तीसरे परिवार में एक बाल श्रमिक है और 5–14 वर्ष की आयु का प्रत्येक चौथा बच्चा बाल श्रमिक है।[2]

बाल–श्रम का अभिप्राय

बाल–श्रम की परिभाषा को लेकर सबका मत एक नहीं है प्रश्न यह उठता है कि बाल–श्रम की समस्या है क्या ? किस अवस्था के बच्चों को बाल श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाएगा तथा कौन–कौन से ऐसे काम है जिनमें बाल–श्रम को नियोजित करना निषेध है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खनन कार्य या किसी जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जा सकता, अलग–अलग लोग बाल–श्रम का भिन्न–भिन्न अर्थ लगाते हैं भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार, 'काम का तात्पर्य है किसी आर्थिक उत्पादन की क्रिया में प्रतिभागिता ।'[3]

बाल मजदूरी (निषेध और नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार एक बच्चे की परिभाषा है--'वह जो 14 साल की उम्र से कम का हो' इस प्रकार किसी उद्योग, खान, कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के मानसिक व शारीरिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते है, चूँकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि भुगतान या मुनाफे के लिए लाभदायक आर्थिक गतिविधियों में लग सकें, इसलिए बालश्रमिक 5 – 14 वर्ष आयु वर्ग के अन्तर्गत आते है।[4]

---

[2] अरूण पाण्डे, 'कैसे दिखे बचपन की आँखों में चमक' राष्ट्रीय सहारा 27 नवम्बर 1994

[3] शिवप्रसाद, बाल–श्रम : गरीबी से ज्यादा अभिभावक उत्तरदायी अमर उजाला, 8 नवम्बर 1999

[4] डा0 विजय सिंह राघव, भारत में बाल–श्रम की समस्या : कारण एवं निवारण, प्रतियोगिता दपर्ण, अगस्त 1994

अब सवाल यह उठता है कि वास्तव मे बाल श्रमिक कौन है ? क्या 14 साल से कम उम्र के उन सभी बच्चो को बाल मजदूर कहा जा सकता है ? जो कोई काम करते हों, जाहिर है कि बच्चे द्वारा किया जाने वाला हर शारीरिक या मानसिक श्रम उसे बाल मजदूर नहीं बना देता लेकिन इसके साथ ही बच्चे द्वारा की जाने वाली कड़ी मेहनत को स्वाभाविक इच्छा का परिणाम बताकर उसे बाल श्रमिक की श्रेणी से बाहर रखने की वकालत भी नहीं की जा सकती । एक सीधा व सामान्य तर्क दिया जाता रहा है जो लोग बाल मजदूरी का विरोध करते है वे वास्तव मे बच्चों को नाकारा बनाना चाहतें है, आखिर बच्चे काम करते है। तो इसमें बुराई क्या है ? अगर बचपन से ही कोई बच्चा किसी कार्य को सीखकर उसकी तकनीकी जानकारी प्राप्त करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो इसमें आपत्ति क्या है, यह ठीक है कि सामाजिक न्याय के नाम पर बच्चों को श्रम से विमुख करना उचित नहीं है उन्हें श्रमोन्मुख बनानें का प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन समाज का यह भी दायित्व है कि वह उन्हें श्रम के बोझ तले दबने से बचाए ।[5]

संयुक्तराष्ट्रसंध के बाल अधिकार पर सम्पन्न सम्मेलन में कहा गया है कि बच्चों के श्रम करने की वो परिस्थितियां जहाँ उसका आर्थिक शोषण न हो, खतरनाक कार्य परिस्थितियां न हो, कार्य शिक्षा में बाधक न हो, कार्य बच्चे के स्वास्थ्य एवं मानसिक, शरीरिक, आध्यात्मिक या सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो, बाल–श्रम की परिधि में नहीं आती।[6]

भारतवर्ष में बाल–श्रम की स्थिति

भारतवर्ष के बाल श्रमिकों की संख्या के बारे में विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए गए अनुमान भिन्न–भिन्न तस्वीर पेश करते है। अब तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सेंक्षण (NSS) के 58 वें दौर हो चुके है लेकिन 32 वें दौर में यह अनुमानित संख्या 174 लाख (1.74 करोड़) थी, ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप ने 1983 में भारत में कामकाजी बच्चों की संख्या 440 लाख (4.40 करोड़) होने तथा 1985 तक इसके बढ़कर 502.2 लाख (5.02 करोड़) होने का अनुमान लगाया, दक्षिण एशियाई बाल दासता विरोधी समिति बाल श्रमिकों की संख्या साढ़े चार करोड़ अनुमानित करती है, जबकि सेन्टर फॉर कन्सर्न ऑफ चाइल्ड लेबर ने भारतवर्ष में बाल मजदूरों की संख्या 10 करोड़ होने का अनुमान लगाया ।

[5] अरूण पाण्डे : 'कैसे दिखे बचपन की आँखों में चमक' राष्ट्रीय सहारा 27 नवम्बर 1997

[6] अरूण नैथानी : खेलने–खानें की उम्र में खटनें की मजबूरी, अमर उजाला, 13 दिसम्बर 1998

बाल श्रमिकों की सही संख्या के बारे मे आँपरेशन रिसर्च ग्रुप का अध्ययन इस ओर इंगित करता है कि 5–15 आयु वर्ग की आबादी कुल जनसंख्या की 26.2 प्रतिशत यानी 19.65 करोड़ है (80 के दशक के मध्य के स्थिति), पर भारत की आबादी का लगभग आधा भाग गरीबी की रेखा से नीचे है और इसका अर्थ यह है कि कम से कम 9.825 करोड़ बच्चे गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे है औार अधिक सम्भवना यही है कि वे अपना भार खुद उठा रहे है इस प्राकर मुमकिन है कि 502.2 लाख की संख्या भी सही न हो और बाल श्रमिकों की वास्तविक संख्या 9–10 करोड़ के आसपास हो।

चूँकि गरीबी की रेखा के नीचे बसर करने वाले में लगभग 20 प्रतिशत छोटे किसान, 25 प्रतिशत सीमांत किसान, 40 प्रतिशत भूमिहीन कृषि मजदूर तथा 7.5 प्रतिशत ग्रामीण कारीगर तथा अन्य लोग आतें है। अतः आँपरेशन रिसर्च ग्रुप की अवधारणा को समर्थन देते हुए यह भी कहा जा सकता है कि लगभग 20 प्रतिशत बाल श्रमिक छोटे किसान परिवारों के, 25 प्रतिशत बाल श्रमिक सीमांत किसानों के परिवारों से और 40 प्रतिशत बल श्रमिक भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारेां से आते है।

भारत में बाल श्रमिकों की संख्या

भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 1971 में 1 करोड़ 7 लाख, 1981 में 1 करोड़ 11 लाख एवं 1991 में 1 करोड़ 42 लाख 18 हजार 588 थी ।[7]

उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या एवं विवरण [8]

बाल श्रम उन्मूलन एवम् पुनर्वासान (एक दृष्टि) के अनुसार वर्ष 1997--98 से अक्टूबर 2003 तक का विकास निम्न प्रकार है –

(1) विन्हित बाल श्रमिक 65636

  (अ) खतरनाक उद्योग में 29717

  (ब) गैर खतरनाक उद्योग में 35919

(2) खतरनाक उद्योग प्रक्रियाओं में चिन्हित के बाल श्रमिकों के सेवा योजकों की संख्या 10609

(3) परिवारों की संख्या 24250

(4) दायर प्राभियोजन 7556

(5) जारी वसूली प्रमाण पत्र 6947

[7] कौशलेन्द्र प्रपन्न बालश्रमः बहुतेरे हैं आयामः योजना, मई 2004.

[8] श्रम मंत्रालय (उ0प्र0)

(6) वसूली प्रमाण पत्रों निहित धनराशि (करोड़ में) 31.16

(7) वसूल की गई धनराशि (लाख में) 93.23

(8) पुनर्वास की कार्यवाही

(अ) विद्यालय में बच्चों का प्रवेश 54789

(i) खतरानाक उद्योग 24219

(ii) गैर खतरनाक उद्योग 30570

(9) परिवार के एक सक्षम वयस्क सदस्य को रोजगार दिलाए जाने की कार्यवाही

(i) कुल परिवारों की संख्या 24250

(ii) रोजगार उपलब्ध कराये गए परिवारों की संख्या 4622

(iii) पूर्व से रोजगार में 7106

(iv) रोजगार लेने से इंकार 4435

(v) प्रवासी एवं अन्य कारण 5553

(vi) अवशेष परिवार 2534

(10) वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कुल विद्यालयों की संख्या 501

(11) अध्ययनरत छात्रों की संख्या 24125

खतरनाक उद्योंगों में बाल श्रम का परिणाम – 1961, 1971 और 1981 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार कुल कामकाजी बच्चों में जो बच्चे खतरनाक उद्योगों में काम करते है उनकी संख्या क्रमशः 3.08 लाख, 3.74 लाख और 6.71 लाख थी वर्तमान में करीब 20 लाख बाल मजदूर खतरनाक उद्योगों में काम करते हैं। विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के परिमाण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम संस्थान के आँकड़े इस ओर इंगित करते है कि मिर्जापुर भदोही (उत्तर प्रदेश) के कालीन व दरी उद्योग में 50 हजार, शिवकाशी (तमिलनाडु) के दियासलाई और आतिशबाजी उद्योग में 50 हजार, जयपुर (राजस्थान) के रत्न पॉलिश उद्योग में 13 हजार, अलीगढ़ के ताला उद्योग में 10 हजार, मुरादाबाद के पीतल उद्योग में 45 हजार, खुर्जा के चीनी मिट्टी के

उद्योग में 50 हजार, सम्बलपुर के बीड़ी उद्योग में 54 हजार, लखनऊ के जेरी की कढ़ाई में 45 हजार, मंदसौर के स्लेट पेंसिल उद्योग में एक हजार व मेघालय की काँच की खान में 28 हजार बाल मजदूर काम करते है एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में 132 जिले ऐसे हैं जिनमें खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूर कार्यरत हैं, ये 13 राज्यों में अवस्थित हैं, ये राज्य हैं – बिहार, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, जम्मू–कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल व दिल्ली, इन राज्यों में ही लगभग 90 प्रतिशत ऐसे बाल मजदूर कार्यरत हैं।

कुछ प्रमुख भारतीय उद्योगों में बाल मजदूरों की संख्या उद्योग के आधार पर दर्शायी गयी है ।

प्रमुख भारतीय उद्योगों में बाल मजदूर

क्रम0 संख्या	उद्योग का नाम	स्थान	बाल मजदूरों की संख्या
1.	कालीन	मिर्जापुर, भदोही (उ0प्र0)	50,000
		कश्मीर	150,000
		जयपुर	30,000
2.	दियासलाई और अतिशबाजी	शिवकाशी	50,000
3.	हीरे जवाहरात पर पॉलिश	जयपुर	13,000
4.	कीमती पत्थरों पर पॉलिश	जयपुर	7,000
5.	पीतल एवं कांच उद्योग	फिरोजाबाद	50,000
6.	ताला निर्माण	अलीगढ़	10,000
7.	पीतल का सामान	मुरादाबाद	45,000
8.	चीनी मिट्टी बर्तन	खुर्जा	5,000
9.	बीड़ी निर्माण	सम्बलपुर	54,000
		तिरुचिरापल्ली	7,000
		त्रिचूर	7,000
		कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उ0प्र0, बिहार	2,00,000

10.	दरी (पिटलूम)	मिर्जापुर, भदोही, कानपुर, आगरा, बरेली, हापुड, सीतापुर (उ0प्र0)	50,000
		हरियाणा, कर्नाटक, सिक्किम, गोहाटी, कश्मीर, मुम्बई	30,000
11.	हस्त शिल्प	कश्मीर	92,221
12.	सूती (होजरी)	त्रिपूर (तमिलनाडु)	8,000
13.	पावरलूम	भिवंडी (महाराष्ट्र)	15,000
14.	हैण्डलूम	त्रिवेन्द्रम	1,000
		त्रिपुरा	8,000
		भिवंडी	15,000
15.	नारियल रेशा	केरल	20,000
16.	सिल्क बुनाई एवं कढ़ाई	वारणासी (उ0प्र0)	5,000
17.	जरी की कढ़ाई	लखनऊ (उ0प्र0)	45,000
18.	लकड़ी की नक्काशी	सहारनपुर (उ0प्र0)	10,000
19.	फिश फीजिंग	क्यूलोन (केरल)	20,000
20.	स्लेट	मंदसौर (म0प्र0)	1,000
21.	कांच की खान	मेघालय	28,000
22.	पत्थर की खुदाई	केरल	20,000
23.	वृक्षारोपण	असम	56,664
		पश्चिम बंगाल	14,779
		त्रिपुरा	371
24.	बाल वेश्यावृत्ति	पूरे भारत में	2,00,0000

स्रोत : राष्ट्रीय श्रम संस्थान

बाल श्रमिकों का क्षेत्रवार वितरण – 1981 की जनगणनानुसार 5–14 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी लड़कों और लड़कियों का क्षेत्रवार वितरण बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी लड़कों में 91.6 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र (काश्तकार खेत मजदूर, पशुपालन, मछली मारने, शिकार,

बागान तथा उद्यान कार्य) में 5.5 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र (खदान और पत्थर निकासी), विनिर्माण, प्रोसेसिंग, सेवा तथा मरम्मत, निर्माण में तथा 2.9 प्रतिशत तृतीयक क्षेत्र (वाणिज्य, यातायात, भण्डारण, संचार तथा अन्य सेवाएं) में काम करते थे, जबकि ग्रामीण कामकाजी लड़कियों का इन क्षेत्रों में प्रतिशत क्रमशः 91.7, 6.6 और 1.7 था, दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में कामकाजी लड़कों में 22.0 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में 42.4 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में 35.3 प्रतिशत तृतीयक क्षेत्र में काम करते थे, जबकि शहरी कामकाजी लड़कियों का तीनों क्षेत्रों में प्रतिशत क्रमशः 30.3, 41.4 और 27.9 था।

ग्रामीण नगरीय निवासानुसार बच्चों की काम में भागीदारी की दरें – 1961 की जनगणन ा में 5–14 वर्ष आयु वर्ग के लिए काम में भागीदारी की दर 12.69 प्रतिशत थी, ग्रामीण क्षेत्र में यह 14.64 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में 4.00 प्रतिशत थी। 1981 की जनगणना में इस दर (सभी कामकाजी) में कमी आई काम में भागीदारी की दर 5–14 वर्ष आयु वर्ग में यह घटकर 7.58 प्रतिशत हो गई ग्रामीण क्षेत्र में यह 8.97 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 2.64 प्रतिशत रही।

स्कूल न जाने वाले बच्चों की आयु विशेष अभिकलन सहभागिता दर – भारतवर्ष में 1981 की जनगणना में ग्रामीण लड़कों में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तथा 14 वर्ष आयु में सहभागिता दर क्रमशः 0.28, 1.04, 2.86, 7.20, 16.65, 31.31, 46.89, 58.71 और 70.29 प्रतिशत थी, जबकि ग्रामीण लड़कियों में यह दर क्रमशः 0.15, 0.73, 2.00, 5.10, 11.98, 11.75, 30.15, 38. 03, तथा 47.03 प्रतिशत थी, इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में लड़कों में यह दर क्रमशः 0.13, 0.48, 1.18, 3.03, 6.61, 11.55, 16.85, 20.10 तथा 22.59 प्रतिशत रही, जबकि शहर की लड़कियों में यह दर क्रमशः 0.06, 0.22, 0.69, 1.70, 3.57, 5.73, 8.28, 9.00 तथा 9.25 प्रतिशत रहीं।

राज्यानुसार बच्चों की काम में भागीदारी की दर – 1981 की जनगणनानुसार बच्चों की काम में भागीदारी की दरों का विभिन्न राज्यों के बीच काफी अन्तर दृष्टिगोचर होता हैं। बच्चों की काम में भागीदारी की दरें जम्मू–कश्मीर में 10.53 प्रतिशत, दादा नागर हवेली में 8.21 प्रतिशत, मेघालय में 7.82 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 7.90 प्रतिशत, कर्नाटक में 7.64 प्रतिशत थी, जबकि केरल में कामकाजी बच्चों का प्रतिशत 1.08 प्रतिशत था, यहाँ यह तथ्य गौरतलब हे कि केरल में साक्षरता की दर और बच्चों के नामांकन की दर अधिक है और मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में विद्यालय त्याग की दरें अधिक है।

भारतवर्ष में बाल श्रमिकों के उक्त समंकों से यह निष्कर्ष उजागर होते हैं कि –

(1) भारतवर्ष में न सिर्फ बाल श्रमिकों की संख्या बड़ी हैं बल्कि जोखिमपूर्ण तथा खतरनाक धन्धों में भी उनकी संख्या बड़ी (large Number) हैं

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रमिक का अधिकतम सकेन्द्रण प्राथमिक गतिविधियों में ही हैं जबकि नगरीय क्षेत्रों में उनका सकेन्द्रण अधिकतम द्वितीय क्षेत्र में है।

(3) काम में बच्चों की भागीदारी की दर में कमी हुई है।

(4) 10 वर्ष की आयु के बाद ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक बाल सहभागिता दर तेजी से बढ़ती है।

(5) विद्यालय त्याग की दर तथा काम में भागीदारी की दर के बीच धनात्मक और साक्षरता की दर तथा काम में भागीदारी की दर के बीच ऋणात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है।

समस्या का स्वरुप : बाल श्रम का उपयोग क्यों बुरा है ?

भारतवर्ष में बाल श्रम का उपयोग अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन यहाँ विशेषकर कुछ जोखिमपूर्ण तथ खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है, बाल मजदूरी के कारण बच्चों का नैसर्गिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास नही हो पाता और इसके परिणामस्वरुप वर्तमान की उनकी क्षमता का हास तो होती ही है, उनकी भावी सन्तानें भी विपरीत रुप से प्रभावित होती है, इन प्रतिकूल प्रभावों की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है–

बौद्धिक विकास के अवसरों में कमी – उद्योगों में काम करने वाले अधिकांश बाल श्रमिकों के कार्य इतने थका देने वाले होते हैं कि वे कमाई के साथ पढ़ाई नही कर सकते। अतः शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव में मानसिक विकास के अवसर घट जाते है। बच्चे जब बाल श्रम के रुप में (शिक्षा का परित्याग करके) काम करते हैं, तो बौद्धिक कमी जीवन में आगे भी बनी रहती है और आगे चलकर उनकी आय की क्षमता कम हो जाती है।

महानगर मुम्बई में 1600 कामकाजी बच्चों के अध्ययन में यह पाया गया है कि लगभग 17 प्रतिशत बच्चे प्रतिदिन 15 घण्टे से भी अधिक काम करते थे। कुछ अध्ययन बताते हैं कि दरी उद्योग में लगे हर दस बच्चों में आठ निरक्षर हैं। इस निरक्षरता की वजह यह मानी जा सकती हैं

कि कई घण्टे तक काम करते रहने के कारण कामकाजी बच्चे किसी भी तरह के विद्यालय में जाने का समय नही निकाल पाते। बच्चों से अधिक मुनाफा और अधिक काम निकाल सकने के लिए मालिक इनको फालतू समय में किसी प्रकार की शिक्षा पाने के अवसर नहीं देते।

कामकाजी बच्चों के सोपान में शिक्षा का स्थान बहुत नीचे होता है और धनार्जन का पहला अतः शिक्षा व्यवस्था से बच्चे जुड़ते ही नही, या फिर दो चार जमात के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद बच्चे इतने थक जाते हैं कि वे किसी शैक्षिक या मनबहलाव तक की गतिविधियों की भी नही सोच सकते। औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ सांध्यकालीन तथा रात्रिकालीन विद्यालय भी उनकी पहुँच से बाहर हो जाते है। विद्यालय बहुत नजदीक होने पर भी अनेक बाधाओं के कारण इन बच्चों की पहुँच इन तक सीमित है।

कुछ अध्ययन बाल श्रम के परिवेश से जनित अशिक्षा के दुष्परिणाम को रेखांकित करते हैं कि बच्चों के मजदूरी करने के कारण अशिक्षित रह जाने से दो तरह के कुप्रभाव पड़ते हैं– एक तो अशिक्षित रह जाने के कारण ये लोग जीवन भर केवल मजदूरी करते ही रह जाते हैं। भविष्य में न तो ये लोग कहीं अच्छी जगह काम कर पाते है और न ही इनका जीवन स्तर सुधर पाता है। दूसरे इससे देश की तरक्की में भी बाधा पहुँचती है और कुपोषण, अधिक जनसंख्या जैसी समस्याएं जो शिक्षा के द्वारा ही दूर हो सकती हैं, उन समस्याओं पर काबू पाना भी कठिन हो जाता है।

इस बात से भी सहमत हुआ जा सकता है कि बाल मजदूर उस परिवार से आते हैं जो परिवार निर्धन होता है। उसी कारण ही वह परिवार अशिक्षित भी होता है, जिससे परिवार में यह धारणा पैदा होती है कि लड़का पैदा होने पर कमा कर लाएगा और लड़की पैदा होने पर खर्चा होगा, स्वाभाविक है कि दो पुत्रों की प्राप्ति के लिए दो पुत्रियों के जन्म की सम्भावना को नकारा नही जा सकता। अतः गरीबी के कारण अशिक्षा, जनसंख्या बढ़ोत्तरी, लड़का–लड़की की असमानता एवं बाल मजदूरी उत्पन्न होती है। इस प्रकार गरीबी के कारण बड़े परिवार और बडे परिवार के कारण गरीबी का एक कुचक्र चलता रहता है और इसकी अन्तिम परिणति होती है बाल श्रम। अशिक्षा इन कार्यो में मध्यस्थ का रोल अदा करती हैं।

स्वास्थ्य पर कुप्रभाव – जोखिमपूर्ण तथा खतरनाक उद्योगों मे काम करने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अनुसन्धानों से यह बात पाई गई है कि दरी उद्योग में घण्टों तक एक ही मुद्रा में रहने के कारण और इस काम की बारीकियों के कारण इनमें लगे बच्चों में अंग दोष आने लगते हैं और आँखों पर जोर पड़ता हैं।

बाल मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा दी गई यातनाएं भी सहन करनी पड़ती है। पिछले दिनों बनारस के नयेपुर गांव में कालीन उद्योग के मालिक ने एक बच्चे को गर्म सलाखों से दाग दिया था। हौजकाजी स्थित एक कढ़ाई फैक्ट्री में मालिक द्वारा जिन्दा जला दिए गए जफर इनाम की चीखें अभी तक गूँज रही है जफर इमाम का उसके मालिक ने इसलिए मार डाला था, क्योंकि उसने नौकरी छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी यह बात भी उजागर हुई है कि जौनपुर में एक कालीन उद्योग से मुक्त कराए गए बच्चे से ज्ञात हुआ कि वे कारखानों में जेल स्वरुप कोठरी में रखे जाते थे। शौंच जाते समय भी उनके पास आदमी खड़े रहते थे।

स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में आतिशबाजी उद्योग भी कुछ कम नहीं है। आतिशबाजी उद्योग में बाल श्रमिक हमेशा खतरनाक रसायनों के सम्पर्क में रहते हैं। सल्फर, पोटाश तथा फॉस्फोरस जैसे रसायनों के सम्पर्क में रहने के कारण इन बच्चों को अनेक बीमारियाँ घेर लेती है। इस उद्योग में दुर्घटनाओं की भरपूर गुंजाइश रहती है। इसमे इस्तेमाल किया जाने वाला कच्चा माल अत्यन्त विस्फोटक होता है। बच्चों या सुपरवाइजर की जरा सी भूल उनकी जान लेती हैं या फिर उनको जीवन भर के लिए अपाहिज बना देती है।

काँच उद्योग में काम करने वाले बच्चे दहकती भट्टियों के सामने अधिक तापमान के सम्पर्क में रहते हैं। काँच से चूड़ियाँ बनाने के लिए वे चूड़ियों का गर्म सिरा नंगे हाथों से जोड़कर चूड़ी बनाते हैं। लम्बे समय तक गर्म वातावरण में रहने के कारण इनकी त्वचा जल जाती है और दृष्टि कमजोर हो जाती है। कुछ सर्वेक्षण इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि फिरोजाबाद में काँच उद्योग में बाल–श्रमिक अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं और उनको 1004 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को सहन करना पड़ता है। ये बच्चे विभिन्न रोगों से पीड़ित होते हैं पर फिरोजाबाद में काँच कारखानों के मालिकों का कहना है कि यह उद्योग तभी जिंदा रह सकेगा जब मजदूर बचपन से ही अत्यधिक गर्मी और घातक रासायनिक पदार्थो के आदी हों इसी प्रकार बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में ताला उद्योग, स्लेट–पेंसिल उद्योग, बीड़ी इत्यादि उद्योग भी एक से बढ़कर एक हैं।

स्वास्थ पर कुप्रभाव डालने वाले उद्योगों और उनसे संबंधित बीमारियों को नीचे तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

कार्य के अन्तर्गत फैलनें वाली बीमारिया

क्र0सं0	व्यवसाय	फैलने वाली बीमारियां/विकलांगता
1.	दियासलाई/पटाखा	सांस की दिक्कत, भयानक रुप से जल जाना, भारी वजन उठाने से मांसपेशियों में खिंचाव या मांस पेशियों का बेकार हो जाता।
2.	पत्थर खदान/स्लेट उद्योग	सिलकोसिस, दम, घुट जाने से मौत
3.	कालीन/दरी उद्योग	रंगों से जहर फैलना, धूल और रेशों के कारण फेफड़ों, की भायानक बीमारी, गठिया, जोड़ के तनाव आदि।
4.	हथकरघा उद्योग	फाइबरोसिस तथा बाइसीनोसिस।
5.	बीड़ी उद्योग	नाक की बीमारी, सिरदर्द, उनींदापन, मांसपेशियों में, थकावट, निकोटिन का जहर फैलना, आँखों पर दबाव और नजरकमजोर हो जाना।
6.	कांच उद्योग	सिलकोसिस, जलना, ताप और धूल की वजह से उम्र का कम होना।
7.	ताला उद्योग/पीतल उद्योग	दमा, भयंकर सिरदर्द, सांस का बंद हो जाना, तेजाब से जलना, क्षय रोग।
8.	ढाबा नौकर	अत्यधिक काम, नशीली चीजों के सेवन की लत।
9.	गुब्बारा फैक्ट्री	निमोनिया, सांस लेने में कठिनाई, दिल की बीमारी या हार्ट अटैक।

स्रोत : राष्ट्रीय सहारा, रविवार, 1 मई 1994

बाल–श्रम की समस्या को जन्म देने वाले कारण

बच्चों को रोजगार पर लगाने के प्रमुख कारण निम्नवत् हैं –

परिवार की निर्धनता – निर्धनता की स्थिति में जब परिवार के लिए दो जून की रोटी की व्यवस्था करना ही कटिन हो तब माता–पिता सोचते हैं कि बच्चे कुछ कमाकर लाएं तथा उनकी आर्थिक सहायता करें। इस अभिवृत्ति के कारण पाँच साल के छोटे–छोटे ये बच्चे कमाऊ पूत बन जाते हैं और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। निर्धन एंवं असहाय माता–पिता का इस तरह सोचना पूर्णतः निराधार नहीं है, क्योंकि अति निर्धनता की स्थिति में जीवन–यापन करने वाले परिवारों में परिवार के संसाधनों के लिए बच्चे की भागीदारी इतनी आवश्यक है कि यदि बच्चा उनमें योगदान न करे तो निश्चित ही उसके घर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अन्य शब्दों में बाल मजदूरी की विवशता परिवार की दयनीय आर्थिक अवस्था में ही निहित है।

बम्बई महानगर में 1600 कामकाजी बच्चों के एक अध्ययन में पाया गया कि 60 प्रतिशत परिवारों की आय में बच्चों का योगदान 20 प्रतिशत से कम था, पर परिवार की समग्र आय की पड़ताल से यह जानकारी हुई कि परिवार के जीवन–यापन के लिए बच्चों की मजदूरी बहुत ही जरुरी थी।

भारत में बच्चों द्वारा मजदूरी करने का कारण अभिभावक की निर्धनता को ठहराया जा सकता है, क्योंकि गरीबी की स्थिति एक चिन्ताजनक तस्वीर पेश करती है। कुछ समंक यह भी कहते है कि देश के 18 से 58 साल की उम्र के (जोकि अधिकांशतः बच्चों के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं) करीब 25 फीसदी आज बेकार हैं और जो भी रोजगार प्राप्त है उनमे से 92 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं! जिसमें आज बेकार हैं और जो भी रोजगार प्राप्त है उनमे से 92 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। जिसमें यह माना जाता है कि इसमे न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों पर अमल नहीं होता और पूरे वर्ष रोजगार की भी समस्या रहती है। भारत को राजनीतिक दासता से मुक्त हुए 50 वर्ष हो चुके हैं, परन्तु अभी तक आर्थिक विपन्नता का कोढ़ नहीं धुल पाया है। देश की जनसंख्या का बड़ा भाग दरिद्रता के विषम चक्र में पिस रहा है। गरीबी के इस परिवेश में बच्चे मजदूरी के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार बच्चों के मजदूरी करने का कारण अभिभावकों की निर्धनता को ही ठहराया जा सकता है।

नियोक्ता का हित – उत्पादन व्यय को घटाने के लिए नियोक्ता के हिसाब से बाल–श्रम लाभ का स्रोत हैं, क्योंकि बाल–श्रम ही सबसे सस्ता (बच्चे वयस्कों से आधी या एक–चौथाई मजदूरी पर ही काम कर लेतेहैं) और आज्ञाकारी बाल श्रमिक है। वे श्रम की सौदेबाजी नहीं कर सकते, उन्हें डरा धमका कर उनसे जितने घण्टे चाहें काम लिया जा सकता है। वे अपना संगठन बनाकर काम करने की दशाओं के संबंध में तथा आवास अथवा कल्याण आदि के लिए अपनी माँग नहीं कर सकते। इन विविध लाभों के कारण बच्चों को काम पर लगाने की प्रवृत्ति सभी प्रकार के व्यवसायों में पनपती गई।

विभिन्न देशों के केस अध्ययनों में शोषण का जो प्रतिमान उभरता हैं, उससे संकेत मिलता है कि मुख्यतः उत्पादन की लागत कम रखने और मुनाफा कमाने के लिए बच्चों से काम कराया जाता है। तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण के कारण कई सहायक धन्धों में मालिक सस्ते और फुर्तीले श्रमिकों को लगाना बेहतर समझता हैं, जैसे माचिस की तीलियों में मसाला लगाना एवं कालीन उद्योग (इनके लिए प्रौढ़ श्रमिकों की अपेक्षा बाल श्रमिक उपयुक्त ठहरते हैं) आदि।

कुछ संगठित इकाइयों के मालिक वयस्क मजदूरों (अभिभावकों) को यह तर्क देकर मनाते हैं कि चूँकि उनके बच्चों को आगे चलकर इसी धन्धे में आना हैं, तो क्यों न उन्हें अभी कम उम्र से ही काम में लगाया जाए ताकि आगे चलकर वे कुशल कारीगर बन सकें, यह परिवेश बच्चों के अवसर से वंचित रखता है और बाल मजदूरी को प्रोत्साहित करता है।

संरक्षकों की अशिक्षा और उनमें जागरुकता का अभाव – माँ–बाप के शिक्षित न होने के कारण बच्चों के भविष्य के प्रति माँ–बाप का व्यवहार बहुत ही संकुचित और लापरवाही का रहता है। बच्चों की शिक्षा को वे अधिक महत्व नहीं देते, परिणामतः बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या उस स्तर को प्राप्त किए बिना पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं जिसके लिए उनका पंजीकरण हुआ था। ये माता–पिता यह सोचते है कि यदि बच्चों को काम पर लगाया जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। उन बच्चों को इस प्रकार लगाए रखना उपयोगी हैं, जो स्कूल नहीं जाता है। अतः इस व्यवहार के कारण कुछ परिस्थतियों – वश बच्चों को मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

भारत में प्रौढ़ो में आज भी बहुत अधिक निरक्षरता व्याप्त है। शिक्षा की सहभागिता पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 44वें चक्र पर आधारित निष्कर्ष के अनुसार 15–35 वर्ष के लिए साक्षरता केवल 56 प्रतिशत है। अभिभावकों की अशिक्षा और बच्चों के प्रति उदासीनता का

परिणाम यह होता है कि स्कूल न जाने वालेबच्चों का प्रतिशत तथा पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों का प्रतिशत भी अधिक रहता है। 1981 की जनगणना के आँकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 5–9 वर्ष आयु वर्ग में लड़कों में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत मात्र 39.6 तथा लड़कियों में 25.8 था इसी प्रकार 10–14 वर्ष आयु वर्ग में ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल जाने वाले लड़कों का प्रतिशत मात्र 57.8 तथा लड़कियों का 29.2 था। कुछ समंक बताते है कि 100 नामांकित बच्चों में से 40 ही कक्षा 5 तक पहुंचते है और कक्षा 8 तक मात्र 20 बच्चे ही विद्यालय में बने रहते हैं।

अल्प आयु में विवाह – अल्प आयु में विवाह भी बाल–श्रम को बढ़ावा देता है। अल्प आयु में विवाह होने से बच्चे अल्प आयु में ही रोजगार खोजते हैं (विशेषकर निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चें), जिससे अर्थोपार्जन कर गृहस्थी के व्यक्तिगत खर्चे पूरे कर सकें। इसी कारण रोजगार पाने के लिए बच्चों की ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर दौड़ शुरु होती है। रोजगार पाने के लिए ऐसे शादीशुदा बच्चे जोखिमपूर्ण तथा खतरनाक व्यवसायों तक में काम करने को तैयार हो जाते हैं और वे बच्चे अपने भविष्य की चिन्ता न करते हुए इन उद्योगों में लगे रहते हैं। यह कार्य भविष्य की लागत पर किया जाता है। यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि हम 21 वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन अल्प आयु में विवाह की परम्परा आज भी कायम है।

राजस्थान में प्रतिवर्ष अखातीज या फुलौरा दौज सरीखे मौकों पर हजारों की संख्या में बाल विवाह होते है। 15 मई, 1994 के एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से यह स्थिति उजागर हुई कि राजस्थान में **अक्षय तृतीय (अखातीज), फुलौरा दौज और बसन्त पंचमी सरीखे मौकों** पर बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चों की शादियां की सदियों पुरानी प्रथा हैं, अक्षय तृतीय के मुहूर्त में शारदा एक्ट की धज्जियाँ उड़ाते और अधिकारियों की आँखों में धूल झोंकते हुए दो सौ से अधिक नाबालिग बालक–बालिकाओं को विवाह बन्धन में बांध दिया गया। विवाह बंधन मं बंधने वाले दूल्हों में से 8 से 15 वर्ष के बालक और दुल्हनों में 6 से 14 वर्ष तक की बालिकाएं थी। राज्य के कोटा, बूँदी,जोधपुर, झुंझनू जिलों में भी बड़ी संख्या में बाल विवाह हुए।

1981 की जनगणना से पता चलता है कि भारत मे 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग की कुल महिलाओं में 6.6 प्रतिशत का विवाह हो जाता है, जबकि इस आयु वर्ग में पुरुषों में 2.6 प्रतिशत विवाहित होते है। ग्रामीण इलको में तो इस आयु वर्ग में 3.1 प्रतिशत पुरुषों के विवाह हो जाते हैं।

यही वजह है कि लड़को में काम में भागीदारी की दर बढ़ती है। 1981 की जनगणना में ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों में 10, 11, 12, 13, 14 वर्ष में काम में भागीदारी की दर क्रमशः 16.65, 31. 31, 46.89, 58.71 और 70.29 प्रतिशत थी, हीं शहरी क्षेत्रों यह क्रमशः 6.61, 11.55, 16.85, 20.10 और 22.59 प्रतिशत थी।

एक स्मरणीय बात यह है कि बाल–श्रम में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कहीं अधिक है। इसका प्रमुख कारण है कि बाल विवाह के परिणामस्वरुप जब लड़कियों की छोटी अवस्था में शादी कर दी जाती है तो माता–पिता तथा सास–ससुर उन्हें काम पर नही भेजते और स्त्री पुरुष पर आश्रित हो जाती है। इस स्थिति में लड़के जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं और अनार्थिक जोत, गरीबी और रोजगार की चाह उन्हें बाल–श्रम की ओर मोड़ देती है। इस प्रकार 10–14 वर्ष आयु वर्ग में बच्चों का विवाह होना कुछ हद तक बाल–श्रम का एक सशक्त कारण माना जा सकता है।

अधिनियमों के प्रावधानों का कठोरता के साथ पालन नहीं – भारत में आजादी से लेकर आज तक दर्जनों कानून बाल–श्रमिकों के उन्मूलन तथा नियमन के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अधिनियमों के बन जाने के बाद भी उनका कठोरता से न पालन किया गया और न गम्भीरतापूर्वक पालन कराया गया। कानून का पालन कागजी तौर पर तो किया जाता है, परन्तु व्यवहारिक रुप से नहीं।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती के अनुसार "बाल श्रमिकों से सम्बद्ध अधिकतर कानून कागजों तक ही सीमित हैं और क्रियान्वयन लगभग शून्य हैं। इन उद्योगों में बाल श्रमिकों की मौजूदगी ही इन कानूनों का मखौल उड़ाती हैं।"

सरकारी तथा गैर सरकारी तौर पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि माचिस तथा पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों में विस्फोट सामग्री कानून, फैक्ट्री कानून तथा श्रम कानूनों का उल्लघंन किया जाता है। कुछ सर्वेक्षण यह स्थिति उजागर करते हैं कि प्रबन्धकों के पास ऐसे समस्त बालकों की आयु का प्रमाण–पत्र विद्यमान होता है जो उनके द्वारा कार्य पर लगाये जाते हैं, आठ से दस वर्ष के ऐसे बालकों को इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि उन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। यही नहीं अधिनियमां से बचने के लिए तरह–तरह के रास्ते ईजाद कर लिए जाते है।

1948 के फैक्ट्री कानून के बाद दरी बुनाई की इकाइयों की औद्योगिक संरचना बहुत तेजी से बदली, अब बुनाई से जुड़े काम कारखानो में न होकर उस्ताद बुनकरों के घर पर किए जाने लगे, जहाँ बाल–श्रम कानून लागू नही होता। इसके करघे उस्ताद बुनकरों की निगरानी मे चलते हैं और ये उस्ताद हर करघे पर काम करने के लिए कोई तीन लोगो को लगाते हैं जिनमें एक या दो 7–8 वर्ष के बच्चे होते हैं।

अभिभावक और सेवायोजक झूठे डॉक्टरी प्रमाण–पत्र व रिश्वत आदि के द्वारा अपना काम निकाल लेते हैं। राजनीति के अपराधीकरण के युग में नेता, पुलिस व अपराधियों की साँठ–गाँठ से बच्चों के साथ जुल्म करने वाले ज्यादातर अपराधियों को सजा नहीं होती। कई मामले तो दर्ज ही नहीं किए जाते, चूंकि सरकार के पास निरीक्षण के पर्याप्त साधन नहीं हैं, इसलिए कारखानो के संचालक पूर्ण रुप से कानून का उल्लंघन करते हैं, श्रम जाँच समिति की धारणा थी कि अनेक उद्योगों में निरीक्षकों की कमी के कारण अधिनियमों के प्रावधानों का कठोरता के साथ पालन नही किया जात है । यही वजह है कि जिन उद्योग–धन्धों में आज इन बच्चों को अवैध रुप से रोजगार में लगाया जा रहा है। यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अमली जामा पहनाते हुए कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए अनेक नीतियों का अनुसरण करने पर भी भारत में बाल –श्रम व्यवस्था पनपी है।

बच्चे यदि इस प्रकार मजदूरी करते हैं और विद्यालय से दूर रहते है तो मात्र निर्धनता के ही कारण नहीं, और न ही शैक्षिक सुविधाओं के अभाव के कारण ही इसके लिए जिम्मेदार कुछ अन्य कारण भी हैं वे है – अभिभावकों की अशिक्षा, उदासीनता तथा उनमें जागरुकता का अभाव, अल्पायु में विवाह, बाल–श्रम निवारण अधिनियमों का गम्भीरता से अनुपालन न होना भी भारत में बाल श्रमिकों की बड़ी संख्या का प्रमुख कारण है।

संवैधानिक एवं सरकारी प्रयास

भारतवर्ष में सरकार ने और गैर–सरकारी संगठनों ने बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए अनेक निरोधक उपाय किए हैं। देश के संविधान में बाल–संरक्षण, विकास और कल्याणकारी सम्बन्धी प्रावधान हैं, अनुच्छेद 24 के अनुसार फैक्ट्री, खान या इसी तरह के जोखिम भरे स्थानों पर बच्चों को रोजगार में लगाना वर्जित है। अनुच्छेद 39 (5) और (6) के अनुसार राज्य को चाहिए कि वह अपनी

नीति इस तरह से प्रस्तुत करे कि कम उम्र के बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार न करे। बच्चों को स्वस्थ ढंग से विकसित करने का सुअवसर और सुविधाएं दी जाएं ताकि बचपन को शोषण और नैतिक परित्याग से बचाया जा सके। संविधान की धारा 45 ने संविधान के लागू किए जाने के दस वर्षो के अन्दर 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्वें को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास करने के निर्देश राज्य को दिए थे।

सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए हैं जिनमें एक खास आयु से कम आयु वर्ग के बच्चों को रोजगार में लगाने की दशाओं को निर्धारित किया गया है।

बाल मजदूरी के सम्बन्ध में सबसे पहले 1938 में ब्रिटिश सरकार ने बाल मजदूरी अधिनियम बनाया। इसके बाद 1946 में कोयला अभ्रक कानून, 1951 में चाय, कॉफी व रबर के बगानों में कार्यरत श्रमिकों के संरक्षण से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 में खान कानून, 1959 में श्रम नियोजन अधिनियम, 1960 में बाल अधिनियम, 1976 में बंधुआ मुक्ति अधिनियम बनाए गए।

बाल–श्रम की समस्या को गम्भीरता से लेते हुए 70 के दशक के अन्त में गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1979 में अपनी रिपोर्ट सौंपकर अनेक सिफारिशें की 1986 में बाल श्रमिक अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम खास–खास कार्यक्षेत्रों और प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों पर पाबंदी लगाता है और कुछ अन्य में इसे नियंत्रित करता है। यह अधिनियिम उन कार्यो में, जो बच्चों के लिए खतरनाक हैं, जैसे–खतरनाक मशीन के समीप काम करने, विषैले रसायनों का काम करने, पत्तनों पर काम करने आदि पर प्रतिबन्ध लगाता है। केवल परिवारों से सम्बन्धित व्यवसायों व मान्यता प्राप्त शालाओं की गतिविधियों को छोड़कर बच्चों को जिन स्थानों पर नहीं लगाया जा सकता, वे हैं . रेलगाड़ियों में यात्रियों का सामान, माल व डाक ढोने, गलीचो की बुनाई, अधजले कोयले को बीनना, राख के ढलानो की सफाई, भवन निर्माण, सीमेन्ट उत्पादन, कपड़ों की छपाई, रंगाई एवं बुनाई, माचिस, विस्फोटक सामग्री या पटाखों का उत्पादन, बीडी निर्माण माइका काटने एवं उसके टुकड़े करने, कसाईखाना, ऊन की सफाई, प्रिटिंग (मुद्रण), काजू और काजू के छिलके निकालना तथा उसका प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सोल्डरिंग करना आदि।

बाल मजदूरी के संबन्ध में 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रमिक बनायी जिसके अन्तर्गत बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने व उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व समान विकास कार्यक्रमों पर जोर देने की व्यवस्था की गयी। बाल मजदूरी उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों में एक कारगर कदम कहा जा सकता है। यह प्राधिकरण बाल मजदूरी, विशेष रुप से जोखिम वाले व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के लिए बाल मजदूरी प्रथा मिटाने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। यह प्राधिकरण निम्नलिखित कार्यो पर अमल करेगा।

(1) बच्चों की सुरक्षा हेतु कानून लागू करना।

(2) बच्चों को काम से हटाकर ऐसे विशेष स्कूलों में भेजना जहाँ उन्हें अनौपचारिक शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ–साथ पोषक आहार एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध हो ।

(3) बाल मजदूरी प्रथा से मुक्त बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु रोजगार प्रदान करना एवं उनकी आमदनी बढ़ाना।

(4) उत्तम शिक्षा एवं पोषक आहार उपलब्ध कराकर नए बच्चो को बाल मजदूरी से रोकना।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी सरकार ने बाल श्रमिकों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरु किए हैं। वर्तमान में बाल श्रमिकों की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने स्कूल शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ कदम उठाए हैं और भविष्य के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जैसे –

(1) 15 अगस्त, 1995 से स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना का शुभारम्भ हुआ इस योजना का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना तथा उन्हें बीच में स्कूल छोड़कर जाने से रोकना है। इसका एक उद्देश्य बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराना भी है।

(2) 29वें अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सरकार ने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को आगामी पांच वर्षो में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षो में जोखिमपूर्ण तथा खतरनाक व्यवसायों में व्याप्त बाल मजदूरी प्रथा को पूरी तरह से मिटाना है। गोआ सरकार ने 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी है। ऐसा बाल मजदूरी की कुप्रथा समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया है।

सरकार के अलावा कई गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन भी इस दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं। इस संदर्भ में दि कन्सर्न फॉर चिल्ड्रेन–बंगलौर, आइपर–कलकत्ता, प्रभात–तारा–दिल्ली, चेतना विकास–महाराष्ट्र, बटर–फ्लाईज–दिल्ली, सेवा–अहमदाबाद, शक्ति–दिल्ली, रेड्स–बंगलौर आदि चर्चित रहे हैं। इसी तरह एक गैर सरकारी संगठन 'प्रयास' के प्रयास भी इस दिशा मे कुछ कम नही ।

बाल–श्रम उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव ने 15 अगस्त, 1994 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण के दौरान देश से बाल–श्रम के उन्मूलन के लिए वृहद् राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की थी।

बाल–श्रम उन्मूलन से सम्बन्धित इस वृहद् योजना के पहले चरण में दरी व कालीन बुनाई, पत्थर खनन, माचिस निर्माण तथा पटाखा उद्योग जैसे खतरनाक उद्योगों में लगे 20 लाख बाल श्रमिकों को लक्षित किया जा रहा है। इन बच्चों को इन कार्यो से हटाकर स्कूल भेजने की व्यवस्था की जा रही हैं, जहाँ उन्हें रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। 6 वर्षीय यह योजना उन राज्यों में तीव्रता से लागू की जा रही हैं जहाँ खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों का रोजगार सर्वाधिक हैं । यह राज्य हैं – उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात। इन बाल श्रमिकों के माता–पिताओं (Parents) को जवाहर रोजगार योजना, रोजगार बीमा योजना (Employment Assurance Scheme) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) तथा ट्रायसेम (TRYSEM) अर्न्तगत लाभान्वित किया जा रहा है, ताकि वे अपने बच्चों को श्रम के लिए बाध्य न करें । इस योजना पर इन 6 वर्षो में 850 करोड़ रूपये व्यय किए जाने की घोषण की गई है। बाल–श्रम उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने के उद्देश्य से केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक बाल–श्रम उन्मूलन प्राधिकरण भी गठित किया गया है।

उच्चतम न्यायालय का फैसला

समाजकल्याण और पर्यावरण रक्षा क्षेत्र के वकील एम. सी. मेहता की जनहित याचिका पर दिसम्बर, 1996 में सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खँडपीठ ने शिवकाशी (तमिलनाडु) के माचिस–पटाखा उद्योग के मामले में निर्णय देते हुए खतरनाक उद्योगों में बच्चों के काम करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कल्याण कोष बनाने का भी आदेश जारी किया। देश के नौ खतरनाक उद्योग है।

माचिस–पटाखा उद्योग (शिवकाशी), हीरा पालिश उद्योग (सूरत), जवाहरात पालिश उद्योग (जयपुर), ग्लास उद्योग (फिरोजाबाद), पीतल बर्तन उद्योग (मुरादाबाद), हस्तनिर्मित दरी व कालीन उद्योग (मिर्जापुर, भदोही), ताला उद्योग (अलीगढ़) और स्लेट उद्योग (मॅदसौर)। न्यायालय ने निर्देश दिया कि 'पुनर्वास एवं बाल कल्याण कोष' से संबंधित बाल–श्रमिक के उद्योग–मालिक को 20,000 रु0 जमा करने होगें। साथ ही सम्बन्धित राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यमुक्त बाल श्रमिक के परिवार के एक वयस्क को कारखाना, खदान या अन्य खतरनाक उद्योग में रोजगार मिले। यदि सरकार ऐसा नही कर पाती तो सरकार स्वयं ऐसे प्रत्येक बच्चे के लिए उक्त कोष में 5000 रु0 का योगदान करें उक्त दोनों धनराशियों को कल्याण कोष में जमा कर उस कोष का उपयोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देनें एवं उनके कल्याण के लिए किया जाएगा ताकि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। अपने आदेश में उन्होंने यह भी कहा कि श्रम निरीक्षक गैर–खतरनाक उद्योगों में यह देखें कि बाल–श्रमिकों के काम के घंटे 4 से 6 के बीच हो। खॅंडपीठ ने आदेश में यह भी सुनिश्चित किया कि बाल–श्रमिकों को प्रतिदिन काम के दौरान दो घंटे का समय शिक्षा प्राप्ति के लिए उपलब्ध कराया जाए जिसका खर्च नियोजक वहन करे।[9]

यूनीसेफ के स्थापना दिवस पर जारी रिपोर्ट (दुनिया के बच्चों की स्थिति 1997) के अनुसार–भारत सहित विश्व के कई देशों में चालीस करोड़ बाल श्रमिक मानव सभ्यता के नाम पर अभिशाप हैं। औपचारिकता व अनौपचारिकता उद्योगों में अपना बचपन झोंक रहें इन बच्चों का शर्मनाक ढंग से शारीरिक मानसिक व यौन शोषण किया जाता है। रिपोर्ट मे कहा गया है कि खतरनाक बाल मजदूरी एक इन्सान के नाते हर बच्चे अधिकार का उल्लंघन और सभ्यता के प्रति अपराध है। रिपोर्ट के अन्त में भारत सहित सभी देशों का आवहन किया गया है कि बधुंआ मजदूरी और यौन शोषण सहित बाल मजदूरी के सबसे खतरनाक व शोषण रुपों तथा बच्चे के शरीरिक, समाजिक, बौद्धिक, भावात्मक या नैतिक विकास में बाधक कार्यो को कतई सहन नहीं किया जाना चाहिये। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि के साथ–साथ बीड़ी बनाने दरी व कालीन बुनने, माचिस की तीली, स्लेट और रेशम जैसे उद्योगों में इस तरह का लेनदेन फैला हुआ है। उनमें सबसे बदनाम उद्योग उत्तर प्रदेश का कालीन उद्योग है। इन उद्योगों में बच्चों को अक्सर बंधक बनाकर रखा जाता हैं, यातनायें दी जाती है और दिन में 20 घंटे लगातार काम कराया जाता है।

[9] दिलीप कुमार, बालश्रम : समस्या और समाधान, योजना, मई 1998

इतिहास पर नजर डालनें से ज्ञात होता है कि भारत में दरी उद्योग का जन्म लगभग 75 वर्ष पूर्व ब्रिटिश काल में हुआ, इससे पूर्व भारत में ऊनी तथा रेशमी कालीनों की बुनाई की जाती थी जो अधिक कीमती होनें के वजह से आम जनता इसका उपयोग कम कर पाती है क्योकि भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ अधिकतर गरीब जनता रहती है इस लिए इस व्यवसाय से जुडे लोगों नें विचार किया तथा चिन्तन के फल स्वरूप दरी का विकास प्रारम्भ हुआ । वर्तमान में यह एक ग्रामीण–परक लघु एवं कुटीर उद्योग के रुप में स्थापित हो चुका है।

जनपद सीतापुर में हस्तशिल्प के क्षेत्र में दरी उद्योग प्रमुख है। सन् 1980 में हाजी अब्बदुल रसीद नें एक्सपोर्ट दरी की कला को पानीपत से प्राप्त कर जनपद सीतापुर में लाये। प्रारम्भ में जनपद में पलंग दरी व फर्सी दरी का उत्पादन होता था । सन् 1982 से निर्यात योग्य दरी का उत्पादन प्रारम्भ हुआ । जनपद में इस उद्योग में लगभग 22 हजार पिट लूमों पर 40 हजार बुनकर कार्यरत हैं ।

दरी उद्योग असंगठित क्षेत्र का कुटीर उद्योग है जो उ0 प्र0 के भदोही, मिर्जापुर, कानपुर, बरेली, हापुड एवं सीतापुर जिलों में प्रमुख रूप से केन्द्रित है । यह उद्योग उक्त जिलो के लगभग 50 हजार वर्ग किलोमीटर में 60 हजार बुनकरों एवं ग्राम्य श्रमिको को उनके घरों या गाँवों में ही रोजगार उपलब्ध कराता है उ0 प्र0 के अलावा हरियाणा, मुम्बई, कर्नाटक, सिक्किम, असम तथा कश्मीर में भी यह उद्योग फैला हुआ है ।

दरी उद्योग का महत्व इस लिए और अधिक है क्योकि थोडे से समय में इसनें निर्यात के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है । जहाँ वर्ष 1986 में मात्र एक करोड रूपये के दरी निर्यात किये गये थे वहाँ वर्ष 2003–2004 में यह राशि बढ़कर 125 करोड हो गयी, इससे स्पष्ट है कि दरी के निर्यात में उत्तरोत्तर उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दरी के निर्यात में सीतापुर ,भदोही, मिर्जापुर का केन्द्रीय भूमिका है क्योकि कुल दरी निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा लगभग 80 प्रतिशत है।

भारत में इस लघु एवं ग्रामीणपरक कुटीर उद्योग में 2500 से अधिक दरी, निर्यातक, ढाई लाख से अधिक पिट्लूम और लगभग 20 लाख बुनकर मजदूर लगे हैं। दरी उद्योग में कार्यरत कुल श्रमिकों में से 30 प्रतिशत बाल मजदूर हैं इनकी संख्या दो लाख के करीब है। ये बाल मजदूर आमतौर पर धागों और ऊन के लच्छों के गोले बनाने, छटाई करने, गाँठ बाँधने व डिजाइन

बनाने का काम करते हैं, गाँठ बाँधने की कला सीखन से पहले बच्चे धागों के लच्छों से गोले बनाने का काम करते हैं। जिसका उन्हें कोई मेहनताना नहीं मिलता। एक बच्चे को दरी में गांठ बांधने की कला सीखने में 7–8 महीने लग जाते हैं बुनकर बच्चे कई वर्षो तक बेगारी करने के बाद ही कमाऊ बन पाते हैं। तब भी वे दिन में 8–10 रुपयों से ज्यादा नही कमा पाते।

स्वास्थ्य के लिहाज से दरी बुनाई एक जोखिम भरा काम है। पिट्लूम अक्सर तंग और गैर हवादार कमरों में लगी होती है। यहां उड़ते हुए ऊन के रेशे बाल बुनकरों के फेफड़ों में जमा होते हैं, जिससे बच्चे फेफड़ो की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। धुंधले कमरों में लगातार काम करने से उनकी आँखे कमजोर हो जाती है। कई वर्षो तक दरी में गांठ बांधते–बांधते बच्चों की नाजुक उंगलियों में जोड़ तनाव और गठिये का शिकार हो जाते हैं। घुटन भरे माहौल में काम करते रहने से दूसरे बच्चों की तुलना में बुनकर बच्चे गुमसुम और कमजोर से दिखते है।

इस उद्योग में बाल–श्रम के मनमाने इस्तेमाल को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय दरी पर प्रतिबंध लगाने का दबाव भी निरंतर बढ़ रहा है। फिर भी यहां के दरी उत्पादक अपने उद्योग को बाल–श्रम से मुक्त करने को राजी नहीं हैं। शायद ऐसा कने से यह उद्योग धराशायी हो जाएगा और उन्हें कई सौ करोड़ रुपयों का देशी विदेशी बाजार छोड़ना होगा।

बाल–श्रम की तल्ख सच्चाईयों को नजरअंदाज कर विभिन्न संगोष्ठियों–सम्मेलनों एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा बाल श्रम पर पूर्ण पाबंदी लगाने पर जोर दिया जाता रहा है। भारत ही नही, दुनिया के उन तमाम देशों में जहां दरिद्रता, अशिक्षा और बेरोजगारी का साम्राज्य हैं, बच्चों को श्रम से वंचित करना उनकी जिन्दगी को दुश्वार बनाने तथा उन्हें अपराधों की ओर प्रवृत्त करने जैसा कृत्य होगा। बाल–श्रम समस्या की जड वस्तुतः गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी है। यदि इन तीनों पर नियंत्रण पा लिया जाए जो समस्या का हल स्वयंमेव ढूंढा जा सकेगा। अन्यथा एक तरफ पुनर्वास कार्यक्रम चलता रहेगा और दूसरी तरफ बाल–श्रम पैदा होता रहेगा या बच्चे चोरी और भीख मांगने जैसे कृत्यों की ओर उन्मुख होते रहेंगे। जब तक गरीबी नहीं मिटेगी, सभी वयस्कों को रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, शिक्षा के प्रति रुझान नही बढ़ेगा तब तक बाल–श्रम अन्मूलन की बात बालू की

दीवार खड़ी करने के समान व्यर्थ रहेगी। जो बच्चे श्रम नहीं करते , वे जुआं खेलते हैं, कूड़ा चुनते हैं, पाकेटमारी करते है। बात सिर्फ बाल–श्रम की ही नही है। जो किशोर बालिकाएं जिस्म व्यापार की ओर ठेल दी जाती है, वे भी गरीबी और अशिक्षा का ही परिणाम भुगतती हैं।

बाल–श्रम को प्रत्येक व्यक्ति अपराध के रुप में स्वीकार करना चाहिए लेकिन बाल–श्रम उन्मूलन के उन तरीकों का विरोध करना चाहिए जिसमें बाल–श्रम रुपी वृक्ष की जड़ काटने के बजाय उसकी पत्तियां एवं डाले तोड़ने के ही प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए गरीबी हटाने का सफल प्रयास करना होगा, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करनी होगी, बूढ़े, अपंग बीमार अभिभावकों को जीवन–यापन की सहायता देनी होगी, जनसंख्या का अनुपात संतुलित करना होगा, शिक्षा की उचित व्यवस्था करके इस सामाजिक अपराध के प्रति जाग्रति फैलानी होगी, रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, बाल–श्रम का शोषण रोकना होगा एवं बालकों के बालकपन का दुरुपयोग न हो, इसके सभी संभव रचनात्मक उपाय करने होंगे।

1.2 समस्या कथन

प्रस्तुत शोध समस्या को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है– "शिक्षा के प्रति जनपद सीतापुर के दरी उद्योग के बाल–श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता एवं तत्परता : एक अध्ययन"

1.3 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं –

1. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरुकता का अध्ययन करना।
3. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता का अध्ययन करना।
4. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति और जागरुकता के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
5. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति और तत्परता के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
6. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरुकता और तत्परता के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
7. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता और तत्परता के मध्य सामूहिक सम्बन्ध का अध्ययन करना।
8. शिक्षा के प्रति क्षेत्र (ग्रामीण / शहरी) के आधार पर बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
9. शिक्षा के प्रति क्षेत्र (ग्रामीण / शहरी) के आधार पर बाल श्रमिकों की जागरुकता का अध्ययन करना।

10. शिक्षा के प्रति क्षेत्र (ग्रामीण / शहरी) के आधार पर बाल श्रमिकों की तत्परता का अध्ययन करना।

11. शिक्षा के प्रति लिंग (बालक / बालिका) के आधार पर बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

12. शिक्षा के प्रति लिंग (बालक / बालिका) के आधार पर बाल श्रमिकों की जागरुकता का अध्ययन करना।

13. शिक्षा के प्रति लिंग (बालक / बालिका) के आधार पर बाल श्रमिकों की तत्परता का अध्ययन करना।

14. शिक्षा के प्रति धर्म (हिन्दू / मुसलमान) के आधार पर बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

15. शिक्षा के प्रति धर्म (हिन्दू / मुसलमान) के आधार पर बाल श्रमिकों की जागरुकता का अध्ययन करना।

16. शिक्षा के प्रति धर्म (हिन्दू / मुसलमान) के आधार पर बाल श्रमिकों की तत्परता का अध्ययन करना।

1.4 परिकल्पनाएं (HYPOTHESES)

अनुसंधान की प्रक्रिया में समस्या कथन के तुरन्त पश्चात एक उपयुक्त परिकल्पना की रचना करने की आवश्यकता होती है। परिकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन प्रायः सम्भव नही होता इसका कारण यह है कि समस्या का स्वरुप अधिकतर अत्यधिक विषम विस्तृत तथा विसरित रहता है, ऐसी स्थिति में उसके व्यापक क्षेत्र को घटाना अत्यन्त आवश्यक होता है जिससे अध्ययन का स्वरुप स्पष्ट, सूक्ष्म तथा गहन हो सकें।

यदि परिकल्पना का निर्माण नही किया गया तो अनुसंधायक सम्बन्धित समस्या के अध्ययन के लिए इधर –उधर भटकता रहता है और इस प्रक्रिया में अनेक अनावश्यक तथा व्यर्थ के आंकड़े संकलित कर लेता हैं क्योंकि परिकल्पना के अभाव में समस्या से सम्बन्धित आवश्यक तथ्यों अथवा चरों का उसे स्पष्ट तथा विशिष्ट ज्ञान नही होता। इस कारण अनुसंधान में परिकल्पना की रचना अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। परिकल्पना के निर्माण से अनुसंधानकर्ता को तर्क संगत आकड़ों के संकलन में ठीक दिशा मिलती है तथा उपयुक्त, वैध व शुद्ध निष्कर्षो के अनुमान में सुविधा तथा सरलता रहती है।

परिकल्पना को परिभाषित करते हुए टाउन सैण्ड ने कहा है – "परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर होती है।"

परिकल्पना एक सम्बन्धित समस्या का ऐसा सम्भाव्य तथा परीक्षण योग्य प्रस्ताव होता है जिसके आधार पर सम्बन्धित चरों अथवा घटनाओं का अध्ययन आनुभाविक रुप से किया जा सकें और समस्या का पर्याप्त, उपयुक्त तथा वैध उत्तर उपलब्ध हो सके।

अनुसंधान प्रक्रिया में विश्वसनीय ज्ञान प्राप्ति के लिए परिकल्पना एक शक्तिशली माध्यम है। इससे अनुसंधायक को सिद्धान्त को प्रेक्षण से तथा प्रेक्षण को सिद्धान्त से सम्बद्ध करने में सहायता मिलती है।

परिकल्पना समस्याओं के सुझाए समाधान के रुप में इसके लक्ष्य के साथ संरुपित की जाती है कि आगे के अध्ययन में उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। उनसे अनुसंधायक को अपने अध्ययन में चरों की स्थापना करने व पहचानने में मदद मिलती हैं और यह सुझाव भी मिलता है कि कौन सी विधिक प्रक्रियाएं उपयोग की जाए।

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाएं स्थापित की गयी हैं।

1. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकरात्मक अभिवृत्ति के मध्य कोई अन्तर नही है।
2. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकारात्मक जागरुकता के मध्य कोई अन्तर नही है।
3. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकारात्मक जागरुकता के मध्य कोई अन्तर नहीं है।
4. शिक्षा के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक जागरुकता रखने वाले बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य कोई अन्तर नहीं है।
5. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकारात्मक तत्परता के मध्य कोई अन्तर नही है।
6. शिक्षा के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक तत्परता रखने वाले बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य कोई अन्तर नहीं है।
7. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति और जागरुकता के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नही है।
8. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति और तत्पराता के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नही है।
9. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरुकता और तत्परता के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नही है।
10. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता और तत्परता परस्पर सम्बन्धित नहीं है।
11. शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है।

12. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कोई अन्तर नहीं है।
13. शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बाल श्रमिकों की जागरुकता में कोई अन्तर नहीं है।
14. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरुकता में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कोई अन्तर नहीं है।
15. शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बाल श्रमिकों की तत्परता में कोई अन्तर नहीं है।
16. शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बाल–श्रमिकों की तत्परता में कोई अन्तर नहीं है।
17. शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिका बाल–श्रमिकों की अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है।
18. शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिका बाल–श्रमिकों की अभिवृत्ति में लिंग के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।
19. शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिका बाल–श्रमिकों की जागरुकता में कोई अन्तर नहीं है।
20. शिक्षा के प्रति बाल–श्रमिकों की जागरुकता में लिंग के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।
21. शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिका बाल–श्रमिकों की तत्परता में कोई अन्तर नहीं है।
22. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता में लिंग के आधार पर कोइ अन्तर नही है।
23. शिक्षा के प्रति हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है।
24. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में धर्म के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।
25. शिक्षा के प्रति हिन्दू एवं मुस्लिम बाल--श्रमिकों की जागरुकता में कोई अन्तर नहीं है।
26. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरुकता में धर्म के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।
27. शिक्षा के प्रति हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिकों की तत्परता में कोई अन्तर नहीं है।
28. शिक्षा के प्रति बाल बाल श्रमिकों की तत्परता में धर्म के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।

1.5 अध्ययन की आवश्यकता तथा सार्थकता

गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा और बढ़ती जनसंख्या, ये भारत की प्रमुख समस्याएं है। एक गरीब आदमी के सामने सबसे पहली समस्या पेट भरने की होती है। इसलिए जैसे ही उसके बच्चे अपने पांव पर खड़े होकर चलना शुरु करते हैं यानि पाँच--छह साल के होते है। वे उन्हे कमाने खानें

के लिए कहीं न कहीं भेज देते हैं। यानि जिस उम्र में एक सामान्य परिवार का बच्चा पढ़ना शुरु करता है उसी उम्र में एक गरीब परिवार का बच्चा मेहनत –मजदूरी करना शुरु कर देता है कई बार सरकार द्वारा दबाव डालने या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा समझाने पर कई लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरु भी कर देते हैं तो वे लोग तीसरी–चौथी कक्षा में ही उनकी पढ़ाई अधूरी छोड़ाकर उन्हें काम पर लगा देते हैं। इस तरह अधिकांश बाल मजदूर या तो निरक्षर ही रह जाते है या तीसरी–चौथी कक्षा तक ही पढ़ पाते है। राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा पांच शहरों में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार बम्बई में कुल बाल श्रमिकों में 59 प्रतिशत बच्चे तो कभी स्कूल गए ही नहीं, 30 प्रतिशत बच्चों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। केवल 11 प्रतिशत बाल श्रमिकों ने ही पढ़ाई जारी रखी है। कलकत्ता में 84 प्रतिशत बाल श्रमिक निरक्षर हैं, 15.7 प्रतिशत बच्चे पांचवी कक्षा तक पढ़ाई जारी रखते हैं और केवल 0.3 प्रतिशत बच्चे ही पांचवी कक्षा से ऊपर पढ़ाई करते हैं। जबकि मद्रास, हैदराबाद, कानपुर इन तीनों ही शहरों में अधिकांश बाल श्रमिक अशिक्षित है। इन बच्चों के अशिक्षित रह जाने से दो तरह के कुप्रभाव पड़ते हैं– एक तो अशिक्षित रह जाने के कारण ये लोग जीवन भर केवल मजदूरी ही करते रह जाते हैं। भविष्य में न तो ये लोग कहीं अच्छी जगह काम कर पाते हैं , न ही इनका जीवन–स्तर सुधर पाता है दूसरों कि इससे देश की तरक्की में बाधा पहुंचती है और कुपोषण, अधिक जनसंख्या जैसी समस्याएं जो सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही दूर हो सकती हैं उन समस्याओं पर काबू पाना भी कठिन हो जाता है।

मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक अधिकारी के बावजूद आज बच्चे विभिन्न खतरनाक उद्योगों में अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करने को विवश हैं एक अनुमान के अनुसार देश में दस से ग्यारह करोड़ बच्चे स्कूल नही जा पाते स्कूल न जाने व बाल मजदूरी के मध्य सीधा रिश्ता है। आर्थिक विषमता के चलते उपजी गरीबी बाल--श्रम के द्वार खोलती है। एक अनुमान के अनुसार तीन लाख बच्चे अमानवीय परिस्थितियों में दरी उद्योग में काम कर रहे है।

कहते हैं कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जिस देश में छह करोड़ बच्चे अपना स्वाभाविक बचपन न जी कर शोषण व उत्पीड़न का शिकार हों, उस देश के भविष्य का आंकलन सहज ही किया जा सकता है। जिस उम्र में बच्चों को शिक्षा अर्जित करते हुए सर्वागीण विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए, उसमें वे खेत, कारखानों में पसीना बहाते रहते हैं।

भारत में बाल मजदूरी प्रथा लम्बे समय से अर्थव्यवस्था में मौजूद है। फलस्वरुप इसकी जड़े भी गहरी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की खामियों ने बाल श्रम प्रथा का शोषण किया है। लघु कुटीर उद्योग–धन्धों, खेती, ईट–भट्टों में लाखों बाल श्रमिक काम करते रहे हैं। आर्थिक रुप से कमजोर परिवार मजबूरी में अपने बच्चों को मजदूरी के लिए भेजते हैं। इसके पीछे धारणा रही है कि गरीबी के चलते वे बाल मजदूरी करने को अभिशप्त हैं। लोग गरीबी का सीधा रिश्ता बाल–श्रम से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाल–श्रम से गरीबी मिटती नहीं है, वरन् एक नई पीढ़ी भी गरीबी के दलदल में फंसने को अभिशप्त हो जाती है। जो फैक्ट्री मालिक बाल श्रमिको को काम देते हैं, वे जमकर शोषण करते हैं। वे औने–पौने मजदूरी देकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। उन्हें सस्ते में आज्ञाकारी मजदूर मिल जाते हैं, जिनसे बारह से सोलह घंटे कमर तोड़ मेहनत कराई जाती है।

वास्तव में बाल–श्रम की परंपरा गरीबी के चक्र को बनाए रखने का उपक्रम है। बच्चों को खतरनाक उद्योगों में भेजकर गरीबी कभी खत्म नहीं होती, फिर बाल श्रमिक भी बड़ा होकर गरीबी को ही बढ़ावा देता है। उचित शिक्षा व प्रशिक्षण के अभाव में वह अकुशल मजदूर ही बनता है। फलतः कम मजदूरी वले क्षेत्र में काम करना उसकी मजबूरी हो जाती है।

वास्तव में गरीबी के कारण बाल मजदूरी नहीं बढ़ती, वरन् बाल मजदूरी के कारण गरीबी बढ़ती है। गरीबी और बाल मजदूरी के बीच बताया जाने वाला रिश्ता सामान्य तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता । कई स्वयंसेवी संस्थओं के अनुसंधान से निष्कर्ष निकला है कि बाल मजदूरी के चलते ही देश में बेकारी और गरीबी है यदि भारत में अनिवार्य शिक्षा लागू करके बाल–श्रम को नियंत्रित कर दिया जाता, तो भारत एशिया की नई शक्ति बनकर उभरता ।

सही मायनों मे देखा जाए, तो गरीबी एक तात्कालिक कारण हो सकता है, मूल वजह नहीं । जिस तरह बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है किसी रोग का संकेत मात्र है । आज भारत में जो बाल श्रमिक है, उनमें केवल दशमलव पाँच फीसदी ही अनाथ है। सरकारी आंकडे बता रहे है कि माँ–बाप को एक सौ बीस दिन से ज्यादा काम नहीं मिल रहा है, मगर उनके बच्चों को तीन सौ से चार सौ दिन काम मिल रहा है। एक वयस्क मजदूर जहाँ हफ्ते के छह दिनों में आठ घंटे काम करता है, वहीं बाल श्रमिक सात दिनों मे बारह से सोलह घंटे काम करता है। वास्तव में एक बाल श्रमिक एक वयस्क का बेरोजगर बना रहा है । एक फैक्ट्री मालिक पांच गुना अधिक मजदूरी पर वयस्क मजदूर रखने के बजाय बारह से सोलह घंटे खटने वाले सस्ते व आज्ञाकारी मजदूर को

काम पर रखने में फायदा महसूस करता है।

एक अंनुसंधान के अनुसार देश में बेाकारी व गरीबी के मूल में बाल श्रम प्रथा है। इस समय देश में लगभग 6 करोड़ बाल श्रमिक हैं और इतनी संख्या ही बेरोजगारों की है यदि बच्चों की जगह उनके वयस्क परिजनों का काम पर रखा जाए, तो एक सीमा तक देश में बेरोजारी पर काबू पाया जा सकता है। यदि उनके परिजनों को रोजगार मिल जायेगा तो उनका भरण पोषण सम्भव हो सकेगा, इससे बाल मजदूरी प्रथा पर अंकुश लगाया जा सकेगा ।

बाल–श्रम प्रथा के चलते राष्ट्र को कितनी क्षति उठानी पड रही है, इसका सहज अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ बाल श्रमिक वयस्क हो रहें है। खतरनाक उद्योगों में लगे ये बच्चे अस्वस्थकर परिस्थितियों में काम कर रहें है। फलस्वरूप 80 फीसदी टीबी, दमा, आँखों के रोगों से पीड़ित हैं। उसकी आय का अधिकांश हिस्सा रेागों से जूझने मे चला जता है । ऐसे मे गरीबी कहाँ खत्म हो रही है। ? देश में बीमारियों, अशिक्षा बेकारी व गरीबी को और बढावा मिल रहा है।

वास्तव में 21 वीं सदी के मुहाने पर खडे भारत में 6 करोड़ बाल श्रमिको का होना हमारे सत्ताधीशों की नीतियों की विफलता, सामाजिक विषमताओं, शिक्षा की नीतियों की असफलता, आर्थिक असमानता का परिचायक है।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन–एजूकेशन इन्टरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल–श्रम से शिक्षा का सीधा रिश्ता है। स्कूल न जाने वाले बच्चे बाल श्रम का मूल श्रोत हैं। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सन् 1960 में जो अनिवार्य व मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था, वो 38 वर्षो बाद भी पूरा नहीं हो पाया है । आज 10 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते । इसका अधिकांश हिस्सा प्रत्यक्ष व परोक्ष तौर पर बाल मजदूरी से जुड़ा है। एक तबका वह है, जो खेत खलिहानों, पुश्तैनी धन्धों में अपनें अभिभावकों का हाथ बटाता है। इसके अलावा वह वर्ग है, जो खतरनाक उद्योगों व ईट–भट्ठों में कार्यरत है।

साक्षरता का सीधा–सीधा प्रभाव बाल मजदूरी पर पड़ता है अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका जैसे देश हमारे सामनें हैं। श्रीलंका अपनी राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत अपनी शिक्षा पर खर्च करता है। फलस्वरूप वहां बाल मजदूरी का प्रतिशत काफी कम है दूसरी ओर, राष्ट्रीय आय का 1 प्रतिशत शिक्षा

पर व 28 प्रतिशत सेना पर खर्च करनें वाले पाकिस्तान में बाल मजदूरी का प्रतिशत बेहद ऊँचा है। भारत में यह प्रतिशत दो है। अतः

बाल मजदूरी का स्तर सबसे ऊँचा है केरल, हरियाणा के मुकाबले आर्थिक दृष्टि से विपन्न है, लेकिन शैक्षिक स्तर ऊँचा होने के कारण केरल में बाल मजदूरी का प्रतिशत कम है। दक्षिण एशिया बाल दास्ता विरोधी मंच इसी उद्देश्य को सामने रख कर–आजादी के लिए पढ़ाई, पढ़ाई के लिए आजादी, आन्दोंलन बचपन बचानें के लिए चला रहा है।

दक्षिण एशिया बाल दासता विरोधी मंच के संयोजक कैलाश सत्यार्थी बतातें हैं कि राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत संवैधानिक प्रावधान है कि बच्चों कों स्वस्थ तरीके अथवा स्वतंत्र व मर्यादित माहौल में विकास करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 45 कहता है कि उन सभी बच्चों के लिए जो चौदह वर्ष या उससे कम उम्र के हैं, राज्य संविधान लागू होने के दस वर्षो के अन्दर मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए, लेकिन सरकारी नीतियों की विफलता के चलते ये लक्ष्य छुए भी न जा सके हैं। यही वजह है कि बच्चों का शोषण करने वाले फल–फूल रहे हैं।

यूं तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बाल अधिकार संबंधी घोषणा का अनुमोदन 19992 में कर दिया था, जिसमें मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्धता दोहराई गयी थी, लेकिन इस घोषणा पर अमल आज तक नही हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया, कहती हैकि इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने से पहले चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य व संतोषप्रद शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1996 में गठित शिक्षा मंत्रियों की समिति ने निर्णय लिया कि चौदह साल तक की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षाा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाएगा। लेकिन अन्य घोषणाओं की तरह परिणाम वही ढाक के तीन पात।

भारत में बढ़ती जनसंख्या भी बाल मजदूरी की जननी है। जिन गरीब परिवारों मे बच्चे अधिक हैं, वही बच्चे सस्ते बाल–श्रम के पोषक हैं। आज भी बड़े परिवार वाले गरीब बाप की मानसिकता

है कि जितने हाथ, उतना दाम। बाप की इच्छा होती है कि जल्दी से बेटा कमाने लग जाए। हमारे देश मे परिवार नियोजन पर शिक्षा से अधिक खर्च किया गया है यदि शिक्षा अनिवार्य घोषित हो जाती, तो जनंसख्या दर स्वतः ही कम हो जाती, अशिक्षा ही जनसंख्या वृद्धि के मूल में हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा कर रह गई है चीन ने अनिवार्य शिक्षा लागू करके बाल–श्रम पर काबू पाया, आज चीन एक मजबूत राष्ट्र के रुप में उभर रहा है। परन्तु हमारे देश में शैक्षिक नीतियों की विफलता के परिणाम स्वरुप अशिक्षा आज भी विद्यमान है जिसके फलस्वरुप बाल श्रमिकों की संख्या घटने के स्थान पर बढ़ती जा रही है बाल श्रमिक प्रथा चूंकि मूलतः गरीबी और अशिक्षा की देन है, इसलिए उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में इस प्रथा को तभी समाप्त किया जा सकता है जब देश से गरीबी और अशिक्षा खत्म हो। चाहे कितनी भी सद्इच्छा रखी जाए और चाहे जितने भी सरकारी या गैर–सरकारी कार्यक्रम चलाए जाएं, जनसंख्या विस्फोट के चलते गरीबी और अशिक्षा समाप्त नही हो सकते। ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता बचता है और वह यह कि बाल श्रमिकों को सुविधायें प्रदान की जायें, उन्हें बेहतर वेतन दिलाया जाए उनके काम की अस्वास्थकर स्थितियों को समाप्त किया जाए, उन्हें पढने –लिखने के अवसर दिलाये जायें, उनके काम के घंटे निर्धारति हो तथा उन्हें जोखिमों के बीच काम न करना पड़े। क्या यह सब सम्भव है ?

इस प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का हाल का फैसला काफी महत्वपूर्ण है जिसके अन्तर्गत जोखिम वाले उद्योगों से बाल श्रमिकों का हटाने का निर्णय सुनाया गया है। इस फैसले के अंतर्गत न्यायालय ने एक योजना भी प्रस्तुत की हैं, जिसके अनुसार कानूनों का उल्लंघन करने वाले उद्योगपतियों और सरकार के संयुक्त धन से इन बच्चों को पढ़नें के लिए स्कूल भेजा जाएगा और उनके परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को रोजगार मिल सकेगा। मतलब यह है कि न्यायालय ने जोखिम वाले उद्योगों मे बाल–श्रम पर रोक लगाने का आदेश जारी करने के साथ ही ऐसे बाल श्रमिकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता कोष बनाने का उपाय भी सुझाया है।

इससे स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसलें में इस वास्तविकता का ध्यान रखा है कि बाल श्रमिक प्रथा को पूरी तरह समाप्त नही किया जा सकता। यह बात संगोष्ठियों–सम्मेलनों की उस सोच के एकदम प्रतिकूल है जिसके तहत प्रायः बिना सोचे–समझे, बाल मजदूरी पर पूरी

तरह पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने केवल जोखिम वाले उद्योगों में ही बाल–श्रम को रोकने का फैसला सुनाया है, वो भी वैकल्पिक योजना के साथ। अतः यदि उच्चतम न्यायालय के फैसले के संदर्भ में विचार किया जाए तो देश में ऐसी व्यवहारिक शिक्षा प्रणााली की आवश्यकता है जो न केवल माता–पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करे बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाये कि शिक्षा उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी क्योंकि मनुष्य को निम्न धरातल स उठाकर उच्चासन पर बिठाने के लिए शिक्षा ही कारगर उपाय है जिसे बचपन से ही प्रारम्भ करना होगा। विवेक जगाने वाली विद्या न रही तो मनुष्य का पतित होना आवश्यक है। मनुष्य के भीतर जो कुसंस्कार हैं, पशुत्व है, जो जिन्दगी हैं, उसे दूर करने का एक मात्र उपाय विद्या की प्रवीणता ही है। प्रगति, शांति और सुव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को बचपन से ही नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट बनाया जाए अन्यथा कल की जिम्मेदारियों को सम्भालने वाली भावी जिम्मेदारियों को संभालने वाली भावी कर्णधारों की यदि नीव ही कमजोर रही तो योजनाएं कितनी ही उत्तम क्यों न हो, सफलता संदिग्ध रहेगी। शिक्षा वस्तुतः व है जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का स्वरुप तथा समाधान सुझाये। अतः शोधकर्ता न ऐसी शिक्षा ग्रहण करने हेतु समाज के उस वर्ग को चुना जो अपनी मजदूरी तथा सरकारी नीतियों की विफलता के कारण गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, नैतिक तथा चारित्रिक पतन आदि समस्याओं से जूझ रहा हैं समाज का ऐसा वर्ग वे बाल श्रमिक जो पढ़ने लिखने और खेलने खाने की उम्र में अपना और अपने परिवार का बोझ ढोने को विवश होने के कारण शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता से वंचित रह जाते है। अब उच्चतम न्यायालय के फैसले के द्वारा भी शिक्षा पर जोर दिये जाने के कारण अनुसंधायक ने यह आवश्यक समझा कि यह जानने का प्रयास किया जाए कि बालश्रमिकों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण क्या है तथा वे शिक्षा (औपचारिक या अनौपचारिक) ग्रहण करने को जागरुक और तत्पर भी है या नहीं। वे सरकारी नीतियों का उपयोग करना चाहते भी हैं या नही तथा वे अर्थोपार्जन के स्थान पर विद्यार्जन या अर्थाजन के साथ विद्यार्जन करने को तैयार हैं या नहीं। उपर्युक्त सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए शोधकर्ता, ने बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जागरुकता एवं तत्परता का अध्ययन करके सार्थक निष्कर्ष प्राप्त करने की दिशा में एक उपयोगी एवं नम्र प्रयास किया है क्योंकि इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष, नीति निर्धारकों को यह दिशा प्रदान करेगें कि बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति अपना सकारात्मक या नकारात्मक किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं।

1.6 प्रमुख शब्दों का परिभाषीकरण

शोध समस्या के प्रत्येक शब्द को परिभाषित करना आवश्यक होता है। क्योंकि एक ही शब्द को विभिन्न शोधकर्ता भिन्न–भिन्न अर्थो में प्रयोग करते हैं। शब्द के अर्थ में भिन्नता के परिणामस्वरुप अलग–अलग शोधकर्ताओ द्वारा एक जैसी समस्याओं पर ही किए गए अध्ययनों के परिणामों में भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। अतः यह अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि समस्या के प्रत्येक शब्द को परिभाषित किया जाए जिससे पाठकों तथा शोधकर्ता के प्रत्ययों के मध्य संशय की स्थिति उत्पन्न न हो। अतः प्रस्तुत समस्या के प्रमुख शब्दों का परिभाषीकरण निम्नवत किया गया हैं –

(अ) बाल–श्रमिक

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से एक शोषण के विरुद्ध अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद 24 में व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष की आयु तक के किसी बच्चे को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी संकटमय कार्य में न लगाया जाए। अतः भारत में सामान्यत 14 वर्ष तक की आयु के श्रमिकों को बाल–श्रमिकों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता हैं परन्तु कार्य करने वाले 14 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बच्चें को बाल–श्रमिक नही माना जा सकता। संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाल अधिकार पर सम्पन्न सम्मेलन में कहा गया है कि बच्चों के श्रम करने की वो परिस्थितियां जहां उसका आर्थिक शोषण, हो, जोखिम भरे कार्य हो, कार्य शिक्षा में बाधक हों, कार्य के स्वस्थ्य एवं मानसिक, शारीरिक अध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, बाल–श्रम की परिधि में आती हैं। अतः 14 वर्ष तक की उम्र का बच्चा जो परिस्थितियों में काम करता हो बाल–श्रमिक कहलाता है। प्रस्तुत अध्ययन में भी उद्योग में लगे इसी श्रेणी के बाल–श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है।

(ब) शिक्षा

संविधान की धारा 45 में सरकार द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान जारी किया गया है। प्रस्तुत शोध में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क तथा अनिवार्य स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा

तथा सीखने की प्रवृत्ति को भी सम्मिलित किया गया है वे बालक जो काम पर जाने के कारण स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। उनका सीखने के प्रति रुझान हैं या नहीं तथा काम के साथ–साथ यदि उन्हें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाए जो उनकी उसके प्रति क्या विचारधारा होगी? इन सभी तथ्यों का अध्ययन शिक्षा के अर्न्तगत किया गया है।

(स) अभिवृत्ति

अभिवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था अथवा स्थिति के प्रति किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को इंगित करता हैं। प्रस्तुत शोध में अभिवृत्ति से तात्पर्य शिक्षा के प्रति बाल–श्रमिकों के दृष्टिकोण से है।

(द) जागरुकता

जागरुकता से तात्पर्य प्राप्त किये जा सकने योग्य लाभों, हितों, या सुविधाओं के प्रति सतर्कता एवं आवश्यक जानकारी रखने से है। प्रस्तुत शोध में जागरूकता से तात्पर्य राज्य द्वारा बालकों को उपलब्ध निःशुल्क एवं अनिवार्य स्कूली शिक्षा एवं कारखाना मलिकों द्वारा दी जानें वाली अनौपचारिक शिक्षा बाल श्रमिकों की सतर्कता या जानकारी से है ।

(य) तत्परता

तत्परता से तात्पर्य उपलब्ध हितों को प्राप्त करने हेतु उत्सुकता या चेष्टा से है। प्रस्तुत शोध में उपलब्ध शिक्षा को प्राप्त करने की बाल--श्रमिकों की चेष्टा ही तत्परता है।

(र) दरी उद्योग

प्रस्तुत अध्ययन में दरी उद्योग से आशय उन लघु एवं कुटीर दरी इकाइयों से हैं जहां दरी बुनी जाती है।

1.7 अध्ययन का सीमांकन

समय एवं संसाधनों की सीमितता के अर्न्तगत प्रत्येक समस्या के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करना संभव नही होता है। यदि शोधकर्ता ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसके अध्ययन में उद्देश्यता, वैधता एवं विश्वसनीयता का अभाव हो जाता है। अतः अध्ययन में उपर्युक्त तीनों तथ्यों की कमी न हो इसके लिए अध्ययन की सीमाओं को निश्चितकरना आवश्यक होता है। अतः प्रस्तुत अध्ययन की भी कुछ सीमाएं निश्चित की गई हैं, जो निम्नवत् हैं:–

1. प्रस्तुत अध्ययन में बाल–श्रमिको के अन्तर्गत केवल दरी उद्योग में लगे हुए बाल–श्रमिकों पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया है।
2. दरी उद्योग के अन्तर्गत केवल सीतापुर जनपद के दरी उद्योग को ही न्यादर्श चयन हेतु चयनित किया गया है
3. न्यादर्श की विभाजन केवल शहरी/ग्रामीण, बालक/बालिका तथा हिन्दू/मुसलमान के आधार पर ही किया गया है।
4. बाल श्रमिकों की केवल शिक्षा (औपचारिक एवं अनौपचारिक) के प्रति ही अभिवृत्ति, जागरुकता एवं तत्परता का अध्ययन किया गया है।

द्वितीय - अध्याय

(सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन)

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

सतत मानव प्रयासों से भूतकाल मे एकत्रित ज्ञान का लाभ अनुसंधान में मिलता है। अनुसंधायक द्वारा प्रस्तावित अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में सम्बन्धित समस्याओं पर पहले किए गये कार्य से बिना जोडे स्वतंत्र रुप से अनुसंधान कार्य नही हो सकता। किसी भी अनुसंधान की योजना के महत्वपूर्ण कदमों में एक अनुसंधान जर्नलों पुस्तकों, अनुसंधान विवेचनाओं, शोधलेखों व अन्य सूचना स्रोतो की सवाधानीपूर्वक समीक्षा है।

2–1 सम्बन्धित साहित्य का अर्थ

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोषों , पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से हैं, जिनके अध्ययन से अनुसंधायक को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रुपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

2–2 सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के उद्देश्य

(1) सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा से अनुसंधायक को अपने क्षेत्र की सीमा निर्धारण करने में सहायता मिलती है। उसे अपनी समस्या के परिसीमन व उनकी परिभाषा करने में भी सहायता मिलती है।

(2) सम्बन्धित साहित्य के ज्ञान से अनुसंधायक का अन्य व्यक्तियों द्वारा किए कार्य से पूर्ण परिचय हो जाता है और वह अपने उद्देश्यों का स्पष्ट व संक्षिप्त रुप से वर्णन कर सकता है।

(3) सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से अनुसंधायक अनुपयोगी समस्याओं का चयन करने से बच जाता है। वह ऐसे क्षेत्र चुन सकता है जिनमें लाभदायक खोज हो सके और ज्ञान के क्षेत्र मे सार्थक वृद्धि हो सके।

(4) सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा से कार्यो की पुनरावृत्ति नहीं होती।

(5) सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा से अनुसंधायक अनुसंधान प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करता है उसे पूर्व अध्ययनों में प्रयुक्त यंत्रों की जानकारी हो जाती है। उसे उन सांख्यिकी विधियों की अंतदृष्टि भी मिल जाती है जिनके द्वारा परिणामों की वैधता सिद्ध की जाती है।

2–3 सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन का महत्व

वस्तुतः सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के बिना अनुसंधानकर्ता का कार्य अन्धे के तीर के समान होता है। इसके अभाव में उचित दिशा में वह एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक उसे ज्ञात न हो कि उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है, किस विधि से कार्य किया गया हैं, तथा उसके निष्कर्ष क्या आये हैं। तब तक वह न समस्या का निर्धारण कर सकता और न उसकी रुपरेखा तैयार कर कार्य को सम्पन्न ही कर सकता है इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए डब्ल्यू. आर. बोर्ग ने लिखा है – 'किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधार शिला के समान है जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है। यदि सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को दृढ़ नहीं कर लेते तो हमारे कार्य की प्रभावहीन एवं महत्वहीन होने की संभावना है अथवा इसकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है।

चार्टर वी. गुड के अनुसार मुद्रित साहित्य के अपार भन्डार की कुंजी अर्थपूर्ण समस्या और विश्लेषणीय परिकल्पना के स्रोत के द्वारा खोल देती हैं तथा समस्या के परिभाषीकरण , अध्ययन–विधि के चुनाव तथा प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करती है। वास्तव में रचनात्मकता, मौलिकता तथा चिन्तन के विकास हेतु विस्तृत एवं गम्भीर अध्ययन आवश्यक है।

यदि उपर्युक्त तथ्यों पर गहनपूर्वक विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण शोध प्रबन्ध का एक अध्याय जोड़ने तथा ग्रन्थ सूची तैयार करने के लिए ही आवश्यक नहीं है अपितु अनुसंधान के सभी स्तरों पर यह सहायक होता है तथा समस्या का चुनाव, समस्या का परिभाषीकरण तथा विश्लेषण एवं कथन, परिकल्पनाओं का निर्माण, अध्ययन की सीमा के निर्धारण, अध्ययन की रुपरेखा तैयार करने, न्यादर्श के चुनाव, आंकड़ो के संग्रह, आंकड़ो के सारणीयन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण, सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग तथ निष्कर्ष निकालने –सभी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हैं। किस क्षेत्र में कितना कार्य किस रुप में हो चुका हैं ? व्यक्तियों ने क्या परिकल्पनाएं बनायी थी। किस विधि से न्यादर्श तथा आंकड़े का संग्रह, सारणीयन एव विश्लेषण किया तथा क्या निष्कर्ष निकले, पहले निकाले गए निष्कर्ष वर्तमान निष्कर्ष से कितने सम्मत अथवा असम्मत हैं आदि का निर्णय करने में सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन महत्वपूर्ण सहायता करता है।

2–4 बाल–श्रम से सम्बन्धित शोध साहित्य

बाल–श्रम से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यो का अभाव है। अधिकांशतः विभिन्न उद्योगों में लगे हुए बाल श्रमिकों की स्थिति का सर्वेक्षण किया है। जिनसे सम्बन्धित समीक्षाओं का संकलन प्रस्तुत अध्याय में किया गया है।

एकारा[1] (1979) ने स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से धारावी झुग्गी–झोपड़ी का सर्वेक्षण किया। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे –

(1) स्कूल जाने वाली उम्र के स्कूल न जाने वाले बच्चों की समस्या के प्राथमिक कारणों का अध्ययन करना।

[1]AIKARA, J. Educating out of school children : a survey of Dharavi slum. unit for Research in the sciology of Education. Tata institute of Social Science, Bombay. 1979.

(2) समस्या के कारणों का अध्ययन करना।

(3) स्कूल न जाने वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुक्त अधिगम कार्यक्रम के प्रारम्भ करने की सम्भवावनाओं को खोजना।

स्कूल न जाने वाले 20% बच्चों तथा स्कूल जाने वाले 5% बच्चों का यादृच्छिक विधि से न्यादर्श मे चयन किया तथा उनके माता–पिता और अभिभावकों का साक्षात्कार किया गया।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष थे –

(1) स्कूल जाने वाले बच्चों की तुलना में स्कूल न जाने वाले बच्चों का शैक्षिक व्यवसायिक तथा आर्थिक स्तर कमजोर था।

(2) गरीबी तथा निम्न शैक्षिक स्तर, बच्चों के स्कूल में प्रवेश न लेने तथा स्कूल बीच में छोड़ने के प्रमुख कारण पाये गए।

(3) स्कूल न जाने वाले बच्चों के माता–पिता अपने बच्चों को ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम में भेजने को तैयार थे जो उनके लिए उपयुक्त तथा सुविधापूर्ण हो।

(4) एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम जिसमें साक्षरता के साथ–साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी हो ज्यादा स्वीकार्य पाया गया।

(5) शाम को दो घंटे वे शिक्षा सम्बन्धी कार्य पर लगाने के लिए तैयार थे।

(6) अधिकांश बच्चों के माता–पिता शिक्षा का माध्यम मातृभाषा चाहते थे।

सिंह[2] (1979) ने वाराणसी शहर की झोपड़ी बस्ती में रहने वाले माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं का अध्ययन किया। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे -- विद्यार्थियों की निवास सम्बन्धी, शारीरिक, आर्थिक, वातावरण सम्बन्धी, शैक्षिक, मनोरंजन सम्बन्धी, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं एवं आवश्यकताओं का अध्ययन करना।

---

[2] S.N. Singh, A study of the problems and needs of Secondary Students Students living in the slims of Varanasi, Fac. of Edu., BHU, 1979.

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष थे –

(1) झोपड़ बस्ती में रहने वाले 80% विद्यार्थी अध्ययन के लिए पर्याप्त स्थान की समस्या से ग्रस्त थे।

(2) 94% से अधिक विद्यार्थी धनाभाव से ग्रस्त थे और उन्होंने बताया कि उनकी आर्थिक समस्याओं ने उनमें शैक्षिक विकास को बाधित किया है लगभग 57 से 71% विद्यार्थियों को दो समय भोजन भी नहीं मिल पाता था।

(3) लगभग 80% विद्यार्थी गन्दे वातावरण की वजह से परेशान थे।

(4) लगभग 82% विद्यार्थी पुस्तकालय आदि की सुविधा से वंचित थे। उन्हें किताबें, पत्रिकाएं, अखबार, जर्नल आदि पढ़ने को नही मिलते थे।

(5) 83% से ज्यादा विद्यार्थियों ने बताया कि भारत में लोग गरीब और अमीर में भेद करते है तथा 73% विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें अच्छा कार्य करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता।

(6) लगभग 73% विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक रुप से इतनें परेशान थी कि वे मानते थे कि सामाजिक बुराइयों का अन्त खून बहाकर ही किया जा सकता है लगभग 69% विद्यार्थी अपने अन्धकारमय भविष्य से चिन्तित थे।

(7) विद्यार्थियों का मानना था कि वे राष्ट्र की जिम्मेदारी हैं। अतः मुफ्त शिक्षा, छात्रावास सुविधा, तथा आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

सीतारामू[3] (1980) ने बंगलौर शहर के झुग्गी, झोपड़ी में रहने वालों द्वारा शैक्षिक सुविधाओं के उपयोग का उनके सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ मे अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य–झुग्गी, झोपड़ी क्षेत्र में रहने वालों का स्कूली शिक्षा में भाग लेने तथा शैक्षिक सुविधाओं के उपयोग करने का अध्ययन करना था। अध्ययन का क्षेत्र बंगलौर शहर था। 20 बस्तियों में रहने वाले 1000 बच्चों को न्यादर्श में चुना गया तथा साक्षात्कार विधि से आंकड़ों को एकत्र किया गया।

---

[3] **A.S. Seetharamu**, Education in slum : A study of the utilization of educational facilities by slum-Dwellers of Banglore city in Relation to thier socio and Econmic Background, instute for Social and Economic Change, Banglore, 1980

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष थे –

(1) कक्षा एक,दो, तीन एवं चार में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत क्रमषः 46.20, 24.20, 19.00 एवं 9.60 प्रतिशत था।

(2) स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा बच्चे वे थे जिनकी माताएं अकुशल व्यवसायाओं में लगी हुई थी जबकि घर पर रहने वाली माताओं के बच्चे स्कूल जाते पाए गए। परिवार का आकार भी एक प्रमुख कारण पाया गया।

(3) उन बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर कम पायी गयी जिनके पिता की आय अधिक थी।

(4) स्कूल जाने में नियमितता उन बच्चों में अधिक पायी गयी जिनके परिवार में वयस्कों की संख्या दो से अधिक थी तथा जिन परिवारों में बच्चों की संख्या दो से अधिक थी उनमें इस सम्बन्ध में अनियमितता पायी गयी।

(5) स्कूल घर से पास होने का भी बच्चों के विद्यालय में रुकने पर कोई प्रभाव नहीं पाया गया जबकि स्कूल दूर होना तो स्कूल में बालकों के रुकने में बाधक था ही।

(6) 38.60% विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे घर पर काम नहीं करते थे जबकि 61.40% बच्चे घर पर कुछ काम करते थे।

(7) स्कूल छोड़ने वाले बच्चे जो किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुए थे, वे एक दिन में सात घटे से अधिक काम करते थे। उनका कार्य स्थल या तो घर था या घर के पास। उनमें से 82. 84% महीने में 75 रु ही कमा पाते थे।

(8) मुश्किल से 4.20% बच्चे ही स्कूल में फेल हुए थे जबतकि 95.80 प्रतिशत बच्चों ने ऐसे ही स्कूल छोड़ दिया था।

(9) 56.54% बच्चे विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की योजना से लाभान्वित हुए थे लेकिन समाज का सबसे गरीब वर्ग इससे लाभ नहीं उठा सका विशेषतः वे बच्चे जिनके पिता की आय 100 रु0 प्रतिमाह से कम थी तथा जिनकी माताएं गृहणियाँ थी.।

(10) पूर्व हाईस्कूल छात्रवृत्ति से 37.80% बच्चे लाभान्वित हुए।

(11) पिता की आय के संदर्भ में निम्न आय वर्ग के बालक मुफ्त किताबों की योजना से लाभान्वित हुए।

सीतारामू एवं उषा देवी[4] (1981) ने कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय छोड़ने वालों का अध्ययन किया। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे –

(1) स्कूल में भाग लेने वालों की समस्या की पहचना करना।

(2) परिवार तथा विद्यालय के कारणों के संदर्भ में स्कूल छोड़ने वालों की समस्या का अध्ययन करना।

(3) बाल–श्रम तथा स्कूल छोड़ने के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष थे –

(1) 55 प्रतिशत बाल श्रमिकों ने विद्यालय छोड़ दिया था।

(2) पारिवारिक तथा स्कूली कारक भी विद्यालय छोड़ने के लिए जिम्मेदार पाये गए।

शेख[5] (1983) ने झोपड़ी बस्ती में रहने वालों के जीवन विधि एवं शिक्षा से उसके सम्बन्ध का अध्ययन किया। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे –

(1) किसानबाड़ी (बड़ौदा) के झोपड़ी बस्ती के लोगों के जीवन का उनके सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ सम्बन्धी और व्यवसायिक दशाओं के सम्बन्ध में अध्ययन करना।

(2) किसानबाड़ी के अभिभावक एवं बच्चों के शैक्षिक स्तर का अध्ययन करना।

(3) उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का उपयोग करने के प्रति उनकी जागरुकता का अध्ययन करना।

(4) उनकी शैक्षिक एवं व्यवसायिक आशाओं का अध्ययन करना तथा शिक्षा के प्रति उनकी अभिवृत्ति ज्ञात करना।

---

4 A.S. Seetaramu and M.D. Ushadevi : School Drop outs in Rural Areas-A study of the school drop outs in Karanatka State, institute for Social and Economic change, Banglore, 1981

5R.A. Shaikh : A Study of life style of sulm Dwellers and its relation with education, Ph. D.Edu., MSU, 1983.

स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से न्यादर्श का चयन किया गया जिनमें 25 परिवारों के माता–पिता तथा बच्चों को सम्मिलित किया गया।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष थे –

(1) 6 से 14 वर्ष की उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 72.33 था।

(2) अशिक्षित पूरुषों की तुलना में अशिक्षित महिलाओं की संख्या अधिक थी।

(3) लगभग 27% पुरुषों तथा 5.36% महिलाओं ने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण की थी।

(4) कुल जनसंख्या का 23.94% लोग कमाने वाले थे लगभग 56 पुरुष रोजगार में लगे हुए थे, 13 स्वरोजगार में लगे हुए थे, 24% दैनिक वेतनभोगी थे और बचे हुए बेरोजगार थे। लगभग 93% महिलाएं बेरोजगार थीं, केवल 2.31% ही रोजगार में लगी हुई थी, 1.58% स्वरोजगार में लगी थी तथा 3.26% दैनिक वेतनभोगी थी।

(5) झोपड़–बस्ती में रहने वालों मे जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध आदि बुरी तरह फैले हुए थे।

(6) 25 परिवारों में से 22 परिवारों के माता–पिता स्वयं शिक्षा ग्रहण नही कर पाये थे। परन्तु शिक्षा के प्रति उनके अभिवृत्ति सकारात्मक थी।

(7) 13 परिवारों के बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की थी और शिक्षा के प्रति उनकी अभिवृत्ति सकारात्मक थी 6 परिवारों के बच्चों ने शिक्षा तो ग्रहण की थी परन्तु शिक्षा के प्रति उनकी अभिवृत्ति नकारात्मक थी।

(8) शिक्षा ग्रहण न कर पाने के कारणों में से प्रमुख थे– माता–पिता के काम में सहायता करना, छोटे बच्चों को संभालना तथा गरीब माता–पिता ने बच्चों को अपने परम्परागत कार्यो में लगा रखा था शिक्षा उन्हें अर्थहीन लगती थी।

"हमारी उँगलियां कट जाती है पर रक्त नही बहता हैं"[6] राजस्थान मे कालीन उद्योग ने बाल–श्रम मंजू गुप्ता ने राजस्थान में कालीन उद्योग के विशेष संदर्भ में भारतवर्ष में बाल–श्रम पर गहन अध्ययन किया तथा अपनी रिपोर्ट अम्बेडकर इंस्टीट्यूट आफ लेबर स्टडीज व एफ. ई. एस. (राजस्थान) को प्रस्तुत की।

---

[6]Manju Gupta : We cut our fingers but no blood falls, child labour in the carpet industry in Rajasthan, Young Hands at work, child labour in India, Manju Gupta and Klaus Voll (Eds.), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, PP. 35-49

उपरोक्त रिपोर्ट में राजस्थान मे कालीन उद्योग में कार्यरत बाल–श्रमिक की समस्याओं, कारण व निवारण पर सूक्ष्म दृष्टि से सर्वेक्षण किया गया।

यद्यपि भारतवर्ष में 16 वीं शताब्दी में मुगल शासन काल में कालीन उद्योग मुगल साम्राज्य के पतन के उपरान्त सरकारी संरक्षण के अभाव में उद्योग का पतन होने लगा। बीसवीं शताब्दी के मध्य में इस उद्योग को पुनः प्रोत्साहन मिला जब निर्यात हेतु कालीने बुनी जाने लगी। राजस्थान में इस उद्योग के पनपने का प्रमुख कारण अधिक मात्रा में भेड़ों का पाया जाना तथा उनसे ऊन मिलना रहा है। बीसवीं शताब्दी के मध्य में निर्यात की सम्भावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश व पंजाब के उद्योगपतियों ने राजस्थान में कालीन उत्पादन हेतु कुछ बड़े कारखाने लगाये। परन्तु वर्तमान मे इस उद्योग में लगे बड़े कारखाने कठिनाई से ही पाये जाते है। कठोर फैक्ट्री अधिनियम व बाल–श्रम पर प्रतिबन्धों के परिणामा स्वरुप कालीन उद्योग छोटी–छोटी इकाईयों में सीमित सा हो गया है।

वर्तमान में राजस्थान मे कालीन उद्योग एक घरेलू उद्योग सा बन गया है जिसमें कार्यरत बाल–श्रम वशांनुगत हैं। इस उद्योग में कार्यरत अधिकतर बाल–श्रमिक मुसलमान या अछूत जातियों से हैं आर्थिक पिछड़ापन, निर्धनता, बेरोजगारी व अशिक्षा बाल–श्रम की उपलब्धता के प्रमुख कारण है। इस उद्योग मे कितना बाल–श्रम लगा है इसकी गणना सम्भव नही है। अनुमानतः 30,000 कार्यरत मजदूरी में पन्द्रह वर्ष से कम आयु के 40% बालक होगें, सर्वेक्षण इस कारण सम्भव नही हैं क्योंकि अधिकतर लूम काम करने वाले के घरों के अन्दर ही हैं। फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत उनका पंजीकरण भी नहीं है। अधिकतर कालीन निर्माता स्वयं या ठेकेदार के माध्यम से दूर गांव में विभिन्न रंगों के ऊन भिजवा देते है तथा कालीन का नमूना, निश्चित आकार व गुणवत्ता बताकर कालीने निर्मित कराते है। शहरों में यह कार्य बिचौलियों के माध्यम से होता है। वास्तविकता यह है कि कालीन निर्यातकर्ता का कालीन बुनने वालों से कोई सीधा सम्पर्क नही होता है।

कालीन उद्योग में अधिकतर पुरुष वर्ग कार्य करता है जिसमें लगभग 70 प्रतिशत, 6 से 14 वर्ष के बालक होते है। बालिकाओं का अनुपात 10 प्रतिशत से कम ही होगा। बालको से प्रातः 8 से सायं 6 बजे तक कार्य लिया जाता है जिसमें एक घन्टा भोजन हेतु अवकाश दिया जाता है एक

माह में लगभग 20 दिन काम करने पर एक बाल–श्रमिक 150 से 300 रुपये तक अर्जित करता है जिसमें से लगभग 15 प्रतिशत ठेकेदार कमीशन ले लेता है तथा शेष धन बालक के माता–पिता को दे दिया जाता है। इसी कार्य के लिए एक वयस्क को डेढ़ गुना मजदूरी मिलती है। अतः निर्माता या ठेकेदार इस कार्य में अधिकतर छोटे बच्चों को लगाते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्य स्थल की अच्छी परिस्थितियाँ न होने के कारण कार्य में संलग्न बाल–श्रमिक स्थायी रुप से अस्वस्थ रहने लगते है।। जिन परिवारों में इकाईयाँ स्थापित हैं वे अधिकतर छोटे होते हैं। इनमें एक या दो बिना रोशनदान के कमरे, एक बरांडा व छोटा सा आँगन जिसमें पीछे मिट्टी की दीवार होती है। क्योंकि आँगन खुला होता है अतः छाया हेतु टाट या प्लास्टिक सीट डाल दी जाती है। प्रारम्भ में पिता या बड़ा भाई 5–6 साल के बालक को गाँठ बांधना सिखाता हैं। कुछ माह गाँठ बांधना सीखने के उपरान्त बालक स्वयं कालीन बुनने लगते है। परिवार का प्रत्येक नर सदस्य किसी न किसी रुप में इस इकाई से सम्बन्ध रखता है। ऐसी इकाईयों में बालक तनाव मुक्ति अनुभव करता हैं क्योंकि उनके ऊपर कारखानों वाला कोई प्रतिबन्ध नही होता।

रिपोर्ट में कालीन उद्योग में लगे बाल–श्रमिकों के स्वास्थ पर कुप्रभाव की विस्तृत चर्चा की गई है। कालीन में गाँठ बाँधने हेतु एकाग्रता आवश्यक है। समुचित रोशनी के अभाव के कारण बालकों की आँखों की रोशनी प्रभावित होती है। आठ घंटे लगातार काम करने के कारण ऊन का रेशा बालकों के फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है। कालीन बुनाई हेतु बच्चों को घुटने के बल पर एक विशेष आसन से बैठना पड़ता है ताकि धागा आसानी से पकड़ा जा सके। परिणाम स्वरुप बालक का पेट बराबर दबा रहता है। आँखे लगातार ऊन तथा सूती धागे पर लगी रहती हैं। जरा सी चूक से गाँठे बाँधने में त्रुटि हो सकती है। इस उद्योग में लगे बालक धीरे–धीरे दमा, घुटने के दर्द, आँख की रोशनी की कमी आदि रोगों से ग्रस्त हो जाते है।

लेखिका (मंजू गुप्ता) द्वारा बाल–श्रमिक, अभिभावकों व उद्योग से सम्बन्ध अन्य व्यक्तियों से प्रश्न व उनके उत्तर उद्धत योग्य है।

प्रश्न : आप अपने बच्चों को शिक्षा हेतु स्कूल क्यों नही भेजते ?

उत्तर : स्कूल में उन्हें क्या शिक्षा मिलेगी ? क्या स्कूल उन्हें कोई रोजगार दिला सकता है ? यहाँ कम से कम बालक कालीन बुनना सीखते हैं तथा बालिकायें "बन्धनी" का कार्य करती है। इस कार्य से वे अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हैं।

प्रश्न : इस उद्योग में मात्र छोटे बच्चों को क्यों चुना जाता हैं ?

उत्तर : केवल बच्चे ही इस कार्य से शारीरिक परिश्रम करने में अभ्यस्त हो जाते है। यदि कोई वयस्क इस कार्य को प्रारम्भ करता है तो उसका शरीर इस प्रकार के विशेष आसन में बैठने में कठिनाई का अनुभव करता है। बच्चों की चपल अगुलियाँ शीघ्रता से अधिक कार्य करती हैं तथा वयस्क की अपेक्षा उन्हें मजदूरी भी कम देनी पड़ती है।

प्रश्न : किसी दुर्घटना के समय प्राथमिक उपचार या समुचित चिकित्सा सुविधा के अभाव से कैसे मुकाबला करते हो ?

उत्तर : व्यंगात्मक उत्तर में बालक कहते हैं, "हमारी अंगुलियाँ कट जाती है। हम उन पर चूना, मेंहदी आदि लगाकर पुनः काम में लग जाते हैं। हमारी अंगुलियाँ रक्त रहित हैं। उनसे रक्त नही गिरता। हमारा शारीरिक विकास रुक जाता है। हमारा सीना, पैर और अन्य अंग धीरे–धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं। हम कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते।"

लेखिका ने स्वयं कुछ बच्चों के स्वास्थ की जाँच की और पाया की उनकी आँखे धँस सी रही थी, चेहरे पर निराशा झलक रही थी उनके पैर कमजोर व पतले हो गये थें। उनका सीना सिकुड़ सा रहा था।

अधिकतर बालक शिकायत नही करते थे वरन् भाग्य पर भरोसा करके सन्तोष करते थे।

लेखिका इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अपर्याप्त आय, बेरोजगारी, अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर लगा देते हैं। एक बालक जो 7 या 8 वर्ष की अवस्था से कालीन उद्योग में श्रम प्रारम्भ कर देता हैं 30 से 35 वर्ष तक की आयु पर पहुँचते–पहुँचते शारीरिक और मानसिक रुप से अशक्त सा हो जाता है। जीवन निर्वाह हेतु वह अपने बच्चों को श्रम पर लगाता है और इस प्रकार यह पहिया चलता रहता है। गरीबी व मजदूरी का लाभ उठाकर उनसे काम लिया जाता है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नही दी जाती है

जिससे उनका शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण होता है। ऐसे बालक जीवन के नैसर्गिक अधिकारो (शिक्षा, खेल, लाड, दुलार) से वंचित होकर विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार हो रहे हैं।

लेखिका ने अन्तिम पैरा मे संक्षिप्त में इस बुराई के उन्मूलन हेतु सुझाव भी दिये है। आवश्यकता है समाज में जागरुकता पैदा की जाए ताकि माता–पिता, उद्योग के स्वामी व सरकार अनुभव करें कि किस प्रकार बालकों की नैसर्गिकता का हनन करके उन्हें कार्य के लिए बाध्य किया जाता है और उन्हें हंसने, खेलने, पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

मिर्जापुर–भदोही में कालीन उद्योग में कार्यरत बाल–श्रमिकों का पुर्नवासः क्रेडा के अनुभव[7]

(Centre for Rural Education and Development Action [CREDA])

उपर्युक्त रिपोर्ट मिर्जापुर (उ0प्र0) के स्वयंसेवी ग्रुप क्रीडा के सचिव एस.एम.खान तैयार की है एस.एम. खान ने बिहार, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में अनेक आर्थिक–सामाजिक सर्वेक्षण कियें। रिपोर्ट मंजू गुप्ता द्वारा सम्पादित पुस्तक चाइल्ड लेवर इन इंडिया में सम्मिलित की गई है। इस रिपोर्ट में एस. एम. खान ने मिर्जापुर–भदोही क्षेत्र में कालीन उद्योग में कार्यरत बाल–श्रमिकों की समस्याओं व उसके निवारण का विस्तृत वर्णन किया है साथ ही साथ क्रीडा द्वारा सुधार हेतु उठाये गये पगों के मार्ग में ठेकेदारों द्वारा उत्पन्न बाधाओं पर भी प्रकाश डाला है।

क्षेत्रः अध्ययन का क्षेत्र इलाहाबाद जनपद के माण्डा व करौना ब्लाक व मिर्जापुर जनपद का हलिया ब्लाक तक सीमित है। खान के अनुसार भारतवर्ष से निर्यात की जाने वाली कालीनों में लगभग 80% इसी क्षेत्र में तैयार होती है। इस क्षेत्र की 2, 21, 479 जनसंख्या में लगभग 20% कालीन या मोटे ऊनी वस्त्र बुनने वाले रहते है।

श्रमिकों व बाल–श्रमिकों की दशा : कालीन उद्योगों में कार्यरत अधिकतर श्रमिक निचले किसान वर्ग के हैं जिनके पास नाम मात्र की भूमि हैं। ऐसे श्रमिक मुख्यतः मुस्लिम, अछूत या पिछड़ी जातियों से है। अधिकतर श्रमिकों को ठेकेदार या बिचौलिये अन्य स्थानों से ले आते हैं।

[7] S.M. Khan : Rehabilitation of carpet weaving children in Mirzapur- Bhadohi-CREDA's-Experience, Young Hands at work, Child Labour in India, Manju Gupta & Klaus Voll (Eds.), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, PP. 126-132.

इन प्रवासी श्रमिकों के पास निवास हेतु कोई स्थान नहीं होता है इस कारण वे वहीं रहते हैं जहां लूम लगे होते हैं।

ठेकेदार पास के गांव से बच्चों को उनके माता–पिता को अग्रिम राशि देकर जबरदस्ती ले आते हैं। कुछ को शहर में सिनेमा आदि दिखाने का लालच भी दिया जाता है इन प्रवासी बाल–श्रमिकों का जीवन अत्यन्त दयनीय होता है। उनसे कम मजदूरी पर अधिक कार्य लिया जाता है और कार्य में शिथिलता बरतने पर पींटा जाता है। सन् 1982 से क्रीडा ने सर्वेक्षण करने के उपरान्त पाया कि निर्धन परिवारों ने बच्चों को स्कूल जाने को हतोत्साहित किया जाता है तथा माता–पिता को बच्चों को कालीन उद्योगों में कार्य करने के लिए लालच दिये जाते है। लेखक ने क्रीडा सचिव के रुप में बाल–श्रमिकों के शोषण का विस्तृत अध्ययन किया। लेखक के अनुसार पश्चिमी देशों से कालीनों की अधिक माँग अधिक होने के कारण गैर–परम्परावादी जुलाहे भी इस कार्य में लग गये हैं।

अपने प्रारम्भिक अध्ययन में लेखक ने पाया कि कालीन उद्योग में कार्यरत बाल–श्रमिकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. जो परिवार के अन्दर की इकाई में परिवार वालों की सहायता करते है।
2. जिनको ठेकेदारों/बिचौलियों के माध्यम से अन्य स्थानों से उनके माता–पिता को अग्रिम राशि देकर लाया जाता है। प्रवासी बाल–श्रमिकों का अधिक शोषण होता है।

पुर्नवास योजना : अपने अनुभव व निरीक्षण के उपरान्त लेखक ने कालीन उद्योगों में कार्यरत बाल–श्रमिक के पुनर्वास हेतु निम्न सुझाव दिये --

1. पन्द्रह ग्रामों में प्रचार,, बहस, पोस्टर, चर्चा आदि के माध्यम से जागरुकता पैदा करना।
2. कार्यरत बाल–श्रमिकों हेतु अच्छी स्वास्थ्य सुविघायें जुटाना।
3. कार्यरत बाल–श्रमिकों हेतु मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना तथा उनके अन्दर विश्वास पैदा करना।
4. कार्यरत बाल–श्रमिकों हेतु अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना ताकि वयस्क होने पर वे कुछ लिख–पढ़ सकें।

5. सूदखोरों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रत्येक ग्राम में धन उपलब्ध कराने हेतु एक इकाई गठित करना।

6. बाल–श्रमिकों को बाल–श्रम अधिनियमों की जानकारी देना।

क्रीडा ने बाल–श्रमिकों के माता–पिता को पोस्ट कार्ड भेजना प्रारम्भ किया जिसके द्वारा उनके बच्चों की स्थिति की जानकारी मिलती रहे। कुछ ग्रामों में "ग्राम विकास मण्डल", स्थापित किये गये जिनके माध्यम से महिलाओं को शोषण से बचाया जाए तथा पीने के पानी, सफाई, उचित मजदूरी आदि की व्यवस्था की जा सके। रंगीन पोस्टर्स, द्वारा बाल–श्रमिकों की दयनीय दशा को दर्शाया गया।

बाल–श्रमिकां द्वारा प्रदर्शन : कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में ही कार्यरत बाल–श्रमिकों ने गांव में प्रदर्शन किया तथा शिक्षा, भोजन तथा आवास की मांग की सन् 1985 में कई ग्रामों के बालकों ने मिलकर एक विशाल जुलूस निकाला। इसका परिणाम यह हुआ कि बाल–श्रमिकां के माता–पिता या स्थानीय अभिभावक ने क्रीडा से सम्पर्क स्थापित कर बाल–श्रमिक अधिनियमों को जानने का प्रयास किया।

कठिनाइयॉ : लेखक ने उन कठिनाईयों पर भी प्रकाश डाला हैं जिसका अनुभव उसको समय–समय पर हुआ–

1. जब ठेकेदारों ने अनुभव किया कि क्रीडा के कार्यक्रम उनके मार्ग मे बाधक है, तो उन्होंनें संगठन के विरुद्ध झूठे आरोप लगाये। एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि कुछ समय उपरान्त संगठन बाल–श्रमिकों का धर्म–परविर्तन करा देगा।
2. संगठन के सदस्यों को धमकी भरे पत्र भेजे गये कि वे उस स्थान को छोड़ दें।
3. संगठन को कोई ऐसी भूमि न मिल सकी जहां बाल–श्रमिकों हेतु एक पक्का हाल बनवाया जा सके।
4. धन का अभाव भी कार्य योजना में बाधक रहा।

निष्कर्ष :– सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन करने के उपरान्त लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब तक बाल–श्रम का पूर्णतः उन्मूलन नही हो जाता, उस समय तक आवश्यक है कि बाल–श्रमिकों की शिक्षा, मनारेंजन, स्वास्थ सेवा, उचित मजदूरी तथा कार्यविधि में निपुणता हेतु ठोस कार्य किये जाएं।

कश्मीर में कालीन उद्योग में बाल–श्रम[8]

डा0 निसार अली ने जम्मू–कश्मीर प्रान्त में कालीन उद्योग में कार्यरत बाल–श्रमिकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया तथा उसके निवारण हेतु कुछ ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किये। डा0 निसार अली कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में अर्थशास्त्र विभाग में रीडर है।

लेखक के अनुसार बाल–श्रम की समस्या केवल इस उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं है वरन् विश्वव्यापी है। परन्तु विकासशील देशों में यह अधिक गम्भीर है। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में बाल–श्रमिकों का अनुपात एक जैसा नहीं है। उदाहरणस्वरुप केरल में 2% है जबकि आन्ध्र प्रदेष में 4.25% । यद्यपि कश्मीर में कालीन बुनने का कार्य जैन–उल–अबाद्दीन (1423 से 1473) के समय प्रारम्भ हुआ परन्तु वास्तविक विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ।

बाल –श्रम का आयतन

यह क्षेत्र परम्परागत रुप से हस्तशिल्पकारी व हस्तकारी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। हस्तकारी में कितना बाल–श्रम कार्यरत है इसका पता लगाना कठिन है। लेखक ने कार्यरत बाल–श्रम को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया –

(1) छोटे उद्योग

(2) परम्परागत हस्तशिलपकारी

(3) तृतीय पंक्ति जैसे सार्वजनिक परिवहन, सेवायें आदि।

लेखक के अनुसार छोटे उद्योगो तथा तृतीय पंक्ति में बाल–श्रम नाम मात्र का है जबकि अधिकतम बाल–श्रम हस्तशिलपकारी में कार्यरत है। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 28,500 बाल–श्रमिक दस्तकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं।

निष्कर्ष : लेखक के अनुसार इस विश्लेषण के स्पष्ट है कि सामाजिक लोकहितकारी कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यरत बाल–श्रमिकों की गम्भीर समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जब तक नियमों का कठोर रुप से पालन नही किया जाता, बाल–श्रम पर प्रतिबन्ध व्यर्थ साबित होगा

8 Nisar Ali : Child Labour in the Carpet Industry in Kasmir, Young Hands at work, Child Labour in india, Manju Gupta & Klaus Voll (Eds.), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, PP. 50-58.

आवश्यकता है समय–समय पर अध्ययन किया जाए। वर्तमान टिप्पणी में केवल कुछ तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। पूर्ण जानकारी सम्पूर्ण अध्ययन के उपरान्त सम्भव होगी।

बाल–श्रमः "एक कड़्वा सच"[9] नामक अपने शोध लेख में मंजू गुप्ता ने भारत में बाल–श्रम के इतिहास का वर्णन करते हुए विभिन्न देशों में बाल–श्रमिकों की संख्या को भी दर्शाया है आपने बाल–श्रमिाकों की कार्य दशाएं, घरेलू वातावरण शिक्षा आदि पहलुओं पर ही गहन दृष्टि डाली है।

"कार्य के लिए जन्म : फिरोजाबाद के कांच उद्योग में बच्चे"[10] नामक अपनी रिपोर्ट में नीरा बूरा ने फिरोजाबाद के काँच उद्योग में लगे बाल श्रमिकों की दशा का वर्णन किया है उनकी यह रिपोर्ट उनके गहन सर्वेक्षण पर आधारित है।

बचपन की चिता : शिवाकाशी की माचिस फैक्ट्रियों में कार्यरत बाल श्रमिक[11] नामक अपनी शोध रिपोर्ट में विश्वप्रिय एल. अयंगर ने माचिस उद्योग विशेषरुप से शिवाकाशी में लगे हुए बच्चों की खराब स्थिति का चित्रण किया है।

रतन सेन[12] : ने कलकत्ता में कूड़ा बीनने वाले बच्चों को अपने अध्ययन का केन्द्र बनाया उन्होंने बताया कि इसका कोई अनुमान नहीं है कि इस काम में कितने बच्चे लगे हुए, लेकिन इस कार्य में भी बड़ी संख्या में बच्चे अपना बचपन खो रहे है।

क्लास वाल ने अपने शोध लेख – **"18वीं और 19वीं शताब्दी में बाल–श्रमिक–जर्मनी का अनुभव"** [13] में 1750 से 1850 के मध्य जर्मनी में बाल–श्रमिकों की स्थिति का वर्णन किया है। अपने 19वीं शताब्दी में बाल श्रमिक के बचाव के लिए किए गए

Manju Gupta : Child Labour : 'A Harsh Reality ? Young Hands at work, Child Labour in India, Manju Gupta & Klaus Voll (Eds), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, pp. 1-13

[10]Neera Burra : Born to work : Children in the glass Industry in Firozabad, Young Hands at work, Child Labour in India, Manju Gupta & Klaus Voll (Eds), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, pp. 14-25

[11]Vishwapriya L. Iyengar : Pyre of Childhood : Child worders in the Factories of Sivakasi, Young Hands at work, Child Labour in India, Manju Gupta & Klaus(Eds), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, pp. 26-34

[12]Ratna Sen : Child Ragpickers of Calcutta, Young Hands at work, Child Labour in India, Manju Gupta & Klaus Voll(Eds), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, pp. 59-68

[13]Klaus Voll : Child Labour in the 18th & 19th Century, The German experiences, Young Hands at work, child Labour in India, Manju Gupta & Klaus Voll(Eds), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, pp. 69-90

प्रयासों का भी वर्णन किया है। इन्होंने बाल–श्रम से जुड़े प्रश्नों, नियमों, कानूनों आदि का वर्णन जर्मनी के विशेष संदर्भ में किया है।

"श्रम कानून" – संक्षिप्त वर्णन और वे बच्चों को कैसे प्रभावित करते है ?"[14] विषय पर मंजू गुप्ता ने अपना शोध लेख प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने बाल–श्रम को रोकने के लिए बनाए गये विभिन्न नियमों एवं विधानों पर प्रकाश डाला है।

क्या 1986 का बाल–श्रम विरोधी अधिनियम बाल–श्रम को प्रभावशाली ढंग से रोक सकता है[15] उक्त विषय पर सुब्रमण्यम ने अपना शोध लेख प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने 1986 के अधिनियम का विस्तृत वर्णन किया है।

"काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास हेतु सरकारी कार्यक्रम"[16] अपने लेख में मंजू गुप्ता ने बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बाल श्रमिकों का शिक्षा, स्वास्थ, कार्यस्थल के वातावरण आदि का वर्णन करते हुए, सरकारी पुनर्वास सम्बन्धी योजनाओं की समीक्षा की है।

बृजमोहन तूफान ने अपने अध्ययन "बाल–श्रमिकों के कल्याण में ट्रेड यूनियनों की भूमिका[17] में विभिन्न ट्रेड यूनियनों की बाल–श्रमिकों के कल्याण हेतु चलाई गई योजनाओं का वर्णन किया है।"

लक्ष्मी कानन ने "बच्चो के लिए अभियान"[18] नामक अपने शोध लेख में बाल श्रमिकों के हेतु चलने वाली विभिन्न योजनाओं का वर्णन किया है।

---

[14]Manju Gupta : Labour Laws : Brief description and how they affect children, Young Hands at work, Child Labour in India, Manju Gupta & Klaus Voll (Eds.), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, pp. 91-101

[15]R.K.A. Subramanyam : Can the child labour Act of 1986 effectively control Child Labour, Young Hands at work, Child Labour in India, Manju Gupta & Klaus Voll (Eds.), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, pp. 103-111

[16]Manju Gupta : Government programmes for rehabilitaion of working children, Young Hands at work, Child Labour in India, Manju Gupta & Klaus Voll (Eds.), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, pp. 112-125

[17]Brij Mohan Toofan : The role of Trade Unions in the welfare of Child Labour, Young Hands at work, Child Labour in India, Manju Gupta & Klaus Voll (Eds.), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, pp.

[18]Lakshmi Kannan :A campaign for the child, Young Hands at work, Child Labour in India, Manju Gupta & Klaus Voll (Eds.), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, pp. 142-153

मीरा दीवान[19] ने काम करने वाले बच्चों से मिलकर उनके साथ बिताये गये क्षणों के अनुभवों को अपने लेख – **"पत्तियाँ जो हरी थी अब भूरी हो गई हैं"** में वर्णित किया है।

मंजू गुप्ता[20] ने अपने **लेख** – बाल–श्रम का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है में इसके उन्मूलन हेतु कुछ ठोस सुझाव प्रस्तत किये हैं।

जी. सी. भट्टाचार्य[21] **ने अपने शोध लेख** – बाल–श्रम का उन्मूलन करने हेतु सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा में बाल–श्रम के लिए निम्नलिखित कारकों का जिम्मेदार बताया है–

(1) कमजोर सामाजिक आर्थिक स्तर

(2) बड़ा परिवार

(3) एक या दो ही कमाने वाले सदस्य

(4) माता–पिता की निम्न शैक्षिक स्थिति

(5) शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति

(6) रुढ़ियाँ एवं परम्पराएं

(7) अधिक बच्चे

(8) निम्न जाति

(9) धर्म, (हिन्दू के अतिरिक्त)

(10) शिक्षा के प्रति जागरुकता का आभाव

(11) पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयों की अनुपलब्धता

(12) खेती योग्य भूमि की कमी

---

[19]Meera Dewan : The leaves that the are Green turn to Browi : Shared Moments with working children. Young Hands at work, Child Labour in India, Manju Gupta & Klaus Voll (Eds.), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, pp. 154-153

[20]Manju Gupta : Proposals on How child labour can be eradicated, Young Hands at work, Child Labour in India, Manju Gupta & Klaus Voll (Eds.), Atma Ram & Sons, Delhi, 1987, pp. 160-166

[21]G.C. Bhattacharya : Education for Social Justice to Eradicate Child Labour, Trends & Thoughts in Edu., August, 1998 , Vol. XV, pp. 1-9.

उपरोक्त कारणों में से कमजोर सामाजिक आर्थिक स्तर, बड़ा, परिवार कमाने वाले सदस्यों की कमी एवं माता–पिता का निम्न शैक्षिक स्तर आदि कारक बाल–श्रम को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कारण जैसे रुढ़ियाँ एवं परम्पराएं परिवार में अधिक बच्चे निम्न जाति तथा हिन्दू न होना और शिक्षक के प्रति जागरुकता में कभी आना इन समस्या को उत्पनन करने वाले द्वितीयक कारक है। कम आय एवं बडा परिवार जिसमें कमाने वाले सदस्यों की संख्या एक या दो होती है, गरीबी को जन्म देते हैं और गरीबी शोषण को जन्म देती है, शोषण की इस कड़ी में बाल–श्रमिक प्रमुख हैं, जोकि परिवार का बोझा ढोने के लिए बचपन से ही, एक कमाने वाले सदस्य के रुप में कार्य करने लगते हैं, नियोक्ता भी बाल श्रमिकों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वयस्कों की तुलना में इन्हें आधी मजदूरी देनी पड़ती है और अपनी इच्छानुसार काम कराया जा सकता हैं इन्हें वेतन के साथ छुट्टी निश्चित कार्य अवधि, कार्य की सुरक्षा, काम को सीखते हुए स्कूल जाने की व्यवस्था तथा बीमा आदि की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सामाजिक नियम के सिद्धान्त को लागू करके बाल–श्रमिकों के शोषण को दूर करने के लिये उनमें शिक्षा का प्रसार करना अत्याधिक आवश्यक है। जिसके लिए सर्वप्रथम उनके माता–पिता में शिक्षा के प्रति जागरुकता लानी चाहिए, साथ ही विद्यालयों में इन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, दोपहर का भोजन, गुणवत्ता, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था तथा किताबों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए।

देवेन्द्र सिंह[22] ने अपने शोध लेख बाल श्रमिकों की समस्याएं, कारण एवं निवारण में लिखा है कि कमजोर आर्थिक स्थिति और प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश करती हैं। वर्ग और जाति पर आधारित हमारा सामाजिक ढांचा इस प्रकार का है कि निम्न जाति और वर्गो के परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों को बचपन से ही श्रम करना पड़ता है, अधिकतर काम करने वाले बच्चे गरीब परिवार से आते है, अतः बाल–श्रम और गरीबी परस्पर सम्बन्धित है, गरीबी के कारण उनके माता–पिता द्वारा कर्ज लिया जाना तथा बदले में बच्चों को बन्धक रखना आम बात हैं, अपर्याप्त आमदनी अशिक्षा तथा अज्ञानता के द्वारा गरीब लोग अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय काम पर लगा देते हैं बाल श्रमिकों का सम्पूर्ण जीवन समस्याओं से घिरा रहता है गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, शारीरिक तथा मानसिक शोषण तथा कुपोषण उनकी प्रमुख समस्याएं है।

[22] देवेन्द्र सिंह : बाल श्रमिकों की समस्याए : कारण एव निराकरण, ट्रेन्डस एण्ड थाट्स इन एजूकेशन, अगस्त 1998, वाल्यूम XV pp. 10-19

लेखक ने इस समस्या का निवारण करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं –

(1) बाल–श्रम की जगह वयस्क श्रम का अपनाया जाना इससे गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी समाप्त होगी।

(2) जिस प्रकार सभी को रोजगार, सभी को स्वास्थ एवं सभी को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है ठीक उसी प्रकार सन् 2005 तक सभी बाल–श्रमिकों को मुक्ति प्रदान करके उनके लिए उचित शिक्षा एवं पुनर्वास करने का दृढ़ संकल्प रखा जाये।

(3) बाल–श्रम को हटाने के बाद पुर्नवास पर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे वे जीविका के साधनों से वंचित होकर असामाजिक कार्यो में लिप्त न हो।

(4) संविधान मे संशोधन करके सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार एवं साथी ही साथ अभिभावक के लिए मूल–भूत उत्तरदायित्व घोषित किया जाए।

(5) प्रत्येक मुक्त हुए बाल श्रमिकों के लिए निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ खाद्यान्न एवं छात्रवृत्ति का प्राविधान किया जाए इससे एक ओर जहाँ अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजने में अधिक रुचि लेगें, विद्यालय त्याग दर में कमी होगी तथा नामांकन दर बढ़ेगी।

डा0 सन्तोष अरोड़ा[23] ने अपने शोध लेख में लिखा है – "Health Hazards in child Labour" कि बाल–श्रम एक आर्थिक और सामाजिक बुराई है जो स्वास्थ के लिए गम्भीर खतरे उत्पन्न करती है तथा शारीरिक और मानसिक विकास को भी बाधित करती है, शाह (1992) ने बाल–श्रम की वांछनीयता पर विभिन्न चिकित्सकों की राय ली सभी चिकित्सकों ने एक स्वर में बाल–श्रम को अवाँछनीय बताया और कहा कि यह स्वास्थ पर कुप्रभाव डालता है तथा बालक के शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करता है और उसके सन्तुलित मनों व शारीरिक विकास को प्रभावित करता हैं।

लेखिका ने बताया कि बाल–श्रम में संलग्न सभी बच्चों के स्वास्थ की स्थिति खराब है। उन्होंने काम करने वाले बच्चों के स्वास्थ में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये है –

---

[23] Dr. Santosh Arora ; Health Hazards in Child Labour, Trends & Thoughts in Edu. August 1998 Vol. XV. pp. 20-25

(1) नियमित स्वास्थ निरीक्षण

(2) स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा सचल चिकित्सालय

(3) सन्तुलित भोजन

(4) कार्यस्थल पर सफाई की समुचित व्यवस्था।

डा0 आशोक कुमार दुबे, शरत वर्मा व डा0 साहब सिंह कुशवाहा[24] ने अपने शोध लेख "बाल–श्रम" : कारण एवं निवारण में लिखा है –

बाल कार्य और बाल–श्रम में अन्तर है। बाल कार्य बच्चों से घर, खेत या विद्यालय में छोटे–मोटे कार्य कराने के अर्थ से लिया जाता है, जबकि बाल–श्रम का अभिप्राय बच्चों से कुटीर उद्योग या लघु उद्योग या ठेके पर कार्य कराकर उनके काम के बदले उन्हें कुछ आर्थिक लाभ देकर उनका शारीरिक, मानसिक स्वास्थ सम्बन्धी तथा आर्थिक शोषण करना है।

उत्तर प्रदेश भारत के आर्थिक रुप से पिछड़ें हुए राज्यों में से एक है। राज्य में लगभग 45 प्रतिशत परिवारों की गणना गरीब परिवारों मे की जाती है। यह विदित है कि आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा में बाल श्रम समस्या जन्म लेती है एवं पनपती है। इसी कारण प्रदेश में अलीगढ़ के ताला उद्योग, मुरादाबाद के पीतल उद्योग, वाराणासी, मिर्जापुर एवं भदोही के कालीन उद्योग तथा फिरोजाबाद के कॉंच एवं चूड़ी उद्योग में बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं। यह एक विडम्बना है कि एक ओर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और दूसरी ओर बाल श्रमिकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् देश के लिए बनाये गये संविधान में बच्चो, द्वारा कार्य करने की कुप्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। संविधान के अनुच्छेद–24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कारखानों में तथा खनन कार्य में अथवा किसी प्रकार के खतरे भरे कार्यो में लगाये जाने पर रोक लगाई गयी थी। अनुच्छेद –39 में उल्लेख किया गया था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे आर्थिक मजबूरियों के कारण ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य न हों जो उनकी आयु तथा सामर्थ के अनुकूल न हों। उनको स्वस्थ तरीकें से स्वतन्त्र तथा उचित वातावरण में विकास करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। साथ ही साथ अनुच्छेद–45 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य रुप से शिक्षा प्रदान करने के लिए शासन को दिशा निर्देश दिये गये थे।

---

[24] डॉ0 अशोक कुमार दुबे, शरत वर्मा एवं डॉ0 साहब सिंह कुशवाहा : बाल श्रम : कारण एवं निवारण, ट्रेन्डस एण्ड थाट्स इन एजूकेशन, अगस्त 1998, वाल्यूम XVpp.26-31

संविधान में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक अधिनियम बनाये गये। फैक्ट्री एक्ट 1940 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पंजीकृत कारखानों में काम न करने के लिए प्रतिबन्ध लगाये गये थे। तथा 14 वर्ष से 18 वर्ष के व्यक्तियों द्वारा कारखानों मे काम करने के समय तथा अन्य कार्य परिस्थितियों पर अनुबन्ध भी लगाये गये थे। इसके अतिरिक्त मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961, बीडी एवं सिगरेट वर्कर एक्ट 1966 शाप एण्ड कामर्शियल एक्ट आदि द्वारा भी बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबन्ध अथवा उनके कार्य करने की दशा में सुधार करने के उद्देश्य से अनेक प्रावधान किये गये थे। राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 1979 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किये जाने के बाद इस दिशा में और सघन रुप से विचार हुआ । वर्ष 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अन्तर्गत विशिष्ट व्यवसायों तथा खतरे भरे कार्यो में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। जहाँ पूर्ण प्रतिबन्ध नही लगे वहां उनके कार्य करने की दशाओं में अनेक शर्ते बच्चों के हित मे लगाई गई। वर्ष 1986 के अधिनियम में जिन कार्यो को खतरनाक रुप से हानिकारक कार्यो के रुप में सम्मिलित किया गया है। उनमें से निम्नलिखित कार्य उत्तर प्रदेश में होते है –

1. दरी व कालीन उद्योग
2. बीड़ी बनाना
3. सीमेन्ट निर्माण
4. कपड़ों की छपाई, रंगाई तथा बुनाई
5. दियासलाई बनाना
6. साबुन निर्माण
7. चमड़े की टैनिंग
8. ऊन की सफाई
9. भवन व निर्माण उद्योग
10. छापेखाने
11. इलेक्ट्रानिक उद्योग में रांगा लगना
12. काँच उद्योग, चूड़ी उद्योग

बाल–श्रम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिन परिस्थितियों मे बच्चे कार्य करते हैं वह अत्यन्त दयनीय है और यदि इस प्रथा पर रोक नही लगी तो हमारे समाज की जो हानि होगी उसकी बाद मे पूर्ति करना असम्भव हो जाएगा। यह संयोग की बात है कि पूरे संसार में और हमारे देश में भी बाल–श्रम की प्रथा के विरोध में आवाजें उठ रही हैं। यह सभी लोग मानने लगे है कि बच्चों को कठिन, दुष्कंर व हानिकारक कार्यो में न लगाया जाये उनको पुष्टाहार मिले, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर पूरा–पूरा ध्यान दिया जाये और उनको अपने बचपन का आनन्द उठाने का पूरा–पूरा अवसर मिले।

सितम्बर 1990 में विश्व के चोटी के नेताओं की एक विशाल सभा बच्चों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए हुई। उसमें बच्चों की रक्षा और विकास के लिए कार्यकारी योजना की घोषणा की गयी थी। इसमें यह स्वीकार किया गया कि मासूम बच्चे दूसरो पर आश्रित होते हैं और इस कारण उनका आसानी से शोषण हो सकता है। राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा वर्ष 1989 में बच्चों के जिन अधिकारों को मान्यता दी गयी थी। उनमें निम्न अधिकारी सम्मिलित थे –

1. जीवन का स्वाभाविक अधिकार।
2. अपनी पहचान की सुरक्षा।
3. अपनी बात कहने की स्वतन्त्रता।
4. पूर्ण स्वास्थ्य तथा बीमारियों का इलाज पाने का अधिकार।
5. सामाजिक सुरक्षा।
6. जीवन निर्वाह करनें का ऐसा स्तर पानें का जो इसके भौतिक, मानसिक, नैतिक तथा अध्यात्मिक विकास के लिए पर्याप्त हो ।
7. शिक्षा ।
8. उम्र के अनुसार विश्राम, खेल कूद और मनोंरंजन प्राप्त करनें का तथा सांस्कृतिक और कलात्मक कार्यो में भाग लेने का अधिकार ।

9. आर्थिक शोषण तथा ऐसे कार्यो से सुरक्षा जो गम्भीर व हानि कारक हों अथवा उसकी शिक्षा में बाधक हो अथवा जो उसके भौतिक, मानसिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए हानिकारक है ।

बालश्रम का उन्मूलन करनें और प्राथमिक स्तर पर उन बालकों को शिक्षित करनें के लिए निम्न प्रयास आवश्यक हैं ।

बाल श्रम कुप्रथा के विरूद्ध विशेष जन जागरण, जनचेतना अभियान आरम्भ किया जाना चाहिए जिसमें उद्योगपतियों, श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों, स्वैक्षिक संगठनों के महत्वपूर्ण व्यक्ति को सम्मिलित किया जाय । जो प्रेरणना लें कि बाल श्रमिकों को श्रम में न लगाकर उनकों शिक्षित किये जानें की आवश्यकता है।

बाल–श्रम कुप्रथा के विरूद्ध विभिन्न संचालित प्राथमिक विद्यालयों पर बालकों अभिभावकों एवं ग्रामीण परिवारों के लोगों को मनोंरंजन कार्यक्रम के माध्यम से उनमें प्रेरणा जागृत की जनी चाहिए जिससे वे परिवार अपनें बच्चों को बाल–श्रम कार्यों में नियोजित न करके प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करनें हेतु प्राथमिक विद्यालयों में भेजें।

बाल–श्रम कुप्रथा के उन्मूलन तथा उन बालकों को शिक्षित करनें हेतु जिन स्थानों पर बाल–श्रम किया जा रहा है उनके लिए वहीं पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और उन्हें शिक्षा की तरफ धीर–धीरे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

केन्द्र सरकार, एवं राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों को जिनके बच्चे बाल–श्रम में नियोजित है, को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और उन बच्चों को विद्यालय भेजनें के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत सरकार, एवं राज्य सरकार ने इस विषय में विशेष प्रभावी कदम उठाये हैं जिसके तहत आश्रम पद्धति विद्यालय, नवोदय विद्यालय, प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राथमिक विद्यालय का लक्ष्य पूरा किया जा रहा हैं जिससे अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय प्राथमिक शिक्षा हेतु भेज सकें।

केन्द्र सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले समस्त शिशुओं हेतु पोषाहार की व्यवस्था की हैं जिससे ग्रामीण परिवेश में पल रहे बच्चे प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें।

बाल–श्रम उन्मूलन से सम्बन्धित प्रेरणादायक आकर्षक नारों के स्टीकर तैयार किये जायें जिसे राज्य परिवहान निगम की बसों, दुकानों, कारखानों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों पर लगाया जाना चाहिए जिससे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जा सके और बाल–श्रम से उन बालकों को बचाया जा सके।

बाल श्रमिकों को उद्योगों में नियोजित किये जाने से रोकने के लिए और उनको उपयोगी शिक्षा प्रदान करने की महत्ता को दृष्टि में रखते हुए विशेष बाल श्रमिक विद्यालय स्वीकृत किये जाने चाहिए। जिसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं।

बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कर बाल श्रमिक परिवारों से सम्पर्क कर उन्हें चलाई जा रही शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। साथ–साथ बाल श्रमिकों को प्राथमिक विद्यालयों, अनौपचारिक विद्यालयों, विशेष विद्यालयों में वर्तमान सत्र से प्रवेश कराने हेतु मानसिक रुप से तैयार कर उनमें बाल श्रमिकों को प्रवेश दिलाया जाय।

बाल–श्रम और प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता एक दूसरे के विपरीत है बाल श्रम का उन्मूलन होने पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सकता है। परन्तु क्या बाल–श्रम को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है ? यह विचारणीय प्रश्न है।

बाल–श्रम को कम किया जा सकता है, विभिन्न प्रयासों, योजनाओं को संचालित करके। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

डा0 प्रतिभा त्रिपाठी[25] ने अपने शोध लेख "अपने माता–पिता" के व्यवहार के प्रति बाल श्रमिकों की प्रतिक्रिया का अध्ययन" में लिखा है कि परिवार में माता–पिता बालक के प्रथम नैसर्गिक संरक्षक होते हैं। और उनका व्यवहार का आकलन करने का अधिकार है। अपने प्रथम

[25] डॉ प्रतिभा त्रिपाठी :– अपने माता पिता के व्यवहार के प्रति बाल–श्रमिकों की प्रतिक्रिया का अध्ययन, ट्रेन्डस एण्ड थाट्सइन एजूकेशन, अगस्त 1998, वाल्यूम XV pp. 32-37

नैसर्गिक अभिभावकों के व्यवहार के प्रति बाल श्रमिकों की क्या प्रतिक्रिया है इसका वर्तमान अध्ययन में सर्वेक्षण करते हुए बाल श्रमिकों की वर्तमान स्थिति में उनके माता–पिता के योगदान का भी मूल्यांकन किया गया है।

1989 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए बाल अधिकार समझौते का क्रियान्वयन व्यवाहारिक स्तर पर किसी सीमा तक हो रहा है इस पर भी यह अध्ययन प्रकाश डालता है तथा बाल–श्रम को रोकने के लिए बाल श्रमिकों के माता–पिता के व्यवहार को पविर्तित तथा परिवर्धित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी इस शोध–अध्ययन से दिशा मिलती है।

यह अध्ययन श्रम कार्यालय बलिया द्वारा सूचीबद्ध 178 उन बाल श्रमिकों पर केन्द्रित है जिनके माता–पिता में से कोई एक या दोनों जीवित है। सूचीबद्ध 178 बाल श्रमिकों में से 157 के माता–पिता में से कोई एक या दोनो जीवित थे । इन 157 बाल श्रमिकों में से 45 बाल श्रमिकों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया । प्रदत्तों के संकलन के लिये द्विबिनदीय लिकर्ट स्केल निर्माण किया गया । लगभग सभी बाल श्रमिक निरक्षर पाये गये अतः अनुसंधानकर्ता द्वारा बोलकर कथनों को बताकर बाल श्रमिकों की सहमति अथवा असहमति ली गयी ।

प्रदत्तो के विश्लेषण के लिए विवरणात्मक सांख्यकी अर्न्तगत बारम्बारता एवं प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया 88.89 प्रतिशत बाल श्रमिकों ने स्वीकार किया है कि उनके माता–पिता उन्हे जबरदस्ती काम पर भेजते है केवल 11.11 प्रतिशत बाल श्रमिक ही स्वेच्छा से काम पर जाते है। केवल 22.44 प्रतिशत बाल श्रमिक के अनुसार उन्हे दोनों समय भरपेट खाना मिलता है शेष 77.56 प्रतिशत बाल श्रमिकों को दोनो समय भरपेट खाना नहीं मिलता है 17.78 प्रतिशत बाल–श्रमिकों के अनुसार वर्ष में दोबार माता–पिता से नए वस्त्र प्राप्त करतें हैं शेष 82.22 इससे वंचित रहते हैं 11.11 प्रतिशत बाल श्रामिकों ने कहा हैं कि उनके माता–पिता उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं शेष 88.89% बाल श्रमिकों ने इससे इन्कार किया। बाल श्रमिकों के अनुसार 22.22% बाल श्रमिकों के माता–पिता ही उनकी कमाई से संतुष्ट है शेष 77.78% अपने बालको की कमाई की अपर्याप्तता

से असंतुष्ट हैं। प्रदत्तों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि 97.78% बाल श्रमिकों के माता–पिता अपने बच्चों की कमाई स्वयं ले लेते है केवल 2.22% बाल श्रमिकों के हाथ अपनी कमाई आती है। 84.48% बाल श्रमिकों ने स्वीकार किया कि उनके माता–पिता का व्यवहार उनके प्रति कठोर है केवल 15.52% ही इससे असहमत पाए गए। 73.33% बाल श्रमिकों के अनुसार उनके माता–पिता में से कोई या दोनो बाहर कमाने जाते है। केवल 26.67% बाल श्रमिकों के माता–पिता में से कोई बाहर काम पे जाता। 55.56% बाल श्रमिको ने स्वीकारा है कि उन्हें बाहर काम से लौटने के बाद घर पर भी काम करना पड़ता है केवल 44.44% बाल श्रमिकों के अनुसार वे इससे मुक्त है। 86. 67 बाल श्रमिको ने माना है कि उनके माता–पिता में से कोई किसी न किसी प्रकार के नशे के आदी हैं। नशे से मुक्त श्रमिकों ने माना है कि उनके माता–पिता में से कोई किसी न किसी प्रकार के नशे के आदी है। नशे से मुक्त केवल 13.33% बाल श्रमिकों के माता–पिता है।

निष्कर्ष

1. इस अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश बाल श्रमिकों के मन में अनेक कारणों से अपने माता–पिता के प्रति आक्रोश विद्यमान है और ये अपने परिवार में ही अपने माता–पिता द्वारा जीवन के नैसर्गिक अधिकारों शिक्षा तथा लाड़–दुलार से वंचित होकर विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार हो रहे है।
2. बाल श्रमिकों के माता–पिता की आर्थिक विपन्नता तथा नशे की आदत बाल श्रम को बढ़ावा देने का प्रमुख कारण है।
3. बाल श्रमिकों के माता–पिता शिक्षा के महत्व को नहीं समझते और अपने तुच्छ तात्कालिक लाभ के लिये उनके सुखद शिक्षित भविष्य के बारे मे सोचते भी नहीं।
4. 1989 में पारित हुए बाल अधिकार समझौतों का अनुपालन व्यवहारिक स्तर पर नही हो रहा है।

डा0 सुनील कुमार सिंह[26] ने अपने शोध लेख **"उत्तर प्रदेश में बाल मजदूरों की स्थिति एवं शिक्षा"** में लिखा है कि बाल–श्रम भारत के विभिन्न राज्यों में व्यापक रुप से मौजूद है एवं एक राष्ट्रीय समस्या है। परन्तु मानवाधिकार आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष व पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र के अनुसार– "भारत में 101 उद्योगों में बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रमिक हैं। आज जरुरत हैं कि हम उद्योगों से बच्चों को निकालकर शिक्षण संस्थान में दाखिला कराकर उनका भविष्य सवारें।"

उपर्युक्त अनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रमिक है। यह अवश्य ही चिन्ता का विषय है कि देश में जनसंख्या एवं राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश इस निन्दनीय प्रथा का सबसे बड़ा पोषक है। जबकि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23 एवं अनुच्देछ 24 मे बाल–श्रम निषेध किया गया है एवं इसे एक दण्डनीय अपराध माना गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 45 के तहत राज्य को 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करने को कहा है। अतः यह निश्चित ही कष्टदायक है कि स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के वर्ष तक भी हम न तो बाल–श्रम रोक पायें हैं और नं 14 वर्ष के सभी बालको को शिक्षा ही उपलब्ध करा पाये है।

बचपन बचाओं आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सत्यार्थी के अनुसार "अकेले उत्तर प्रदेश में एक करोड़ बाल बँधुआ मजदूर हैं।" (हिन्दुस्तान, 1997) जुगरान (1995) के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल मजदूर विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कार्यरत हैं। जैसे अलीगढ़ के प्रसिद्ध ताला उद्योग 7,000 से 10,000 के बीच बच्चे काम कर रहे हैं। यह बच्चे स्प्रिग बनाने, तालों के कलपुर्जे जोड़ने और ताले को डिब्बें में बंद करने से लेकर स्प्रे करने का काम करते हैं। इसी तरह कानपुर, भदोही, मिर्जापुर सीतापुर दरी उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कुल भारतीय दरी निर्यात का 80 प्रतिशत भाग यहीं से आता है। एक अनुमान के अनुसार इस दरी में कुल श्रमशक्ति का 30 प्रतिशत हिस्सा बाल–श्रम के रुप में कार्यरत हैं। इसी प्रकार फिरोजाबाद स्थित काँच उद्योग में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग

---

[26] सुनील कुमार सिंह : उत्तर प्रदेश में बाल मजदूरों की स्थिति एवं शिक्षा, ट्रेन्डस एण्ड थाट्स इन एजूकेशन, अगरत 1998, वाल्यूम XVpp38.46

50,000 है। काँच की ढुलाई तथा चूड़ियाँ बनाने की हर प्रक्रिया में बच्चे काम करते हैं। सबसे जोखिम भरा कार्य है–लम्बी छड़ में पिघलाहुआ काँच मिट्टी से निकालकर वयस्क कारीगर तक पहुँचाना और वापस लाना, पिघला काँच ठंडा न हो जाए, इसके लिए उन्हें बहुत विपरीत स्थितियों में काम करना पड़ता है। ये बच्चे 700 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली भट्टी के इर्द–गिर्द काम करने को अभिशप्त हैं। इसी तरह खुर्जा की चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली इकाईयों में करीब 5,000 बच्चे काम पर लगे हुए हैं। बच्चों से खाली खाँचे चाक पर काम कर रहे कारीगर तक पहुचाने और कच्चे बर्तन ढोकर धूप में सुखाने का काम लिया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री के अनुसार "पूरे प्रदेश में एक अभियान छेड़ा गया था जिसमें बाल श्रमिकों, खतरनाक प्रतिष्ठानों व गैर खतरनाक प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया था (दैनिक हिन्दुस्तान 1997) इन प्रतिष्ठानों के मालिकों से 20 हजार रुपये प्रति बालक लेकर जिला स्तर पर स्थापित बाल कल्याण कोष में जमा किया जा रहा है, जिसे उन बच्चों के भविष्य को सजाने–सवारने में खर्च किया जाएगा। उनके अनुसार प्रदेश में ऐसे बच्चो की शिक्षा हेतु 110 विद्यालय सुचारु रुप से कार्य कर रहे है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों जैसे फिरोजाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, भदोही, मुरादाबाद एवं अलीगढ को विशेष खतरनाक क्षेत्र घोषित किया गया है और यहां उन बच्चों के लिए 160 विशेष प्रकार के विद्यालय खोलने की योजना है। इसी तरह एक अन्य प्रयास में 237 बँधुआ मजदूरों को चिन्हित किया गया है और उन्हें तुरन्त रोजगार उपलब्ध करा दिए गए।

सरकार के अतिरिक्त अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी "बाल–श्रम" जैसे सामाजिक अभिशाप से मुक्ति दिलाने के कार्य में संलग्न हैं। "बचपन बचाओ आन्दोलन" बाल बंधुआ मजदूरों की मुक्ति हेतु गांव–गांव में सघन अभियान चला रहा है (हिन्दुस्तान, 1997)। विशेषकर भदोही क्षेत्र मे हाल ही में विशेष प्रयास द्वारा इन्होने बाल मजदूरों को मुक्त कराया है। इसी प्रकार बाल–श्रम के रोकथाम के कार्य में "बटरफलाई" नामक संस्था भी लगी हुई है। परन्तु कुल मिलाकर इस कार्य में लगी गैर सरकारी संस्थाओं की संख्या कम है। इसके लिए समाज के प्रत्येक धर्म, वर्ग, लिंग एवं जाति के

लोगों का सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक हैं। तभी हम बाल मजदूरों की स्थिति सुधारने एवं शैक्षिक प्रसार में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकेंगे।

सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं निश्चित ही बाल मजदूरी दूर करने हेतु प्रयासरत हैं परन्तु बाल श्रमिकों की स्थिति सुधारने एवं उनके शैक्षिक प्रसार में निम्न बाधाएं दृष्टिगोचर होती है।

1. "मुक्त कराये गये बच्चों को रखने की समस्या सामने आती है" (दैनिक हिन्दुस्तान, 1997) अतः पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए।
2. बच्चों के निर्यातकर्ता (जिनके माध्यम से उद्योग संचालित होता है), को पकड़ने में लूम मालिक भी सहयोग नही करते" (दैनिक हिन्दुस्तान, 1997)।
3. सिंह (1998) के अनुसार "उद्योग धंधो से हटाए जाने के कारण बाल श्रमिकों के परिवार की आय प्रभावित हो जाती है एवं उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ता है। इससे बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता हैं । अतः वह किसी भी शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेनें से कतराते है।"
4. "बाल श्रमिको के अभिभावको की प्रथम प्राथमिकता जीविकोपार्जन है जिसकी पूर्ति वह बच्चों को स्कूल भेजकर नही कर पाते हैं। अतः छोटे बच्चों को भी वह जीविका अर्जित करने वाले एक सक्रिय सदस्य के रुप में देखते है।"
5. अधिकांश बाल श्रमिक ऐसे घरों के बच्चे है जिसमे कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नही है। अतः शिक्षा प्राप्ति हेतु उन्हें कोई उचित मार्गदर्शन नही प्राप्त हो पाता है।

उपर्युक्त समस्याओं के हल के लिए निम्न उपाय किये जाने चाहिए –

1. सरकार को समाज में बाल–श्रम के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सभी प्रकार के संचार माध्यमों को प्रयोग में लाना चाहिए।
2. बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा की आवश्यकता महसूस कराने हेतु साक्षरता अभियान एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को कठोरता के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

3. स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए चलायी जा रही "दोपहर भोजन योजना" का ईमानदारी से क्रियान्वयन कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाल पुष्टाहार योजना एवं आँगनबाड़ी के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न आहार योजनाओं को कठोरता से क्रियान्वित करना चाहिए। इससे गरीब परिवारों की अजीविका की समस्या हल हो सकेगी।

4. बाल श्रमिक जिन उद्योगों में कार्यरत हैं उनमें इन बच्चों की जगह उनके परिवार के वयस्क व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाय। परन्तु इसके साथ बच्चो के अभिभावकों को निर्देशित किया जाए कि वह बच्चों का दाखिला स्कूल में अवश्य कराये।

5. जिन उद्योगो में बाल श्रमिक कार्यरत हो उनसे उस उद्योग से सम्बन्धित प्रशिक्षण विद्यालय खोलने को कहा जाए। इन्ही विद्यालयों में श्रमिको के पठन–पाठन की व्यवस्था करायी जानी चाहिए।

6. बँधुआ मजदूरी अथवा "दुअरहा" के रुप में बच्चों को रखने वाले व्यक्तियों से निर्धारित मुआवजा लिया जाय एवं इसका प्रयोग पुनर्वास गृहों के निर्माण में किया जाए।

7. अधिक से अधिक गैर–सरकारी संगठनो को बाल–श्रम दूर करने के प्रयास में सम्मिलित होने हेतु आकर्षित किया जाए।

एन. एन. द्विवेदी[26] ने अपने शोध "बाल–श्रमिक एवं गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थियों की अधिगम समस्याओं का अध्ययन" में बताया है कि– 'भारत में हर तीसरे परिवार में एक बाल श्रमिक और 5 से 14 वर्ष की आयु की प्रत्येक चौथा बच्चा बाल श्रमिक है। बाल–श्रम विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक–बालिकाओं के अधिगम मे बाधक बन रहा है।' सभी के लिए शिक्षा सम्बन्धी हमारे प्रयासों की सार्थकता सुनिश्चित करने हेतु बाल–श्रमिको की अधिगम समस्याओं का समाधान जरुरी है।

प्रस्तुत अध्ययन बाल–श्रमिकों की अधिगम समस्या जानने के लिए किया जाता है।

---

[28] एन.एन. द्विवेदी : बाल श्रमिक एवं गैर बाल श्रमिक विद्यार्थियों की अधिगम समस्याओं का अध्ययन, ट्रेन्डस एण्ड थाट्स इन एजूकेशन, अगस्त 1998, वाल्यूम XVpp.47-55

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य निम्न है –

"बाल–श्रमिक और गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थियों की अधिगम समस्या की तुलना करना।"

उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्न परिकल्पना का परीक्षण किया गया है–

"बाल–श्रमिक व गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थियों की अधिगम समस्याअें में कोई अन्तर नही हेता है।

"यह कारणात्मक–तुलनात्मक प्रकार का वर्णनात्मक अनुसंधान है, जिसमें बाल–श्रमिक और गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थियों की योग्यता, स्वास्थ्य, शिक्षकों के व्यवहार, अभिभावको के व्यवहार, अधिगम प्रयास, संवेगात्मक और अधिगम सुविधा क्षेत्र से सम्बन्धित अधिगम समस्याओं की तुलना की गयी है।

प्रस्तुत शोध इलाहाबाद जनपद के फूलपुर ब्लाक के "आदर्श इण्टरमीडिएट कालेज, मैलहन" नामक विद्यालय की कक्षा छः, सात एवं आठ में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर किया गया है। शोधकर्ता ने सर्वप्रथम इस विद्यालय में अध्ययनरत बाल–श्रमिकों का पता लगाया और 20 बाल–श्रमिक विद्यार्थियों को इस न्यादर्श मे सम्मिलित किया। जिन कक्षाओं में बाल श्रमिक पढ़ते थे उन्हीं कक्षाओं में से अध्ययनरत गैर बाल–श्रमिक छात्र/छात्राओं को भी सम्मिलित किया गया, जिससे 4 बाल–श्रमिक छात्राएं, 16 बाल–श्रमिक छात्र, 4 गैर बाल–श्रमिक छाएं, 16 गैर बाल–श्रमिक छात्रों का चयन किया गया है।

विद्यार्थियों की अधिगम समस्याएं जानने के लिए "डा0 कारुणा शंकर मिश्र" द्वारा निर्मित "अधिगम समस्या जाँच सूची" का प्रयोग किया गया। इसमें सात क्षेत्रों से सम्बन्घित 84 अधिगम समस्याएं दी गई हैं। ये क्षेत्र अग्रांकित हैं–

1. योग्यता,
2. स्वास्थ्य,
3. शिक्षकों के व्यवहार,
4. अभिभावकों के व्यवहार,

5. अधिगम प्रयास,

6. संवेगात्मक,

7. अधिगम सुविधा

जाँच सूची में प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित 12 समस्याएं दी गई है।प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु "काई वर्ग" प्रयोग किया गया है तथा विभिन्न अधिगम समस्याओं से सामान्य व अधिक परेशान रहने वाले बाल–श्रमिक व गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थियों का प्रतिशत भी ज्ञात किया गया है।"

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि बाल श्रमिक व गैर बाल श्रमिक विद्यार्थियों की संवेगात्मक क्षेत्र में सम्बन्धित समस्याओं का अन्तर नहीं होता है। बाल श्रमिक एवं गैर बाल श्रमिक विद्यार्थी दोनो संवेगात्मक क्षेत्र से सम्बन्धित अधिगम क्षेत्र की समस्या समान अनुभव करते हैं। यह कहा जाता है कि बाल–श्रमिक व अन्य विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की गयी योग्यता, स्वास्थ्य, शिक्षकों के व्यवहार, अभिभावको के व्यवहार, अधिगम प्रयास एवं अधिगम सुविधा क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं में अन्तर होता है। बाल–श्रमिक व अन्य विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली विभिन्न अधिगम समस्याओं में अन्तर जानने के लिए प्रत्येक अधिगम समस्या को प्रभावित करने वाले दोनो वर्गो के विद्यार्थियों की संख्या व प्रतिशत की गणना की गयी और उन अधिगम समस्याओं का अध्ययन किया गया जिन्हें 50% या अधिक बाल–श्रमिक / गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थी गम्भीर व सामान्य सीमा तक अनुभव करते हैं। समस्याओं को गम्भीर व सामान्य मानने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत को अलग–अलग देखा गया। 50% या अधिक बाल–श्रमिक ऐसे हैं जो 31% अधिगम समस्याएं अनुभव करते हैं जबकि गैर–बाल–श्रमिक 56% अधिगम समस्याएं करते है। इनमें 25% या अधिक बाल–श्रमिक 10 अधिगम, समस्याओं को गम्भीर बताते हैं जबकि गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थियों ने 17 अधिगम समस्याओं को गम्भीर बताया है।

50% या अधिक बाल–श्रमिक एवं गैर बाल–श्रमिक योग्यता क्षेत्र से सम्बन्धित "पढ़ी बातों को जल्दी भूल जाना, बुद्धि का अधिक प्रयोग न कर पाना, गणित के प्रश्नों को हल न कर पाना, प्रश्नो

को न समझ पाना, प्रश्नों के उत्तर में लिखी जाने वाली बातें न सोच पाना, आदि अधिगम समस्याओं को अनुभव करते हैं। 50% या अधिक गैर–बाल–श्रमिक "एक जैसी चीजों में समानताएं न खोज पाना, पढ़ी बातों को जीवन में प्रयोग न कर पाना, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय भाषा सम्बन्धी अनेक त्रुटियां करना, अपने विचारों को सही शब्दों में न लिख पाना" जैसी अधिगम समस्याओं को भी अनुभव करते हैं। 25% या अधिक बाल–श्रमिक एवं गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थियों ने "पढ़ी बातों को जल्दी भूल जाने को गम्भीर समस्या" माना हैं 25% या अधिक गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थियों ने अधिगम सम्बन्धी जिन समस्याओं को गम्भीर माना है वये हैं– "बुद्धि का प्रयोग अधिक न कर पाना, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय भाषा सम्बन्धी अनेक त्रुटियाँ करना, पढ़ी जाने वाली बातों के बारे में अनेक चिन्तन न कर पाना।

50% या अधिक बाल–श्रमिक एवं गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थी स्वास्थ्य क्षेत्र से सम्बन्धित "पढ़ते समय सिर दर्द होना, शारीरिक कमजोरी के कारण अधिक परिश्रम न कर पाना, थोड़ी देर अध्ययन करनें पर जल्दी थक जाना, ठंड लगने के कारण पढ़ने लिखने में परेशानी" नामक अधिक समस्याओं को अनुभव करते हैं। 50% या अधिक गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थियों "बीमारी के कारण पढ़ाई में पिछड़ जाना, अपच के कारण पढ़ने में कठिनाई होना, पढ़ते समय आँख में दर्द होना, अधिक अध्ययन करने पर प्रायः बीमार हो जाना, शरीर में दर्द के कारण कम पढ़ पाना" जैसी अधिगम समस्याओं को भी अनुभव करते हैं। 25% या अधिक बाल–श्रमिक "पढ़ते समय सिर दर्द होना को गम्भीर समस्या माना है।" 25% या अधिक गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र से सम्बन्धित अधिगम की जिन समस्याओं को गम्भीर माना हैं वे ये हैं – "शरीरिक कमजोरी के कारण अधिक परिश्रम न कर पाना, अधिक अध्ययन करने पर प्रायः बीमार हो जाना।"

50% से कम बाल–श्रमिक विद्यार्थी शिक्षकों के व्यवहार से सम्बन्धित अधिगम समस्याओं का अनुभव करते हैं। 50% या अधिक गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थी शिक्षकों के व्यवहार से सम्बन्धित "शिक्षक द्वारा तेज गति से पढ़ना, शिक्षक के प्रश्न का उत्तर न दे पाने पर अधिक दण्ड मिलना,

शिक्षक की नाराजगी, शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाने की प्रवृत्ति नामक अधिगम समस्याओं को अनुभव करते हैं।" 25% या अधिक गैर बाल--श्रमिक विद्यार्थी शिक्षक व्यवहार से सम्बन्धित अधिगम की जिन समस्याओं को गम्भीर माना है वे ये हैं – शिक्षक की नाराजगी एवं शिक्षकों की ट्यूशन पढ़ाने की प्रवृत्ति ।"

50% या अधिक बाल–श्रमिक एवं गैर बाल–श्रमिक अभिभावकों के व्यवहार से सम्बन्धित "परिवार की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना परीक्षा में कम अंक आने पर माता–पिता का अधिक नाराज होना, माता--पिता के कार्यो में सहयोग देना, घर में अनेक लोंगो के कारण मन लगाकर न पढ़ पाना" नामक अधिगम समस्याओं को अनुभव करते हैं। 50% या अधिक गैर बाल--श्रमिक विद्यार्थी "शिक्षा के प्रति माता–पिता का लापरवाह होना, माता–पिता द्वारा अध्ययन को कम महत्व देना, माता--पिता की उपेक्षा, माता--पिता द्वारा शारीरिक दण्ड का अधिक प्रयोग, पढ़ते समय घर का शोर युक्त वातावरण" जैसी अधिगम समस्याओं को भी अनुभव करते हैं। 25% या अधिक बाल–श्रमिक विद्यार्थी अभिभावकों के व्यवहार से सम्बन्धित "परिवार की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, घर पर पढ़ने के लिए पर्याप्त समय न मिलना" गम्भीर समस्या माना है। 25% या अधिक गैर बाल--श्रमिक विद्यार्थी अभिभावकों के व्यवहार से सम्बन्धित जिन समस्याओं को गम्भीर समस्या माना हैं वे ये हैं – "माता–पिता के कार्यो में सहयोग देना, घर में अनेक लोगों के कारण मन लगाकर न पढ़ पाना।"

50% या अधिक बाल–श्रमिक विद्यार्थी एवं गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थी अधिगम प्रयास से सम्बन्धित "सीखी बातो को व्यवस्थित ढंग से न लिख पाना जल्दी–जल्दी न लिख पाना पढ़ने मे लापरवाही, परीक्षा के दिनो में परिश्रम न कर पाना।" परिक्षा के लिए तैयारी न कर पाना, '' नामक अधिगम विद्यार्थी,'' सिखी बातों को अच्छे लेख में न लिख पाना जैसी अधिगम समस्याओं को भी अनुभव करते हैं। 25% या अधिक गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थियों ने अधिगम सम्बन्धी जिन समस्याओं को गम्भीर माना है वे ये हैं–"पढ़ने में लापरवाही, अधिक समय तक अध्ययन न कर पाना, परीक्षा के

दिनों में परिश्रम न कर पाना।"

50% या अधिक बाल–श्रमिक एवं गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थी संवेगात्मक क्षेत्र से सम्बन्धित "चिन्ताआ की अधिकता, यह विश्वास कि मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है, छोटी–छोटी बातों पर नाराज होने की अपनी आदत, शिक्षकों से बात करने में हिचकिचाहट, दुःख के कारण पढ़ने में मन न लगना, माता–पिता से भय" नामक अधिगम समस्याओं को भी अनुभव करते है। 50% या अधिक गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थी "शिक्षक से डर लगने" जैसी समस्याओं को भी अनुभव करते हैं। 25% या अधिक बाल श्रमिक विद्यार्थियों ने संवेगाात्मक क्षेत्र से सम्बन्धित चार समस्याओं "चिन्ताओं की अधिकता, यह विश्वास कि मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है, शिक्षकों से बात करने में हिचकिचाहट, माता–पिता से भय" को गम्भीर समस्या माना है। 25 या अधिक गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थी "छोटी–छोटी बातों पर नाराज होने की अपनी आदत, शिक्षकों से बात करने में हिचकिचाहट,यह सोचना कि मेरे लिए पढ़ना लिखना बेकार है" जैसी संवेगात्मक क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं को गम्भीर मानते हैं।

50% या अधिक बाल–श्रमिक विद्यार्थी एवं गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थी अधिगम समस्या क्षेत्र से सम्बन्धित "अच्छी पुस्तकों का न मिल पाना, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने के ढंग का ज्ञात न होना, स्वयं कुछ करने सीखने के लिए अवसरों की कमी, अपने उत्तरों में गलतियों का पता न चल पाना" नामक समस्याओं का अनुभव करते हैं। 50% या अधिक गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थी, "सीखने से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने में शिक्षक से सहयोग न मिलना, शिक्षकों द्वारा कक्षा में प्रयोग करके न दिखाना, प्रयोग करते समय शिक्षक से जरुरी सहायता न मिलना" जैसी अधिगम समस्याओं का भी अनुभव करते हैं। 25% या अधिक बाल–श्रमिक विद्यार्थी "विद्यालय पुस्तकालय से जरुरी पुस्तकों का न मिल पाना" अधिगम सुविधा क्षेत्र से संबंधित जिस समस्या को गम्भीर माना है वह है– अच्छी पुस्तकों का न मिल पाना।

निष्कर्ष

गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थियों की तुलना में कम बाल श्रमिक विद्यार्थी योग्यता, स्वास्थ्य, शिक्षक

व्यवहार, अभिभावक व्यवहार, अधिगम प्रयास एवं अधिगम सुविधा क्षेत्र से सम्बन्धित अधिगम समस्याएं अनुभव करते हैं। बाल–श्रमिक एवं गैर बाल–श्रमिक विद्यार्थी दोनो संवेगात्मक क्षेत्र से सम्बन्धित अधिगम समस्याएं समान रुप से अनुभव करते हैं। 25% या अधिक बाल–श्रमिक विद्यार्थियों जिन अधिगम समस्याओं को गम्भीर माना है वे ये हैं – "पढ़ी बातों का जल्दी भूल जाना, पढ़ते समय सिरदर्द होना, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, घर पर पढ़ने के लिए पर्याप्त समय न मिलना, चिन्ताओं की अधिकता, यह विश्वास कि मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हैं, शिक्षकों से बात करनें में हिचकिचाहट, माता–पिता से भय, विद्यालय पुस्तकालय से जरुरी पुस्तकों का न मिल पाना।" बाल–श्रमिक की योग्यता, शिक्षक व्यवहार, अभिभावक व्यवहार, अधिगम प्रयास एवं अधिगम सुविधा से सम्बन्धित अधिगम समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक एवं वैयक्तिक निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यूनीसेफ के सहयोग से प्रारम्भ "समेकित बाल विकास परियोजना एवं "पोषाहार योजना" के प्रभावी क्रियान्वयन से बाल–श्रमिकों के स्वास्थ्य क्षेत्र से सम्बन्धित अधिगम समस्याओं को कम किया जा सकता है।"

बी. एन. जुयाल की शोध रिपोर्ट "चाइल्ड लेबर एण्ड एक्सप्लाटेशन इन कारपेट इन्डस्ट्री" के अनुसार पूर्वाचल का कालीन उद्योग बच्चों के ही बल पर चल रहा है। इस उद्योग में कार्यरत पुरुष श्रमिकों में से 40 बाल मजदूर हूं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। इनकी संख्या दो लाख के करीब है। वे घुटन भरे माहौल में, अंधेरे में काम करने को मजबूर है।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में अन्र्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक सीमित सर्वे के आधार पर बताया गया है कि दुनिया भर मे कम से कम सात करोड़ तीस लाख बच्चे रोजगार में लगे है। यह संख्या विश्व में 10 से 14 साल के बच्चों की आबादी का 13 प्रतिशत है। इसमें औद्योगिक देशों में रोजगारशुदा बच्चों को शामिल नही किया गया है। दस साल से कम उम्र के अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी इसमें नहीं रखा गया है। सर्वे मे घरेलू नौकर के तौर पर काम करने वाले,बच्चों को भी नही रखा गया है। अतः बाल मजदूरों की संख्या दिये

गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में लचीली श्रम शक्ति के कारण बाल मजदूरी को बढ़ावा मिला है। अफ्रीकी देशोंमें राजनीतिक अस्थिरता के कारण बाल मजदूरी पर निर्भरता बढी है यूनिसेफ के अनुसार ज्यादातर बाल–मजदूरों के पास नौकरियों के बीच चयन करनें की शक्ति नहीं है।

सामाजिक खर्चो में कटौती के कारण सुनिश्चित शिक्षा नही मिलने से भी बाल मजदूरी का जन्म होता है। कई विकासशील देशों में अस्सी के दशक में उच्च शिक्षा के लिये प्रति छात्र खर्च में कमी आयी शिक्षा अक्सर बेमानी और जिंदगी से परे होने के कारण बच्चों की इसमें दिलचस्पी नहीं होती है।

रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेने वाले 30 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे अपनी यह शिक्षा पूरी नही करते। कई देशों में तो स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 60 प्रतिशत तक है। लैटिन अमेरिकी देशों में स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या अपेक्षा कृत अधिक है। लेकिन इन देशों में सिर्फ 50 प्रतिशत बच्चे ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर पाते है।

रिपोर्ट के अनुसार परंपराओं और सामाजिक संरचना से भी बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलता है। भारत में वर्चस्व वाली जातियों और सांस्कृतिक वर्गों के लोग अपने बच्चों को खतरनाक काम में झोंकना पसन्द नहीं करते। लेकिन जातीय और आर्थिक अल्पसंख्यकों के बच्चों की उन्हें कोई परवाह नही है। उत्तरी यूरोप में ज्यादातर बाल मजदूर अफ्रीकी या तुर्क है। काम जितना कठिन या खतरनाक होगा नीची जातियों और जातीय अल्पसंख्यकों के बच्चों को उसमें लगाये जाने की संभावना उतनी अधिक होगी।

लखनऊ जिले में बाल मजदूरों पर किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार जिले में बाल मजदूरी की संख्या हजारों में हैं। जिनमे से आधे बाल मजदूर सिर्फ शहर में ही है। चाय के फुटपाथी होटलों, छोट उद्योगों रिक्शा चालन, घरेलू नौकर तथा कई अन्य धन्धों में आठ साल से पन्द्रह साल तक के बच्चों को दिन–रात मेहनत करते देखा जा सकता है। मोटरसाईकल, चौपहिया वाहन गैराज

आज बच्चों की दम पर चलते रहे हैं। घरों में कार्य करने वाले बच्चों से पानी भरने से लेकर कपड़े साफ करने, बच्चों को खिलाने तथा खाना बनवाने तक के काम लिए जाते हैं। उनका इनके बदले में घर का बचा हुआ खाना, कपड़ा तथा चन्द रुपये मिलते हैं।

कहने के लिए तो बाल श्रमिकों के हितों के मद्देनजर कड़े कानून बने हुए हैं लेकिन इन कानूनों का उल्लघंन पूरे जिले में अर्से से खुले आम जारी है। इन कानून–नियमों से बाल श्रमिकों को कितनी राहत मिलती है बाल श्रमिकों की जिल्लत भी जिन्दगी देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। आज शायद ही ऐसा बाल श्रमिक हो जिसका शोषण न किया जा रहा हो। होटलो, चाय की दुकानों पर सुबह पाचं बजे से रात के ग्यारह बजे तक इन बाल श्रमिकों द्वारा काम लिया जाता है। बीमार आदि होने पर दवा के पैंसे देना तो दूर की बात न आने पर पैसे काट लिये जाते है। इन होटलों में खुराकी के साथ महावारी वेतन के रुप मे सौ दो सौ रुपये तक दिये जाते है।

बाल श्रमिकों की आज जो दुर्दशा है उसके सम्बन्ध में बढ़–चढ़कर दावे भले ही किये जायें लेकिन इनके हितो की रक्षा कोई नहीं कर रहा है न इनकी तरफ कोई देख रहा है। आज हालत यह है कि सैकड़ो बाल श्रमिक नगर में रिक्शा खींचते देखे जा सकते हैं। कड़ाके की ठंड हो या गर्मी या बरसात इन बच्चों को रिक्शा चलाते कभी भी देखा जा सकता है। मुख्य बाजार में एक बड़े होटल पर काम करने वाला बारह वर्षीय रामू दो–तीन साल से इसी होटल पर कार्य कर रहा है उसे मात्र दो सौ रुपये तथा खाना दिया जा रहा है। रात को होटल में ही सो जाता है। जबकि रिक्शा चलाने वाला बालक शाम तक किराया देने के बाद पन्द्रह बीस रुपये बचा पाता है।

यहीं नही श्रमिकों को यौन शोषण के लिए भी मजबूर किया जाता है। शहर में आलम बाग रोड पर स्थित एक होटल में कार्य कर रहे एक किशोर ने यह बात दबी जुबान से स्वीकारी। उसने कहा कि उसे नौकरी ही करना है, प्लेट ही धोनी है तो इस होटल पर धोये या अन्य कही लेकिन उसको मालिक की हर बात माननी ही पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाल मजदूरी का चलन पूरी व्यापकता के साथ है उनसे खेती का कार्य करवाने के बाद दस या बारह रुपये ही दिये जाते है।

बड़े किसानों द्वारा बाल श्रमिकों का जमकर शोषण किया जाता है। करबों में भी बाल श्रमिकों की हालत बहुत बदतर है। मलिहाबाद में चौराहे पर स्थित एक मिठाई की बड़ी दुकान (होटल) में कार्य कर रहा दस वर्षीय राजू बताता है कि डेढ़ सौ रुपये एवं खाने के बदले उसे सुबह पांच बजे से रात्रि ग्यारह बजे तक कार्य करना पड़ता है।

बाल विकास, बाल पुष्टाहार, बाल श्रमिक उन्मूलन और साक्षरता जैसे नारे अब केवल दिखावा साबित हा रहे हैं। बाल श्रमिक की आज जो दशा है उसके लिए स्वयं सेवी संगठन भी कोई कदम नही उठा रहे हैं और इनकी हालतों से बेखबर श्रम विभाग इनके भविष्य के लिए कुछ सोचता नही दिख रहा है।

नीरा बुरा की "ए रिपोर्ट आन चाइल्ड लेबर" में कहा गया है कि खुर्जा में मिट्टी बर्तन उद्योग में पाँथीवाले के नाम से मशहूर बाल श्रमिक 10 किलो का वजन उठाकर धूप के बीच एक हजार चक्कर लगाता है। यानी वह वजन के साथ प्रतिदिन 5 किलोमीटर दौड़ता है। इस उ्द्योग में उत्पादन की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें बाल मजदूर काम नही करते है। जिग्गर और जौली मशीनों पर कटाई, हैडिलों की कटाई व सूखे –अधसूखे बर्तनो को अंतिम रुप देने में बाल श्रमिकों का ही इस्तेमाल होता है। इस खतरनाक उद्योग में हजारों बाल श्रमिक कार्यरत है। इनमे से अधि ाकांश अस्थमा–ब्रोंकाइटिस आदि बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां उन्हें क्षयरोगी बनाती है। सिलेकोसिस की बीमारी भी आम है। डिसिंटीग्रटर्स मशीनों पर काम करने वाले श्रमिकों में यह बीमारी अधिक पाई जाती है। बाल श्रमिक के रुप में इस उद्योग मे प्रवेश करने वाले मजदूर 45 वर्ष की उम्र तक पहुचते–पहुंचते भट्टियों में काम करने की वजह से अपनी आँखे भी खो बैठते है। अधिकांश मजदूरो को पता भी नही होता कि उन्हें क्षय रोग हो गया है। डाक्टरों के बताने पर भी वे इस कबूल नही करते और कई लोग बीच में ही इलाज बन्द करवा देते है।

उत्तर प्रदेश के संवेदनशील स्वंयसेवी कार्यकर्ता हजारी सिंह पंकज ने समूचे बुंदेलखण्ड क्षेत्र के विस्तृत भ्रमण व गहन अध्ययन के बाद इस क्षेत्र में बाल मजदूरी से संबद्ध ठोस तथ्य सामने रखे

हैं। उनके मुताबिक यहां खतरनाक उद्योगों से लेकर खेत–खलिहानों तक हजारों बच्चे बाल मजदूरों के रुप में शोषित हो रहे हैं। बुंदेलखण्ड के जालौन, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा व बांदा क्षेत्र के तीन भागों में बांटकर यह अध्ययन किया गया है। समूचे क्षेत्र में 47 ब्लाक है जिन्हें क्रमशः वनवासी या पठारी क्षेत्र, आंशिक पठारी क्षेत्र व मैदानी क्षेत्र में विकसित किया गया है।

एक मोटे अनुमान के मुताबिक बुंदेलखण्ड के जालौन, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा व बांदा जिलों के होटलों, ढाबों व दुकानों मे करीब 75 हजार बच्चे दिन रात खट रहे है। गरीब परिवार के इन बच्चों के लिये ये ढाबे व दुकानें आश्रय स्थल बन चुके हैं। दिन भर हाड़तोड़ मेहनत के एवज में दो जून की रोटी व तन ढकने को दूसरों की उतरन ही इनकी नियति बन चुकी है। महोबा के होटलो में काम करने वाले बच्चों को दो बार के भोजन से ज्यादा किसी कमाई का पता नहीं है। वे अपने पिता का नाम, जाति व ठौर ठिकाना तक नही बता पाते। पढ़ाई के नाम पर इनमें से किसी ने भी आज तक स्कूल का मुंह भी न देखा। इसी स्थिति में केवल महोबा नगर में करीब ढ़ाई हजार बच्चे विभिन्न दुकानों, कारखानों व व्यापारिक व्यवसायों में काम कर रहे हैं। करीब 10,000 बच्चे खलिहानों से लेकर ढाबों एवं दुकानों तक मजदूरी कर रहे हैं। महोबा, कुलपहाड़ कबरई व चरखारी क्षेत्रों में बाल मजदूरी काफी प्रचलित हे।

समूचे बुंदेलखण्ड में करीब 22–23 हजार बच्चे बूटपालिश, आइसक्रीम, ठेलिया, घाट, रिक्शा या मूंगफली बेचकर अपना व परिवार का गुजारा कर रहे है। बुंदेलखण्ड के ललितपुर, बबीना, झांसी, कोच जालौन, उरई, राठ, मऊरानीपुर, महोबा, हमीरपुर, सुमेरपुर, कबरई, मौदहा, बाँदा, तिदवारी, अतर्रा, बबेरु व कर्वी आदि कस्बों में विभिन्न मोटर व आटो गैरेजों में करीब 15–20 हजार बच्चे तीन से 25 रुपये रोजाना कड़ी मेहनत करके कमा रहे है ।

बांदा के मानिकपुर कस्ब में शहजादी कालीन कारखाने में करीब 150 कोल बच्चे बंदियों की तरह रखे जाते है वे जब़रदस्त आतंक के साये मे कालीन बुनते है। 11 साल का छोटू बताता है कि वह कालीन कारखाने के मालिक के जुल्म से तंग होकर अपने गांव मनगंवा भाग गया और

मालिक उसे गांव से फिर पकड़ ले गया और बदले में पिता को 800 रुपये दे गया। गबदेलहा कोलान गांव का 16 साल का लाला पिछले 10 सालों से यहां कामकर रहा है और बदले मे आज उसके नाम पर 11 हजार का कर्जा हैं, किहुनियां का रग्घू बताता है कि इस कारखाने मे हर लड़के को एक ताय नाप का कालीन बुनना होता है, जो इतना काम नही करता उसे कोड़ो से मारा जाता है। यहां बच्चों को यंत्रणा सहकर काम करते--करते ही साल गुजर जाते है। मनिकापुर के अखिलपुर भारतीय समाज सेवा संस्थान के एक सर्वे के मुताबिक समूचे पाठा (पठारी) क्षेत्र में 4 हजार से भी ज्यादा कोल बच्चे किसी न किसी रुप में बंधुआ मजदूर की यातना भोग रहे है।

बुंदेलखण्ड में काफी संख्या में स्टोन क्रेशर व उससे जुड़ी खदानें हैं जहां हजारों बच्चे खतरनाक माहौल मे काम करते हैं। महोबा जिले के कबरई क्षेत्र में लौंडा पहाड़ बंधवा पहाड़ नं0 एक, उहरी, पचपहरा, कुण्डा, गौराशर्मा आदि पहाड़ों व स्टोन क्रेशरों का दृश्य काफी जोखिम वाला हैं यहां सीजन में करीब 1500 बच्चे अपने मां बाप के साथ काम करते हैं। कबरई व उसके आसपास 78 स्टोनक्रेशर है। इसी प्रकार बांदा जिले के भरतकूप क्षेत्र के पहाड़ों से जुड़े करीब 26 मिनी प्लांट स्टोनक्रेशर है। इनमें 400 से भी ज्यादा बच्चे फंसे हुए है। नरैनी--बांदा मार्ग पर 8 स्टोनक्रेशर है इनमें से 5 चालू हैं जिनमें 140 बच्चें काम कर रहे हे।

इन सभी स्टोनक्रेशरों के मालिक काफी पहुँच वाले है जिनके खिलाफ मुंह खोलना मौत को बुलावा देने के समान होता है। इनके राजनीतिकों, पुलिस व अपराधियों के साथ गहरी सांठगांठ है जिसके दम पर ये बच्चों का जमकर शोषण कर रहे है। स्टोनक्रशरों व पहाड़ों से पत्थर खोदने के दौरान किए जाने वाले धमाकों से अक्सर इन बच्चों के कान काम करना बंद कर देते हैं। ये बच्चे मुख्य रुप से ट्रक मे पत्थर भरनें का काम करते है यहां स्टोन क्रेशरों के अलावा पटाखे के कारखाने, बिस्कुट और कांच के कारखाने भी हैं जिनमें करीब 20 हजार बच्चे जीवन और मौत के बीच सघंर्ष की स्थिति में काम कर रहें है ।

समूचे बुंदेलखण्ड में सबसे ज्यादा बच्चे खेती व संबधित पेशे में फंसे है। इनमें हल जोतना,

जानवर चराना, फसल रखाना, घास काटना आदि काम शामिल हैं। पठारी क्षेत्र में ज्यादातर बच्चे जानवर चराने का काम करते हैं जबकि ललितपुर जिले के सहरिया व बांदा जिले में 10–12 साल के कोल बच्चे हल जोतना शुरु कर देते हैं। ये बच्चे पढ़ाई लिखाई के बार में न तो जानते हैं और न ही जानने की इच्छा जताते है उनके लिए हल जोतना, जानवर चराना ज्यादा उपयोगी है। कुल मिलाकर बुंदलेखण्ड क्षेत्र में करीब ढाई लाख बच्चे खेती व संबधित व्यवसायी में लगे हुए है।

उल्लेखनीय है कि बाल मजदूरी से अभिशप्त इस क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की हालत काफी दयनीय है। श्री पंकज ने अपने अध्ययन में विभिन्न जनपदों व पंचायतों मे शिक्षा की स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। बांदा जनपद में किए गए अध्ययन के मुताबिक पूरे जनपद में 50 फींसदी बच्चे स्कूल नही जाते। अनुसूचित जाति के बच्वें में 53.5 फीसदीं बच्चे स्कूल नही जा पाते। इनमें 65.5 फ़ीसदी बालिकाएं है इस जनपद में प्राइमरी के करीब 61 फीसदी बच्चे पढ़ाई छोड़ देते है पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों मे अनुसूचित जाति के बच्चे 74 फींसदी व लड़कियां 80 फींसदी है।

इस प्रकार रैपरा न्याय पंचायत के अध्ययन में मुताबिक कुल बच्चो में से सामान्य जाति के बच्चे 19 फीसदी है जिनमें से 60 फीसदी स्कूल नही जाते । जबकि पिछडी जाति के बच्चे कुल बच्चों 60 फीसदी हैं जिनमें 67 फीसदी स्कूल नही जा पाते। इनमें अ0ज0 के कच्चे 20 फीसदी है जिनमे से 80 फीसदी स्कूल नह ी जा पाते। इस पंचायत में बच्चों की कुल संख्याओ में से 45 फीसदी लड़किया है जिनमे से 70 फीसदी स्कूल नही जाती। स्कूल जाने वाली अ जा की लड़कियों मे से 85 फीसदी प्राइमरी के बाद पढ़ाई छोड़ देती है।

सरकारी प्रयासों की पोल पट्टी खोलनें वाले इस अध्ययन के मुताबिक मानिकपुर में कोल वनवासियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए आठवीं कक्षा तक का आश्रम पद्धति विद्यालय है। इसमें 245 कोल बच्चे के नाम लिखे हुए हैं। जबकि आने वाले बच्चों की संख्या 80–90 है। यहां के प्रभारी बताते है कि कोल अपने बच्चों को पढ़ाना ही नही चाहते । वे बताते है कि 15 अगस्त की यहां के बच्चों को जूते, कपड़े दिये जाते है अतः 14 की शाम तक़ बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। जो 16 अगस्त

के बाद कम होने लगती है। इससे वहां व्याप्त गरीबी का भी अहसास होता है इसी प्रकार ललितपुर जिला भी पठारी क्षेत्र होने के कारण बुंदेलखण्ड का सबसे उपेक्षित व अविकसिकतजिला है इस क्षेत्र में 80 फीसदी लोग मजदूरी करते है। काम की तलाश में यहा के लोग म.प्र. दिल्ली व पंजाब की ओर पलायन करते रहते है। यहां किए गए अध्ययन के मुताबिक ललितपुर जनपद के 74 फीसदी बच्चे शिक्षा से वंचित है इनमें बालिकाओं का अनुपात 84 फीसदी है यहां 84 फीसदी प्राइमरी के बाद पढ़ाई छोड़ देते है यहां के 107 जूनियर व 14 कन्या जूनियर हाई स्कूल मे मात्र 151 अनु0 जा0 बालिकाओं का नाम लिखे है ललितपुर जिले के देवगढ. इलाके में दरिद्रता पूरे जोरो पर है यहां के ज्यादातर लोग बेतवा नदी पार क म.प्र. के गुना जिले में खदानों मे कान करने जाते है। उनके बच्चे बेतवा के घाट से देवगढ़ बस स्टाप तक व्यापारियों का सामान ढोने का काम करते है। करीब 3 किमी0 के एक चक्कर में उन्हें 5 रुपए मिलते है।

बुंदेलखण्ड का झांसी जिला कमिश्नरी मुख्यालय होने की वजह से काफी महत्वपूर्ण है पर वहां ग्रामण इलाकों मैं भी हालत बाकी जिलों से बेहतर नहीं है। यहां 69.5 फीसदी बच्चे स्कूल नही जाते प्राइमरी के बाद पढ़ाई छोडने वाले बच्चे 63 फीसदी है, इनमें से अ.ज. के बच्चे 80 फीसदी हैं। इनमें अनु0 ज0 बालिकाओं का अनुपात 85 फीसदी हैं। इस जिले में 6 ब्लाकों मे हुए अध्ययन भी शिक्षा की यही स्थिति बयान करते हैं इसी तरह जालौन व हमीरपुर जिलों में बच्चों की शिक्षा निदेशक जिले के राठ तहसील के अपर शिक्षा निदेशक के. एस. शर्मा ने अचानक किए गए निरीक्षण में 80 फीसदी प्राथमिक स्कूलों को बंद पाया। अतः जाहिर होता है कि समूचे बुंदेलखण्ड में शिक्षा की हालत काफी शोचनीय स्थिति में है और बाल मजदूरी के साथ इसका भी निश्चित रुप से अपरोक्ष संबंध तो बनता है। अध्ययन के मुताबिक इस क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा से दूर रहने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब है। कुछ अन्य कारण भी बताए गए हैं जिनमे विद्यालयों व अध्यापकों की कमी, शिक्षा की नीति व व्यवहार मे अंतर, सरकारी प्राथमिक शिक्षकों मे शिक्षण रुचि का अभाव व शिक्षित बेरोजगार युवकों को देखकर शिक्षा के प्रति उदासीनता प्रमुख है। पढ़ाई लिखाई से वंचित इन बच्चों में से अधिकांश बाल श्रमिक बनते है।

बुंदेलखण्ड में बाल श्रमिकों की एक मोटी झलक इस प्रकार है । खेती व संबंधित व्यवसायों में 2,50,000 होटलों, ढाबो, दुकानों में 75,000 कचरा, भीख, घरेलू, नौकरी, बिस्कुट आदि 60,000 फुटपाथी धंधो में 23,000 आटों गैरिजो मे 20,000, स्टोनक्रेशर व खदानों में 15,000 कालीन व कपड़ों में 10,000

दक्षिण भारत में एक गांव की महिला ने बीड़ी मजदूरों पर शोध किया। शोध से पता चलता है कि इन लडकियों को हफ्ते में निश्चित मात्रा मे बीडी बनाने का कोटा मिलता है। कोटा पूरा न कर पाने की स्थिति मे या तो ये अपनी मां की मार खाती है या फिर किसी से बीड़ी उधार लेकर अपना कोटा पूरा करती है। इस उधार पर उन्हे ब्याज भी चुकाना पड़ता है और वे अनवरत कर्ज के चंगुल में फंस जाती है।

कुछ ऐसी ही स्थिति सामने आने पर मां की मार के डर से और कर्ज के दुष्चक्र से पीछा छुड़ाने की खातिर यहां की एक बारह वर्षीय लड़की ने एक जंगली पौधे के बीज खाकर आत्महत्या कर ली। इन सबके पीछे मां–बाप की गरीबी दोषी नही थी। यदि कोई दोषी था तो वह थे, उसके मां–बाप द्वारा की गई आर्थिक अपेक्षाए।

बाल श्रमिकों पर किये गये शोधों से पता चलता है कि बच्चों के काम करने के पीछे जहां एक ओर उनकी गरीब उत्तरदायी हैं, वही दूसरी ओर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है वे नियोक्ता, जो बाल–श्रम सस्ता होने के कारण वयस्क मजदूरों की अपेक्षा बच्चों से काम करवाने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते है।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के कार्यो में लगी 124 संस्थाएं केवल 31,756 परिवारों के 1 लाख 7 हजार 226 बाल श्रमिकों पर ही ध्यान केन्द्रित कर पायी है। इन संगठनो की योजनाओं की कुल संख्या 163 है। इनके द्वारा अब तक 738 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये है जिसमें 30316 बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है लगभग 52 प्रतिशत संगठनों की अधिकतम पहुँच मात्र 500 बालकों तक और लगभग 2 प्रतिशत संगठनों की पहुँच 1000 से 5000 बच्चों तक ही सीमित है। कुल मिलाकर इन गैर

सरकारी संगठनों की पहुँच देश के कुल बाल श्रमिकों के एक प्रतिशत से कम आबादी तक है यही नहीं इन संगठनों में एक महत्वपूर्ण कमी यह भी देखी गई है कि इनका ध्यान शहरी क्षेत्रों (मद्रास, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद जैसे शहरो) की ओर ही अधिक रहता है।

भारत मे बाल मजदूरो की संख्या मे निरन्तर वृद्धि में जाति प्रथा की भी बड़ी भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय बाल कोष (यूनीसेफ) ने विश्व में बच्चों की स्थिति पर इस वर्ष की अपनी रिपोर्ट में यह राय व्यक्त की है। भारत में वर्चस्वशासी सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय स्वयं अपने बच्चों को भले खतरनाक उद्योगों में काम करने देना चाहे लेकिन उन्हें नस्ल, जाति या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय के किशारे यदि ऐसे उ़द्योगों में काम करे तो कोई चिंता या हिचक नही होगी।

देश मे बाल–श्रम की भयावहता की चर्चा करते हुए रिपोर्ट मे कहा गया है कि भारत में यह धारणा पुरानी है कि कुछ लोग शासन करने के लिए ही पैदा हुए है ऐसे लोग तो दिमागी काम करते है जबकि शेष विशाल आबादी शारीरिक श्रम के लिए अभिशप्त है। यूनीसेफ का कहना है कि अनेक परम्परावादियों को इस बात की कोई चिंता नही है कि निचली जातियों के बच्चे स्कूल नही जा पाते या उन्हे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, लेकिन इन बच्चों के खतरनाक उद्योगों मे काम मे लग जाने पर वे इसे इन लोगों की स्वाभाविक नियति मानेगें। विश्व स्वास्थ संगठन की यह रिपार्ट ऐसे समय आयी है, जब उच्चतम न्यायायलय ने हाल ही मे खतरनाक उद्योगों मे बच्चो के मजदूरी पर रोक लगा दी है।

भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों में स्कूली शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि आमतौर पर यह अत्यंत सख्त और गैर प्रेराणात्मक तो होती ही है, बच्चो के जीवन और उसकी दुनिया से इसका कोई लेना–देना भी नही होता। रिपोर्ट में शिक्षण की निराशाजनक और हिंसक प्रवृत्ति का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि भारत के एक 11 वर्षीय छात्र सुधी ने बताया, स्कूल में शिक्षक ठीक से पढ़ाते नही । यदि हम उन्हे वर्णमाला पढ़ानें को कहें तो वे हमे पीट देंगें । वे कक्षा में सोते रहेंगें । यदि हम कभी कोइ संदेह या आशंका व्यक्त करेंगें, तो हमारी पिटाई होगी और

हमे कक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि कोई बात यदि समझ में न आये, तब भी वे दुबारा नही समझायेंगे, इसलिए मैनें स्कूल जाना छोड़ दिया ।

यूनीसेफ का कहना कि स्कूल छोड़ देने का सुधीर का फैसला आश्चर्यजनक नहीं है, यह एक व्यापक प्रवृत्ति है । विकासशील देशों में प्राथमिक स्कूलों में नाम लिखवाने वाले बच्चों में से 30 प्रतिशत बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में केवल अवयस्क लडके ही नहीं, भारी संख्या में लड़किया भी बाल मजदूर हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कियों के लिए खासतौर पर उत्पन्न समस्याओं पर बाकायदा ध्यान दिए बिना बाल मजदूरी के उन्मूलन की कोई भी रणनीति कारगर नही हो सकती । इस संबंध में उदाहरण देते हुए यूनीसेफ ने कहा महिला को उद्धत किया है, जिसका कहना है कि हम लोगों के परिवार की लगभग सभी लड़किया जमादारियों की तरह काम करती हैं । पेशे से वह स्वयं भी जमादारनी है । उसने कहा मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजकर अपना समय और पैसा क्यों बर्बाद करूं, क्यों न उसे काम पर लगा दूं ताकि वह कम से कम हमारे पेशे के बारे में तो सीखे । मेरी बड़ी बेटी 15 वर्ष की है । जल्दी ही उसकी शादी हो जायेगी और उसकी सास उसे कहीं कूड़े और सौचालय की सफाई के काम पर लगा देगी। बहुत पढ़ानें-लिखानें से हमारी लड़कियां बड़े-बड़े सपनें देखनें लगेंगी और पतियों तथा सास-ससुर से पिटेंगी।

यूनीसेफ ने बाल मजदूरी पर रोक लगानें के लिए सभी देशों को कुछ मुख्य उपाय सुझाये हैं । खतरनाक उद्योगों में बच्चो को काम करने पर तत्काल रोक लगायी जाए। प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो बाल मजदूरी के खिलाफ कड़े कानून बनायें जायें और उन्हें सख्ती से लागू किया जाय। सभी बच्चो के जन्म का पंजीकरण हो ।

बी.एन. जुयाल ने मिर्जापुर एवं भदोही में कालीन उघोग में लगे बाल मजदूरों का अध्यन किया और अपनी शोध रिपोर्ट "चाइल्ड लेबर एण्ड एक्स प्लायटेशन इन कारपेट इण्डस्ट्री" में लिखा कि ग्रामीण परिवारों में निम्न शैक्षिक स्तर का प्रमुख कारण निम्न आर्थिक स्थिति थी । ग्रामीण क्षेत्र में

कालीन बुनकर लगभग निरक्षर थे ! बाहर से आये हुए बाल श्रमिकों में परिवार का शैक्षिक स्तर भी केवल प्राथमिक स्तर तक ही था! अपने घरों में कालीन बुनने वाले से बुनकर ठेकेदारों के लिए अच्छी दशा मे थे । क्योंकि उनमें निरक्षर व्यतियों की तुलना में कमाने वालों की सं0 अधिक थी ! बुनकर परिवारों की शिक्षा का स्तर नीचे दर्शाया गया है ! बुनकर परिवारों की शिक्षा का स्तर

बुनकर परिवारों की शिक्षा का उच्च्तम स्तर

शिक्षा का उच्च्तम स्तर	परिवार इकाई (श्रमिक)			ठेकेदारों के लिए कार्यरत इकाई		
	भदोही	मिर्जापुर	कुल	भदोही	मिर्जापुर	कुल
निरक्षर	75.7	55.9	65.1	95.0	88.9	94.7
प्राथमिक	19.7	27.3	23.8	5.0	11.1	5.3
माध्यमिक	4.4	13.5	9.2	—	—	—
उच्च्य माध्यमिक	—	0.2	1.4	—	—	
कालेज	0.2	0.8	0.5	—	—	—
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

पारिवारिक तथा ठेकेदारों के लिए कार्यरत दोंनों ही प्रकार की कालीन इकाइयों में लगे बाल श्रमिकों में निरक्षर बच्चों की संख्या अधिक थी !

बच्चों के काम पर भजनें के लिए बाध्य करने वाले कारकों में प्रमुख कारक गरीबी पायी गयी है जिसके कारण वे बच्चे को स्कूल भेजने के स्थान पर काम करने भेजते हैं ! बच्चों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति भी उनके निम्न शैक्षिक स्तर का प्रमुख कारण थी जिसको उदाहरण अपने घर पर लगी इकाइयों में काम करने वाले बच्चे है वे थोडें वक्त काम करते है परन्तु बचे हुए समय में पढने में रूचि नही दिखाते ।

कालीन उघोग में लगे बच्चों का शैक्षिक स्तर परिवार में काम करने वाले बच्चों तथा ठेकेदारों के द्वारा काम कराने वाले बच्चों के सन्दर्भ में निम्न तालिका में दर्शाया गया है !

कालीन उघोग में लगे बच्चों का शैक्षिक स्तर

शिक्षा का स्तर कार्यरत	पारिवारिक इकाई में लगे श्रमिक	ठेकदारों के लिए श्रमिक
निरक्षर	66.02%	84.2%
प्राथमिक	23.8%	15.8%
माध्यमिक	10.2%	–
कुल	100.0%	100.0%

भदोही एवं मिर्जापुर में कालीन उघोग में लगे बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति नीचे दर्शायी गयी है!

कालीन उघोग में लगे बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति

पारिवारिक इकाई

	अंशकालीन बाल श्रमिक	काम के बाद शिक्षा में रूचि न रखने वाले बाल श्रमिक
भदाही	28.5%	81.5%
मिर्जापुर	43.3%	63.0%
दोनों में	37.3%	67.4%

इस प्रकार बाल श्रमिकों से संबधित साहित्य का सर्वेक्षण करने पर पता लगता है कि बाल श्रमिकों से सम्बन्धित शोध कार्यो का नितान्त अभाव है इस क्षेत्र में जो भी कार्य किये गए है वे केवल विभिन्न उघोगों मे लगे बाल श्रमिकों की स्थिति का सर्वेक्षण मात्र है ! बहुत से शोधकर्ताओं ने बाल – श्रम का मूल कारण अशिक्षा माना है परन्तु उन्होंने इसे अपने शोध का विषय नही माना है ! किसी भी अनुसधायक ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते है तथा वे उपलब्ध शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं का उपभोग करने हेतु जागरूक भी है या नहीं। अतः अनुसंधायक ने इस दिशा में शोध करने का प्रयास किया है और यह जानने का प्रयास किया है कि बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते है तथा उपलब्ध शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं का उपभोग करने के लिए कहॉ तक जागरूक एवं तत्पर है ।

तृतीय - अध्याय

(शोध, प्रविधि एवं प्रक्रिया)

शोध, प्रविधि एवं प्रक्रिया

शोधसमस्या के चयन से लेकर विश्लेषण एवं निर्वाचन तक महत्वपूर्ण लिये जाते है जैसे– शोध समस्या क्या हो ? विश्लेषण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाय ? आंकड़ों की किस प्रकार संग्रहीत किया जाय ? परिकल्पनाओं का परीक्षण किस प्रकार किया जाये ? आदि । प्रस्तुत अध्ययन में शोधसमस्या से सम्बन्धित जनसंख्या, निदर्शन तकनीकी सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरण, संमक संग्रहण की विधि और विश्लेषण की सांख्यिकीय तकनीकि पर प्रकाश डाला गया है ।

3–1 विधि एवं प्रकृति

प्रस्तुत अनुसंधान विश्लेषणात्मक प्रकृति का सर्वेक्षण आधारित सूक्ष्म अनुसंधान है, जिसके अन्तर्गत जनपद सीतापुर के दरी उद्योग में कार्यरत बालश्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया है । सर्वेक्षण के पश्चात प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समंक निर्मित किए गये और विभिन्न आधारों पर उनके मध्य विद्यमान सम्बन्ध तथा उनके मध्य विद्यमान अन्तर का परीक्षण किया गया है एवं आंकड़ों को वर्गीकृत करके तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है ।

3–2 समग्र (जनसंख्या)

प्रस्तुत अध्ययन हेतु समग्र से आशय उन सभी बाल श्रमिकों से है जो जनपद सीतापुर दरी उद्योग मं कार्यरत है वे चाहे दरी के कारखानें में कार्यरत हों अथवा अपनें घरों पर ठेके पर दरी निर्माण कार्यरत है ।

जनपद सीतापुर में 6 तहसीलें है – सीतापुर, लहरपुर, बिसवाँ, महमूदाबाद, सिधौली, मिश्रित दरी उद्योग संचालित किया जा रहा है और लगभग सभी कारखानों तथा ठेके पद्धति पर काम करनें वाले उद्योगों में बाल श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है । जनपद सीतापुर के अन्तर्गत संचालित दरी उद्योग के सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत समितियों द्वारा संचालित कारखानों की सूची निम्नवत है –

जनपद सीतापुर की हस्तशिल्प इकाई

क्रम सं0	इकाई का नाम
1.	सहादत नगर है0 वी0 को0 सो0 लि0, सहादत् नगर, सीतापुर
2.	है0 वी0 को0 सो0 लि0 मोहिउद्दीनपुर, सीतापुर
3.	संजग है0 वी0 को0 सो0 लि0 हटौरा, खैराबाद, सीतापुर
4.	शुजावलपुर हथ0 वस्त्र उत्पा0 स0 स0 लि0 शुजावलपुर, सीतापुर
5.	अंजुमल टेक्स को0 सो0 लि0 कस्वातीटोला, खैराबाद, सीतापुर
6.	हिन्द टैक्स0को0 सो0 लि0 सुमाली चिंल्लाय संराय, खैराबाद, सीतापुर
7.	एवन है0 वी0 को0 सो0 लि0 वरमजी संराय, खैराबाद, सीतापुर
8.	शमा है0 वी0 को0 सो0 लि0 शुजावलपवुर, खैराबाद, सीतापुर
9.	अंसार मुवक हथ0 वस्त्र उत्पादन स0 स0 लि0, कुल्हन संराय, खैराबाद, सीतापुर
10.	लकी बुन0 है0 स0 स0 लि0 पट्टी पैतेपुर, सीतापुर
11.	पैतेपुर को0 है0 वी0 सो0 लि0 पैतेपुर, सीतापुर
12.	करघा को0 सो0 लि0 मदनापुर, सीतापुर
13.	गुलशन बु0 स0 स0 लि0 कमाल संराय, खैराबाद, सीतापुर
14.	रोज है0 को0 सो0 लि0 ठेकेदार पुरवा, सीतापुर
15.	हथकरघा उत्पा स0 स0 लि0 नूरपुर महमूदाबाद, सीतापुर
16.	हथकरघा स0 स0 लि0 किसरवारा, सीतापुर
17.	फाइन बुनकर स0 स0 लि0 केदारपुर पैतेपुर, सीतापुर
18.	ताज हैण्ड़ वी0 औद्यो0 उत्पा0 स0 स0 लि0 कसगरी पैतेपुर, सीतापुर
19.	नूर हैण्ड वी0 को0 सो0 लि0 पट्टी पैतेपुर, सीतापुर

क्रम सं0	इकाई का नाम
20.	आयडियल बु0 स0 स0 लि0 कोठी पैतेपुर, सीतापुर
21.	अंसार ह0 को0 सो0 लि0 फुलवारी टोला पैतेपुर, सीतापुर
22.	समर बुन0 स0 स0 लि0 पट्टी (पश्चिम) पैतेपुर, सीतापुर
23.	गुडलक है0 वी0 को0 सो0 लि0 महानगर पैतेपुर, सीतापुर
24.	डेस्टीट्यूट बुनकर स0 स0 लि0 मुमताज नगर, सीतापुर
25.	हथकरघा निवर्ल वर्ग बुन0 स0 स0 लि0 मितौरा, सीतापुर
26.	निर्बल वर्ग बु0 स0 स0 लि0 क्योटीकला हरगांव, सीतापुर
27	निर्बल वर्ग हथकरघा उत्प0 स0 स0 लि0 रीछिन, सीतापुर
28.	निर्बल वर्ग बुनकर स0 स0 लि0 झौआखुर्द, सीतापुर
29.	न्यू है0 डेस्टी0 वी0 को0 सो0 लि0 कैम्हारा, सीतापुर
30.	मार्डन डेस्टी0 है0 वी0 को0 सो0 लि0 मस्वासी टोला, खैराबाद, सीतापुर
31.	गोल्डन है0 डेस्टी0 वह0 को0 सो0 लि0 इमलिया
32.	हथकरघा निर्बल वर्ग बु0 स0 स0 लि0 बेल्होरा नसीरपुर, सीतापुर
33.	निर्बल वर्ग बुन0 स0 स0 लि0 शाहकलीपुर (पूर्वी) लहरपुर, सीतापुर
34.	डेस्टी0वी0 को0 सो0 लि0 मंगोलपुर
35.	अंसार निर्बल वर्ग बुन0 स0 स0 लि0 मूलनपुर
36.	निर्बल वर्ग हथकरघा स0 स0 लि0 गनेशपुर जौली
37.	निर्बल वर्ग बुन0 स0 स0 लि0 दुवसेना महमूदाबाद, सीतापुर
38.	मार्डन है0 प्रो0 को0 सो0 लि0 तेउला, सीतापुर

क्रम सं0	इकाई का नाम
39.	मोहम्मदीपुर को0 है0 वी0 सो0 लि0 मोहम्मदीपुर, सीतापुर
40.	राज है0 प्रो0 को0 सो0 लि0 अर्जुनपुर खैराबाद, सीतापुर
41.	नेशनल है0 प्रो0 को0 सो0 लि0 चिल्लाय सरांय, खैराबाद, सीतापुर
42.	इण्डियन टेक्स0 को0 सो0 लि0 तुरसांवा खैराबाद, सीतापुर
43.	अवध हथ0 उत्पा0 स0 स0 लि0 हटौरा, खैराबाद, सीतापुर
44.	पुष्पा है0 बु0 स0 स0 लि0 किसानीटोला, खैराबाद, सीतापुर
45.	तवस्सुम है0 बी0 को0 सो0 लि0 केदारपुर (पूर्व) सीतापुर
46.	राष्ट्रीय डेस्टी0 हथ0 स0 स0 लि0 कंकर कुई, विसंवा, सीतापुर
47.	निर्बल हथ0 स0 स0 लि0 गनेशपुर कौरैया, सीतापुर
48.	आदर्श बुन0 औ0 उत्पा0 स0 स0 लि0 ताड़तले, लहरपुर, सीतापुर
49.	गोल्डेन है0 वी0 को0 सो0 लि0 करसेवरा, सीतापुर
50.	लोखरियापुर है0 वी0 को0 सो0 लि0 लोखिरियापुर
51.	मार्डन है0 वी0 को0 सो0 लि0 खानपुर मोहिउद्दीनपुर
52.	शाइनिग स्टार है0 वी0 को0 सो0 लि0 कजियारा, खैराबाद, सीतापुर
53.	बुनकर ब्रदर स0 स0 लि0 सुल्तानपुर
54.	करद्या को0 वी0 सो0 लि0 क्योटीवादुल्ला
55.	जहाँगीर बी0 को0 सो0 लि0 जहाँगीराबाद, सीतापुर
56.	अंसार बुन0 औ0 उत्पा0 स0 स0 लि0 ओडाझार
57.	बुनकर स0 स0 लि0 सांडा, सीतापुर

क्रम सं0	इकाई का नाम
58.	न्यू अवध है0 वस्त्र उत्पा0 स0 स0 लि0 खुदागंज, महमूदाबाद, सीतापुर
59.	सुपर है0 वी0 को0 सो0 लि0 करनपुर, खैराबाद, सीतापुर
60.	करघा उद्योग स0 स0 लि0 शाहकुलीपुर (वेस्ट), सीतापुर
61.	उदनापुर है0 को0 सो0 लि0 लहरपुर, सीतापुर
62	लहरपुर है0 वी0 को0 सो0 लि0 लहरपुर, सीतापुर
63.	सी0 को0 टैक्स0 को0 सो0 लि0 शेखवापुर अंगरासी परसेण्डी, सीतापुर
64.	अमर टैक्स0 को0 सो0 लि0 गुरूखेत लहरपुर, सीतापुर
65.	हथकरघा उत्पा0 स0 स0 लि0 विसेन्डी (पूर्वी) विसंवा, सीतापुर
66.	केन्द्रीय हथ0 वस्त्र0 विपरया स0 स0 लि0 विसंवा, सीतापुर
67.	सीतापुर सहकारी कताई मिल महमूदाबाद, सीतापुर
68.	डिस्ट्रिनर बीवर्स यूनियन लि0 सीतापुर
69.	कुतुबनगर करघा है0 वी0 को0 सो0 लि0 कुतुबनगर मिश्रित, सीतापुर
70.	लकी है0 वी0 को0 सो0 लि0 दायरा विसंवा, सीतापुर
71.	है0 वी0 को0 सो0 लि0 मोहम्मदीपुर विसंवा, सीतापुर
72.	असांर बुनकर स0 स0 लि0 सलारगंज, विसंवा, सीतापुर
73.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 शाहकुलीपुर, सीतापुर
74.	आदर्श बुनाई स0 स0 लि0 सीतापुर
75.	हैन्ड वी0 को0 सो0 लि0 गनेशपुर, सीतापुर
76.	हैन्ड वी0 को0 सो0 लि0 देईरामा, सीतापुर

क्रम सं0	इकाई का नाम
77.	लकी हैन्ड वी0 को0 सो0 लि0 झरेकापुर, सीतापुर
78.	करघा को0 सो0 लि0 रखौना, सीतापुर
79.	सेलूमऊ है0 वी0 को0 सो0 लि0 सेलूमऊ, सीतापुर
80.	असांर करघा को0 सो0लि0 मछरेहटा, सीतापुर
81.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 लच्छन नगर, सीतापुर
82.	शोम अवध है0 वी0 को0 सो0 लि0 मछरेहटा, सीतापुर
83	विसंवा को0 है0 वी0 सो0 लि0 विसंवा, सीतापुर
84.	नेशनल स्पिनिगं एण्ड वीविगं इन्ड0 को0 सो0 लि0 खैराबाद, सीतापुर
85.	अंसार को0 एसोसियेसन लि0 खैराबाद, सीतापुर
86.	बुनकर औद्यो0 उत्पा0 स0 स0 लि0 कस्वाती टोला, खैराबाद, सीतापुर
87.	अवध हथ0 वस्त्र0 स0 स0 लि0 हटौरा, खैराबाद, सीतापुर
88.	मेवाती हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 मेवातीटोला, खैराबाद, सीतापुर
89.	इण्डियन टैक्स0 को0 सो0 लि0 तुरसंवा, खैराबाद, सीतापुर
90.	भारतीय हैन्ड0 को0 सो0 लि0 कटरा, खैराबाद, सीतापुर
91.	मोती हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 कुल्हन सरायं, खैराबाद, सीतापुर
92.	आधुनिक वस्त्र निमार्ण औद्यो0 उत्पा0 स0 स0 लि0 शाहजी का पुरवा परसेडी, सीतापुर
93.	इन्द्रा मेमोरियल टैक्स0 को0 सो0 लि0 सुमाली चिल्लाय संरायं, खैराबाद, सीतापुर
94.	शबनम टैक्स0 को0 सो0 लि0 कैम्हारा, सीतापुर
95.	नेशनल करघा को0 सो0 लि0 तालगांव वेस्ट, सीतापुर
96.	आजाद हथकरघा स0 स0 लि0 मकसूदनपुर हरगांव, सीतापुर

क्रम सं0	इकाई का नाम
97.	हिन्दुस्तान वी0 को0 सो0 लि0 जानीपुर परसेण्डी, सीतापुर
98.	करघा उत्पा0 स0 स0 लि0 परसेन्डी पुरवा सुमाली, सीतापुर
99.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 इस्माईलपुर हरगॉव ,सीतापुर
100.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 हसनापुर ,सीतापुर
101.	अंसार हथ0 स0 स0 लि0 वमोरीकला , हरगॉव सीतापुर
102.	महमूदाबाद हैन्ड 0वी0 को0 सो0 लि0 महमूदाबाद सीतापुर
103.	बुनकर हैण्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 काजीटोला बिसॅवा ,सीतापुर
104.	जनता हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 भुरकुन्डी सीतापुर
105.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 शंकरपुर ,इटारी , सीतापुर
106	हैवतपुर हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 हैवतपुर , सीतापुर
107.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 गोधना , सीतापुर
108.	मार्शल हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 मुबारकपुर (पूर्वी) सीतापुर
109.	करघा को0 सो0 लि0 बंजीरपुर , सीतापुर
110.	पापुलर हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 परसेन्डी जनूवी , सीतापुर
111.	जनता हथ0 को0 सो0 लि0 सरैंयाकला , सीतापुर
112.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 विसेन्डी , बिसॅवा , सीतापुर
113.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 परसेन्डी , तालगॉव ,सीतापुर
114.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 औरगांबाद , सीतापुर
115.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 मुबारकपुर ,सीतापुर

क्रम सं0	इकाई का नाम
116.	इण्डस्ट्रियल हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 किसरवारा, सीतापुर
117.	करघा उघोग स0 स0 लि0 ककरामऊ सरैया, सीतापुर
118	हैन्ड0 कव0 को0 सो0 लि0 इटारी , सीतापुर
119.	बुनकर उद्योग स0 स0 लि0 कहमारा , सीतापुर
120.	सुभाष हथकरघा उद्योग स0 स0 लि0 मिरकिललीपुर, सीतापुर
121.	हैन्ड0वी0 को0 सो0 लि0 तालगाँव ,सीतापुर
122.	अंसार हैन्ड 0वी0 को0 पक्काबाग, सीतापुर
123.	आदर्श जनता बुनकर स0 स0 लि0 मुरादअली का बाग , सीतापुर
124.	पैराडाइज है0 वी0 को0 सो0 लि0 महेन्द्रीटोला खैराबाद, सीतापुर
125.	डायमण्ड है0 वी0 को0 सो0 लि0 शेखपुर खैराबाद, सीतापुर
126.	नेशनल टैक्स0 को0 सो0 लि0 शेखसंराय, सीतापुर
127.	हरिजन बुनकर स0 स0 लि0 सिधौरा, सीतापुर
128.	जनता हैन्ड0 को0 सो0 लि0 मिरदही टोला, सीतापुर
129.	जनता हैन्ड0 को0 सो0 लि0 इमलिया, सीतापुर
130.	है0 वी0 को0 सो0 लि0 इमलिया, सीतापुर
131.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 माखपुर, सीतापुर
132.	हथकरघा निर्बल वर्ग वु0स0 स0 लि0 चाँदमारी टोला, खैराबाद, सीतापुर
133.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 तरीनपुर, सीतापुर
134.	बुनकर वस्त्र उत्पा0 स0 स0 लि0 महानी टोला, सीतापुर

क्रम सं0	इकाई का नाम
135.	इण्डस्ट्रियल औद्योगिक स0 स0 लि0 मियॉसराय, सीतापुर
136.	जनता हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 लहरपुर, सीतापुर
137.	हथकरघा को0 सो0 लि0 महाराज नगर, सीतापुर
138.	पापुलर हथ0 उत्पा0 स0 स0 लि0 तालगांव, सीतापुर
139.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 मिश्रित, सीतापुर
140.	तनसुम बुनकर स0 स0 लि0 कमालसंराय, खैराबाद, सीतापुर
141	हैन्ड0 को0 सो0 लि0 भूलनपुर नं02, लहरपुर, सीतापुर
142.	लकी हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 कसमण्डा, सीतापुर
143.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 शेखटोला, लहरपुर, सीतापुर
144	आदर्श नेशनल है0 वी0 को0 सो0 लि0 तुर्कपट्टी, खैराबाद, सीतापुर

3–3 न्यादर्श एवं निदर्शन तकनीकि

प्रस्तुत अध्ययन में द्विस्तरित दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। प्रथम स्तर की 144 इकाइयों में से 25 प्रतिशत अर्थात 36 इकाइयां क्रमानुसार विधि से चुनी गयी है। प्रत्येक चौथी औद्योगिक इकाई प्रथम स्तर के प्रतिदर्श में सम्मलित है। प्रथम स्तर पर चयनित इकाईयों में संलग्न बाल श्रमिकों में से 25 प्रतिशत बाल श्रमिक द्वितीय स्तर पर दैव निदर्शन आधार पर चुने गये है। समग्र की इकाईयों में कम से कम 4 बाल श्रमिक प्रति इकाई तथा अधिक से अधिक 25 बाल श्रमिक प्रति इकाई कार्यरत हैं। प्रथम स्तर पर चुनी गयी 36 औद्योगिक इकाईयों में लगभग 400 बाल श्रमिक कार्य कर रहें हैं जिनमें से दैव आधार पर समानुपातिक 100 बाल श्रमिकों को न्यादर्श इकाई के रूप में चुना गया है। 100 बाल श्रमिकों का चयन इस प्रकार किया गया है कि प्रतिदर्श के प्रथम स्तर पर चयनित 36 औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत बाल श्रमिकों के 25 प्रतिशत बाल श्रमिक प्रतिदर्श में आ जायें।

निदर्शन के प्रथम स्तर पर चयनित 36 औद्योगिक इकाईयों का विवरण तथा निदर्शन के द्वितीय स्तर पर चयनित बाल श्रमिकों की संख्या निम्नलिखित है–

क्रमांक	प्रथम स्तरित निदर्श औद्योगिक इकाई का नाम	कार्यरत बालश्रमिक	द्वितीय स्तरित निदर्श चयनित बाल श्रमिक
1.	सहादत नगर है0 वी0 को0 सो0 लि0 सहादत नगर सीतापुर	20	5
2.	अंजुमल टैक्स0 को0 सो0 लि0 करवाती टोला खैराबाद, सीतापुर	8	2
3.	अंसार युवक हथ0 वस्त्र उत्पा0 स0 स0 लि0 कुल्हन संराय खैराबाद, सीतापुर	16	4
4.	गुलशन वु0 स0 स0 लि0 कमाल संराय खैराबाद सीतापुर	20	5
5.	फाइन वु0 स0 स0 लि0 केदारपुर पैतेपुर, सीतापुर	20	5
6.	अंसार है0 को0 सो0 लि0 फुलवारी टोला, पैतेंपुर सीतापुर	8	2
7.	हथ0 नि0 वु0 स0 स0 लि0 मितौरा, सीतापुर	16	4
8.	न्यू है0 डेस्टी0 वी0 को0 सो0 लि0 कम्हारा, सीतापुर	24	6
9.	निर्बल वर्ग वु0 स0 स0 लि0 शाहकलीपुर (पूर्वी) लहरपुर, सीतापुर	16	4
10.	निर्बल वर्ग वु0 स0 स0 लि0 दुवसेना, महमूदाबाद सीतापुर	8	2
11.	नेशनल है0 प्रो0 को0 सो0 लि0 चिल्लाय संराय खैराबाद, सीतापुर	20	5
12.	तवस्सुम है0 वी0 को0 सो0 लि0 केदारपुर (पूर्वी) सीतापुर	4	1

क्रमांक	प्रथम स्तरित निदर्श	द्वितीय स्तरित निदर्श	
	औद्योगिक इकाई का नाम	कार्यरत बालश्रमिक	चयनित बालश्रमिक
13.	गोल्डेन है0 वी0 को0 सो0 लि0 करसेवरा, सीतापुर	4	1
14.	बुन0 ब्रदर स0 स0 लि0 सुल्तानपुर, सीतापुर	20	5
15.	बुन0 स0 स0 लि0 सांडा, सीतापुर	4	1
16.	उदनापुर है0 को0 सो0 लि0 उदनापुर, सीतापुर	8	2
17.	हथ0 उत्पा0 स0 स0 लि0 विसेन्डी (पूर्वी) विसंवा सीतापुर	20	5
18.	कुतुबनगर करघा है0 वी0 को0 सो0 लि0 कुतुबनगर मिश्रित, सीतापुर	12	3
19.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 शाहकुलीपुर, सीतापुर	4	1
20.	लकी हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 झरेकापुर, सीतापुर	4	1
21.	हैन्ड0 वी को0 सो0 लि0 लच्छन नगर, सीतापुर	12	3
22.	अंसार को0 एसो0 लि0 खैराबाद, सीतापुर	8	2
23.	इण्डियन टैक्स0 को0 सो0 लि0 तुरसंवा, खैराबाद सीतापुर	4	1
24.	इन्द्रा मेमो0 टैक्स0 को0 सो0 लि0 सुभाली चिल्लाय संराय, खैराबाद, सीतापुर	16	4
25.	हिन्दुस्तान वी0 को0 सो0 लि0 जानीपुर परसेन्डी, सीतापुर	12	3
26.	अंसार हथ0 स0 स0 लि0 वमोरीकला, हरगांव सीतापुर	8	2
27.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 शंकरपुर इटारी, सीतापुर	8	2

क्रमांक	प्रथम स्तरित निदर्श	द्वितीय स्तरित निदर्श	
	औद्योगिक इकाई का नाम	कार्यरत बालश्रमिक	चयनित बाल श्रमिक
28.	करघा को0 सो0 लि0 बंजीरपुर, सीतापुर	20	5
29.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 परसेन्डी, तालगांव सीतापुर	8	2
30.	करघा उद्योग स0स0 लि0 ककरामऊ, सरैया सीतापुर	8	2
31.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 तालगांव, सीतापुर	12	3
32.	डायमण्ड है0 वी0 को0 सो0 लि0 शेखपुर, खैराबाद, सीतापुर	4	1
33.	जनता है0 को0 सो0 लि0 इमलिया, सीतापुर	8	2
34.	हैन्ड0 वी0 को0 सो0 लि0 तरीनपुर, सीतापुर	4	1
35.	हथ0 को0 सो0 लि0 महाराज नगर, सीतापुर	4	1
36.	हैन्ड0 को0 सो0 लि0 भूलनपुर नं0 2 लहरपुर, सीतापुर	8	2

नोट– दरी उद्योगपतियों द्वारा बाल श्रमिकों का कोई अभिलेख नहीं रखा गया है। वैधानिक तथा औपचारिक रूप से दरी इकाईयों में बाल श्रमिकों की संख्या शून्य है किन्तु शोधकर्ता द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर उपरोक्त संख्या अनुमानित की गई हैं।

उपर्युक्तनिदर्शन तकनीक को निम्नांकित चित्र के द्वारा स्पष्ट है ।

उपर्युक्त प्रकार से प्राप्त न्यादर्श इकाईयें को निवासिय पृष्ठभूमि, लिगं तथा धर्म के आधार पर निम्नवत पाया गयाः

निवासी पृष्ठ भूमि के आधार पर प्रतिदर्श :

ग्रामीण बाल श्रमिक	55
शहरी बाल श्रमिक	45
कुल बाल श्रमिक	100

लिगं के आधार पर प्रतिदर्श

बालक श्रमिक	70
बालिका श्रमिक	30
कुल बाल श्रमिक	100

धर्म के आधार पर प्रतिदर्श

हिन्दू बाल श्रमिक	45
मुस्लिम बाल श्रमिक	55
कुल बाल श्रमिक	100

3–4 चर

अध्ययन में प्रत्युक्त चर 2 प्रकार के होते है – मापनीय और गणनात्मक।

मापनीय चर

(i) **अभिवृत्ति** – अभिवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था अथवा स्थिति के प्रति किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को इगिंत करता है। प्रस्तुत शोध में अभिवृत्ति से तात्पर्य शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों दृष्टिकोण से है ।

(ii) **जागरूकता** – जागरूकता से तात्पर्य किये जा सकने वाले हितों या सुविधाओं के प्रति सतर्कता एवं आवश्यक जानकारी रखने से है प्रस्तुत शोध में जागरूकता से तात्पर्य राज्य द्वारा बालकों को उपलब्ध निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सतर्कता या जानकारी से है।

(iii) **तत्परता** – तत्परता से तात्पर्य उपलब्ध हितों को प्राप्त करने हेतु उत्सुकता या चेष्टा से है। प्रस्तुत शोध में सरकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को प्राप्त करने की बाल श्रमिकों की चेष्टा ही तत्परता है।

उपर्युक्त तीनों चरणों का मापन सर्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूचि द्वारा किया गया है।

गणनात्मक चर–

(i) **निवासीय पृष्ठ भूमि** – इस आधार पर 2 प्रकार के बाल श्रमिक है एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े बाल श्रमिक और दूसरे शहरी बाल श्रमिक। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े बाल श्रमिक वे है जो या तो ग्रामीण क्षेत्रो में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से आकर शहर में श्रम करतें है। जबकि शहरी बाल श्रमिक वे है जो शहर मे ही निवास करते है और शहर में ही श्रम करतें है।

(ii) लिगं– इस आधार पर बाल श्रमिक दो प्रकार के है एक बालक श्रमिक और दूसरा बालिका श्रमिक।

(iii) धर्म– इस आधार पर बाल श्रमिक दो प्रकार के है हिन्दू बाल श्रमिक और मुस्लिम बाल श्रमिक।

3–5 प्रयुक्त उपकरण–

अनुसंधान कार्य में आँकड़ों के संग्रहण हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण को चयनित करना होता है। अनेकानेक वैज्ञानिक उपकरणों जैसे–

प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार मनोवैज्ञानिक परीक्षण आदि का प्रयोग आँकड़ों के संग्रहण हेतु किया जा सकता है। अनुसंधान से सम्बन्धित प्रायः अधिकांश क्षेत्रों में उपकरण उपलब्ध हैं किन्तु यदि उपलब्ध उपकरण शोधकर्ता की आवश्यकता को पूर्ण नहीं करते तब या तो उनमें सुधार कर लिया जाता है अथवा शोधकर्ता द्वारा नवीन उपकरण का निर्माण किया जाता है जिससे वैद्य और विश्वसनीय परिणामों की प्राप्ति की जा सके।

प्रस्तुत शोधकार्य में बाल श्रमिक की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जागरूकता एवं तत्परता का मापन करने हेतु शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार अनुसूची का निमार्ण किया गया है। अनुसूची अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके माध्यम से भी उन सूचनाओं को संग्रह किया जाता है जिनका संबंध तथ्यों, अभिमतों, अभिवृत्तियों एवं उनके कारणों से होता है (कलिंगर, 1964,पृ0 395) । अनुसूची का प्रयोग उस परिस्थित में किया जाता है जहाँ शोधकर्ता एवं उत्तरदाता आमनें–सामनें बैठते है, शोधकर्ता प्रश्न पूँछता है तथा उत्तर दाता के उत्तरों को स्वयं लिखता है । अनुसूची का स्वरूप इस प्रकार का होता है कि उसमें बायी ओर प्रश्न लिखा रहता है तथा दाई ओर उत्तर लिखनें के लिए स्थान छूटा रहता है । शोधकर्ता केवल प्रश्नों द्वारा ही जानकारी प्राप्त नही करता बल्कि प्रश्न पूँछते समय उत्तरदाता के व्यवहार, हाव–भाव तथा अन्य अनुक्रियाओं द्वारा भी जानकारी प्राप्त करता है । उसके ये प्रेक्षण–नोट उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण करने में सहायक होते है । इस प्रकार अनुसूची के प्रशासन में शोधकर्ता, प्रेक्षणकर्ता एवं साक्षात्करकर्ता दोनों के कार्य करता है उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर शोधकर्ता ने अग्रलिखित ढंग से साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया है ।

साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण

(i) पदों का निर्माण एवं एकत्रीकरण–शोधकर्मा नें अनुसंधान विषय के अनुरूप तथा उद्देश्यानुसार कुछ पदों का निर्माण स्वयं किया है, जबकि कुछ पद अन्य स्रोतो से एकत्र करके सूक्ष्म परिवर्तन के साथ प्रयोग किये गये है । पद एकत्रीकरण के लिए निम्नलिखित स्रोतो का प्रयोग किया गया है–

(i) विभिन्न सर्वेक्षणों पर आधारित प्रतिवेदनों में दिए गए प्रश्नों से ।

(ii) मंजू गुप्ता द्वारा राजस्थान के कालीन उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण पर आधारित प्रतिवेदन से ।

(iii) भदोही तथा कश्मीर में कालीन उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों की दशाओं के सर्वेक्षण के प्रतिवेदनों से ।

(iv) बाल श्रमिकों की दशा पर विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं जैसे कुरुक्षेत्र, योजना, प्रतियोगिता दर्पण तथा अखबारों में प्रकाशित विभिन्न लेखों एवं प्रतिवेदनों से ।

(v) बाल श्रमिकों तथा उनके माता–पिता से साक्षात्कार के आधार पर

उपयुक्त स्रोतो के अधार बाल–श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जागरूकता एवं तत्परता से संबंधित 100 पदों को अनुसंधित्सु द्वारा एकत्र किया गया ।

(ii) पदों का चयन–प्रारम्भ में शोधकर्ता नें अपनें विचारों, विद्वानों से परामर्श के पश्चात प्राप्त विचारों तथा पूर्ववर्ती सर्वेक्षणों एवं साहित्य के आधार पर 100 पदों की अनुसूची तैयार। इस अनुसूची को संशोधन की दृष्टि से निर्देशक तथा श्रमिक नेताओं एवं उद्योगपतियों (ऐसे उद्योगपति जिनके यहाँ बाल श्रमिक का प्रयोग नहीं होता) तथा बाल श्रमिकों के माता–पिता व संरक्षकों के सम्मुख परामर्श हेतु प्रस्तुत किया गया और उनसे विचार विमर्श के पश्चात अनुसूची में से 30 पद हटा दिये गये तथा 10 नये पद बढ़ा दिये गये इस प्रकार अनुसूची में 80 पद रखे गये ।

(iii) प्रारम्भिक जाँच–अनुसूची के प्रारम्भिक जाँच में 80 पदों का गहन अध्ययन किया गया और कुछ बाल– श्रमिकों से 80 पदों पर साक्षात्कार लेने के उपरान्त 25 पदों को अनुसूची से हटा

दिया गया जो बाल श्रमिकों के बौद्धिक स्तर तथा भाषा ज्ञान की अपेक्षा कठिन थे ,द्विअर्थी अस्पष्ट थे तथा अत्यंत सरल थे इस प्रकार अनुसूची में 55 पद रखे गये ।

(iv) वास्तविक जाँच–

अन्त में वास्तविक जाँच के लिए 55 पदों की अनुसूची को 20 बाल श्रमिकों के समूह पर प्रशासित करके मूल्याकिंत किया गया तथा विभेदक क्षमता (मान के आधार पर) ज्ञात की गयी। इस उद्देश्य से सर्वप्रथम सभी बाल श्रमिकों को प्राप्तांक के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया तथा सर्वोच्च अंक पाने वाले 27 प्रतिशत अर्थात 5 बाल श्रमिकों और निम्नतम अकं पाने वाले 27 प्रतिशत अर्थात 5 बाल श्रमिक के अलग समूह बना लिये गये तत्पश्चात दोनों समूहों के लिये प्रत्येक कथन का मध्यमान तथा प्रमाप विलन ज्ञात किया गया और प्रत्येक कथन के लिये मध्य अन्तर का परीक्षण किया गया। सार्थक अन्तर रखने वाले 43 कथनों को अनुसूचि मे सम्मलित रखा गया जबकि अर्थहीन अन्तर वाले 12 कथनों को निरस्त कर दिया गया । इस प्रकार 43 कथनों वाली अनुसूची वास्तविक प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी ।

2–साक्षात्कार अनुसूची का मानकीकरण–

साक्षात्कार अनुसूचि का मानकीकरण हेतु विश्वसनीयता एवं वैधता की जाँच की गयी है।

(i) विश्वसनीयता–विश्वसनीयता जांच हेतु परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया । प्रथमतः100 बाल श्रमिकों का निर्धारित अनुसूची द्वारा साक्षात्कार लिया गया तथा उन्हें अंक प्रदान किये गये 15 दिन के पश्चात पुनःउन्ही 100 बाल श्रमिकों का उसी अनुसूची के द्वारा साक्षात्कार लिया गया और अंक प्रदान किये गये। दोनों बार प्रदत्त अंको के मध्य कार्लपिरयरसन की 'प्रोडेक्ट मोमेन्ट' विधि द्वारा शून्य स्तर का सहसंबध गुणांक ज्ञात किया गया । जो +0.82 ज्ञात हुआ । सम्भाव्य विभ्रम के प्रयोग के द्वारा सहसंबंध की सार्थकता की जांचकी गयी।सम्भाव्य विभ्रम का 6 गुणा .013 प्राप्त हुआ जो सहसंबध परिकलित मूल्य से कम है अतः परिकलित सहसंबंध सार्थक है, इस प्रकार यह-निश्चित हो गया कि शोधकर्ता द्वारा निर्मित अनुसूची विश्वसनीय है ।

(ii) वैधता–अनुसूची की वैधता ज्ञात करने के लिए पद विश्लेषण की प्रकिया के अन्तर्गत निरीक्षण विधि द्वारा संकिया वैधता (operational validity) ज्ञात की गई। इसके अतिरिक्त रूपता वैधता तथा विषय वस्तु वैधता (Content validity) का प्रयोग करके भी अनुसूची की वैधता ज्ञात की गयी तथा तीनों ही विधियों के द्वारा अनुसूची की वैधता उच्च पायी गयी ।

(iii) अनुसूची का प्रशासन–अनुसंधानकर्ता अनुसूची के प्रशासन हेतु व्यक्तिगत .रूप से बाल श्रमिकों से मिल कर तथा उनका साक्षात्कार लिया। एक बाल–श्रमिक के साक्षात्कार में लगभग 60 मिनट का समय लगा ।

(iv) **अंकन प्रकिया** – अनुसूची में कुछ सकारात्मक कथन तथा कुछ नकारात्मक कथन सम्मिलित हैं ! सकारात्मक कथनों का सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर +1 अंक तथा नकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर –1अंक प्रदान किया गया जबकि नकारात्मक कथनों पर सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर –1 अंक प्रदान किया गया । तथा नकारात्मक उत्तर प्राप्त होने पर +1 अंक प्रदान किया गया । सकारात्मक तथा नकारात्मक अंक योग किया गया और सकारात्मक अंक योग में से नकारात्मक अंक योग घटाकर शुद्ध योग प्राप्त किया गया । जिससे मापनीय चर के संबंध दशा और दिशा का बोध हुआ ।

3–6 समंक संग्रहण तकनीकी

समंक संग्रहण हेतु अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत रूप से विभिन्न दरी कारखानेां में गया किन्तु कारखाना स्वामियों द्वारा बालश्रम की संख्या शून्य बतायी गयी । कई कारखाने स्वामियों से इस प्रकार का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात अनुंसंधानकर्ता ने कारखानों के बाहर आस–पास के क्षेत्र में स्थापित चाय की दुकानों तथा पान के खोखों पर सम्पर्क करके संबधित कारखाने में कार्यरत बाल श्रमिकों की अनुमानित संख्या तथा आने – जाने के समय के विषय में जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात् काम से लौटते समय बालकों को रोककर उनके साक्षात्कार लिये तथा कुछ बालकों के घर जाकर साक्षात्कार अनुसूची भरी ।

3–7 सांख्यिकीय तकनीकियां

आकडों के विश्लेषण तथा परिकल्पना परीक्षण हेतु अग्रलिखित सांख्यिकीय तकनीकियां प्रयोग की गयी है –

(i) वर्गीकरण एवं सारणीयन

अनुसंधान में प्रयुक्त मापनीय चरों के आधार पर बालश्रमिकों के प्राप्ताकों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है – शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति , शिक्षा के प्रति जागरूकता , शिक्षा के प्रति तत्पारता । बाल श्रमिकों को भी तीन भागों वर्गीकृत किया गया है – शिक्षा के प्रति सकारात्मक और नाकारत्मक अभिवृत्ति रखने वाले बाल श्रमिक , शिक्षा के प्रति सकारात्मक और नाकारत्मक जागरूकता रखने वाले बाल श्रमिक और शिक्षा के प्रति सकारात्मक नकारात्मक तत्परता रखने वाले बाल श्रमिक ।

इस प्रकार वर्गीकृत प्राप्तांको तथा बाल श्रमिकों को निवासीय पृष्ठ भूमि , लिंग तथा धर्म के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया गया है निवासीय प्रष्ठ भूमि के आधार पर ग्रामीण और शहरी लिंग के आधार पर बालक और बालिका तथा धर्म के आधार पर हिन्दू तथा मुस्लिम वर्ग सुनिश्चित किये है ।

विश्लेषण तथा परिकल्पना की आवश्यकतानुसार बाल श्रमिकों को साक्षात्कार अनुसूची द्वारा उनके अर्जित अंको को सारणीबद्व रूप में प्रस्तुत किया गया है । अधिकतर सारणियां व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में है , जबकि कुछ सारणियां खण्डित श्रेणी के रूप में भी है ।

(ii) **प्रचल– समंक विश्लेषण हेतु निम्नलिखित प्राचलों का प्रयोग किया गया है –**

(i) **प्रतिशत–** शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति , जागरूकता तथा तत्परता को प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया गया है, इस उद्देश्य के लिये निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है –

$$Percentage = \frac{X_p - X_n}{X_m} \times 100$$

X_p	=	सकारात्मक प्राप्तांक
X_n	=	नकारात्मक प्राप्तांक
X_m	=	अधिकतम प्राप्तांक

वर्गानुसार बाल श्रमिकों का प्रतिशत भी ज्ञात किया गया है जिसके लिये निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है –

$$Percentage = \frac{n}{N} \times 100$$

यहाँ

n	=	वर्गानुसार बाल श्रमिक
N	=	वर्ग में कुल बाल श्रमिक

(ii) माध्य – माध्य एक सामान्य औसत है जो सम्पूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधुत्व करता है । अनुसंधान के अन्तर्गत परिकल्पना परीक्षण हेतु माध्य का प्रयोग किया गया है जिसकी गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की गयी है –

$$M = \Sigma x/N$$

यहाँ

M	=	माध्य
Σx	=	प्राप्तांको का योग
N	=	बाल श्रमिकों की संख्या

(iii) प्रमाप विचलन–प्रसरण की जानकारी हेतु प्रमाप विचलन ज्ञात किया गया है। प्रमापविचलन माध्य से लिये गये विचलनों के वर्ग के माध्य का वर्गमूल होता है, अतः इसके लिये निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया।

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$$

यहाँ

σ	=	प्रमाप विचलन
Σd^2	=	माध्य से लिए विचलनों के वर्ग का योग
N	=	बाल श्रमिकों की संख्या

(iv) प्रमाप विभ्रम–

अनुसंधान में माध्य का प्रमाप विभ्रग प्रयोग किया गया है । प्रमाप विभ्रग न्यादर्श समूहों के समान्तर माध्यों के निदर्शन वितरण का प्रमाप विचलन होता है । उनकी सहायता से इस तथ्य का पता लगाया जाता है कि प्रतिदर्श माध्यों का पारस्परिक अन्तर कितना है और यह अन्तर सार्थक है या नहीं । प्रमाप विभ्रग ज्ञात करनें हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया है ।

$$SEm = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{N_1} \quad \frac{\sigma_2^2}{N^2}}$$

यहाँ

SEm = माध्य का प्रमाप विभ्रग

SD_1^2 = प्रथम समूह के प्रमाप विचलन का वर्ग

SD_2^2 = द्वितीय समूह के प्रमाप विचलन का वर्ग

N_1 = प्रथम समूह की इकाइयां

N_2 = द्वितीय समूह की इकाइयां

(v) सहसंबंध गुणांक–

दो चरों के बीच सह संबंध का स्तर तथा दिशा ज्ञात करनें हेतु कार्लनियरसन के सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया गया है जिसकी गणना निम्नलिखित सूत्र से की गयी है ।

$$r = \frac{\geq dx\, dy}{Nx\, SD_1 \times SD_2}$$

यहाँ

r = सहसंबंध गुणांक

dx dy = माध्यों से लिये गये विचलनों की गुणा का योग

N = प्रतिदर्श की कुल इकाइयां

SD_1 = प्रथम समूह का प्रमाप विचलन

SD_2 = द्वितीय समूह का प्रमाप विचलन

(vi) बहुगुणी सहसंबंध गुणांक–

बहुगुणी सहसंबंध गुणांक 2 से अधिक चर मूल्यों के मध्य विद्यमान पारस्पिरि संबंध को स्पष्ट करता है । प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति जागरूकता तथा तत्परता के मध्य विद्यमान संबंध को ज्ञात करनें हेतु कार्लपियरसन के बहुगुणी सहसबंध गुणांक का प्रयोग किया गया जिसको निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात किया गया है –

$$R_{1,2,3} = \frac{r^2_{1,2} + r^2_{1,3} - 2\,(r_{1,2}\, r_{1,3}\, r_{2,3})}{1 - r^2_{2,3}}$$

यहाँ

$R_{1,2,3}$ = बहुगुणी सहसंबंध गुणांक

$r^2_{1,2}$ = अभिवृत्ति और जागरूकता के मध्य सहसंबंध गुणांक का वर्ग

$r^2_{1,3}$ = अभिवृत्ति और तत्परता के मध्य सहसंबंध गुणांक का वर्ग

$r^2_{2,3}$ = जागरूकता और जागरूकता के मध्य सहसंबंध गुणांक का वर्ग

(iii) सांख्यिकीय परीक्षण–

परिकल्पना परीक्षण हेतु निम्नलिखित सांख्यिकीय परीक्षण प्रयोग किये गयें है ।

(i) माध्य का t परीक्षण

अध्ययन प्रस्तुत चरों के माध्य मूल्यों के बीच अन्तर की सार्थकता जांचनें के लिये t परीक्षण को प्रयोग किया गया है इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की गयी है ।

$$t = \frac{M_1 - M_2}{SE_0}$$

यहाँ

t	=	टी– मूल्य
M_1	=	प्रथम समूह का माध्य
M_2	=	द्वितीय समूह का माध्य
SE_0	=	माध्य अन्तर का प्रमाप विभ्रग

(ii) काई वर्ग परीक्षण–

काई वर्ग अवलोकन तथा प्रत्याशित अवृत्तियों का माप है, जो दो गुणों की स्वतंत्रता की जाँच करता है अर्थात इस तथ्य का बोध कराता है कि अवलोकन और प्रत्याशा में अन्तर परिकल्पना के असत्य होने के कारण है अथवा संयोग वश है । प्रस्तुत अनुसंधान में बाल श्रमिकों की अवलोकित और अनुमानित संख्या के संबंध में स्थापित परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु काई वर्ग का प्रयोग किया गया है जिसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की गयी है ।

$$x^2 = \frac{(Fo - Fe)^2}{Fe}$$

यहाँ

x^2	=	काई वर्ग का मूल्य
Fo	=	अवलोकित आवृत्तियां
Fe	=	प्रत्याशित आवृत्तियां

(ii) सम्भाव्य विभ्रम–

सहसम्बन्ध गुणांक की सार्थकता जांच हेतु सम्भाव्य विभ्रम का प्रयोग किया गया है । इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की गयी है ।

$$P.E. = \frac{1 - r^2}{\sqrt{N}} \times 0.6745$$

यहाँ

P.E.	=	सम्भाव्य विभ्रर्म का मूल्य
r^2	=	कार्लपियरसन के सह सम्बन्ध गुणांक का वर्ग
N	=	पद मूल्यों की संख्या
.6745	=	स्थिरांक

(iv) सार्थकता स्तर–

t परीक्षण तथा x^2 परीक्षण हेतु .05 सार्थकता स्तर का प्रयोग किया गया है जबकि सह सम्बन्ध गुणांक की विश्वसनीयता की जांच हेतु सम्भाव्य विभ्रम के 6 गुनें का प्रयोग किया गया है ।

चतुर्थ - अध्याय

(आंकड़ों का विश्लेशण तथा निर्वचन)

पेज सं0

आंकड़ो का विश्लेषण तथा निर्वचन

अंकात्मक तथ्य मूक होते हैं। अतः आंकड़ों का महत्व उनके संग्रहण में नहीं अपितु विश्लेषण एवं निर्वचन में होता है। विश्लेषण आंकड़ों के पारस्परिक संबंध तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया हैं, जिससे प्राप्त निष्कर्षों की भाषा निर्वचन है। प्रस्तुत अध्याय में शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता एवं तत्परता के संबंध में संग्रहीत प्राथमिक समंको का उर्पयुक्त सांख्यकीय तकनीकियों द्वारा विश्लेषण किया गया है एवं इस संदर्भ में स्थापित परिकल्पनाओं का परीक्षण करके निर्वचन किया गया है।

4–1 विश्लेषण

1. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति–

सर्वेक्षण से प्राप्त बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को सकारात्मक तथा नकारात्मक भागों में बांट कर तालिका सं0 –1 में दर्शाया गया है ।

तालिका सं0 1

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक तथा नकारात्मक अभिवृत्ति

	नकारात्मक अभिवृत्ति															आवृत्ति
	अंक	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	योग
सकारात्मक अभिवृत्ति	0														3	3
	1													5		5
	2												23			23
	3											19				19
	4										16					16
	5									16						16
	6								4							4
	7							4								4
	8						6									6
	9					2										2
	10				1											1
	11			1												1
	12		—													—
	13	—														—
	योग	—	—	1	1	2	2	4	4	16	16	19	23	5	3	100

तालिका संख्या एक से स्पष्ट है कि 3 बाल श्रमिक ऐसे पाये गये जो शिक्षा के प्रति पूर्णतः नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को जानने के लिये अनुसूची में कुल 13 कथन हैं 3 बाल श्रमिकों से इन सभी का नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ हैं, 5 बाल श्रमिक ऐसे है जिनकी नकारात्मक अभिवृत्ति 12 तथा सकारात्मक अभिवृत्ति केवल 1 एक है। 23 बाल श्रमिकों के केवल 2 सकारात्मक अंक है जबकि 11 नकारात्मक अंक हैं, इसी प्रकार 19 तथा 16—16 बाल श्रमिक क्रमशः ऐसे हैं, जिसके शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति के अंक क्रमशः 10, 9 और 8 हैं, जबकि सकारात्मक अभिवृत्ति अंक केवल 3, 4 और 5 है। तालिका से स्पष्ट है कि केवल 14 बाल श्रमिक ऐसे है। जिनकी शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति नकारात्मक अभिवृत्ति से अधिक है। शेष 86 बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति सकारात्मक अभिवृत्ति की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। उल्लेखनीय है कि एक भी बाल श्रमिक ऐसा नही हैं जिसकी शिक्षा के प्रति 100 प्रतिशत सकारात्मक अभिवृत्ति हों।

2. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरुकता

बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करने के पश्चात शिक्षा के प्रति उनकी जागरुकता को दिखाने के लिए तालिका संख्या 2 तैयार की गयी है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा के प्रति जागरुकता के संबंध में अनुसूची में कुल 16 कथन हैं, जिनके सकारात्मक तथा नकारात्मक प्राप्त उत्तरों को तालिका के दोनों ओर दिखाया गया है।

तालिका सं0 2

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक तथा नकारात्मक जागरुकता

	नकारात्मक जागरुकता																		आवृत्ति
सकारात्मक जागरुकता	अंक	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	योग
	0																	–	–
	1																3		3
	2															3			3
	3														7				7
	4													6					6
	5												8						8
	6											9							9
	7										8								8
	8									6									6
	9								9										9
	10							15											15
	11						10												10
	12					9													9
	13				3														3
	14			3															3
	15		1																1
	16	–																	–
	योग	–	1	3	3	9	10	15	9	6	8	9	8	6	7	3	3	–	100

तालिका संख्या–2 से स्पष्ट है कि एक भी बाल श्रमिक ऐसा नहीं है जिसने सभी 16 कथनों के नकारात्मक उत्तर दिये हों अर्थात प्रतिदर्श में कोई भी बाल श्रमिक ऐसा नही पाया गया जिसकी शिक्षा के प्रति जागरुकता शून्य हो। अधिक से 3 बाल श्रमिक ऐसे पाये गये जिनके शिक्षा के प्रति नकारात्मक जागरुकता प्राप्तांक क्रमशः 15 तथा 14 हैं, और सकारात्मक प्राप्तांक एक तथा दो हैं, 15 बाल श्रमिक ऐसे हैं, जिनकी शिक्षा के प्रति नकारात्मक जागरुकता 6 अंक तथा सकारात्मक जागरुकता 10 अंक है। तालिका से स्पष्ट है कि 44 प्रतिशत बाल श्रमिक ऐसे हैं जिनकी नकारात्मक जागरुकता सकारात्मक जागरुकता की अपेक्षा अधिक हैं अर्थात 44 प्रतिशत बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरुक नही हैं, जबकि 56 प्रतिशत बाल श्रमिकों के सकारात्मक जागरुकता प्राप्तांक नकारात्मक जागरुकता प्राप्तांको से अधिक है, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कि 56 प्रतिशत बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति पर्याप्त जागरुक है। उल्लेखनीय हैं, कि अधिकांश बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक जागरुकता पायी गयी है। किन्तु फिर भी आधे से अधिक बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरुक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता भी जानी जाये।

3. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता

तत्परता अत्यन्त महत्वपूर्ण गुण हैं, जब तक किसी कार्य के प्रति तत्परता नहीं तब तक अभिवृत्ति या जागरुकता का व्यवहारिक महत्व नहीं है। शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक अभिवृत्ति या सकारात्मक जागरुकता तभी उपयोगी हैं, जबकि वे शिक्षा प्राप्त करने हेतु तत्पर भी हों बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति तत्परता जानने के लिये अनुसूची में 14 कथन सम्मलित किये गये हैं, जिनके उत्तरों के आधार पर तालिका संख्या–3 तैयार की गयी हैं जो शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता को दर्शा रही है।

तालिका सं0 3

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक तथा नकारात्मक तत्परता

	नकारात्मक तत्परता																आवृत्ति
सकारात्मक तत्परता	अंक	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	योग
	0															3	3
	1														4		4
	2													5			5
	3												11				11
	4											17					17
	5										18						18
	6									13							13
	7								22								22
	8							5									5
	9						2										2
	10					–											–
	11				–												–
	12			–													–
	13		–														–
	14	–															–
	योग	–	–	–	–	–	2	5	22	13	18	17	11	5	4	3	100

तालिका संख्या 3 से स्पष्ट है कि कोई भी बाल श्रमिक ऐसा नही है जिसने 10 या 10 से अधिक प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर दिये हों अधिकतम 2 बाल श्रमिकों ने शिक्षा के प्रति 9 सकारात्मक उत्तर देकर 9 धनात्मक अंक प्राप्त किये हैं जबकि उन्होने 5 नकारात्मक उत्तर भी दिये हैं। 22 बाल श्रमिक ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा पाने के लिए समान रुप से नकारात्मक और सकारात्मक तत्परता दिखाई है अर्थात

उन्होंने 7 नकारात्मक अंक प्राप्त किये हैं और 7 सकारात्मक भी कुल बाल श्रमिक ऐसे हैं जिन्होंने आधे से अधिक प्रश्नों के नकारात्मक उत्तर देकर शिक्षा के प्रति अपनी नकारात्मक तत्परता दिखाई है अर्थात सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 71 प्रतिशत बाल श्रमिक शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहतें, 22 प्रतिशत बाल श्रमिक इस विषय में तटस्थ हैं, जबकि केवल 7 प्रतिशत बाल श्रमिक शिक्षा प्राप्ति हेतु तत्पर हैं।

4. **शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति जागरुकता व तत्परता की तुलना**

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति जागरुकता एवं तत्परता को एक साथ तुलनात्मक रुप में प्रदर्शित करने हेतु तालिका संख्या 4 तैयार की गयी है। इस तालिका को तालिका संख्या 1, 2 व 3 के आधार पर तैयार किया गया है, और सकारात्मक अंको में से नकारात्मक अंक घटा कर शेष बचे अंकों को तालिका में दिखाया गया है। क्योंकि यह अंक धनात्मक अथवा ऋणात्मक हैं, इसलिये यह अभिवृत्ति, जागरूकता एवं तत्परता की दिशा का भी बोध करा रहे है।

तालिका सं04

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता एवं तत्परता का तुलनात्मक विवरण

प्रतिदर्श इकाइयां	प्राप्तांक			प्रतिशत प्राप्तांक		
	अभिवृत्ति	जागरुकता	तत्परता	अभिवृत्ति	जागरुकता	तत्परता
1	–9	–2	–10	–69	–12	–71
2	–7	+2	–4	–54	+12	–28
3	–5	+2	–6	–38	+31	–43
4	–9	+6	0	–69	+37	0
5	–11	+6	0	–85	+37	0
6	–7	–4	–8	–54	–25	–57
7	–13	–10	–4	–100	–62	–28
8	–5	+8	–8	–38	+50	–57

प्रतिदर्श	प्राप्तांक			प्रतिशत प्राप्तांक		
इकाइयां	अभिवृत्ति	जागरुकता	तत्परता	अभिवृत्ति	जागरुकता	तत्परता
9	-9	+2	-6	-69	+12	-43
10	-3	+4	-4	-23	+25	-28
11	-5	-6	-6	-38	-37	-43
12	-3	-6	+2	-23	-37	+14
13	-5	-10	0	-38	-62	0
14	-3	-6	-4	-23	-37	-28
15	-9	+2	-2	-69	+12	-14
16	-5	-10	-2	-38	-62	-14
17	-7	+4	-4	-54	-25	-28
18	-5	+8	-4	-38	-50	-28
19	-9	-4	0	-69	-25	0
20	-7	+14	-12	-54	+87	-85
21	+3	+2	-2	+23	+12	-14
22	-7	+4	-6	-54	+25	-43
23	-5	+6	0	-69	+37	0
24	-9	+12	0	-69	+75	0
25	-7	-8	0	-54	+50	0
26	-7	+2	-8	-54	+12	-14
27	-7	+8	-2	-54	+50	-14
28	-1	-2	0	-8	-12	0
29	-3	-12	0	-23	-75	0

प्रतिदर्श इकाइयां	प्राप्तांक			प्रतिशत प्राप्तांक		
	अभिवृत्ति	जागरुकता	तत्परता	अभिवृत्ति	जागरुकता	तत्परता
30	-3	+10	-10	-23	+62	-71
31	-5	+4	0	-38	+25	0
32	-9	-12	-2	-69	-75	-14
33	-9	-10	-12	-69	-62	-85
34	-3	+8	-10	-23	+50	-71
35	-3	-6	-6	-23	-37	-43
36	-13	+8	-6	-100	+50	-43
37	-11	+6	-4	-85	+37	-28
38	-3	-6	0	-23	-37	0
39	+1	+4	+4	+8	+25	+28
40	+7	-8	-2	+54	-50	-14
41	-7	0	-2	-54	0	-14
42	-3	+4	0	-23	+25	0
43	-7	+2	-2	-54	+25	-14
44	-7	+2	-2	-54	+25	-14
45	-9	+8	+4	-69	+50	+28
46	-9	-2	0	-69	-25	0
47	-9	-6	-14	-69	-37	-100
48	-3	-10	-14	-23	-62	-100
49	-7	-10	-10	-54	-62	-71
50	-9	-2	-8	-69	-25	-57

प्रतिदर्श इकाइयां	प्राप्तांक			प्रतिशत प्राप्तांक		
	अभिवृत्ति	जागरुकता	तत्परता	अभिवृत्ति	जागरुकता	तत्परता
51	-7	-8	-8	-54	-50	-57
52	-3	-14	-10	-23	-87	-71
53	-9	+12	-14	-69	+75	-100
54	-1	-12	0	-8	-75	0
55	-9	+4	-8	-69	+25	-57
56	-9	+4	0	-69	+25	0
57	+3	+4	-6	+23	+25	-43
58	-1	+10	-4	-8	+62	-28
59	-9	+12	0	-69	+86	0
60	-7	-2	+2	-54	-25	+14
61	-3	+8	-4	-23	+50	-28
62	-9	-2	-2	-69	-25	-14
63	-5	0	-6	-38	0	-43
64	-3	+6	0	-23	+37	0
65	-7	+6	0	-54	+37	0
66	-9	-10	+2	-69	-62	+14
67	-3	-6	-6	-23	-37	-42
68	+1	-4	-6	+8	-25	-42
69	-5	-14	-8	-36	-87	-57
70	-5	-2	-8	-36	-16	-57
71	+3	+6	-6	+23	+37	-42

प्रतिदर्श इकाइयां	प्राप्तांक			प्रतिशत प्राप्तांक		
	अभिवृत्ति	जागरुकता	तत्परता	अभिवृत्ति	जागरुकता	तत्परता
72	+1	-8	-4	+8	-50	-28
73	-1	+2	-6	-8	+16	-42
74	-7	+4	-4	-54	+25	-28
75	-7	+8	0	-54	+50	0
76	-7	0	0	-54	0	0
77	-7	-4	-2	-54	-25	-14
78	-9	+4	-6	-69	+25	-42
79	+3	-6	0	+23	-37	0
80	-9	+4	-4	-69	+25	-28
81	-11	0	-6	-85	0	-42
82	-5	0	-6	-36	0	-42
83	-11	-10	-8	-85	-62	-57
84	-7	-4	-12	-54	-25	-86
85	-9	-4	-8	-69	-25	-57
86	+5	+4	-8	+38	+25	-57
87	-13	-4	-2	-100	-25	-14
88	-5	0	-8	-38	0	-57
89	-11	-4	-2	-85	-25	-14
90	-5	+8	-4	-38	+50	-28
91	-9	+4	-4	-69	+25	-28
92	+1	+4	-4	+8	+25	-28

प्रतिदर्श इकाइयां	प्राप्तांक			प्रतिशत प्राप्तांक		
	अभिवृत्ति	जागरुकता	तत्परता	अभिवृत्ति	जागरुकता	तत्परता
93	−5	+8	−2	−38	+50	−14
94	−9	−6	−4	−69	−37	−28
95	−1	+10	+4	−8	+62	−43
96	−3	−2	−6	−23	−16	−42
97	+3	−4	0	+23	−25	0
98	−5	+6	−6	−38	+37	−42
99	−11	−8	+2	−85	−50	+14
100	−3	−6	−12	−23	−37	−86

तालिका संख्या 4 से स्पष्ट है कि अधिकांश बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक हैं किन्तु फिर भी अधिकांश बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरुक हैं, किन्तु बहुत कम बाल श्रमिकों में शिक्ष के प्रति तत्परता दिखाई दी है। 100 बाल श्रमिकों में से 30 बाल श्रमिक ऐसे हैं जिनकी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जागरुकता और तत्परता तीनों की नकारात्मक है। केवल एक बाल श्रमिक ऐसा है जिसकी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जगरूकता और तत्परता तीनों ही सकारात्मक हैं शेष बाल श्रमिक ऐसे हैं जो शिक्षा के प्रति जागरुकता या तत्परता के प्रति तटस्थ हैं तथा उनकी अभिवृत्ति नकारात्मक है। अतः सामान्यतः 99 प्रतिशत बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, जागरुकता तथा तत्परता नहीं हैं। अधिकतम 2 बाल श्रमिकों की 100 प्रतिशत नकारात्मक अभिवृत्ति पायी गयी हैं, अधिकतम नकारात्मक जागरुकता 87 प्रतिशत पायी गयी है, जबकि अधि ाकतम नकारत्मक तत्परता 100 प्रतिशत पायी गयी है। सामान्यतः यह पाया गया कि अधिकांश बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति नकारत्मक अभिवृत्ति है किन्तु उनकी जागरुकता तथा तत्परता कम नकारात्मक है अथवा सकारात्मक भी है।

5. वर्गानुसार विश्लेषण

बाल श्रमिकों को उनकी निवासीय पृष्ठ भूमि के आधार पर शहरी और ग्रामीण, लिंग के आधार पर बालक और बालिका तथा धर्म के आधार पर हिन्दू और मुस्लिम वर्गो में विभक्त करके शिक्षा के प्रति उनकी अभिवृत्ति जागरुकता तथा तत्परता का अध्ययन किया गया है ताकि यह ज्ञात किया जा सकें कि क्या इन तत्वों का बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति जागरुकता तथा तत्परता पर कोई प्रभाव पड़ता है और यदि पड़ता है तो क्या। इस उददेश्य से तालिका संख्या 5 तैयार की गयी है जो प्रस्तुत है।

तालिका सं0 5

वर्गानुसार बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवषत्ति, जागरुकता व तत्परता

वर्गीकरण	अभिवृत्ति		जागरुकता		तत्परता		कुल बाल श्रमिक
	सकारात्मक	नकारात्मक	सकारात्मक	नकारात्मक	सकारात्मक	नकारात्मक	
ग्रामीण	6(11)	(49)(89)	31(56)	24(44)	4(7)	51(93)	55
शहरी	7(16)	38(84)	18(40)	27(60)	2(4)	43(96)	45
बालक	7(10)	63(90)	34(49)	36(51)	5(7)	65(93)	70
बालिका	5(17)	25(83)	16(53)	14(47)	2(7)	28(93)	30
हिन्दू	4(9)	41(91)	26(58)	19(42)	3(7)	42(93)	45
मुस्लिम	7(13)	48(87)	21(38)	34(62)	4(7)	51(93)	55

(नाटे– कोष्ठक में कुल बाल श्रमिकों से सम्बन्धित श्रमिकों का प्रतिशत दिखाया गया है)

तालिका संख्या 5 से स्पष्ट है कि 100 बाल श्रमिकों में से 55% ग्रामीण तथा 45 शहरी हैं, अर्थात सीतापुर के दरी उद्योग में शहरी बाल श्रमिकों की अपेक्षा ग्रामीण बाल श्रमिक अधिक कार्यरत हैं।

इस सम्बन्ध में अन्तिम निष्कर्ष आगे परिकल्पना परीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया है। बाल श्रमिकों में से 89% बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है शहरी बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में यह प्रतिशत 84 है जो ग्रामीण बाल श्रमिकों की अपेक्षा 5% कम है स्पष्ट है कि बाल श्रमिक चाहे शहरी हो या ग्रामीण उनकी यह अभिवृत्ति सामान्यतः शिक्षा के प्रति नकारात्मक है और यदि जागरुकता पर ध्यान दिया जाये तो स्पष्ट है कि यद्यपि 89% ग्रामीण बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं किन्तु केवल 44% बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक जागरुकता रखतें हैं अर्थात 45% ग्रामीण श्रमिक ऐसे हैं जिनकी शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति किन्तु सकारात्मक जागरुकता हैं जागरुकता का स्तर अपेक्षाकृत अधिक होते हुए भी ग्रामीण बाल श्रमिकों में शिक्षा के प्रति तत्परता बहुत कम हैं क्योंकि 93% ग्रामीण बाल श्रमिकों की नकारात्मक तत्परता पायी गई हैं शहरी और ग्रामीण की तुलना करेन पर स्पष्ट है कि शहरी बाल श्रमिकों में ग्रामीण बाल श्रमिकों की अपेक्षा तत्परता अधिक हैं जहां 93% ग्रामीण बाल श्रमिक नकारात्मक तत्परता रखते हैं वहीं 96 शहरी बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक रुप से तत्पर हैं अतः शहरी बाल श्रमिकों में ग्रामीण बाल श्रमिकों की अपेक्षा शिक्षा की प्राप्ति के लिए तत्परता कम है इस सम्बन्ध में आगे परिकल्पना परीक्षण भी किया गया हैं, उल्लेखनीय है कि शहरी बाल श्रमिकों में शिक्षा के प्रति जागरुकता भी ग्रामणी बाल श्रमिकों की अपेक्षा कम हैं क्योंकि 40% शहरी बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरुक पाये गये हैं जबकि 56% ग्रामीण बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरुक पाये गये हैं। ग्रामीण बाल श्रमिकों में शिक्षा के प्रति अधिक जागरुकता और अधिक तत्परता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं–

1. शहर के परिवार ग्रामीण परिवारों की अपेक्षा अधिक भौतिकवादी होते हैं शहरी परिवारों से आये बाल श्रमिक शिक्षा के अपेक्षा धन कमाने के स्रोतों के प्रति अधिक जागरुक तथा तत्पर होते है।

2. ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित होना विशेष महत्व रखता है अतः ग्रामीण का शिक्षा के प्रति विशेष आकर्षण होता है यही कारण है कि ग्रामीण बच्चे शहर आकर शिक्षा के प्रति जानकारी प्राप्त करने को तत्पर पाये गये हैं।

3. शहरी क्षेत्र में शिक्षा एक सामान्य प्रक्रिया है उसका कोई विशेष विज्ञापन आदि नही है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा साक्षरता सम्बन्धी अनेक विशिष्ट अभियान चलाये जा रहें हैं जिनके फलस्वरुप ग्रामीण बाल श्रमिकों में शिक्षा के प्रति अधिक जागरुकता एवं अधिक तत्परता पायी गई है।

4. ग्रामीण परिवारों में बच्चों से श्रम कराने के साथ–साथ यह अपेक्षा भी की जाती है। कि वह कुछ पढ़ जाये ताकिउनके सामने वे कठिनाईयां न आयें जो उनके मां–बाप के सामने आयी है।

5. ग्रामीण परिवारों में शिक्षा सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक होती है तथा विवाह में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

लिंग के आधार पर वर्गीकृत करनें पर 100 बाल श्रमिकों में से 70 बालक पाये गये तथा 30 बालिकायें पायी गयी बालिकाओं में 17% बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति पायी गयी जबकि 10% बालकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति दिखायी दी इस प्रकार बालिकाओं में शिक्षित होने की अभिवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दी है यह स्थिति जागरुकता के सम्बन्ध में भी है क्योंकि 53% बालिकायें शिक्षा के प्रति जागरुक हैं जबकि 49% बालक शिक्षा के प्रति जागरुक पाये गये हैं किन्तु शिक्षा के तत्पर बालक–बालिकाओं का समान प्रतिशत हैं, अतः यह स्पष्ट है कि यद्यपि बालिकायें शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जागरुकता रखती हैं, किन्तु शिक्षा के प्रति उनकी तत्परता बालकों से भिन्न नहीं है।

धर्म के आधार पर 100 बाल श्रमिकों में से 45 हिन्दू और 55 मुस्लिम पाये गये 9% हिन्दू बाल श्रमिकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया जबकि 13% मुस्लिम बाल श्रमिकों का शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखा गया। यह अनुमान से विपरीत सत्य था कि मुस्लिम बाल श्रमिकों में हिन्दू बाल श्रमिकों की अपेक्षा शिक्षा के प्रति अधिक अभिवृत्ति दिखाई दी किन्तु इसका विरोधाभास भी है कि हिन्दू बाल श्रमिकों में मुस्लिम बाल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक जागरुकता पायी

गयी तालिका से स्पष्ट हैं कि 58 प्रतिशत हिन्दू बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरुक है जब कि केवल 38% मुस्लिम बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरुक पाये गये हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही धर्मा के बाल श्रमिकों में शिक्षा के प्रति समान तत्परता पायी गयी ।

तालिका से स्पष्ट है कि शहरी और ग्रामीण, बालक और बालिका तथा हिन्दू और मुस्लिम बाल श्रमिकों की शैक्षिक अभिवृत्ति और जागरुकता में भले ही अन्तर हो किन्तु शिक्षा के प्रति उनकी तत्परता लगभग समान है। सामान्यतः सभी वर्गों के 90% से अधिक बाल श्रमिक श्रम करने के स्थान पर शिक्षा प्राप्त हेतु अथवा श्रम करने के साथ–साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु तत्पर नहीं है।

4–2 परिकल्पना परीक्षण

बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जागरुकता एवं तत्परता के सम्बन्ध में अनेक परिकल्पनायें स्थापित की गयी जिनका उपयोग सांख्यकीय तकनीकियों द्वारा परीक्षण निम्नवत प्रस्तुत हैं।

शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के संबंध में परिकल्पनाएं

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति के संबध में 2 परिकल्पनाएं स्थापित की गयी हैं–

परिकल्पना संख्या –1

'शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति के मध्य कोई अन्तर नहीं है।'

प्रस्तुत परिकल्पना के परीक्षण हेतु जांच का प्रयोग किया गया है। जिससे प्राप्त परिणाम तालिका संख्या 6 में दिखाये गये हैं।

तालिका सं0 6

परिकल्पना एक से सम्बन्धित परिकलित मूल्य

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति	बाल श्रमिकों की संख्या (N)	माध्य	प्रमाप विचलन (S.D.)	प्रमाप विभ्रम (Sem)	t- मूल्य/ क्रान्तिक अनुपात	5% सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान
सकारात्मक	100	3.79	2.14	0.41	13.22	1.96
नकारात्मक	100	9.21	3.56			

तालिका संख्या 6 से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक माध्य अभिवृत्ति 3.79 है जबकि नकारात्मक माध्य अभिवृत्ति इससे अधिक 9.21 है । माध्य के अन्तर का प्रमाण विभ्रम 0.41 है जिसके आधार पर परिकलित मूल्य 13.22 है जो कि 5% सार्थकता स्तर पर निर्धारि क्रान्तिक मान 1.96 से अधिक है अतः प्रस्तुत परिकल्पना अस्वीकृत होती है ।

परिकल्पना संख्या–2

शिक्षा के प्रति की सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति रखनें वाले बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य कोई अन्तर नहीं है ।

बाल श्रमिकों की संख्या के सन्दर्भ में निर्धारित प्रस्तुत परीकल्पना के परीक्षण हेतु काई वर्ग जांच का प्रयोग किया गया है जिसके संबंध में तालिका संख्या 7 प्रस्तुत हैं ।

तालिका सं0 7

सकारात्मक तथा नकारात्मक अभिवृत्ति रखनें वाले बाल श्रमिकों की संख्या तथा काई वर्ग जाँच

बाल श्रमिक	शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति	
	सकारात्मक	नकारात्मक
वास्तविक बाल श्रमिकों (*fo*)	12	88
परिकल्पित बाल श्रमिक (*fe*)	50	50
अन्तर (*fo-fe*)	–38	+38
अन्तर वर्ग $(fo\text{-}fe)^2$	14.44	14.44
काई वर्ग $= (x^2) = \frac{(fo\text{-}fe)^2}{fe}$	28.88	28.88
$x^2 = \frac{\sum[(fo\text{-}fe)2]}{fe}$	57.76	

तालिका संख्या 7 से स्पष्ट है कि कुल 100 बाल श्रमिकों में से शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखनें वाले केवल 12 बाल श्रमिक पाये गये जबकि नकारात्मक अभिवृत्ति रखनें वाले 88 बाल श्रमिक पाये गये इस संबंध में परिकल्पना थी कि दोनों प्रकार के बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य कोई अन्तर नहीं है अतः सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति रखनें वाले बाल श्रमिकों की पूर्वानुमानित संख्या क्रमशः 50–50 थी । पूर्वानुमान तथा वास्तविक संख्या के आधार पर परिगणित काई वर्ग का मूल्य 57.76 ज्ञात हुआ जो स्वतत्रांश 1 के लिए 5% सार्थकता स्तर पर निर्धारित काई वर्ग सारणी मूल्य 3.841 से कहीं अधिक है अतः प्रस्तुत परिकल्पना अस्वीकृत होती है ।

2. शिक्षा के प्रति जागरूकता के संबंध में परिकल्पनाएं

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिको की जागरूकता के सम्बन्ध में परिकल्पनाएं स्थापिति की गयी है।

परिकल्पना संख्या – 3

'शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकारात्मक जागरूकता के मध्य कोई अन्तर नहीं है'

प्रस्तुत परिकल्पना की जाँच परीक्षण द्वारा की गयी इस संबंध में प्राप्त परिभाषित मूल्य तालिका संख्या 8 में दर्शाया गये है –

तालिका सं0 8

परिकल्ना तीन से संबंधित परिकलित मूल्य

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरूकता	बाल श्रमिकों की संख्या (N)	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमान विभ्रम	t– मूल्य / क्रान्तिक अनुपात	5% सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान
सकारात्मक	100	8.22	3.13			
नकारात्मक	100	7.88	3.38	0.44	0.772	1.96

तालिका संख्या 8 से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक जागरूकता के माध्य 8.22 है जो नकारात्मक जागरूकता के माध्य 7.88 से 34 अधिक है अतः ऐसा प्रतीक होता है कि बाल श्रमिक में शिक्षा के प्रति पर्याप्त जागरूकता विद्यमान है किप्तु परिकलित t मूल्य 0.772 ज्ञत हुआ है जो 5% सार्थकता स्तर पर निर्धारित क्रान्तिक मान 1.96 से काफी कम है, अतः यह धारण असत्य है, कि बाल

श्रमिकों में शिक्षा के मध्य जागरूकता विद्यमान है, वास्तव में शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकारात्मक जागरूकता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है अतः उर्पयुक्त परिकल्पना स्वीकृत होती है ।

परिकल्पना संख्या–4

'शिक्षा के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक जागरूकता रखनें वाले बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य कोई अन्तर नहीं है ।'

प्रस्तुत परिकल्पना के परिक्षण हेतु काई वर्ग जाँच का प्रयोग किया गया है जिसके सम्बन्ध में तालिका सं0 9 प्रस्तुत है –

तालिका सं0–9

सकारात्मक तथा नकारात्मक जागरूकता रखने वाले श्रमिकों की संख्या तथा काई–वर्ग जाँच

बाल श्रमिक	शिक्षा के प्रति जागरूकता	
	सकारात्मक	नकारात्मक
वास्तविक बाल श्रमिकों (*fo*)	50	50
परिकल्पित बाल श्रमिक (*fe*)	50	50
अन्तर (*fo-fe*)	0	0
अन्तर वर्ग $(fo-fe)^2$	0	0
काई वर्ग $= (x^2) = \frac{(fo-fe)^2}{fe}$	0	0
$x^2 = \frac{\sum[(fo-fe)2]}{fe}$	0	

तालिका संख्या 9 से स्पष्ट है कि कुल 100 बाल श्रमिकों में से ठीक आधे अर्थात 50 बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति सकारात्मक जागरूकता रखने वाले पाये गये और शेष 50 नकारात्मक जागरूकता रखनें वाले ।

परिकल्पना के अनुसार पूर्वानुमानित संख्या भी ठीक यही थी । चूंकि वास्तविक और पूर्वानुमानित संख्या के मध्य कोई अन्तर नही है इस लिए काई वर्ग का मूल्य '0' प्राप्त हुआ । अतः स्पष्ट है कि परिकल्पना संख्या 4 स्वीकृत हुई है ।

3. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता के संबंध में परिकल्पनाएं–

शिक्षा के पति बाल श्रमिकों की तत्परता के सम्बन्ध में 2 परिकल्पनाएं स्थापित की गयी हैं

परिकल्पना संख्या–5

'शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकारात्मक तत्परता के मध्य कोई अन्तर नही है।' प्रस्तुत परिकल्पना के परीक्षण हेतु t जाँच का प्रयोग किया गया है जिससे सम्बन्धि परिगणित मूल्य तालिका सं0 10 में दिखाये गये है जो निम्नवत है –

तालिका सं0 – 10

परिकल्पना एक से सम्बंधित परिकलित मूल्य

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति	बाल श्रमिकों की संख्या (N)	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	t- मूल्य/ क्रान्तिक अनुपात	5% सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान
सकारात्मक	100	4.92	2.04	0.42	8.42	1.96
नकारात्मक	100	8.49	3.86			

तालिका संख्या 10 से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक तत्परता का माध्य 4.92 है जो नकारात्मक तत्परता माध्य 8.46 से 3.54 कम है । सकारात्मक तथा नकारात्मक तत्परता के प्रमाप विचलन क्रमशः 2.04 तथा 3.86 है जिसमें स्पष्ट है कि नकारात्मक तत्परता का विस्तार सकारात्मक तत्परता के विस्तार की अपेक्षा अधिक है एवं माध्य अन्तर के t परीक्षण द्वारा भी इसी प्रकार के निष्कर्ष की प्राप्ति हुई है क्यों कि t का परिकलित मूल्य 8.42 है जो कि 5% सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मूल्य 1.96 से काफी अधिक है अतः परिकल्पना 5 अस्वीकार होती है ।

परिकल्पना संख्या–6

'शिक्षा के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक तत्परता रखनें वाले बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य काई अन्तर नहीं है ।'

सकारात्मक और नकारात्मक तत्परता रखनें वाले बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य अन्तर की जाँच हेतु काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है । इस सम्बन्ध में तालिका सं0 11 प्रस्तुत है ।

तालिका सं0 – 11

सकारात्मक और नकारात्मक तत्परता रखनें वाले बाल श्रमिकों की संख्या तथा काई–वर्ग जाँच

बाल श्रमिक	शिक्षा के प्रति तत्परता	
	सकारात्मक	नकारात्मक
वास्तविक बाल श्रमिकों (fo)	8	92
परिकल्पित बाल श्रमिक (fe)	50	50
अन्तर ($fo-fe$)	–42	+42
अन्तर वर्ग $(fo-fe)^2$	1764	1764
काई वर्ग $= (\chi^2) = \frac{(fo-fe)^2}{fe}$	35.28	35.28
$\chi^2 = \frac{\Sigma[(fo-fe)^2]}{fe}$	70.56	

तालिका संख्या 11 से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति सकारात्मक तत्परता रखनें वाले वास्तविक बाल श्रमिक केवल 8 है जबकि अनुमानित 50 थे, इस प्रकार अनुमान से 42 बाल श्रमिक काम पाये गये जबकि नकारात्मक तत्परता रखनें वाले वास्तवि बाल श्रमिक 92 ज्ञात हुए जो अनुमानित 50 बाल श्रमिकों से 42 अधिक थे । अनुमानित तथा वास्तविक बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य विद्यमान भारी अन्तर काई वर्ग द्वारा सार्थक पाया गया । इस संबंध में परिकलित काई वर्ग का मूल्य 70.56 है जबकि 5 प्रतिशत सार्थकतास्तर पर काई वर्ग का सारणी मूल्य केवल 3.84 है जो लगभग 18 गुना कम है अतः प्रस्तुत परिकल्पना अस्वीकार होती है ।

4. **अभिवृत्ति, जागरूक तथा तत्परता के मध्य संबंध की व्याख्या करनें वाली परिकल्पनाएं**

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरूकता तथा तत्परता के बीच संबंधों की दशा दिशा और स्तर का बोध हेतु 4 परिकल्पनाए स्थापित की गयी है और इनकी जाँच हेतु कार्लपियरसन के सहसंबंध गुणांक तथा समान्य विभ्रम का प्रयोग किया गया है–

परिकल्पना संख्या – 7

'शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति तथा जागरूकता के मध्य कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है'

प्रस्तुत परिकल्पना के परीक्षण हेतु परिगणित मूल्यों को तालिका संख्या 12 में दिखा गया है ।

तालिका सं0 – 12

अभिवृत्ति व जागरूकता के मध्य संबंध

परिकलित मूल्य	शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की	
	अभिवृत्ति (x)	जागरूकता (y)
Σx	554.00	- 10.00
Σx^2	4748.00	4612.00
$\bar{x}$ & $\bar{y}$	- 5.54	- 0.10
σ_x & σ_y	4.09	6.79
Σxy	- 30	
N	100	
r (सहसंबंध)	- 0.01	
P.E. (सम्भव्य विभ्रम)	6.74	
6 P.E.	40.44	

तालिका संख्या 12 से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों के अभिवृत्ति एवं जागरूकता के मध्य अन्यन्त निम्न स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया है, जिसका अर्थ है कि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति तथा जागरूकता के मध्य विपरीत संबंध है, अर्थात जिन बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति नहीं होती है वे शिक्षा के प्रति जागरूक होते है, किन्तु इस प्रकार का निष्कर्ष निकालनें से पूर्व सहसंबंध गुणांक की सार्थकता का परीक्षण किया गया है, इससे ज्ञात होता है कि सहसंबध गुणांक – 0.01 का सामान्य विभ्रम 6.74 है, सम्भाव्य विभ्रम का 6 गुना 40.44 है जो सहसंबंध गुणांक से कहीं अधिक है अतः प्रस्तुत परिकल्पना स्वीकार होती है ।

परिकल्पना संख्या –8

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति एवं तत्परता के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है ।

प्रस्तुत परिकल्पना के परीक्षण हेतु परिगणित मूल्यों को तालिका संख्या 13 में दिखाया गया है ।

तालिका संख्या 13

शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति एवं तत्परता के मध्य संबंध

परिकलित मूल्य	शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की	
	अभिवृत्ति (x)	जागरूकता (y)
Σx	- 554	- 410
Σx^2	4748	3420
$\bar{x}$ & $\bar{y}$	5.54	- 4.10
σ_x & σ_y	4.09	4.17
Σxy	+932	
N	100	
r (सहसंबंध)	0.55	
P.E. (सम्भाव्य विभ्रम)	0.047	
6 P.E.	0.282	

तालिका संख्या 13 से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों के अभिवृत्ति तथा तत्परता के मध्य धनात्मक दिशा में मध्यम स्तरीय सहसंबंध है, अर्थात सामान्यतः जिन बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है वे शिक्षा के प्रति तत्पर भी है । अभिवृत्ति तथा तत्परता के मध्य विद्यमान सहसंबंध गुणांक 0.55 का सम्भाव्य विभ्रम 0.047 है जिसका 6 गुना .282 है जो सहसंबंध गुणांक से काफी कम है अतः प्रस्तुत परिकल्पना स्वीकार होती है ।

परिकल्पना संख्या –9

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरूकता एवं तत्परता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है ।

प्रस्तुत परिकल्पना के परीक्षण हेतु सहसंबंध गुणांक तथा उसके विभ्रम की गणना की गयी परिगणित मूल्य तालिका संख्या 14 में दिखाया गया है ।

तालिका संख्या 14

शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं तत्परता के मध्य संबंध

परिकलित मूल्य	शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की	
	अभिवृत्ति (x)	जागरूकता (y)
Σx	- 10.00	- 410
Σx^2	4612.00	3420
$\bar{x}$ & $\bar{y}$	- 0.10	- 4.10
σ_x & σ_y	6.79	4.17
Σxy	224	
N	100	
r (सहसंबंध)	0.08	
P.E. (सम्भाव्य विभ्रम)	0.06	
6 P.E.	0.36	

तालिका संख्या 14 से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरूकता और तत्परता के मध्य निम्न स्तरीय धनात्मक सहसंबंध है जो सम्भाव्य विभ्रम के 6 गुना से काफी कम होने के कारण अर्थ हीन है, अतः उपर्युक्त परिकल्पना स्वीकार होती है ।

परिकल्पना संख्या –10

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति जागरूकता एवं तत्परता परस्पर संबन्धित नहीं है ।

ऊपर परिकल्पना संख्या 7,8 और 9 परीक्षण के क्रमशः स्पष्ट हो चुका है, कि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति और जागरूकता के मध्य कोई संबंध नही है, किन्तु अभिवृत्ति और तत्परता के मध्य सीधा संबंध है जब कि जागरूकता और तत्परता के मध्य सार्थक संबंध नही है । अतः शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरूकता एवं तत्परता के मध्य बहुगुणी सहसंबंध ज्ञात करके एक निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में तालिका संख्या 15 प्रस्तुत है ।

तालिका संख्या 15

शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं तत्परता के मध्य संबंध

गुण	सहसंबंध	
अभिवृत्ति (1) एवं जागरूकता (2)	$r_{1,2}$	-0.01
जागरूकता (2) एवं तत्परता (3)	$r_{2,3}$	+0.08
अभिवृत्ति (1) एवं तत्परता (3)	$r_{1,3}$	+0.55
अभिवृत्ति (1) जागरूकता (2) एवं तत्परता (3)	$r_{1,2,3}$	0.55

तालिका संख्या 15 से स्पष्ट है कि यद्यपि अभिवृत्ति एवं जागरूकता के मध्य अत्यन्त अल्प ऋणात्मक सहसंबंध है किन्तु जागरूकता एवं तत्परता तथा अभिवृत्ति एवं तत्परता के मध्य धनात्मक सहसंबन्ध विद्यमान है । तीनों प्रवृत्तियों के मध्य एक साथ सामूहिक सहसंबंध गुणांक, धनात्मक तथा मध्यम स्तरीय है जो सम्भाव्य विभ्रम के 6 गुनें 0.282 से अधिक है अतः शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति जागरूकता एवं तत्परता परस्पर संबंधित है तथा समदिशायी है । इस प्रकार उपर्युक्त परिकल्पना अस्वीकृत होती है ।

5. वर्ग आधारित परितल्पनाएँ–

बाल श्रमिकों को निवासीय पृष्ठिभूमि, लिंग तथा धर्म के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी बालक तथा बालिका और हिन्दू तथा मुस्लिम वर्ग में विभाजित करके 18 परिकल्पनाएं स्थापित की गयी है ।

(i) निवासीय पृष्ठिभूमि पर आधारित परिकल्पनाएं

निवासीय पृष्ठिभूमि के आधार पर बाल श्रमिक को ग्रामीण तथा शहरी वर्गों में वर्गीकृत किया गया है तथा यह जाननें का प्रयास किया गया है कि क्या शिक्षा के प्रति ग्रामीण और शहरी बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति जागरूकता एवं तत्परता में कोई महत्व पूर्ण अन्तर है, अर्थात क्या शैक्षिक अभिवृत्ति जागरूकता एवं तत्परता पर निवासीय पृष्ठिभूमि का कोई प्रभाव पड़ता है ।

इस संबंध में निन्नलिखित परिकल्पनाओं का परिक्षण किया गया है ।

परिकल्पना संख्या – 11

''शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में कोई अन्तर नही है ।''

प्रस्तुत परिकल्पना के परीक्षण हेतु t जाँच का प्रयोग किया गया है । इस संबंध में परिकलित मूल्य तालिका संख्या 16 में दिखाये गये है ।

तालिका सं0 16

परिकल्पना – 11 से संबंधित परिकलित मूल्य

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति	बाल श्रमिकों की संख्या (N)	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	t– मूल्य / क्रान्तिक अनुपात	5% सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान
ग्रामीण	55	5.5	4.14	0.87	0.17	1.96
शहरी	45	5.35	4.53			

तालिका संख्या 16 से स्पष्ट है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बाल श्रमिकों की औसत शैक्षिक अभिवृत्ति 5.5 है जो शहरी बाल श्रमिकों की औसत शैक्षिक अभिवृत्ति 5.35 से .15 अधिक है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अपेक्षाकृत अधिक अभिवृत्ति है किन्तु t परीक्षण से स्पष्ट है कि ग्रामीण और शहरी बाल श्रमिकों की शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है क्योकि परिगणित t मूल्य 0.17 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर निर्धारित मानक t मूल्य 1.96 से कम है अतः प्रस्तुत परिकल्पना स्वीकृत होती है

परिकल्पना संख्या – 12

'शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कोई अन्तर नही है ।' प्रस्तुत परिकल्पना के परीक्षण हेतु काई वर्ग जाँच का प्रयोग किया गया है इस संबंध में तालिका संख्या 17 महत्वपूर्ण है ।

तालिका सं0 17

शैक्षिक अभिवृत्ति और ग्रामीण तथा शहरी बाल श्रमिक

बाल श्रमिक	निवासीय पृष्ठभूमि एवं अभिवृत्ति			
	सकारात्मक	नकारात्मक	सकारात्मक	नकारात्मक
वास्तविाक श्रमिक (fo)	6	49	7	38
अनुमानित श्रमिक (fe)	7	48	6	39
अन्तर $(fo-fe)$	-1	+1	+1	-1
अन्तर वर्ग $(fo-fe)^2$	1	1	1	1
काई वर्ग $= (x^2) = \frac{(fo-fe)^2}{fe}$	0.143	0.020	.167	0.026
$x^2 = \frac{\geq [(fo-fe)^2]}{fe}$	0.356			

तालिका संख्या 17 से स्पष्ट है कि कुल 55 ग्रामीण बाल श्रमिकों में से 49 बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति शिक्षा के प्रति नकारात्मक है जबकि 45 शहरी बाल श्रमिकों में से 38 बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है । सकारात्मक अभिवृत्ति रखनें वाले बाल श्रमिक अत्यन्त कम क्रमशः 6 व 7 हैं । बाल श्रमिकों की वास्तविक संख्या प्रत्याशित संख्या के काफ़ी निकट है अतः परिगणित काई वर्ग 0.356, 5 प्रतिशत स्तर पर निर्धारित सारणी काई वर्ग 3.841 से कम होने के कारण अर्थहीन है, अर्थात ग्रमीण और शहरी बाल श्रमिकों की शैक्षिक अभिवृत्ति के मध्य कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है, इस प्रकार यह परिकल्पना स्वीकृत होती है ।

परिकल्पना सं0 13—

'शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी बाल श्रमिकों की जागरूकता में कोई अन्तर नहीं है ।'

शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी बाल श्रमिकों की जागरूकता में अन्तर की सार्थकता को जाँचनें हेतु t परीक्षण का प्रयोग किया गया है, जिसके परिणाम तालिका सं0 18 में प्रस्तुत है ।

तालिका सं0 18

परिकल्पना 13 सं संबंधित परिकलित मूल्य

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरूकता	बाल श्रमिकों की संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	t– मूल्य / क्रान्तिक अनुपात	5% सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान
ग्रामीण	55	0.58	7.28			
शहरी	45	0.89	5.94	0.32	0.23	1.96

तालिका संख्या 18 से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति ग्रामीण बाल श्रमिकों की औसत जागरूकता 0.58 है जबकि शहरी बाल श्रतिकों की औसत जागरूकता 0.89 है जो ग्रामीण बाल श्रमिकों की अपेक्षा 0.31 अधिक है । शिक्षा के प्रति शहरी बालकों की जागरूकता का प्रमाप विचलन 5.94 है जबकि

ग्रामीण बाल श्रमिकों की जागरूकता का प्रमाप विचलन 7.28 है । अतः स्पष्ट है कि शहरी बाल श्रमिकों में शिक्षा के प्रति स्थिर जागरूकता विद्यमान है जबकि ग्रामीण बाल श्रमिकों में तत्परता का अभाव है और उनके विचारों में भिन्नता की अधिकता है । माध्य अन्तर का परिगणित t मूल्य0.23 है जो 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर निर्धारित क्रान्तिक मान 1.96 से कम है अतः शहरी और ग्रामीण बाल श्रमिकों की जागरूकता में मध्य सार्थक अन्तर नही है, इस प्रकार यह परिकल्पना स्वीकृत होती है ।

परिकल्पना सं0 14

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरूकता में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कोई अन्तर नहीं है ।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति कितनी जागरूकता है इस उद्देश्य से प्रस्तुत परिकल्पना स्थापित की गयी है । जिसका परीक्षण काई वर्ग जाँच द्वारा किया गया है इस संबंध में तालिका संख्या 19 महत्वपूर्ण है ।

तालिका संख्या 19

शैक्षिक अभिवृत्ति और ग्रामीण तथा शहरी बाल श्रमिक

बाल श्रमिक	निवासीय पृष्ठभूमि एवं जागरूकता			
	ग्रामीण		शहरी	
	सकारात्मक	नकारात्मक	सकारात्मक	नकारात्मक
वास्तविाक श्रमिक (*fo*)	31	24	18	27
अनुमानित श्रमिक (*fe*)	27	28	22	23
अन्तर (*fo-fe*)	+4	-4	-4	+4
अन्तर वर्ग $(fo-fe)^2$	16	16	16	16
काई वर्ग $= (x^2) = \frac{(fo-fe)^2}{fe}$	0.59	0.57	0.73	0.69
$(x^2) = \frac{\Sigma[(fo-fe)^2]}{fe}$	2.58			

तालिका संख्या 19 से स्पष्ट है कि 55 ग्रामीण बाल श्रमिकों में से 31 शिक्षाके प्रति सकारात्मक जागरुकता रखते है, जबकि 45 शहरी बाल श्रमिकों में से केवल 18 बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति सकारात्मक रुप से जागरुक है। शिक्षा के प्रति नकारात्मक जागरुकता रखने वाले ग्रामीण व शहरी बाल श्रमिक क्रमशः 24 और 27 हैं। ग्रामीण तथा शहरी बाल श्रमिकों की अनुमानित संख्या और अवलोकित संख्या के मध्यअन्तर के आधार पर परिगणित काई वर्ग 2.58 है जो कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वतन्त्रांश 1 के लिए निर्धारित सारणी मूल्य 3.841 से कम है अतः शहरी और ग्रामीण बाल श्रमिकों की जागरुकता में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नही है इस प्रकार प्रस्तुत परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना संख्या 15–

'शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बाल श्रमिकों की तत्परता में कोई अन्तर नहीं है।''

पूर्व परिकल्पना परीक्षणों द्वारा स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति तथा जागरुकता पर निवासीय पृष्ठि भूमि का कोई प्रभाव नहीं पडता है । तत्परता पर निवासीय पृष्ठि भूमि के प्रभाव को जाननें हेतु प्रस्तुत परिकल्पना का निर्धारण एवं परीक्षण किया गया है। इस संबन्ध में तालिका संख्या 20 प्रस्तुत है।

तालिका सं0 20

परिकल्पना 15 से संबन्धित परिकलित मूल्य

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता	बाल श्रमिकों की संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	t- मूल्य / क्रानितक अनुपात	5% सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान
ग्रामीण	55	4.33	4.55	0.83	0.506	1.96
शहरी	45	3.91	3.74			

तालिका संख्या 20 से स्पष्ट है कि ग्रामीण बाल श्रमिकों की तत्परता माध्य 4.33 है जबकि शहरी बाल श्रमिकों की तत्परता 3.91 है अतः ग्रामीण बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति अपेक्षाकृत अधिक

तत्पर हैं, किन्तु माध्य अन्तर का परीक्षण करनें पर 0.506, t मूल्य प्राप्त हुआ है। जो 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मूल्य 1.96 से कम है, अतः यह धारणा गलत है कि ग्रामीण बाल श्रमिक शहरी बाल श्रमिकों की अपेक्षा शिक्षा के प्रति अधिक तत्पर है वास्तव में दोनो की तत्परता में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है । इस प्रकार यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना सं0 16–

''शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कोई अन्तर नही है''। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा हेतु तत्पर श्रमिकों तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षा हेतु तत्पर बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य अन्तर की स्थिति को जानने के उद्देश्य से प्रस्तुत परिकल्पना का निर्धारण किया गया है। परिकल्पना का परीक्षण काई वर्ग जांच से किया गया है। काई वर्ग जांच से संबंधित परिकलित मूल्य को तालिका संख्या 21 में दर्शाया गया है।

तालिका सं0 21

शैक्षिक तत्परता और ग्रामीण तथा शहरी बाल श्रमिक

बाल श्रमिक	निवासीय पृष्ठभूमि एवं तत्परता			
	ग्रामीण		शहरी	
	सकारात्मक	नकारात्मक	सकारात्मक	नकारात्मक
वास्तविक श्रमिक (*fo*)	4	51	2	43
अनुमानित श्रमिक (*fe*)	3	52	3	42
अन्तर (*fo-fe*)	+1	-1	-1	+1
अन्तर वर्ग $(fo-fe)^2$	1	1	1	1
काई वर्ग = $(X^2)=\frac{(fo-fe)^2}{fe}$	0.33	0.02	.33	0.02
$x^2= \geq [\frac{(fo-fe)^2}{fe}]$	0.7			

तालिका संख्या 21 से स्पष्ट है कि 55 ग्रामीण बाल श्रमिकों में से 51 शिक्षा प्राप्ति हेतु तत्पर नही हैं इसी प्रकार 45 शहरी बालश्रमिकों में से 43 बाल श्रमिक शिक्षा हेतु तत्पर नहीं हैं यह संख्या अनुमानित संख्या के काफी निकट है, अतः अन्तर अर्थहीन है । यह तथ्य काई वर्ग जांच से सिद्ध भी होता है परिकलित काई वर्ग का मूल्य 0.7 हैजबकि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वतंत्रांश 1 के लिये काई वर्ग का मूल्य 3.841 है जो कि परिकलित मूल्य से कहीं अधिक है अतः शिक्षा के प्रति ग्रामीण और शहरी बाल श्रमिकों की तत्परता में कोइ अन्तर नहीं है इस प्रकार यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।

2. लिंग के आधार पर परिकल्पनाएं

लिंग के आधार पर बाल श्रमिकों को 2 भागों में बांटा गया है, बालक और बालिका, बालक और बालिका श्रमिकों के बीच शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जागरुकता तथा तत्परता को लेकर निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है।

परिकल्पना संख्या 17–

"शिक्षा के प्रति बालक तथा बालिका श्रमिकों की अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है।"

बालक एवं बालिका श्रमिकों की अभिवृत्ति में अन्तर को जांचनें हेतु t परीक्षण का प्रयोग किया गया है जिससे संबंधित परिकलित मूल्य तालिका संख्या 22 में दिखाया गया है।

तालिका संख्या 2

बालक एवं बालिका श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति	बाल श्रमिकों की संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	t- मूल्य / क्रानितक अनुपात	5% सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान
बालक	70	5.67	4.26	0.90	0.11	1.96
बालिका	30	5.57	3.97			

तालिका संख्या 22 से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की औसत अभिवृत्ति 5.67 है जबकि बालिका श्रमिकों की औसत अभिवृत्ति 5.57 है अतः बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा शिक्षा के प्रति अधिक अभिवृत्ति पायी गयी है किन्तु t परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि बालक–बालिकाओं की अभिवृत्ति में कोई विशेष अन्तर नहीं है। परिकलित t मूल्य 0.11 है जबकि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर t का प्रमाणित मूल्य 1.96 है जो कि परिकलित मूल्य से कहीं अधिक है अतः प्रस्तुत परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना संख्या 18–

"शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में लिंग के आधार पर कोई अन्तर नही है।"

शिक्षा के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले बालकों तथा बालिकाओं की संख्या में अन्तर की जांच हेतु काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है इस संबंध में तालिका संख्या 23 तैयार की गयी है जो प्रस्तुत है।

तालिका संख्या 23

शैक्षिक अभिवृत्ति और बालक तथा बालिका श्रमिक

बाल श्रमिक	लिंगीय पृष्ठभूमि एवं अभिवृत्ति			
	ग्रामीण		शहरी	
	सकारात्मक	नकारात्मक	सकारात्मक	नकारात्मक
वास्तविक श्रमिक (fo)	7	63	5	25
अनुमानित श्रमिक (fe)	8	62	4	26
अन्तर $(fo\text{-}fe)$	-1	+1	+1	-1
अन्तर वर्ग $(fo\text{-}fe)^2$	1	1	1	1
काई वर्ग = $(X^2)=\frac{(fo\text{-}fe)^2}{fe}$	0.125	0.02	0.25	0.04
$x^2 = \geq \left[\frac{(fo\text{-}fe)^2}{fe}\right]$	0.435			

तालिका संख्या 23 से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखनें बालक 63 हैं जबकि बालिकाएं 25 हैं, इस प्रकार कुल 88 बालक–बालिकाएं शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, बालक और बालिकाओं की अभिवृत्ति में अन्तर की जांच हेतु काई वर्ग परीक्षण किया गया है। काई वर्ग का मूल्य 0.435 है जो कि 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वतंत्रांश 1 के लिये निश्चित काई वर्ग सारणी मूल्य 3.841 से कम है अतः बालक और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है दोनो ही अभिवृत्ति शिक्षा के प्रति नकारात्मक है, इस प्रकार परिकल्पना संख्या 18 स्वीकृत होती है।

परिकल्पना संख्या 19–

'शिक्षा के प्रति बाल एवं बालिका श्रमिकों की जागरुकता में कोई अन्तर नही है।'' बालक और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरुकता में अन्तर की सार्थकता का t परीक्षण किया गया है जिससे संबंधित परिकलित मूल्य तालिका संख्या 24 में दिखाये गये हैं।

तालिका सं0 24

बालक एवं बालिका श्रमिकों की शिक्षा के प्रति जागरुकता

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरूकता	बाल श्रमिकों की संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	t- मूल्य / क्रानितक अनुपात	5% सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान
बालक	70	0.04	7.02	1.37	0.84	1.96
बालिका	30	1.2	6.64			

तालिका संख्या 24 से स्पष्ट है कि t परिगणित मूल्य 0.84 है जो 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर निर्धारित सारणी मूल्य 1.96 से कम है अतः बालक और बालिका श्रमिकों की शैक्षिक जागरुकता में कोई अन्तर नहीं है, इस प्रकार परिकल्पना संख्या 19 स्वीकृत होती है, यद्यपि सापेक्ष रुप से बालिकाओं की जागरुकता का औसत 1.2 बालकों की शैक्षिक जागरुकता के औसत 0.04 से अधिक है।

परिकल्पना संख्या 20–

"शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरुकता में लिंग के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।"

शिक्षा के प्रति जागरुक बालक और बालिकाओं की संख्या के मध्य अन्तर की जांच हेतु तालिका संख्या 25 प्रस्तुत है।

तालिका सं० 25

शैक्षिक जागरुकता और बालक तथा बालिका श्रमिक

बाल श्रमिक	लिंगीय पृष्ठभूमि एवं जागरूकता			
	बालक		बालिका	
	सकारात्मक	नकारात्मक	सकारात्मक	नकारात्मक
वास्तविक श्रमिक (fo)	34	36	16	14
अनुमानित श्रमिक (fe)	35	35	15	15
अन्तर (fo-fe)	-1	+1	+1	-1
अन्तर वर्ग $(fo-fe)^2$	1	1	1	1
काई वर्ग = $(X^2) = \frac{(fo-fe)^2}{fe}$	0.03	0.03	0.06	0.06
$x^2 = \geq \frac{[(fo-fe)^2]}{fe}$	0.18			

तालिका संख्या 25 से स्पष्ट है कि 70 बालकों में से 34 शिक्षा के प्रति सकारात्मक तथा 36 शिक्षा के प्रति नकारात्मक रुप से जागरुक हैं जब कि 30 बालिकाओं में से 16 शिक्षा के प्रति सकारात्मक तथा 14 शिक्षा के प्रति नकारात्मक रूप से जागरूक हैं काई वर्ग परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि काई वर्ग की परिकलित मूल्य 0.18 है जो 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वतंत्रांश 1 के लिए निर्धारित 3.841 से काफी कम है अतः बालक और बालिकाओं की शैक्षिक जागरुकता में कोई अन्तर नहीं है अर्थात परिकल्पना संख्या 20 स्वीकृत होती है।

परिकल्पना संख्या 21–

"शिक्षा के प्रति बालक और बालिका श्रमिकों की तत्परता में कोई अन्तर नहीं है।"

शिक्षा के प्रति बालक और बालिकाओं की तत्परता में अन्तर की सार्थकता जांच हेतु t परीक्षण का प्रयोग किया गया है t परीक्षण के संबंध में परिकलित किये गये मूल्य तालिका 26 में दिखाये गये हैं।

तालिका संख्या 26

बालक एवं बालिका श्रमिकों की शिक्षा के प्रति तत्परता

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता	बाल श्रमिकों की संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	t- मूल्य / क्रानितक अनुपात	5% सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान
बालक	70	4.23	4.20	0.99	0.43	1.96
बालिका	30	3.8	4.08			

तालिका संख्या 26 से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति बालकों की तत्परता बालिकाओं की अपेक्षा कुछ अधिक है, किन्तु t परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि दोनो के बीच कोइ सार्थक अन्तर नही है , क्योंकि t का परिकलित मूल्य 0.43, 5 प्रतिशत स्तर पर आधारित सारणी मूल्य 1.96 से कम है। अतः प्रस्तुत परिकल्पना स्वीकृत हुई है।

परिकल्पना संख्या 22–

"शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता में लिंग के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।"

शिक्षा के प्रति तत्पर बालक और बालिकाओं की संख्या तालिका संख्या 27 में दिखाई गयी है।

तालिका संख्या 27

शैक्षिक तत्परता और बालक तथा बालिका श्रमिक

बाल श्रमिक	लिंगीय पृष्ठभूमि एवं तत्परता			
	बालक		बालक	
	सकारात्मक	नकारात्मक	सकारात्मक	नकारात्मक
वास्तविक श्रमिक (fo)	5	65	2	28
अनुमानित श्रमिक (fe)	5	65	2	28
अन्तर ($fo-fe$)	-0	0	0	0
अन्तर वर्ग $(fo-fe)^2$	0	0	0	0
काई वर्ग = $(X^2)=\frac{(fo-fe)^2}{fe}$	0	0	0	0
$x^2 = \geq \frac{[(fo-fe)^2]}{fe}$	0			

तालिका संख्या 27 से स्पष्ट है कि 70 बालकों में 65 शिक्षा के प्रति तत्पर नहीं हैं जबकि 30 बालिकाओं में 28 शिक्षा के प्रति तत्पर नहीं हैं । वास्तविक अभिवृत्तियों के ठीक समान अनुमानित स्वीकृत आवृत्तियां होनें के कारण काई वर्ग का मूल्य 0 है, जो अर्थहीन है। इस प्रकार परिकल्पना संख्या 22 स्वीकृत होती है।

3. धर्म के आधार पर परिकल्पनाएं

परिकल्पना संख्या 23–

"शिक्षा के प्रति हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है।"

धर्म के आधार पर बाल श्रमिकों को 2 भागों में बांटा गया है हिन्दू एवं मुसलमान दोनो धर्मों के बाल श्रमिकों की शैक्षिक अभिवृत्तिमें अन्तर की जांच हेतु तालिका संख्या 28 तैयार की गयी है।

तालिका संख्या 28

हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति	बाल श्रमिकों की संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	t- मूल्य / क्रानितक अनुपात	5% सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान
हिन्दू	45	5.02	3.83	0.806	0.99	1.96
मुस्लिम	55	5.44	4.27			

शिक्षा के प्रति हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति के मध्य अत्यन्त कम अन्तर है। **t** परीक्षण द्वारा यह अन्तर अर्थहीन पाया गया है, **t** का परिकलित मूल्य 0.99 है जो 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर निर्धारित **t** मूल्य 1.96 से कम है अतः परिकल्पना संख्या 23 स्वीकृत होती है।

परिकल्पना संख्या 24—

"शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में धर्म के आधार पर कोई अन्तर नहीं है।"

शिक्षा के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति रखनें वाले हिन्दू तथा मुस्लिम बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य अन्तर तथा उसके सार्थकता परीक्षण को तालिका संख्या 29 में दिखाया गया है जो प्रस्तुत है।

तालिका संख्या 29

धार्मिक आधार पर हिन्दू तथा मुस्लिम बाल श्रमिक

बाल श्रमिक	धार्मिक आधार एवं अभिवृत्ति			
	हिन्दू बाल श्रमिक		मुस्लिम बाल श्रमिक	
	सकारात्मक	नकारात्मक	सकारात्मक	नकारात्मक
वास्तविक श्रमिक (fo)	4	41	7	48
अनुमानित श्रमिक (fe)	5	40	6	49
अन्तर ($fo-fe$)	-1	+1	+1	-1
अन्तर वर्ग $(fo-fe)^2$	1	1	1	1
काई वर्ग = $(x^2)=\frac{(fo-fe)^2}{fe}$	0.20	0.02	0.17	0.02
$x^2=\frac{\leq[(fo-fe)^2]}{fe}$	0.41			

तालिका संख्या 29 स्पष्ट है कि 45 हिन्दू बाल श्रमिकों में से 41 की शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है, इसी प्रकार 55 मुस्लिम बाल श्रमिकों में से 48 बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है, जबकि सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले हिन्दू तथा मुस्लिम बाल श्रमिक क्रमशः 4 व 7 हैं। अवलोकित बाल श्रमिकों व अनुमानित बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य अन्तर की जांच हेतु काई वर्ग परीक्षण किया गया है, काई वर्ग का परिकलित मूल्य 0.41 है जो 5 प्रतिशत

सार्थकता स्तर पर स्वतंत्रांश 1 के लिये निर्धारित मूल्य 3.841 से कम है अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना संख्या 25—

"शिक्षाके प्रति हिन्दू व मुस्लिम बाल श्रमिकों की जागरुकता में कोई अन्तर नहीं है।"

हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिकों की जागरुकता के मध्य अन्तर की जांच हेतु t परीक्षण का प्रयोग किया गया है जिससे संबंधित परिकलित मूल्य तालिका संख्या 30 में प्रदर्शित किये गये हैं।

तालिका संख्या 30

हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिकोंकी शिक्षा के प्रति जागरुकता

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरूकता	बाल श्रमिकों की संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	t- मूल्य / क्रानितक अनुपात	5% सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान
हिन्दू	45	0.04	7.02	1.37	0.84	1.96
मुस्लिम	55	1.2	6.64			

तालिका संख्या 30 से स्पष्ट है कि हिन्दू बाल श्रमिकों में मुस्लिम बाल श्रमिकों की अपेक्षा शिक्षा के प्रति अधिक जागरूकता है किन्तु t परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि यह जागरूकता अर्थहीन है क्योंकि परिकलित t मूल्य 0.84, 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर निर्धारित क्रान्तिकमान 1.96 से कम है अतः परिकल्पना स्वीकार होती है ।

परिकल्पना संख्या 26–

' शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरूकता में धर्म के आधार पर कोई अन्तर नहीं है ।'

शिक्षा के प्रति जागरूक हिन्दू तथा मुस्लिम बाल श्रमिकों की संख्या को तालिका संख्या 31 में दिखाया गया है ।

तालिका सं0 31

शैक्षिक जागरूकता और हिन्दू तथा मुस्लिम बाल श्रमिक

बाल श्रमिक	धार्मिक आधार एवं जागरूकता			
	हिन्दू बाल श्रमिक		मुस्लिम बाल श्रमिक	
	सकारात्मक	नकारात्मक	सकारात्मक	नकारात्मक
वास्तविक श्रमिक (fo)	26	19	21	34
अनुमानित श्रमिक (fe)	21	24	26	29
अन्तर (fo-fe)	+5	-5	-5	+5
अन्तर वर्ग $(fo-fe)^2$	25	25	25	25
काई वर्ग = $(x^2)=\frac{(fo-fe)^2}{fe}$	1.19	1.04	0.96	0.86
$x^2=\frac{\geq[(fo-fe)^2]}{fe}$	4.05			

तालिका संख्या 31 से स्पष्ट है कि 45 में से 26 हिन्दू बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरूक हैं जब कि 55 में से 21 मुस्लिम बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरूक है, इस प्रकार 58 प्रतिशत हिन्दू बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरूक है, जबकि केवल 38 प्रतिशत मुस्लिम बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरूक हैं । काई वर्ग परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि धर्म के आधार पर बाल श्रमिकों की जागरूकता में महत्वपूर्ण अन्तर है । काई वर्ग का परिगणित मूल्य 4.05 है ज़ो 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर

स्वतत्रांश 1 के लिये निर्धारित सारणी मूल्य 3.841 से अधिक है अतः परिकल्पना अस्वीकार होती है । इसी संबंध में पूर्व निर्धारित परिकल्पना संख्या 25, t परीक्षण द्वारा स्वीकृत हो चुकी है, इसका कारण यह है कि यद्यपि बाल श्रमिकों की संख्या में महत्वपूर्ण अन्तर है किन्तु फिर भी उनके प्राप्तांकों में विशेष अन्तर नही है ।

परिकल्पना संख्या 27–

'शिक्षा के प्रति हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिकों की तत्परता में कोई अन्तर नहीं है।'

हिन्दू तथा मुस्लिम बाल श्रमिकों में शैक्षिक तत्परता को स्पष्ट करते हुए तालिका संख्या 32 तैयार की गयी है जो प्रस्तुत है ।

तालिका सं0 32

हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति तत्परता

शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता	बाल श्रमिकों की संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	t- मूल्य/ क्रानितक अनुपात	5% सार्थकता स्तर पर क्रान्तिक मान
हिन्दू	45	4.04	4.25	0.88	0.94	1.96
मुस्लिम	55	4.87	4.58			

तालिका संख्या 32 से स्पष्ट है कि हिन्दू तथा मुस्लिम बाल श्रमिकों की प्रति औसत तत्परता में अत्यन्त कम अन्तर है जो कि परीक्षण द्वारा अर्थहीन सिद्ध हुआ है t का परिकलित मूल्य 0.94 है, जो 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर निर्धारित क्रान्तिमान 1.96 से काफी कम है अतः परिकल्पना संख्या 27 स्वीकृत होती है ।

परिकल्पना संख्या 28–

'शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता में धर्म के अधार पर कोई अन्तर नहीं है।'

शिक्षा के प्रति तत्पर बाल श्रमिकों की धर्म आधारित संख्या तथा अनुमानित संख्या के मध्य अन्तर को स्पष्ट करने हेतु काई वर्ग जांच का प्रयोग किया गया है इस संबंध में तालिका संख्या 33 महत्वपूर्ण है।

तालिका सं0 33

शैक्षिक तत्परता और हिन्दू तथा मुस्लिम बाल श्रमिक

बाल श्रमिक	धार्मिक आधार एवं तत्परता			
	हिन्दू बाल श्रमिक		मुस्लिम बाल श्रमिक	
	सकारात्मक	नकारात्मक	सकारात्मक	नकारात्मक
वास्तविक श्रमिक (fo)	3	42	4	51
अनुमानित श्रमिक (fe)	3	42	4	51
अन्तर (fo-fe)	0	0	0	0
अन्तर वर्ग $(fo-fe)^2$	0	0	0	0
काई वर्ग = $(x^2)=\frac{(fo-fe)^2}{fe}$	0	0	0	0
$x^2 = \frac{\geq[(fo-fe)^2]}{fe}$	0			

तालिका संख्या 33 से स्पष्ट है कि अवलोकित बाल श्रमिकों की संख्या तथा अनुमानित बाल श्रमिकों की संख्या ठीक एक समान है जिसके कारण काई वर्ग का परिगणित मूल्य शून्य है अतः शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता में धर्म के आधार पर कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार परिकल्पना 28 स्वीकृत होती है।

4–3 निर्वचन

उपयुक्त विश्लेषण एवं परिकल्पना परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्षप्राप्त हुए हैं–

1. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर है। शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की नकारात्मक अभिवृत्ति अधिक है। इससे निम्नलिखित प्रमुख कारण ज्ञात हुए हैं।

(i) अधिकांश बाल श्रमिक ऐसे हैं जो अपने जीवन में कभी भी स्कूल नहीं गये हैं अतः उनके अन्दर शिक्षा की सकारात्मक अभिवृत्ति होनें का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ii) बाल श्रमिकों के माता–पिता अशिक्षित हैं, अतः वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। यही कारण है कि वे अपने बच्चों को प्रारम्भ से ही विद्यालय भेजने के बारे में नहीं सोचते। अतः घर के वातावरण तथा माता–पिता के व्यवहार से प्रभावित बच्चों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न नहीं हो पाती है।

(iii) बाल श्रमिकों के माता–पिता अत्यन्त निर्धन हैं अतः वे सदैव बच्चों को एक श्रमिक के रूप में आय का स्रोत मानतें है। बच्चों की शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय उन्हें धन का अपव्यय लगता है। अतः वे प्रारम्भ से ही बच्चों के मस्तिष्क में ये बात भर देते हैं कि उनको जल्दी ही नौकरी करनी है रऔर धन कमा कर लाना है। स्वाभविक है कि बच्चों की सोच शिक्षा की ओर जा ही नहीं पाती ।

2. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकारात्मक जागरूकता के मध्य कोई अन्तर नहीं है। यद्यपि बाल श्रमिकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक जागरूकता कुछ अधिक है किन्तु वह अर्थहीन है अतः शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों के प्रति जितनी अनुकूल जागरूकता है लगभग उतनी ही प्रतिकूल जागरूकता है अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर होते हुए भी जागरूकता में अर्थहीन अन्तर है इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। –

(i) जब कोई बच्चा अपने घर से श्रमिक बनने निकलता है तब उसकी अभिवृत्ति धन कमाने के प्रति ही होती है न कि शिक्षा के प्रति किन्तु जब वह कारखाने में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलता है, बाहरी समाज के सम्पर्क में आता है तथा अपनें स्वभिमान का आभास करने लगता है तब वह शिक्षा के प्रति स्वतः ही जागरूक हो जाता है यही कारण है कि शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होते हुए भी उसकी जागरूकता अधिक होती है शैक्षिक जागरूकता के प्रति प्रर्दशनकारी प्रभाव कहा जा सकता है।

(ii) बाल श्रमिक अपने परिवार पर आश्रित न हो कर आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रहा होता है अतः उसे जीवन की सच्चाइयों का समाना करना पडता है और वह जीवन संघर्ष में शिक्षा के महत्व को समझने लगता है। वेतन गिनते समय, काम का हिसाब लगाते समय डिजाइन चार्ट का अध्ययन करते समय उसे विशेष रूप से शिक्षा की उपयोगिता का अनुभव होता है, अतः स्वभाविक रूप से शिक्षा के प्रति उसकी जागरूका बढ़ जाती है।

(iii) आयु बढने के साथ–साथ परिपक्वता बढती है, और सभी क्रिया कलापों को जानने की इच्छा प्रबल होती जाती है अतः बाल श्रमिक जब श्रमिक के रूप में अपना जीवन प्रारम्भ करता है तब अल्प आयु के कारण उसमें शिक्षा के प्रति कोई जागरूकता नहीं होती है, किन्तु आयु बढनें के साथ–साथ वह जीवन की अन्य विभिन्न अवश्यकताओं के साथ–साथ शिक्षा के प्रति जागरूक होता जाता है।

3. शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकारात्मक तत्परता के मध्य महत्वपूर्ण अन्तर है । बाल श्रमिकों की नकारात्मक तत्परता सकारात्मक तत्परता से लगभग 2 गुनी है, अर्थात् बाल श्रमिक श्रम छोड कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं है । जिसके निम्मलिखित प्रमुख कारण है –

(i) धन कमाने के बाद, धन कमाने की लालसा बढती जाती है अतः बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरूक होने के बाद भी अर्थार्जन छोड कर शिक्षार्जन हेतु तत्पर नहीं है।

(ii) श्रमिक बच्चों की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। जिनकी पूर्ति धन से होती है न कि शिक्षा से अतः बाल श्रमिक नौकरी छोड कर शिक्षा पानें को तत्पर नहीं है।

(iii) बाल श्रमिकों की पारिवारिक आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं हैं, जिनमें वे वर्तमान काम को छोड कर शिक्षा प्राप्ति हेतु तत्पर हो सकें।

4.

(i) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति और जागरुकता के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है, यद्यपि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति व जागरुकता दोनो ही नकारात्मक दिशा में हैं, किन्तु अभिवृत्ति जागरुकता की अपेक्षा कहीं अधिक नकारात्मक है। यह पाया गया है कि जिन बाल श्रमिकों की नकारात्मक अभिवृत्ति है, उनकी जागरुकता या तो सकारात्मक या तो बहुत कम नकारात्मक है, अतः बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हुये भी पर्याप्त जागरुक हैं। यही कारण है कि अभिवृत्ति और जागरुकता के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

(ii) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति और तत्परता के मध्य सार्थक संबंध है, अर्थात् जो बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखते है उनकी शिक्षा पाने हेतु तत्परता भी नकारात्मक है अभिवृत्ति तथा तत्परता की दिशा और मात्रा लगभग समान है, इसका मुख्य कारण यह है कि जो बच्चे विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक कारणों से शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोंण रखते हुए बाल श्रमिक बनें वे उन कारणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके हैं । अतः परिश्रम त्याग कर शिक्षार्जन के प्रति तत्पर नहीं हैं।

(iii) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता और तत्परता परस्पर संबंधित है। यह पाया गया है, कि बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति जागरुकता और तत्परता तीनों ही नकारात्मक हैं नकारात्मक अभिवृत्ति रखनें वाले बाल श्रमिकों की नकारात्मक जागरुकता कुछ कम है किन्तु नकारात्मक तत्परता अत्याधिक है बाल श्रमिक अपनी कमजोर आर्थिक स्थित के कारण शिक्षा के प्रति मौलिक रुप से नकारात्मक दृष्टिकोंण रखते हैं तथा शिक्षा के विषय में जानकारी रखते हुये भी उसे प्राप्त करने हेतु तत्पर नही होते है। यदि शिक्षा हेतु उन्हे प्रोत्साहित किया जाय तो उन्हे यह अनुभव होता है, कि आमदनी बंद हो जायेगी तथा दूसरी ओर खर्चा बढ जायेगा इसके अतिरिक्त मनपसंद काम भी नहीं मिलेगा यही कारण है कि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता तथा तत्परता तीनों ही नकारात्मक दिशा में है।

5. ग्रामीण एव शहरी क्षेत्र के बाल श्रमिका की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जागरुकता तथा तत्परता के मध्य कोई अन्तर नहीं है अर्थात शिक्षा के प्रति ग्रामीण बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता और तत्परता शहरी बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति जागरुकता और तत्परता के लगभग समान है अतः शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता और तत्परता पर निवासीय पृष्ठि भूमि का कोई प्रभाव नहीं पडता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

(i) शहरी और ग्रामीण दोनो प्रकार के बालकों के श्रम करनें का प्रमुख कारण उनकी पारिवारिक आर्थिक विपन्नता है । अतः दोनो क्षेत्रों के बाल श्रमिकों में शिक्षा के प्रति समान दृष्टिकोंण समान जागरुकता और तत्परता है।

(ii) ग्रामीण और शहरी दोनो प्रकार के बाल श्रमिको के माता पिता अशिक्षित या अल्प शिक्षित है अतः ग्रामीण और शहरी दोनो प्रकार के बाल श्रमिकों का पारिवारिक वातावरण शिक्षा के विपरीत है।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में बालको की शिक्षा हेतु स्कूलों का अभी भी अभाव है, पढाई लिखायी के साधनो के कमी के कारण बच्चे पढनें के स्थान पर मजदूरी करना शुरु कर देते है। शहरी क्षेत्र में विद्यालयो का जाल बिछा है किन्तु अधिकांश विद्यालय निजी क्षेत्र में हैं । जो अधिकांश मंहगे है। सरकारी स्कूल न के बराबर हैं और जो है वे भी औपचारिकता वश कागजों पर चल रहे हैं अतः शहरी बच्चों का शिक्षा हेतु साधनों की उपलब्धता ग्रामीण बच्चो की भाति ही है अतः वे भी ग्रामीण बच्चो की भाति स्कूल न जा कर काम धन्धा सुरू कर देते हैं ।

6. शिखा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरूकता तथा तत्परता में लिंग के आधार पर कोई अन्तर नही है अर्थात चाहे बालक श्रमिक हैं या बालिका श्रमिक शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण जागरूकता तथा तत्परता के प्रति लगभग समान है । बालक और बालिकाओं में इस समानता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं ।–

(i) बाल श्रमिक अत्यन्त पिछडे परिवारों से सम्बन्ध रखते है, पिछडे तथा रूढिवादी परिवारों में बालिका शिक्षा को अच्छा नही माना जाता है अतः शिक्षा के प्रति बालिकाओं की उदासीनता

स्वाभाविक है । ऐसे परिवार आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त होनें के कारण बालकों (लड़को) को भी नही पढा पाते है अपितु उनसे वे श्रम करा कर आय अर्जित करते है, अत्यधिक विपन्नता के कारण लडकियों से भी श्रम कराया जाता है । इन परिस्थियों में इस तथ्य का कोई महत्व नही है किन्तु श्रमिक बालक है या बालिका, अपितु महत्वपूर्ण यह है कि वह आय कमाकर घर का खर्च पूरा करनें में सहयोग दें । यही कारण है कि बालक और बालिकायें श्रम के प्रति सकारात्मक विचार रखतें है जब कि शिक्षा के प्रति इनकें विचार नकारात्मक है ।

(ii) मध्यम वर्गीय सामान्य परिवारों की भाँति बाल श्रमिकों के परिवारिक ढाँचे में बालक और बालिका का कोई विषेश भेद नहीं है । ऐसे परिवारों में बालक और बालिका का अर्थ शिक्षार्थी से न होकर केवल श्रमिक से लिया जाता है ऐसे परिवारों में बालकों के माता पिता एक ओर तो बालिका शिक्षा का विरोध करते हैं किन्तु दूसरी ओर उन्ही से नौकरी करवानें से कोई संकोच नहीं करते है क्योंकि ऐसा उनकी सामाजिक परम्परा का एक अंग है । अर्थात ऐसे परिवारों के दृष्टिकोण में बालकों का एक ही कार्य होता है – " दोनों हाथों से कमाओ और पेट भरो" । स्पष्ट है कि बालक–बालिकायें एक ऐसे वातावरण में पलते हैं जिनमें शिक्षा का महत्व शून्य है, किन्तु श्रम का महत्व अत्यधिक है यही कारण है कि बालक और बालिकाओं का शिक्षा के प्रति समान दृष्टिकोण जगरूकता तथा तत्परता है ।

(iii) सीतापुर दरी उद्योग में दो प्रकार के बाल श्रमिक कार्यरत हैं, एक तो वे जो दरी बनाने के कारखानो में आकर नौकरी करते हैं दूसरे वे जो ठेके पर दरी बनाने का कार्य करते हैं । कारखानों में नौकरी करने वाले बाल श्रमिक अधिकतर बालक हैं जबकि ठेके पर घर में काम करने वाले बाल श्रमिक अधिकतर बालिकाएं है, इस प्रकार बालक और बालिकाएं दोनो श्रम करते हैं, लडकों को घर से बाहर जा कर काम करना होता है तथा काम से थकने के बाद मनोरंजन भी करना होता है इसलिये उन्हे शिक्षा पर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिलता दूसरी ओर लडकियो को घर पर दरी बुनने के अलावा रसोई आदि घरेलू कामों को भी करना पडता है इसलिये उन्हे भी शिक्षा के विषय में कुछ सोचने या करने का अवसर नहीं

मिलता, स्पष्ट है कि बालक और बालिकाएं दोनो लगभग एक जैसी दशाओ में जीवन व्यतीत करते हैं जिसमें शिक्षा का कोई स्थान नहीं होता, यही कारण है कि शिक्षा के प्रति बालक और बालिकाओं के विचारो तथा प्रयासो में कोई अन्तर नहीं है।

7. शिक्षा के प्रति धर्मके आधार पर बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता तथा तत्परता में कोई अन्तर नहीं है अर्थात बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जागरुकता तथा तत्परता पर धर्म का कोई प्रभाव नहीं पडता है। यद्यपि यह एक सामान्य निष्कर्ष है कि धर्म बाल श्रमिकों की शैक्षिक अभिवृत्ति, जागरुकता एवं तत्परता को प्रभावित नहीं करता, किन्तु सर्वेक्षण के मध्य शैक्षिक जागरुकता पर धर्म का अल्प प्रभाव देखा गया है। हिन्दू धर्मके बाल श्रमिक मुस्लिम बाल श्रमिकों की अपेक्षा शिक्षा के प्रति अधिक जागरुक हैं। शिक्षा के प्रति जागरुक हिन्दू बाल श्रमिको की संख्या मुस्लिम जागरुक बाल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक पायी गयी है किन्तु प्राप्तांक के आधार पर दोनो धर्मो के बाल श्रमिको की जागरुकता में कोई सार्थक अन्तर स्पष्ट नहीं हुआ है। अतः एक सामान्य निष्कर्ष यचही है कि घर्म शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जागरुकता या तत्परता को प्रभावित नहीं करता इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं--

(i) जिन परिवारो के बच्चे बाल श्रमिक के रुप में कार्य करते है उन परिवारो की आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर होती है अतः बच्चों की श्रम हेत प्रेरित करने वाला कारण उनका धर्म नहीं अपितु आर्थिक दशाएं हैं।

(ii) मुस्लिम धर्म मे आदिकाल से ही हाथ की कारीगरी को महत्व दिया जाता रहा है, हस्तकला ही उनके बच्चों की वास्तविक शिक्षा बन चुकी है, अतः मुस्लिम बालक पुस्तकीय शिक्षा की ओर आकर्षित न होकर घर के स्कूल से हस्तकला सीखना अधिक पसन्द करते हैं जबकि हिन्दू परिवारो में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ आवश्यकता पडनें पर धन अर्जित करनें का उत्तरदायित्व भी सौपा जाता है, अतः हिन्दू बच्चे परिवारिक पृष्ठि भूमि से प्रभावित होनें के कारण शिक्षा के प्रति जागरुक होते हुये भी धन अर्जित करने की विवशता को सहन करते हैं जो शीघ्र ही उनकी दिनचर्या बन जाती है यही कारण है कि यद्यपि हिन्दू बाल श्रमिक

मुस्लिम बाल श्रमिकों की अपेक्षा शिक्षा के प्रति कुछ अधिक जागरुकता रखते हैं किन्तु फिर भी शिक्षा प्राप्ति हेतु तत्पर नहीं होते।

उपरोक्त समस्त विश्लेषणात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति प्रतिशत आधार पर शहरी बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति ग्रामीण बाल श्रमिकों से, बालिकाओं की अभिवृत्ति बालको से तथा मुस्लिम बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति हिन्दू बाल श्रमिकों से अधिक है। किन्तु शैक्षिक जागरुकता के सम्बन्ध में भिन्न परिणाम प्राप्त हुये हैं, प्रतिशत विश्लेषण के आधार पर ग्रामीण बाल श्रमिकों की जागरुकता शहरी बाल श्रमिकों से, बालिकाओं की जागरुकता बालकों से तथा हिन्दू बाल श्रमिकों की जागरुकता मुस्लिम बाल श्रमिकों से अधिक है। शिक्षा के प्रति तत्परता के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिशत परिणाम किसी एक वर्ग के पक्षमें नहीं है। प्रतिशत विश्लेषण में यद्यपि उपयुक्त अन्तर दिखायी पडे हैं किन्तु परिकल्पना परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि सामान्यतः बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जागरुकता और तत्परता को निवासीय पृष्ठिभूमि, लिंग भेद तथा धर्म आदि तक प्रभावित नहीं करते हैं। सामान्यतः शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति और तत्परता नकारात्मक है जबकि जागरुकता अपेक्षा कम नकारात्मक है।

पंचम अध्याय

(निष्कर्ष एवं सुझाव)

पेज सं0

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन शिक्षा के विषय में बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता एवं तत्परता की स्थिति ज्ञात करने का साहित्यिक प्रयास है जो जनपद सीतापुर के दरी उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण पर आधारित है। विगत अध्यायों में बाल श्रमिकों को शैक्षिक अभिवृत्ति, जागरुकता तथा तत्परता के संबंध में विभिन्न प्रकार से विश्लेषण किया गया है तथा अनेक परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है, अधिकतर परिकल्पनायें स्वीकृत हुई हैं, किन्तु कुछ परिकल्पनाएं अस्वीकृति भी हुई हैं। प्रस्तुत अध्याय में परिकल्पना परीक्षण, विश्लेषण तथा विगत अध्यायों में किये गये विवेचन का निष्कर्ष, अध्ययन से प्रकट बाधाएं तथा उपयोगी सुझाव समावेशित है।

समस्त अध्याय को तीन उपभागों में विभाजित किया गया है प्रथम भाग में निष्कर्ष, द्वितीय में बाधाएं तथा तृतीय में सुझाव सम्मिलित किये गये हैं।

5–1 निष्कर्ष –

विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षो को 2 भागों में बाँटा गया है :–

(1) परिकल्पना परीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष

(2) अन्य विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष।

(1) परिकल्पना परीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य में अध्ययन के उद्देश्यानुसार उनकी 28 परिकल्पनाएं स्थापित की गयी हैं, जिनसे प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं–

(i) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति के मध्य सार्थक अन्तर है। वास्तव में शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की नकारात्मक अभिवृत्ति सकारात्मक अभिवृत्ति की अपेक्षा अधिक है। नकारात्मक अभिवृत्ति का विस्तार भी सकारात्मक अभिवृत्ति से अधिक है।

(ii) शिक्षा के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य सार्थक अन्तर है। वास्तव में नकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले बालश्रमिक सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले बाल श्रमिकों से लगभग 7 गुने अधिक हैं।

(iii) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक और नकारात्मक जागरुकता के मध्य कोई अन्तर नहीं है, यद्यपि वास्तव में सकारात्मक जागरुकता नकारात्मक जागरुकता की अपेक्षा 0.34 अंक अधिक पायी गई है।

(iv) शिक्षा के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक जागरुकता रखने वाले बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य कोई अन्तर नही हैं अतः जितने बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति सकारात्मक जागरुकता रखते हैं लगभग उतने ही नकारात्मक जागरुकता रखते हैं।

(v) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की सकारात्मक तथा नकारात्मक तत्परता के मध्य सार्थक अन्तर है वास्तवस में बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक तत्परता, सकारात्मक तत्परता से लगभग 2 गुनी है ।

(vi) शिक्षा के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक तत्परता रखने वाले बाल श्रमिकों की

संख्याके मध्य महत्वपूर्ण अन्तर है, वास्तव में शिक्षा के प्रति नकारात्मक तत्परता रखने वाले बाल श्रमिक 92 है, जब कि सकारात्मक तत्परता रखने वाले बाल श्रमिक केवल 8 है ।

(vii) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति और जागरूकता के मध्य कोई सार्थक संबध नहीं है । दोनों गणों के मध्य अर्थहीन ऋणात्मक सहसंबध विघमान है, अतः यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होने पर जागरूकता भी नकारात्मक हो ।

(viii) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति एवं तत्परता के मध्य सार्थक सहसम्बध है दानों के बीच उच्च्य स्तरीय धनात्मक सहसंबध पाया गया है अतः जिन बाल श्रमिकों में शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है उनमें नकारात्मक तत्परता भी है ।

(ix) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरूकता और तत्परता के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है, वास्तव में दोनों के बीच अत्यन्त निम्न स्तरीय अर्थहीन घनात्मक सहसंबध पाया गया है, अतः यह तो निश्चित है कि जागरूकता होने पर ही तत्परता होती है, किन्तु यह पाया गया है ,कि अधिकांश बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरूक होते हुए भी तत्पर नहीं है ।

(x) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति जागरूकता और तत्परता परस्पर संबंधित है, अतः तीनों गुण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ।

(xi) शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है । अतः ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति समान दृष्टिकोण रखते है , उनके दृष्टिकोण पर निवासीय पृष्ठिभूमि का कोई प्रभाव नहीं पडता है ।

(xii) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कोई अन्तर नही है । ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाल बाल श्रमिकों तथा शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की शैक्षिक अभिवृत्ति समान है

(xiii) शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी बाल श्रमिकों की जागरूकता में कोई अन्तर नहीं है, वास्तव में शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति समान रूप से जागरूक है ।

(xiv) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरूकता में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कोई अन्तर नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में दरी उद्योग में काम करनें वाले बाल श्रमिक शहरी क्षेत्रों के बाल श्रमिकों के समान शिक्षा के प्रति जागरूक है ।

(xv) शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बाल श्रमिकों की तत्परता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, वास्तव मे ग्रामीण तथा शहरी दानों प्रकार के बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति समान रूप से तत्पर हैं , तथा उनकी तत्परता बहुत कम है ।

(xvi) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में काई अन्तर नही है । अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यारत बाल श्रमिक शहरी क्षेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों की गति समान तत्परता रखते है ।

(xvii) शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिका श्रमिकों की अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है वास्तव में बाल श्रमिकों की शैक्षिक अभिवृत्ति पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पडा है ।

(xviii) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में लिंग के आधार पर कोई अन्तर नहीं है शिक्षा के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले बाल श्रमिकों के समान अनुपात में बालिका श्रमिक है, अतः लिंग भेद के कारण अभिवृत्ति में भेद नहीं है ।

(xix) शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिका श्रमिकों की जागरूकता में कोई अन्तर नहीं है अतः बालक और बालिका दोनों ही शिक्षा के प्रति समान रूप से जागरूक है ।

(xx) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरूकता में लिंग के आधार पर कोई अन्तर नहीं है, अतः शिक्षा के प्रति जागरूकता पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पडता है।

(xxi) शिक्षा के प्रति बालक एवं बालिका बाल श्रमिकों की तत्परता में कोई अन्तर नहीं है, वास्तव में बालक और बालिका शिक्षा के प्रति समान तत्परता रखते हैं ।

(xxii) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता में लिंग के आधार पर कोई अन्तर नहीं है, अतः शैक्षिक तत्परता पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नही पडता है ।

(xxiii) शिक्षा के प्रति हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है , हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों धर्मो के बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति समान दृष्टिकोण रखते है ।

(xviv) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति में धर्म के आधार पर कोई अन्तर नहीं है जिस अनुपात में हिन्दू धर्म के बाल श्रमिकों शिक्षा के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति रखते है लगभग उसी अनुपात में मुस्लिम बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति समान अभिवृत्ति रखते है ।

(xxv) शिक्षा के प्रति हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिकों की जागरूकता में कोई अन्तर नही है, हिन्दू तथा मुस्लिम बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति समान रूप से जागरूक पाये गये है, यद्यपि दोनों की जागरूकता नकारात्मक है ।

(xxvi) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की जागरूकता में धर्म के आधार पर अन्तर है । यह देखा गया है कि हिन्दू धर्म के जागरूक बाल श्रमिकों का संख्यानुपात मुस्लिम धर्म के जागरूक बाल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक है यधपि उनके प्राप्तांको में सार्थक अन्तर नहीं है । अतः मुंस्लिम धर्म के बाल श्रमिकों की अपेक्षा हिन्दू धर्म के अधिक बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरूक है।

(xxvii) शिक्षा के प्रति हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिकों की तत्परता में कोई अन्तर नहीं है, हिन्दू एवं मुस्लिम बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति समान रूप से तत्पर है ।

(xxviii) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की तत्परता में धर्म के अधार पर कोई अन्तर नहीं है , शिक्षा हेतु तत्पर मुस्लिम बाल श्रमिकों का संख्यानुपात हिन्दू बाल श्रमिको के बराबर है अतः धर्म का शिक्षा के प्रति तत्परता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

(2) अन्य निष्कर्ष

परिकल्पना परीक्षण के अतिरिक्त अन्य विश्लेषणात्मक ध्ययन से अनेक निष्कर्ष प्राप्त हुए है जो निम्नलिखित है ।

उल्लेखनीय है कि यह निष्कर्ष जनपद सीतापुर के दरी उघोग में कार्यरत बाल श्रमिकों के प्रतिदर्श पर आधारित निष्कर्ष का समान्यीकृति रूप है –

(i) आधे से अधिक (88प्रतिशत)बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है उनकी दृष्टि में शिक्षा अनावश्यक है । इनमें से 3 प्रतिशत श्रमिक ऐसे है जो शिक्षा के घोर विरोधी है ।

(ii) 50 प्रतिशत बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति नकाररात्मक जागरूकता रखते है । जबकि 50 प्रतिशत बाल श्रमिक सुविधाओं के प्रति जागरूक है । नकारात्मक जागरूकता रखनें वाले बाल श्रमिक में 3 प्रतिशत बाल श्रमिक ऐसे हैं जो शिक्षा के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है ।

(iii) लगभग सभी बाल श्रमिक (92 प्रतिशत)शिक्षा हेतु तत्पर नहीं है । 3 प्रतिशत बाल श्रमिक ऐसे है जो कि किसी भी प्रलोभन के बदले में पढ़ने हेतु तत्पर नहीं है । अतः बाल श्रमिकों में शिक्षा के प्रति तत्परता का अभाव है ।

(iv) शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति , जागरूकता तथा तत्परता तीनों ही नकारात्मक हैं किन्तु सबसे अधिक नकारात्मक तत्परता के प्रति और सबसे कम नकारात्मक जागरूकता के प्रति है अतः शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों का न तो उचित दृष्टिकोण है और न ही तत्परता किन्तु फिर भी वे कुछ फिर सीमा तक शिक्षा के सन्दर्भ में जागरूक तथा जानकार है ।

(v) शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले शहरी बाल श्रमिक ग्रामीण बाल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक है यघपि यह अन्तर परिकल्पना परीक्षण द्वारा अर्थहीन सिद्ध हो चुका किन्तु फिर भी यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जिन बाल श्रमिकों की निवासीय पृष्ठ भूमि शहर की होती है वे शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते है ।

(vi) शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले बालक श्रमिक, बालिका श्रमिकों की अपेक्षा कम है । यघपि बालक बालिकाओं का यह अन्तर अर्थहीन सिद्ध हो चुका है किन्तु यह तथ्य उल्लेखनीय है कि बालिकाएं , बालकों की उपेक्षा शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति रखती है ।

(vii) शिक्षा के प्रति सकारत्मक अभिवृत्ति रखने वाले मुस्लिम बाल श्रमिक हिन्दू बाल श्रमिक की अपेक्षा अधिक है ऐसा सम्भवतः इसलिए है कि दरी उघोग में मुख्यतः मुस्लिम बाल श्रमिक ही है । हिन्दू बाल श्रमिक अत्यन्त कम है और जो भी है वे भी अत्याधिक विवशता के कारण श्रम करने को मजबूर हुए है ।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में परिकल्पना संख्या 24 के परीक्षण से यह सिद्ध हो चुका है कि सकाराम्तक और नाकारात्मक अभिवृत्ति राखने वाले हिन्दू और मुस्लिम बाल श्रमिकों की संख्या के मध्य कोई महत्वपूर्ण अन्तर नही है ।

(viii) शिक्षा के प्रति सकारात्मक जागरूकता रखने वालें श्रमिकों में ग्रामीण श्रमिक शहरी श्रमिकों की अपेक्षा अधिक है , जब कि सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले शहरी श्रमिक ग्रामीण श्रमिकों की अपेक्षा अधिक पाये गये है ! इस विरोधाभास का कारण यह है कि गॉव से आकर शहर में रहने वाले बालश्रमिक शिक्षा की ओर अधिक आकर्षित होते है । अतः यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण बालश्रमिक शहरी बालश्रमिकों की अपेक्षा शिक्षा के प्रति जागरूक है ।

(ix) शिक्षा के प्रति सकारात्मक जागरूकता रखने वाले बाल श्रमिकों में बालिकाएं, बालकों की अपेक्षा कुछ अधिक जागरूक है , यघपि बालक और बालिकाओं की संख्या का यह अन्तर परिकल्पना परीक्षण के अन्तर्गत अर्थहीन सिद्ध हो चुका है किन्तुं यह उल्लेखनीय तथ्य है कि शिक्षा के प्रति बालिकाएं बालको से अधिक जागरूक होती है ।

(x) शिक्षा के प्रति सकारात्मक जागरूकता रखने वाले हिन्दू बाल श्रमिक मुस्लिम बालश्रमिकों की अपेक्षा अधिक है जबकि अभिवृत्ति के सम्बन्ध में यह तथ्य इसके विपरीत था । अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम बालश्रमिक शिक्षा के प्रति सकरात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए भी शिक्षा सुविधाओं की ओर जागरूक नही है क्योंकि उनकी मूल प्रवृत्ति शिक्षित होने की न होकर हस्तकला में कुशल होने की होती है ।

(xi) शिक्षा के प्रति सकारात्मक तत्परता रखने वाले ग्रामीण बाल श्रमिकों शहरी बाल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक है यघपि यह प्रवृत्ति शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता के सन्दर्भ में भी पायी गयी है । अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण पृष्ठि भूमि से सम्बन्ध रखने वाले बाल श्रमिक शहर आकर शिक्षा की ओर आकर्षित तथा उत्साहित होते है तथा जो ग्रामीण बाल श्रमिक गॉव में ही रह कर कार्य करते है वे भी शहरी बाल श्रमिकों की तुलना में शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक तथा तत्पर पाये गये क्योंकि शिक्षा (किसी भी स्तर की) इनके ग्रामीण समाज में प्रतिष्ठा मूलक होने के साथ – साथ विवाह आदि में महत्वपूर्ण भूमिका

अदा करती है और ग्रामीण बाल श्रमिकों में यह धारणा भी है कि यदि वह पढ लिख जायें तो और अधिक अच्छे स्तर का काम कर सकते है जबकि शहरी बालश्रमिकों में शिक्षा और रोजगार के पारररस्परिक सम्बन्ध का भ्रंम नहीं है ।

(xi) शिक्षा के प्रति बालक और बाजिकाओं तथा हिन्दू तथा मुस्लिम बाल श्रमिकों की तत्परता एक समान है अर्थात बाल श्रमिकों की श्रम के स्थान पर शिक्षा के प्रति तत्परता , लिंग भेद तथा धर्म भेद से प्रभावित नहीं होती है ।

5–2 अध्ययन से प्राप्त बाधाएं

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है अभिवृत्ति से भी अधिक नकारात्मक तत्परता है जबकि लगभग आधे बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरूक हे । यह विरोधभास है, कि 80 प्रतिशत से अधिक बाल श्रमिकों की नकारात्मक अभिवृत्ति होते हुंए भी 50 प्रतिशत बाल श्रमिक शिक्षा के प्रति जागरूक है और इतने बाल श्रमिकों की जागरूकता हाते हुए भी 90 प्रतिशत से अधिक बाल श्रमिक शिक्षा हेतु तत्पर नहीं है । बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति नकारात्मक स्थिति तथा तत्परता हीनता के अनेक कारण है , सर्वेक्षण के दौरान बाल श्रमिकों की शैक्षिक प्रगति के मध्य में निम्नलिखित बाधाएं ज्ञात हुई है –

(i) बाल श्रमिकों द्वारा शिक्षा के स्थान पर श्रम को व्यवहारिक महत्व प्रदान किये जाने का सर्व प्रमुख कारण उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति है । यह पाया गया है कि बाल श्रमिकों के परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, खर्चे अधिक है, जबकि आमदनी बहुत कम है , अतः प्रत्येक सदस्य को आय बढ़ाना आवश्यक होता है । इसके बाद भी परिवार के खर्चे पूरे नही होते अतः न तो बच्चों की पढ़ायी के लिये पैसा बचता है और न ही समय ।

(ii) बाल श्रमिकों की शैक्षिक नकारात्मकता का दूसरा कारण यह है कि उनके मॉ – बाप

अशिक्षित है । अतः वे शिक्षा की आवश्यकता या महत्व को नही समझते वे इस बात को नहीं समझ पाते कि पढे लिखे बच्चे वर्तमान से अधिक आय अर्जित करेंगे और न ही उनकी परिवारिक परिस्थियां ऐसी होती है कि वे शिक्षा द्वारा बच्चें की आय द्वारा अर्जन की क्षमता को बढा कर भविष्य तक उनकी प्रत्याशित आय की प्रतीक्षा करे ।

(iii) बाल श्रमिकों के शैक्षिक मार्ग के विकास में तीसरी प्रमुख बाधा उनका समाजिक वातावरण है कि जिसमें वे रहते है । बाल श्रमिकों के सामाजिक परिवेश में शिक्षित होना आवश्यक नही है । अपितु आय अर्जित करना सम्मान जनक है ।

(iv) बाल श्रमिकों के परिवार, रिश्तेदार , पडोसियों तथा मित्रों में उन बच्चों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है जो कुछ कमा कर लाते है , और जो बच्चे कमायी नहीं करते उन्हें नाकारा कहा जाता है तथा विभिन्न प्रकार के ताने सुनाये जाते है । अतःबच्चों का सामाजिक परिवेश उन्हें श्रमिक बनने को विवश कर देता है ।

(v) बाल श्रमिकों के शिक्षा से विमुख होने का एक कारण उनका जीवनस्तर भी है । जिस स्तार पर वे लोग जीवन निर्वाह करते है । उस स्तर पर शिक्षा का कोई काम नहीं है, अतः उन्हें कभी अनुभव नहीं होता कि वे पढ़े लिखे होते तो अधिक सरलता और सुविधा रहती ।

(vi) बालकों को श्रमिक बनाने के पीछे एक बाह्य कारण भी महत्वपूर्ण है । उघोगपति व्यापारी या ठेकेदार बालकों के माता – पिता को यह समझाते है, कि बच्चों को पढा लिखा कर क्या करोगे बहुत से पढे लिखे लोग खाली घूमते है आदि , अतः वे इन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करते है कि बच्चों को काम पर लगा दो ताकि वे कुछ कमा कर लाएं और घर के खर्चे में हाथ बटाएं , प्रलोभन स्वरूप यह ठेकेदार बच्चों के माता–पिता को बच्चों का कुछ वेतन अग्रिम भी देता है , अग्रिम वेतन लेने के बाद बच्चों के मॉ – बाप एक प्रकार से ऋणी हो जाते है और इस दबाव तथा लालच में बच्चों की इच्छा के विपरीत उन्हें बल पूर्वक काम पर भेजते है ।

(vii) मुस्लिम परिवारों में बालकों की शिक्षा से अभिप्रायः पवित्र कुरान की शिक्षा अन्य धार्मिक शिक्षा तथा हुनर से लगाया जाता है , अतः ऐसे परिवारों के बच्चे स्कूली शिक्षा सें वंचित रह जाते है और अपने परिवार का परम्परागत हुनर सीख का बाल श्रमिक बन जाते है ।

(viii) मुस्लिम परिवारों में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि बच्चों के पिता ने दूसरों या तीसरा विवाह कर लिया अथवा माता ने दूसरा विवाह कर लिया और बच्चे परिवारिक प्यार न पाकर उपेक्षा के शिकार हो गये, सौतेले मॉ–बाप पर वे आर्थिक बोझ बन गये अतः मॉ–बाप ने उन्हें आय के साधन के रूप में प्रयोग प्रारम्भ कर दिया ।

(ix) कुछ बाल श्रमिक ऐसे भी पाये गये जिनका पुश्तैनी धन्धा ही दरी उघोग में काम करना था चूँकि उनके परदादा , दादा , पिता आदि इस काम को करते चले आ रहें है उन्हें भी इस काम को करने की शिक्षा तथा प्रेरणा मिली तथा वे दरी उघोग में बाल श्रमिक हो गये ।

(x) बालकों द्वारा शिक्षा से विमुख होकर बाल श्रमिक बनने का एक कारण यह भी है कि बच्चे गरीबी के कारण ,निजी स्कूलों के स्थान पर सरकारी स्कूलों में भेजें जाते हैं । किन्तु ग्रामीण क्षेत्र के 80 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में ताले पडे रहते है, शिक्षक कभी–कभी स्कूल आते है, अतः बच्चों की पढाई नही हो पाती और खाली घूमते हुए बच्चे मॉ – बाप द्वारा काम पर लगा दिये जाते हैं । शहरों में निजी स्कूलों की प्रतियोगिता तथा सरकार की उपेक्षा के कारण सरकारी स्कूल नाम मात्र के रह गये, और जो हैं उनमें भी पढ़ाई की औपचारिकता मात्र शेष है, अतः स्कूल में आने वाले बच्चे पढ़ने के स्थान पर खेलते रहते हैं, जब माता–पिता यह देखते है कि बच्चों का समय भी खराब होता है और पढ़ाई भी नहीं होती तो वे उन्हें स्कूल से हटा कर पेट भरने की शिक्षा देने लगते हैं, फलस्वरूप विघार्थियों के स्थान पर बाल श्रमिकों की श्रेणी में आ जाते हैं ।

5–3 सुझााव

1. बालश्रम का सर्वव्यापक कारण परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति है। कमजोर अर्थिक स्थिति के तीन मुख्य कारण है –

(अ) परिवार के प्रमुख सदस्यों की बेरोजगारी ।

(ब) यदि रोजगार है तो आय की कमी, परिवार ।

(स) में सदस्यों की अधिकता के कारण अधिक व्यय ।

अतः इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं ।

(i) बाल श्रमिकों के परिवार के मुखिया जैसे माता या पिता तथा किसी अन्य प्रमुख व्यक्ति जैसे भाई को सरकार द्वारा नौकरी या अन्य कोई रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि परिवार के बच्चों को आर्थिक तंगी के कारण काम न करना पड़े ।

(ii) यदि परिवार के प्रमुख सदस्यों को रोजगार प्राप्त है तो उनकों खाली समय में अतिरिक्त रोजगार दिया जाना चाहिए ।

(iii) अत्यधिक गरीब परिवार को निर्धनता भत्ता प्रदान किया जाना चाहिये, और इसकी राशि इतनी अवश्य होनी चाहिए कि एक आदर्श परिवार का भरण – पोषण हो सके ।

(iv) बालश्रमिकों के अधिकांश परिवार संयुक्त परिवार के रूप में है उनको एकल परिवार के रूप में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । ऐसा होने पर प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व सीमित हो जायेगा, वह अपनी आय के अनुसार जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था कर लेगा और परिवार के खाली पड़े सदस्य भी श्रम हेतु प्रोत्साहित होंगे ।

(v) बाल श्रमिकों के परिवारों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यह समझना चाहिए कि बड़ा परिवार उनकी गरीबी का कारण है ऐसा होने पर यद्यपि तत्काल कोई लाभ नहीं होगा किन्तु भावी पीढी अवश्य अपना परिवार सीमित रखेगी जिससे परिवारिक खर्चे घटेंगे तथा आर्थिक स्थित में सुधार होगा इस प्रकार यह एक दीर्घकालीन उपाय है ।

(vi) बाल श्रमिकों के परिवारों को यह भी समझाया जाना चाहिये कि समाज की विभिन्न परम्पराओं का पालन करने तथा धार्मिक अन्ध विश्वासों को मानने के कारण उनके व्यय अनावश्यक रूप से बढ़ गये हैं यदि वे रूढ़िवादिता तथा अन्ध विश्वास को त्याग कर वास्तविकता पर ध्यान दें तो उनके बहुत से खर्चे कम हो सकते हैं जिससें उनकी वर्तमान आय बढ़ जायेगी और उन्हें बालकों से श्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी । इस प्रकार बचाये गये धन को बालकों की शिक्षा पर व्यय किया जा सकता है ।

2. बालश्रम का दूसरा प्रमुख कारण उनके माता – पिता की अशिक्षा है, अतः यह सुझाव दिया जाता है कि एक ऐसा शैक्षिक अभियान प्रारम्भ किया जाये कि केवल बाल श्रमिकों के माता पिता तथा संरक्षकों को शिक्षित करना हो । यह शिक्षा खाली समय में प्रदान की जानी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए और स्कूली शिक्षा से हटकर इस प्रकार की होनी चाहिए के शिक्षार्थी साक्षर हो सकें , शिक्षा के महत्व को समझ सकें और अपने बच्चों को शिक्षित करनें हेतु तत्पर हो सकें साथ ही यह भी समझ सके कि शिक्षित बच्चे भविष्य में वर्तमान से अधिक आय अर्जित कर सकेंगे ।

3. सरकार को एक ऐसा कार्यकम प्रारम्भ करना चाहिये जिसका उद्देश्य बाल श्रमिकों को शिक्षा हेतु उन्मुख करना हो , जो बाल श्रमिक श्रम छोड़कर शिक्षार्जन प्रारम्भ करें अथवा श्रम के साथ –साथ शिक्षा भी ग्रहण करे उन्हें विशेष पुरस्कार दिया जाना चाहिए , तथा जिस समाज में वे रहते हैं उस समाज के लोगों के सामने उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए ऐसा करने से एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें शिक्षित बालकों का श्रमिक बालकों की अपेक्षा अधिक स्थान एवं महत्तव होगा , फलस्वरूप समाज के अन्य बाल श्रमिकों तथा इनके परिवार श्रम के स्थान पर शिक्षा को या श्रम के साथ शिक्षा को व्यवहारिक महत्व देने लगेंगे ।

4. यह पाया गया है कि बाल श्रमिकों के परिवार शहर व गॉव में स्थान विशेष पर केन्द्रित है । इनके केन्द्रीयकरण का यह मुख्य प्रभाव होता है कि एक जैसी सोच दृष्टिकोण और जीवन स्तर वाले लोग एक जगह ही एकत्र हो जाते है । परिणाम स्वरूप वे जो हैं उससे अधिक नहीं जानते और नहीं अपनी स्थिति में सुधार हेतु प्रेरित होते है अतः यह सुझाव दिया जाता है कि बाल श्रमिकों के परिवारों को विकेन्द्रित किया जाना चाहिये अर्थात उन्हें शिक्षित समाज के मध्य स्थान –स्थान पर बसाया जाना चाहिये । ताकि सामाजिक वातावरण के परिवर्तन का प्रभाव पड सके और बच्चे स्वतः शिक्षा हेतु जागृत हो सके ।

5. बालकों को श्रमिक बनाने में उन उघोगपतियों , व्यापारियों तथा ठेकेदारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है जो बालकों के माता – पिता को अनेक प्रलोभन देकर बाल श्रम कराने हेतु विवश करते हैं । अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार इस प्रकार के कार्य को दंडनीय अपराध घोषित कर दें । जो व्यक्ति बच्चों के माता – पिता को बच्चों से श्रम कराने हेतु प्रोत्साहित करें उसे भी दण्ड दिया जाए तथा जो माता – पिता किसी प्रोत्साहन या प्रलोभन में आकर अपने बच्चों से श्रम करवांए उन्हें भी दण्डित किया जाए और यदि कोई मौद्रिक प्रलोभन दिया गया हो तो उसे जब्त करके बच्चों की शिक्षा पर व्यय किया जाये ।

6. बाल श्रमिकों में मुस्लिम बाल श्रमिकों की अत्याधिक संख्या है । अतः यह आवश्यक है कि मुस्लिम धर्म गुरूओं को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि धर्म ज्ञान के साथ – साथ इस बात का भी उपदेश दें कि बच्चों से मेहनत करवाकर अपना पेंट भरना पाप है और यदि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता अथवा खेलने का पर्याप्त समय नही दिया जाता तो यह एक अन्याय है ।

7. अनेक बाल श्रमिक ऐसे भी पाये गए है कि जो केवल इसलिए श्रम करते है यह उनका पुश्तैनी धन्धा है उनका मानना है कि उनके पिता बचपन से यही काम कर रहें है । अतः

उन्होंने भी अपने पिता से यह काम सीखा है । ऐसे बाल श्रमिकों के मन में यह भावना भरनी होती है कि माता – पिता या दादी बाबा ने जो किया वही तुम मत करों , तुम उससें हटकर या उससे अच्छा भी कुछ कर सकते हो और यदि पढ़ लिख जाओ तो अपने काम को अपने पुरखों से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हों ।

8. यदि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल वास्तविक कार्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन खुले उनके सभी शिक्षक आयें और बच्चों को पढाया जाये तो बाल श्रमिक बनने की प्रवृत्ति कम हो सकती है क्योकि स्कूल जा कर खाली घूमने वाले बच्चें शिक्षा कार्य के अभाव में शारीरिक कार्य में लगा दिये जाते है । उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण के मध्य अनेक ग्रामीण व्यक्तियों का कहना था कि, बच्चों कों स्कूल भेजकर क्या करें पढ़ाई तो होती नहीं है, बच्चे खाली इधर–उधर घूमते रहते है और शैतानी करते है इससे अच्छा तो यह है कि उन्हें काम पर लगा दिया जाए ताकि वे एक स्थान पर बैठकर पढेंगे भी कुछ कमायेंगे भी और पेट भरने लायक काम भी सीख जायेगें ।

9. सर्वेक्षण के मध्य यह देखा गया कि माता – पिता विशेष कर मुस्लिम माता – पिता सौतले बच्चों से श्रम करवाकर पैसा कमवाते हैं । इस प्रकार के बाल श्रम को भी दण्डनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए ।

10. सर्वेक्षण के अन्तर्गत बाल श्रमिकों से एक प्रश्न किया गया कि क्या आप सोचते हैं कि कारखानों में एक घण्टा पढ़ाई का भी होता तो अच्छा होता इस प्रश्न का उत्तर लगभग 80 प्रतिशत बच्चों ने हॉ में दिया अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार द्वारा बाल श्रम का प्रयोग करने वाले उघोगपतियों को यह निर्देशित किया जाये कि वे बच्चों के कार्य समय में कम से कम 1 या 2 घण्टे की कटौती करके उन्हें पढ़वाने की व्यवस्था करें ।

11. सर्वेक्षण के अन्तर्गत बालश्रमिकों से यह भी पूछा गया यदि रात्रि स्कूल खुलवा दिया जाये तो क्या वे उनमें पढ़ना पसन्द करेंगे । आधे से अधिक बाल श्रमिकों ने इस सम्बंध में सकारात्मक दृष्टिकोण दिया । अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सार्वजनिक तथा निजी स्तर पर बाल श्रमिकों के लिए उनकी बस्ती के पास निःशुल्क रात्रि स्कूल खोलें जायें ।

12. सर्वेक्षण के अन्तर्गत बाल श्रमिकों से एक प्रश्न यह भी पूछा गया कि यदि सरकार आपको पढ़ने के बदले कुछ पैसे दे तो क्या आप नौकरी छोड़ कर पढ़ना शुरू कर देंगे। इस प्रश्न के उत्तर में आधें से अधिक बाल श्रमिकों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सामाजिक संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा सर्वेक्षण किया जाना चाहिये कि कितने बाल श्रमिक श्रम छोड़ कर पढ़ना चाहते हैं और श्रम करने पर उन्हें कितनी आय प्राप्त हो रही है । इसके पश्चामत बाल श्रमिकों को औसत छात्र वृत्ति प्रदान करेके मजदूरी से शिक्षा की ओर संलग्न किया जाना चाहिये । यदि यह छात्र वृत्ति मासिक आधार पर न देकर दैनिक आधार पर दी जाये तो अधिक सफलता मिलेगी क्योंकि स्कूल आने पर बालक को पैसा मिलेगा । अतः वह प्रतिदिन स्कूल आयेगा और प्रतिदिन प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति उसको इस बात का आभास भी नहीं होने देगी कि उसने कमाई का धन्धा छोड़ कर फालतू काम शुरू कर दिया है ।

13. गरीबी उन्मूलन कार्यकम इस प्रकार कियान्वित किया जाये कि उनका अधिकतम लाभ सीधे उन परिवारों को मिलें जिनके बच्चे श्रमिक रूप में कार्य करते है, तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को असंगठित क्षेत्र में कठोरता के साथ लागू किया जायें ।

14. बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में काम करने वाली समाजिक संस्थाओं, संगठनों तथा व्यक्त्यिों को उल्लेखनीय कार्य करने पर पुरस्कृत किया जाना चाहिये ।

15. बाल विवाह विरोधी कानून लागू किये जा चुके है किन्तु व्यवहार में इनका पालन ईमानदारी से नही हो रहा है । अतः यह सुझाव दिया जाता है कि बाल विवाह विरोधी कानूनों का

कड़ाई से पालन किया जाये ताकि एक ओर तो श्रमिक परिवारों का आकार सीमित हो जायेगा दूसरी ओर उनकी आर्थिक आवश्यकतांए कम हो जायेगी तथा बालकों पर समय से पहले आर्थिक दायित्व भी नहीं पडेगा ।

16. जोखिम पूर्ण तथा खतरनाक व्यवसायों से हटा कर बालकों का पुर्नवास किया जाना चाहिए ।

17. बालश्रम कानूनों में आवश्यक सुधार, उनका प्रभावशाली क्रियान्वयन तथा उलंघन की दशा में कठोरदण्ड की आवश्यकता है ।

18. बाल श्रमिकों की संख्या के अनुरूप इनको पूर्ण रूपेण समाप्त किये जाने के समय बद्ध लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिये ।

19. भविष्य में बालकों का श्रम क्षेत्र में प्रर्दशन न हो, इस हेतु समर्पित प्रयास किये जाने चाहिये ।

20. बालश्रम समस्या के समाधान हेतु संगठित क्षेत्र के मजदूरों , किसानों, खेतिहर मजदूरों, नौजवानों, छात्रों तथा शिक्षित महिलायों और सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये ।

21. बाल श्रमिकों की समस्या केवल विघमान बाल श्रमिकों की ही समस्या नही है अपितु इसकी परिधि में वे बालक भी आते है जो वर्तमान में श्रमिक नहीं है किन्तु निकट भविष्य में श्रमिक के रूप में कार्य करेंगे । अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार तथा सामाजिक संस्थाएं सम्भावित बाल श्रमिकों की भी गणना करवाएं और उन्हें बाल श्रमिक बनने से पूर्व ही संरक्षण प्रदान करें ।

22. सर्वेक्षण के द्वारा बहुत से बाल श्रमिक ऐसे पाये गये जो स्कूल जाते थे किन्तु स्कूल में पढ़ाई लिखाई न होने या शिक्षक द्वारा कठोर शीरीरिक दण्ड दिये जाने के कारण शिक्षा के प्रति उदासीन हो गये और माता – पिता के द्वारा बाल श्रम के बाजार में ढकेंल दिये गये । अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार अध्यापकों हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रारम्भ करे जिनमें इस तथ्य को प्रकाशित किया जाये कि उनकी अनुपस्थित तथा व्यवहार के कारण बच्चे श्रमिक बन रहें है । प्रशिक्षण में अध्यापकों को यह भी ज्ञान दिया जाये कि वे बच्चे को इस प्रकार शिक्षा दें कि बच्चे शिक्षा के प्रति प्रेरित होने के साथ – साथ बाल श्रम के प्रति हतोत्साहित हो सकें तथा आवश्यकता पडनें पर माता –पिता तथा ठेकेदारों से बाल श्रम के विरूद्व कड़ा विरोध प्रकट कर सकें ।

5–4 भावी अनुसंधान हेतु सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन जनपद सीतापुर के दरी उघोग में कार्यरत बाल श्रमिकों तक सीमित हैं । इसके अन्तर्गत दैव आधार पर 100 बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया है तथा आवश्यक विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष निकाले गये है और उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। भविष्य में इस प्रकार के अन्य अनेक अनुसंधान किये जा सकते है इस संबंध में कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है :–

(i) प्रस्तुत अनुसंधान में 100 बाल श्रमिकों का अध्ययन किया गया है भविष्य में अधिक सामान्यीकृत निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से अधिक बड़ा प्रतिदर्श लिया जा सकता है ।

(ii) जिन उघोंगों में सीमित संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत हैं । उन उघोगों के संबंध में संगणना अनुसंधान किया जा सकता है ।

(iii) प्रस्तुत शोध केवल दरी उघोग में कार्यरत बाल श्रमिकों के संबंध में है भविष्य में अन्य केन्द्रीयकृत उघोगों जैसे मुरादाबाद का पीतल उधोग ,फिजोराबाद का चूड़ी उघोग बरेली का फर्नीचर , सुर्मा , जरी उघोग आदि के संबंध में भी शोध कार्य किया जा सकता है ।

(iv) दरी उधोगों में कार्यरत बाल श्रमिकों का अन्य किसी उधोगों में कार्यरत बाल श्रमिकों से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है ।

(v) बाल श्रम पर एक सामान्य तथा व्यापक शोधकार्य करने हेतु राज्य अथवा देश के विभिन्न प्रकार के उघोगों में कार्यरत बाल श्रमिकों के प्रतिदर्श लेकर सामान्य प्रतिदर्श तैयार किया जा सकता है और उसका विश्लेषण करके सामान्य निष्कर्ष ज्ञात किये जा सकते है जिनके आधार पर सामान्य नीति निर्धारण हेतु सुझाव दिये जा सकते हैं ।

(vi) प्रस्तुत कार्य में बाल श्रमिकों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जागरूकता तथा तत्परता का अध्ययन किया गया है, भविष्य में बाल श्रमिकों को अर्थाजन तथा शिक्षार्जन के संबंध में अभिक्षमताओं का अध्ययन किया जा सकता है ।

(vii) प्रस्तुत अध्यन में बाल श्रमिकों को ग्रामीण तथा शहरी बालक तथा बालिका और हिन्दू मुस्लिम वर्गो में वर्गीकृत किया गया है, भविष्य मे परिवार के आकार के आधार पर परिवार के प्रकार के आधार पर (संयुक्त एवं एकल परिवार) भाषा के आधार पर (हिन्दी भाषी एवं अन्य भाषी) राज्य के आधार पर , कार्य के आधार पर, मजदूरी के आधार पर जाति के आधार पर तथा आरक्षण के आधार पर, विभाजित कर के अध्ययन किया जा सकता है ।

5—5 अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता

किसी भी देश की भावी प्रगति पूर्णरूपेण वर्तमान संतति के विकास पर निर्भर करती है। किसी भी राष्ट्र कि आर्थिक भौतिक समृद्धिचिरस्थायी नहीं रह सकती यदि उसकी नयी पीढ़ी गुणवत्ता युक्त न हो अतः देश के भविष्य को बेहतर बनानें व सुरक्षित करने के लिये वर्तमान संतति का दक्षता पूर्ण पालन पोषण एवं विकास किया जाना अनिवार्य है किन्तु भारत में बाल वर्ग के दैहिक व मानसिक शोषण के प्रमाण बाल श्रमिक हैं विश्व के कुल बाल श्रमिकों में प्रत्येंक चौथा बाल श्रमिक भारतीय है, जो अपने बचपन की अर्थात जीवन के स्वर्णिम समय को संकटमय उघोगों, जोखिम वाले व्यवसायों, होटलों, ढाबों आदि में झोंक रहे हैं। भारत में बाल श्रम के प्रमुख कारण आर्थिक विपन्नता और अशिक्षा है , न तो शिक्षित माता – पिता अपने बालकों से श्रमिकों के भांति श्रम कराना चाहते है । और न ही शिक्षित बालक श्रमिक बनना

पसन्द करते है । अतः शिक्षा मन और बुद्धि से संबंध रखनें वाला विषय है जो अज्ञान के अन्धकार से मुक्त कराकर उचित दिशा का बोध कराता है । मनुष्य को निम्नधरातल से उठाकर उच्च आसन पर बैठाने के लिये शिक्षा अत्यनत आवश्यक है जिसका प्रारम्भ बचपन से ही होना चाहिये यदि बचपन से ही शिक्षा प्रारम्भ नहीं होती तो मनुष्य का विवेक जागृत नहीं होता उसके जीवन में नैतिकता प्रगति, शान्ति , व्यवस्था का समाावेश नहीं होता अतः देश के भावी कर्णधारों को श्रमिक के स्थान पर शिक्षित बनाना एक अनिवार्यता है, इसके बिना विकास योजनाएं कितनी ही उत्तम क्यो न हों उनकी सफलता संदिग्ध है शिक्षा मजबूत राष्ट्र की नीव है और व्यक्तिगत परिवार तथा सामाजिक समस्याओं के स्वरूप तथा समाधान को प्रकट करने वाली निर्देशिका हैं । वर्तमान समय में जबकि भारत में बाल श्रम लोकप्रिय होता जा रहा है , बालकों का शोषण तथा उत्पीड़न बढता जा रहा है बाल श्रमिकों को शिक्षित करना तथा शिक्षा के प्रति उनकी अभिवृत्ति, जागरूकता तथा तत्परता का पता लगाकर उसके अनुसार नीति निर्धारण करना अत्यन्त उपयोगी हैं । प्रस्तुत शोध अध्ययन में यही प्रयास किया गया है । शोध अध्ययन की उपयोगिता विभिन्न वर्गो के लिये निम्नलिखित है –

बाल श्रमिकों के लिए

1. समस्त शोध कार्य बाल श्रमिकों पर ही केनद्रित है । अध्ययन के द्वारा यह जाननें का प्रयास किया गया है कि किन कारणों से बालक श्रमिक बनतें है तथा किस प्रकार श्रमिक बालक को श्रम से शिक्षा की ओर उन्नमुख किया जा सकता है और किस प्रकार भविष्य बालको को श्रमिक बननें से रोका जा सकता है । अध्ययन में बाल श्रम के 2 मुख्य कारण पाये गये हैं–

    1. खराब आर्थिक स्थिति
    2. अशिक्षा

अतः बाल श्रम के हित में यह सुझाव दिये गये है कि उनके माता–पिता या बड़े भाई को रोजगार प्रदान किया जायें, खाली रहने पर उचित मात्रा में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाये, खाली

समय में शिक्षा की व्यवस्था की जायें, बाल श्रमिक को कारखाने में ही पढ़ाने की व्यवस्था की जाये, स्कूल जाने पर दैनिक भत्ता दिया जाये आदि, यदि राज्य अथवा समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा इन सुझावों पर ध्यान दिया जाता है और व्यवहार में इन्हें लागू किया जाता है तो बाल श्रमिकों की स्थित में सुधार हेतु यह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे। दैनिक शिक्षा भत्ता, शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन आयाम जोड़ सकता है तथा बाल श्रमिकों में शिक्षा हेतु तत्परता उत्पन्न कर सकता है। शिक्षा के विस्तार में यह एक उपयोगी सुझाव है।

बाल श्रम न करने वाले बच्चों के लिये उपयोगिता

बाल श्रम की समस्या केवल वर्तमान में विद्यमान बाल श्रमिकों तक ही सीमित नहीं है अपितु इसका संबंध उन बच्चों से भी है जो भविष्य में बाल श्रमिक बन सकते हैं, अतः यह समस्या सम्भावित बाल श्रमिकों से भी संबंध रखती है। प्रस्तुत अध्ययन संभावित बाल श्रमिकों के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है क्यों कि अध्ययन में उन कारणों को खोजा गया है जो बाल श्रमिकों को प्रोत्साहित करते हैं। अतः यदि इन कारणों पर नियंत्रण कर लिया जाये तो सम्भावित बाल श्रमिकों बाल श्रम के अन्धकारमय जीवन में ढकेले जाने से बच जायेंगें। अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि विद्यमान बाल श्रमिकों के साथ–साथ संभावित बाल श्रमिकों का पता लगाया जाये और उनको बाल श्रमिक बनने से पूर्व ही सामाजिक या सरकारी सहायता द्वारा शिक्षा में संलग्न किया जाये। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन सम्भावित बाल श्रमिकों के दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज का उचित मार्ग दर्शन करना है। इस दृष्टि से प्रस्तुत शोष उपयोगी हैं क्योंकि यह समाज तथा सरकार को सम्भावित बाल श्रमिकों के प्रति भी जागरुक कर रहा है और उनकी शिक्षा हेतु समाज व सरकार का उसके उत्तरदायित्व का बोध कराते हुए एक ऐसी नीति की अपेक्षा कर रहा है जो बालकों को श्रमिक बनने से पूर्व संरक्षण प्रदान कर सके।

बाल श्रमिकों के माता–पिता या संरक्षकों के लिए उपयोगिता

प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल बाल श्रमिकों के लिये ही उपयोगी नहीं हैं अपितु उनके माता–पिता तथा संरक्षकों के लिये उपयोगी है प्रस्तुत अध्ययन में माता–पिता तथा संरक्षकों की अशिक्षा को बाल श्रम का एक प्रमुख कारण पाया गया है। अतः यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षानीति में इस प्रकार के परिवर्तन किये जायें कि वह बाल श्रमिकों के माता–पिता तथा संरक्षकों को साक्षर बनाने के साथ–साथ शिक्षा के महत्व को भी समझ सकें और इस बात के लिये प्रेरित कर सकें कि बच्चों को शिक्षित करना श्रमिक बनाने से बेहतर हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में एक ऐसी नयी शिक्षा प्रणाली के विचार को प्रकाश में लाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के द्वारा अन्य लोगों को शिक्षित कराने की प्रेरणा उत्पन्न करना है। अर्थात जो व्यक्ति शिक्षा पायेगा वह तो शिक्षित होगा ही साथ ही अपनें बच्चों को शिक्षित करनें हेतु प्रेरित तथा तत्पर भी होगा, इस प्रकार बच्चों को शिक्षित कराने वाली प्रेरणा माता–पिता में भरने वाली शिक्षा प्रणाली ही शिक्षा को एक नवीन दिशा देने के साथ–साथ बाल श्रम के समूल नाश में उपयोगी सिद्ध होगी।

अध्यापकों के लिये उपयोगिता

प्रस्तुत अध्ययन में वर्तमान अध्यापन प्रणाली को भी बाल श्रम प्रेरक पाया गया है। ग्रामीण तथा सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की अत्याधिक अनुपस्थित, उपस्थित हाने पर भी शिक्षण के प्रति उदासीनता, केवल किताबी नीरस शिक्षण तथा अनुशासन बनाने हेतु शारीरिक दण्ड आदि अध्यापन दोषों के कारण बहुत से बालक शिक्षा से विमुख हो जाते हैं और माता–पिता द्वारा श्रमिक बना दिये जाते हैं। अतः अध्ययन में इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक अधिक से अधिक उपस्थित रहें, बालकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार न करें जिससे वे कक्षा छोड़ कर भाग जायें तथा इस प्रकार का शिक्षण करें जिससे बालकों को पढ़ने में आनन्द आये तथा वे अधिक से अधिक पढ़ने के लिये प्रेरित हों। अध्यापकों को चाहिए कि वे समय–समय पर इस प्रकार

के भाषण तथा कार्यक्रम आयोजित करें जिनसे बालकों को बाल श्रम की बुराइयों का आभास हो तथा उनकी शारीरिक क्षमताओं का भी रचनात्मक कार्यो में प्रयोग हा`सके। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षक के लिये आवश्यक गुणों पर प्रकाश डाला गया है और ऐसी शिक्षण कला की अपेक्षा की गई है जों बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह तथा बाल श्रम के प्रति विरोध की भावना भर सके इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन शिक्षण कला के विकास की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है।

नीति निर्माताओं के लिये उपयोगिता

नीति निर्माताओं के लिये प्रस्तुत अध्ययन अत्यन्त उपयोगी हैं क्योंकि वर्तमान शिक्षा में परिवर्तन तथा कुछ नवीन योजनाओं को सम्भावित किये जाने का सुझाव दिया गया है। इस दिशा में अध्ययन की उपयोगिता निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हैं –

1. बाल श्रमिकों के माता–पिता तथा संरक्षकों को खाली समय में शिक्षा देने हेतु एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहियं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य संरक्षकों को इस प्रकार शिक्षित होना चाहिये कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करने हेतु तत्पर हो सकें।
2. बाल श्रमिकों की शिक्षा के लिये रात्रि स्कूल तथा अवकाश के दिनों के स्कूल प्रारम्भ किये जाने चाहिये ताकि बाल श्रमिक काम की छुट्टी के बाद या छुट्टी के दिन पढ़ाई कर सकें ।
3. कारखानों में काम करने वाले बाल श्रमिकों के कार्य समय में एक या दो घण्टे कटौती करके कटौती के समय में शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।
4. बाल श्रमिकों को पुस्तकें तथा अन्य आवश्यक शिक्षा सामग्री निःशुल्क वितरीत किये जाने की नीति अपनायी जानी चाहिए।
5. इस प्रकार की स्कूल शिक्षा प्रारम्भ की जानी चाहियें बाल श्रमिक की शिक्षा सामग्री स्कूल में ही जमा कर ली जाये ताकि न तो सामग्री नष्ट हो पायें और न ही बालकों को शिक्षा के बोझ का आभास हो ।

6. बाल श्रमिकों के लिये सामान्य पाठ्यक्रम से हटकर अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किया जायें जो श्रमिकों को केवल आवश्यक शिक्षा दें, सरल हों, शिक्षार्जन हेतु प्रेरक हो तथा बाल श्रम के प्रति शिक्षार्थी के मन में घृणा की भावना भरता हो।

7. प्रस्तुत अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि शिक्षा के प्रति बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति नकारात्मक है। अतः एक ऐसी शिक्षा तकनीकी विकसित की जानी चाहिए जो श्रम के साथ–साथ श्रमिकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न कर सके ऐसा होन पर श्रमिक स्वयं ही स्कूली शिक्षा के लिये प्रेरित होगें तथा अन्य लोगों के लिये प्रेरणा श्रोत बनेंगें।

8. सरकारी स्कूलों, ग्रामीण स्कूलों, निर्धन बस्तियों के पास बने स्कूलों के अध्यापकों के लिये विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वे निर्धन बच्चों में शिक्षा के प्रति तत्परता तथा बाल श्रम के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न कर सकें।

समस्त अध्ययन से स्पष्ट है कि बाल श्रम एक भयानक आर्थिक तथा सामाजिक समस्या है जो देश के भावी कन्धों को कमजोर कर रही है अर्थात वर्तमान के साथ--साथ भविष्य को भी बिगाड़ रही है। भारत में इस समस्या के जन्म के अनेक कारण हैं जिनमें कुछ प्रमुख कारण हैं निर्धनता अशिक्षा तथा जनसंख्या की अधिकता।

पिछड़ी उत्पादन तकनीकि भी इस समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि श्रम प्रधान तकनीकि के प्रयोग ने सस्ते बाल श्रम के प्रयोग को प्रोत्साहित किया है। इस समस्या का दूसरा पक्ष यह भी है कि श्रम प्रधान तकनीकि द्वारा रोजगार वृद्धि समान हुई है, बाल श्रम ने उत्पादन लागत को कम किया, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया है, हाथ की कुशलता में वृद्धि हुई हैं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समरपर्ण तथा त्याग की भावना को प्रदर्शित किया है और समाज के सामने जीवन संघर्ष में बालकों की भूमिका को स्पष्ट किया है।

भारतीय समाज व्यवस्था तथा अर्थ व्यवस्था बाल श्रमिकों पर आश्रित हो चुकी है। बाल श्रमिक राष्ट्रीय तथा पारिवारिक अर्थ व्यवस्था के अभिन्न अंग बन चुके हैं। अतः एक दम उनका उन्मूलन आर्थिक तथा सामाजिक दोनों दृष्टियों से घातक सिद्ध हो सकता है दूसरी ओर भारत जैसे अर्द्ध विकसित देश के सामने संसाधनों की सीमितता भी है। अतः यह भी आवश्यक है कि बाल श्रम के संबंध में एक दीर्घ कालीन स्पष्ट नीति बना दी जायें जिसमें प्राथमिकताओं का क्रम निर्धारित करके बाल श्रम उन्मूलन हेतु आवश्यक पग उठाये जायें, सम्भावित बाल श्रम को श्रमिक बनने से रोकने के व्यापक उपाय व्यवहार में लाये जाये तथा ऐसी शिक्षा प्रणाली या नीति विकसित की जाये तो बाल श्रम के प्रति विरोध तथा शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति जागरुकता तथा तत्परता उत्पन्न कर सके ताकि बाल श्रम की जड़ों तक का नाश किया जा सकें, वास्तव में शिक्षा ही एक ऐसा उपाय है जो बल पूर्वक परिवर्तन नहीं लाती अपितु मन को परिवर्तित करके ऐच्छिक परिवर्तन लाती है जो स्थायी तथा हितकारी होते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

BIBLIORGRAPHY

BOOKS AND ENCYCLOPAEDIA

Anastasi, Anne (1961), "Psychological Testing" IInd Ed. New York. The Macmillion Company.

Arthur, G. Lamirande (Editor Director) (1970), " Webster's Unified Dictionary and
Encyloadia".

Best, John, W (1982), "Research in Education", IVEd. New Delhi, Prentice Hall of India Pvt. Ltd.

Bhatnagar, R.P., Bhatnagar, A.B. Bhatnagar Meenakshi, (1997), "Educational Research Meerut, Eagle Books Internationa, p 261-278

Blommes Paul and Lindguist, E.F. (1960), " Elementry statistical Method Psychology and Education," Oxford Book Company Calcutta, Delhi, p . 370.

Buch, M.B. Second, Third and Fourth Survey of Research in Education, NCERT, New Delhi

Carter, V.G. (e.d) (1959), "Dictionary of Education", II Ed. McGraw Hill Comp., New York,

Cronback, L.J. (1963), "Essentials of Pychological Testing" Harper and Brother, New York.

Das, D.N. (1996),Child Loabor in India, Sane Publication, New Delhi.
Ferguson, George, A. (1996) , "Statistical Analysis in Psychology and Education." II Ed
McGraw Hill Company, New York, London etc.

Fifth Survey of Research in Education, NCERT, New Delhi.

Garrett, Henery, E.(1981), "Statistics in Phychology and Education", Indian Reprint, Vakils
Fefferand simons Ltd., p. 412

Giri, V.V.(1972), "Labour Problem in Indian Industry," Asia Publishing House, Mumbai.

Good, C.V. and Scales, Douglar, E. (1954), "Methods of Research, Educational, Phchological and Sociological", New York, Application, Century Grafts.

Guilford, J.P. (1956) "Fundamental Statistics in Phychology and Education", New York, Mc Graw Hill Company, p. 392-394

Gupta, Manju, Voll. Klaus (Eds.) (1987) , "Young Handls at work, Child Labour in India",
Atma Ram & Sons, Delhi, Lucknow

Kerlinger, F.M. (1973) "Foundations of Behavioural Research (2nd ed.) New York, Holt
Rinehart ans Winston Inc., pp. 414-419

Koul, Lokesh, (1988) "Methodology of Educational Research," New Delhi, Vikas Publishing House, Pvt. Ltd. pp. 31-85, 67-68

Lindquist, E.E. (1940), "Statistics Analysis in Educational Research," Boston, Houghton
Miffilin Co., pp. 219-234.

Mishra, Laksminidhar, (1997), "The Anguish of Deprived", New Delhi, Manak Publications Pvt. Ltd. pp. 178-189

Mittal, M.C. (1994) " Child Labour in Unorganished sector, Anmol Publicaitons Pvt. Ltd., New Delhi.

Mundia, S.S. (1980), "Child Labour; Condition, Problems & Solutions", Agra, Sahity Parichaya, Vinod Pustak Mandir, pp. 42-42.

Shah, N.A. (1997), " Child Labour in India, " Sane Publications, Delhi.

Singh, L. (1993), "Working Children in India, An overview, Indian Society of Labour Economics, Patna

Tripathy, S.K. (1989), " Child Labour in India" Discovery Publishing House, New Delhi.

Tripathi, S.N. (1996) "Child Labour in India (Issues and policy options), Discovery Publishing House, New Delhi

मेहरोत्रा, एन0सी0, (1999) शाहजहाँपुर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर प्रतिमान प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ 13 ।

Reports, Periodicals, Journals & News Papers

Archery, P. Child Labour, Seminar, No. 275 1982, pp. 18-21

Abha Agarwal, Child Labour in Glass Industry, Yojana December, 1998, P, 21-24

Audhikesvalu, Naidu, D., Child Labour Participation in India – A Statewise Analysis, Manpower Journal, 16(4) 1981pp . 95-112

Alka, Madhok, child Labour : some Issues, some suggestion, Yojana, May, 1996 p. 27-28.

Barse, Sheela, Child Labour in Powerloom Industry at Bhiwandi, 1986, Seminar paper at
Indian Social Institute, New Delhi.

Barse,Sheela Children playing with fire in glass factories of Firozabad, 1986. Seminar paper at Indian Social Institute, New Delhi

Barse, Sheela, Towards Eradication of Child Labour, 1987. Seminar paper at Srinagar
for AWDI and Friedrich Ebert Foundation.

Barse, Sheela, Children of a Lesser God, Indian Express Sunday Magazine, 19 May, 1985.

Barse, Sheela, Crafting keys with Caloused Hands. Indian Express Sunday Magazine, 29 June, 1986.

Barse, Sheela, A Wolf in Sheep's Clothing. Indian Express Sunday Magazine. Nov.1985

Burra, Neera. Child Labour in India : Poverty, Exploitation and Vested Interest. Social Action, Vol. 36, No. 3 July- Sept. 1986.

Burra, Neera. Child Labour and Model Law, Mainstream, Vol. XXIV, No. 24, Fen. 15, 1986

Burra, Neera. Child Labour in Firozabad, Seminar Paper at Indian Social Institute, New Delhi, 1986

Champakalakshmi, R. Measures for improving the working conditions of children in the carpet and bangle industries, Institute of Applied Man power Research, New Delhi.

Chandra, R. Child Labour in Tamil Nadu. Seminar paper at Indian Social Institute, New Delhi, 1986.

Das Gupta, Samir. Child Labour-A National Prbolem Yojana,XXII No. 2, 1 Nov. 1979

Fernanndes, Walter, Burra, Neera, Anand T.S. Child Labour in India : A Summary of a Report prepared by the Indian Social Institute, 1986

Fernadndes, Walter Burra, Neera, Anand, T.S. A Citique of the National Child Labour
Programme (NCLP) : Sivsakasi, Seminar paper at Indian Social Institute, 1986

Ghatak, M Child Labour in India Human Futures, 4(4) 1981 pp. 151-60.

Gopalan, M. Kulandaiswamy V. Child Labour, Social Welfare, 23(8), 1976, pp. 1-3.

Indian Institute of Public Administration,Child Labour : Report of the Syndicate Group
Programme on Policy Analysis, Sept. – Oct. 1986

Jain. Devaki, Chand, Malini Rural Children at work, Indian Journal of Social Work, Vol XL No. 3, Oct, 1979

Jani, Gauarang. Child Workers of Diamond Cutting Industry and Surat Seminar Paper at
Indian Social Institute, New Delhi, 1986

Juyal, B.N. Child Expoilation in Carpet Industry. A Mirzapur-Bhadohi Case Study, Seminar
Paper at Indian Social Institute, New Delhi, 1986

Kothari, Smitu, There's blood on these matchsticks. Economics and Political Weekly, 2 July, 1983

Krishna Murthy, Dr G & Smt. T. Jyothi Rani. Wages of Child Labour, Yojana, Vol. 26 No. 18, Oct. 1-15, 1983

Kulshreshtha, J.C. Child Labour in India, 1979, Ashish Publishing House, New Delhi.

Kulkarni, M.N. Matchmaking Children of Sivkashi. Economic and Political Weekly, 22 October, 1983

Kumar, Dr. Mahendra. Child Labour in Agriculture. Yojan Vol. 27 No. 20, Nov, 1-15, 1983

Labour Bureau, Ministry of Labour GOL Report on child Labour in Indian Industries, Labour Bureau, Simla, 1981

Linga Murthy, N.P. Ramaiah & G. Sudharshan. Child Labour in Agriculture. A Case Study in Andhra Pradesh. Mainstream, Vol. XXII, No. 49, Aug. 3, 1985

Maity, A.B. Child Labour in India. Modern Review. 140(5), pp.291-9.

Mathew, P.D. Laws relating to Child Labour. Seminar paper at the Indian Social Institute.

Mehta, Prayag, Mortgaged Child Labour of Vellore. Mainstreem, Vol.XXII, No. 1 Sept. 3 1983.

Medelievich E. Children at Work. 1979. ILO Geneva.

Ministry of Labour, Standard Note on Child Labour.

Ministry of Welfare, GOI, Child in India : A Statistical Profile. 1985

Mohsin, Nadeem, Poverty Breeding Ground for child Labour Mainstream, Vo, XVII, No. 41 June 7, 1980.

Mookherjee, S, Pandya P. (Eds.) : Child Labour in India, 1986. Gandhi Labour Institute, Ahmedabad

Nayeem, A Child Welfare Administration, Indian Journal of Social work, 51(3), 1980 pp. 261-73

Pandhe, M.K. (Ed.) Child Labour in India 1979, Indian Book Exchange Calcutta, Radha Iyer. Working Children-Disqueiting Trends, Business Standard. 31 Dec. 1979

Rao, J.S.N. Agricultural Child Labour. Indian Journal of Labour Economics 22(4), 1979

Reddy,Sheila. The Child who never plays. Mainstream, Vol. XXIII, No. 48 July, 1985

Rodgers, G., Standing, G. Child Work, Poverty and Underdevelopment 1981 ILO Geneva.

Rodgers, G., Standing, G. Economic Roles of Children in Low income Countries. International Labour Review, 120(1), 1981

Saho, Maitreyee, Child Labour : Legislation No Solution. Mainstream, Vol. XXIIV, No. 50 August 16,1986

Sarma, A.M. Child Labour in Indian Industries Indian Journal of Social Work, Vol. XL No. 3,Oct. 1979.Sen, Ratna Child Labour : Critical Aspects. Seminar paper at Srinaga for AWDI and Friedrich Ebert Foundation, 1987.

Sengupta, P. Child Labour as a Social Problem, Social Welfare, 22(11), 1976
Sharma, O.P. Incidence of Child Labour, Economic Times, 17 August, 1975
Swepston, L. Child Labour-its Regulation by ILO Standards and National Legislation.
International Labour Review, 121(5), 1982

The Indian Labour Year Book 1984, Labour Bureau, Ministry of Labour, GOI Simla.

Verma, Vijay Child Labour- Need for Social Awareness. Yojana Vol. XXIII, No. 2 Nov. 1, 1979

Vitek, J. World's working Children need Protection against Exploition. Eastern Economist, 71(17) ,1978

Vyas, J.P., Is it easy to do away with child labour. Eastern Economist, 71(17)] 1978

White, B.(Ed.) Child Workers. Development and Change (Social Issue) 13(4), 1982

कुमार दिलीप, बाल श्रमः समस्या और समाधान 'योजना' मई 1998, पृ० 9–13

शर्मा गंगासहाय, बाल–श्रम–वर्तमान और भविष्य की चिन्ता, पी0सी0एस0 क्रानिकल' अगस्त 1996, पृ049–52

पंत नवीन :बाल मजदूरी : समस्या और समाधान योजना, मई 1998 पृ० 3–4

अग्रवाल राकेश, बाल–मजदूरी प्रथा का उन्मूलन क्यों और कैसे, योजना नवम्बर 1995 पृ० 5.8.

शर्मा संगीता, बाल श्रमिक व्यवस्था खत्म करना एक चुनौती, योजना, सितम्बर 1995, पृ0 13.16

झुनझुनवाला भरत, बाल श्रम लाभदायक भी हानिकारक भी, दैनिक जागरण 15 जनवरी 1997

पांडे ममता, एवं पांडे घ्रुव, भारत में बाल श्रम समस्या और उन्मूलन के प्रयास, 'कुरुक्षेत्र' सितम्बर 1996 पृ० 19–21

बडथ्वाल, विजय वल्लभ, भारत में बालश्रमिक–एक अध्ययन, 'प्रतियोगिता दर्पण' अगस्त 1995 पृ० 58–59

अग्रवाल, उमेश चन्द्र, बाल श्रम निवारण की चुनौतियां और समाधान,. 'कुरुक्षेत्र' नवम्बर 1995 पृ० 18–20

हारुन, मोहम्द, बाल मजदूरी प्रथा एक सामाजिक कलंक, योजना, अप्रैल 1997, पृ० 36–37

माथुर, जगदीश सरन, कालीन उद्योग–कुछ चुनौतियां, योजना मई,1996, पष्ठ 14–15

कौशलेन्द्र प्रपन्न, बालश्रम : बहुतेरे है आयाम, 'योजना' मई 2004, पृ0 28–31

कुरूक्षेत्र, फरवरी, मार्च 1997 अंक 4–5

बाल श्रमिक एक अध्ययन, रिपोर्ट उ0 प्र0 सरकार 1995 यूनिसेफ की रिपोर्ट, बच्चों की स्थिति, 1997 (आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकासित

नवभारत टाइम्स 11 दिसम्बर, 1996

हिन्दुस्तान टाइम्स, 12 दिसम्बर, 1996

इकोनामिक टाइम्स, 15 नवम्बर, 1995

बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण (सामाजिक एवं आर्थिक समीक्षा) मार्च 1996, जनपद फिरोजाबाद

बाल श्रम उल्मूलन एवं बाल श्रमिक पुनर्वास, प्रगति रिपोर्ट, मई 1996, फिरोजाबाद

'शिविरा पत्रिका' अप्रैल 1997, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान

कटियार प्रतिभा, सिसकियों में डूबा बचपन, 'उत्तर प्रदेश' दिसम्बर 1996, पष्ठ 11–12

जुगरान बी0 सी0 (1995) बाल श्रमः आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय समस्या, 'मनोरम इयर बुक'

मलयाला मनोरम, कोहयम, प्र0 सं0 38–48
'नवभारत टाइम्स' 12 दिसम्बर, 1996, दो करोड बाल मजदूर खतरनाक उद्योगों में, नई दिल्ली, बष्हस्पतिवार।

'दैनिक जागरण', 28 अक्टूबर, 1996, '14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना अन्याय'।

पनिकर, आर0, चाइल्ड लेबर मस्ट बी एवोलिस्ड बट द पाथ चोजन सुड बी ए प्रेगमेटिक वन, द सन्डे

टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1996 ।

द टाइम्स आफ इण्डिया, 24 दिसम्बर 1996, 'पैनल विल मानीटर एस0 सी0 आर्डर आन चाइल्ड लेबर' ।

द टाइम्स आफ इण्डिया, 12 दिसम्बर 1996, यूकीसेफ काल्स अपान गर्वनमेन्टस टू इन्ड चाइल्ड लेबर ।

द टाइम्स आफ इण्डिया, 27 दिसम्बर 1996, चाइल्ड लेबर ओनली इन पूअर कन्ट्रीज इज ए मिथः यूनीसेफ नईदिल्ली ।

हिन्दुस्तान, 10 सितम्बर 1997, 'बाल श्रमिकों की पढाई की व्यवस्था कारखाना मालिक करेंगे' लखनऊ ।

सत्यार्थी, कैलाश, पूरे देश में छः करोड बाल मजदूर, हिन्दुस्तान, 1997, लखनऊ ।

हिन्दुस्तान, 16 दिसम्बर 1997,'बाल श्रमिकों को रोकने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान जरुरी' लखनऊ ।

हिन्दुस्तान 9 सितम्बर 1997,'बाल श्रमिकों को शोषण मुक्त कराने के लिए सरकार कृत संकल्प' गोरखपुर ।

दैनिक जागरण, 11 दिसम्बर 1997 'फुटपाथी व बेसहारा बाल मजदूरों की कारुणिक आप बीती' वाराणसी ।

हिन्दुस्तान, 31 दिसम्बर 1997 'दोषियों को दण्डित कराने पर ही बालबंधुआ मजदूर समस्या पर नियंत्रण संभव'।

दैनिक जागरण, 5 जनवरी 1998, 'कालीन उद्योग से हटाये गये बाल श्रमिकों के समक्ष भुखमरी की नौबत'।

सिंह, एस0 के0 (1998) 'बाल मजदूरों की शिक्षा : प्राथमिक शिक्षाके सार्वभौमिकरण में एक नयी चुनौती' प्राइमरी शिक्षक, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, नई दिल्ली।

कुशवाहा, अलका, 'कहची उम्र में मजदूरी का बोझ' योजना 1995, 39 (6) प्र0 33–36

अमर उजाला, 13 दिसम्बर,1998।

स्वतंत्र भारत, 1 फरवरी, 1997।

अमर उजाला, 8 नवम्बर, 1996।

राष्ट्रीय सहारा, 27 नवम्बर, 1994 ।

हिन्दुस्तान 14 जून, 1997 ।

परिशिष्ट ''क''

बाल–श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता एवं तत्परता के मूल प्राप्तांक

क्र0 सं0	अभिवृत्ति			जागरुकता			तत्परता		
	स0	न0	कुल	स0	न0	कुल	स0	न0	कुल
1	4	9	-5	8	8	0	3	11	-8
2	1	12	-11	3	13	-10	1	13	-12
3	11	2	+9	6	10	-4	3	11	-8
4	5	8	-3	6	10	-4	1	13	-12
5	9	4	+5	10	6	+4	6	8	-2
6	0	13	-13	6	10	-4	3	11	-8
7	4	9	-5	8	8	0	7	7	0
8	1	12	-11	6	10	-4	5	9	-4
9	4	9	-5	2	14	-12	5	9	-4
10	2	11	-9	10	6	+4	5	9	-4
11	7	6	+1	10	6	+4	6	8	-2
12	4	9	-5	12	4	+8	5	9	-4
13	2	11	-9	5	11	-6	9	5	+4
14	7	6	+1	13	3	+10	4	10	-6
15	5	8	-3	7	9	-2	7	7	0
16	8	5	+3	6	10	-4	5	9	-4
17	5	8	-3	5	11	-6	2	12	-10
18	3	10	-7	3	13	-10	3	11	-8
19	2	11	-9	7	9	-2	3	11	-8
20	3	10	-7	4	12	-8	2	12	-10
21	5	8	-3	1	15	-14	0	14	-14
22	2	11	-9	14	2	+12	7	7	0
23	6	7	-1	2	14	-12	3	11	-8
24	2	11	-9	10	6	+4	4	10	-6
25	2	11	-9	10	6	+4	4	10	-6
26	8	5	+3	10	6	+4	9	5	+4
27	6	7	-1	1	15	-14	7	7	0

क्र0 सं0	अभिवृत्ति			जागरुकता			तत्परता		
	स0	न0	कुल	स0	न0	कुल	स0	न0	कुल
28	2	11	-9	14	2	+12	8	6	+2
29	3	10	-7	7	9	-2	5	9	-4
30	5	8	-3	12	4	+8	6	8	-2
31	2	11	-9	7	9	-2	4	10	-6
32	4	9	-5	8	8	0	7	7	0
33	5	8	-3	11	5	+6	7	7	0
34	3	10	-7	11	5	+6	8	6	+2
35	2	11	-9	3	13	-10	4	10	-6
36	5	8	-3	5	11	-6	4	10	-6
37	6	7	-1	6	10	-4	3	11	-8
38	4	9	-5	1	15	-14	3	11	-8
39	4	9	-5	7	9	-2	4	10	-6
40	8	5	+3	11	5	+6	5	9	-4
41	8	5	+3	11	5	+6	5	9	-4
42	7	6	+1	4	12	-8	4	10	-6
43	6	7	-1	9	7	+2	5	9	-4
44	3	10	-7	10	6	+4	7	7	0
45	3	10	-7	12	4	+8	7	7	0
46	3	10	-7	8	8	0	6	8	-2
47	3	10	-7	6	10	-4	4	10	-6
48	2	11	-9	10	6	+4	7	7	0
49	8	5	+3	5	11	-6	5	9	-4
50	2	11	-9	10	6	+4	4	10	-6
51	1	12	-11	8	8	0	4	10	-6
52	2	11	-9	11	5	+6	7	7	0
53	3	10	-7	10	6	+4	7	7	0
54	1	12	-11	11	5	+6	3	11	-8

क्र0 सं0	अभिवृत्ति			जागरुकता			तत्परता		
	स0	न0	कुल	स0	न0	कुल	स0	न0	कुल
55	3	10	-7	6	10	-4	5	9	-4
56	0	13	-13	3	13	-10	3	11	-8
57	4	9	-5	12	4	+8	4	10	-6
58	2	11	-9	9	7	+2	5	9	-4
59	5	8	-3	10	6	+4	4	10	-6
60	4	9	-5	11	5	+6	8	6	+2
61	5	8	-3	5	11	-6	7	7	0
62	4	9	-5	3	13	-10	5	9	-4
63	5	8	-3	11	5	+6	6	8	-2
64	2	11	-9	9	7	+2	6	8	-2
65	4	9	-5	3	13	-10	5	9	-4
66	3	10	-7	10	6	+4	5	9	-4
67	4	9	-5	12	4	+8	7	7	0
68	2	11	-9	6	10	-4	1	13	-12
69	3	10	-7	15	1	+14	8	6	+2
70	8	5	+3	9	7	+2	4	10	-6
71	3	10	-7	10	6	+4	7	7	0
72	4	9	-5	11	5	+6	7	7	0
73	2	11	-9	14	2	+12	7	7	0
74	3	10	-7	4	12	-8	3	11	-8
75	3	10	-7	9	7	+2	6	8	-2
76	3	10	-7	12	4	+8	7	7	0
77	7	6	+1	7	9	-2	7	7	0
78	5	8	-3	2	14	-12	2	12	-10
79	5	8	-3	13	3	+10	7	7	0
80	4	9	-5	4	12	-8	6	8	-2
81	2	11	-9	13	3	+10	1	13	-12

क्र0 सं0	अभिवृत्ति			जागरुकता			तत्परता		
	स0	न0	कुल	स0	न0	कुल	स0	न0	कुल
82	2	11	-9	3	13	-10	2	12	-10
83	5	8	-3	12	4	+8	4	10	-6
84	5	8	-3	5	11	-6	4	10	-6
85	0	13	-13	12	4	+8	5	9	-4
86	1	12	-11	11	5	+6	7	7	0
87	5	8	-3	5	11	-6	8	6	+2
88	9	4	+5	10	6	+4	6	8	-2
89	10	3	+7	4	12	-8	6	8	-2
90	3	10	-7	8	8	0	7	7	0
91	5	8	-3	4	12	-8	6	8	-2
92	3	10	-7	9	7	+2	6	8	-2
93	3	10	-7	9	7	+2	5	9	-4
94	2	11	-9	12	4	+8	7	7	0
95	2	11	-9	7	9	-2	0	14	-14
96	2	11	-9	5	11	-6	0	14	-14
97	4	9	-5	9	7	+2	4	10	-6
98	2	11	-9	7	9	-2	2	12	-10
99	3	10	-7	9	7	+2	5	9	-4
100	4	9	-5	10	6	+4	6	8	-2

परिशिष्ट ''ख''

शिक्षा के प्रति—बाल श्रमिकों की अभिवृत्ति, जागरुकता एवं तत्परता के मापन हेतु साक्षात्कार—अनुसूची

अनुसंधान निर्देशक :

प्रो0 डी0एस0 श्रीवास्तव
निदेशक / विभागाध्यक्ष
शिक्षा संस्थान
अधिष्ठाता एवं संयोजक
शिक्षा संकाय
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झांसी

अनुसंधित्सुः

शिव कुमार यादव
प्रवक्ता
जे0एल0एम0डी0जे0 इण्टर कालेज
खैराबाद, सीतापुर

व्यक्तिगत विवरण

नाम : ....

लिंग : बालक / बालिका...

उम्र :..

शिक्षा : ....

धर्म : हिन्दू / मुस्लिम (जाति.............................)

मासिक आय : ....

मूल निवासी : शहर / गॉव ....

वर्तमान पता : ....
....

कारखाने का नाम व पता :..
....

पिता का नाम : ....

पिता की शिक्षा : ....

पिता की आय : ....

माता की शिक्षा : ....

माता की आय : ....

आपके अलावा भाई—बहिनों की संख्या :.........................

आपके अलावा काम करने वाले भाई—बहिनों की संख्या : ....

घर में पढ़ने वाले भाई—बहिनों की संख्या :...

— प्राप्तांक—सारणी —

अभिवृत्ति			जागरुकता			तत्परता		
सं0	न0	कुल	सं0	न0	कुल	सं0	न0	कुल

1. अनपढ़ बच्चों को लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। हाँ / नहीं

2. पढ़े–लिखे बच्चे ही भविष्य में सुखी रह सकते है। हाँ / नहीं

3. पढ़े–लिखे बच्चों का अपने घर–परिवार व दोस्तों में रौब रहता है। हाँ / नहीं

4. शिक्षित बच्चे परिश्रम करने के लायक नही रहते। हाँ / नहीं

5. शिक्षा केवल धनी परिवारों के बच्चों के लिए आवश्यक है। हाँ / नहीं

6. गरीब बच्चों के लिए शिक्षा से जरुरी रोजगार है ? हाँ / नहीं

7. पढ़ाई, रोजगार पाने के लिए की जाती है, जब बिना पढ़े रोजगार मिल जाता है, तो पढ़ना बेकार हैं। हाँ / नहीं

8. कापी–किताबें खरीदना फालतू खर्चा करना है। हाँ / नहीं

9. घर की आमदनी बढ़ाने में पढ़े–लिखे बच्चे अधिक मदद करते हैं। हाँ / नहीं

10. पैसा कमाने से भविष्य की सुरक्षा है, पढ़ाई–लिखाई से नहीं। हाँ / नहीं

11. पढ़ने के लिए स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है नौकरी करते हुए घर भी पढ़ा जा सकता है। हाँ / नहीं

12. आप जो काम कर रहें हैं, क्या उसके अलावा दूसरा काम भी सीखना चाहते हैं। हाँ / नहीं

13. यदि तुम्हें पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ोगे। हाँ / नहीं

14. क्या आपने कभी गिनती की है कि घर से कारखाने तक कितने स्कूल रास्ते में पड़ते है ? हाँ / नहीं

15. क्या आप जानते हैं कि आपके साथ काम करने वाले कितने बच्चे पढ़ना–लिखना जानते है। हाँ / नहीं

16. जब कभी आप अपने दोस्त के बीच बैठते हैं तो क्या पढ़ने–लिखने पर भी बातचीत करते हैं ? हाँ / नहीं

17. क्या आप जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। हाँ / नहीं

18. आपको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में दोपहर का भोजन मिलता है। हाँ / नहीं

19. क्या आपने कभी किसी से पूछा कि पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए ? हाँ / नहीं

20. क्या आप सोचते हैं कि कारखाने में एक घण्टा पढ़ाई का होता तो अच्छा होता ? हाँ / नही

21. क्या आप सोचते हैं कि एक ऐसा स्कूल होता जो रात को खुलता जिसमें आप भी पढ़ लेते ? हाँ / नहीं

22. क्या आप नौकरी के बाद घर जाकर अपने माता–पिता से कहते हैं कि वे आप को कुछ देर पढ़ायें ? हाँ / नहीं

23. क्या तुम अपने मालिक से मजदूरी बढ़ाने के लिए कहते हो ? हाँ / नहीं

24. क्या तुम दूसरे कारखाने में जाकर यहां से अधिक मजदूरी की नौकरी ढूँढते हो ? हाँ / नहीं

25. क्या तुम दूसरे कार्यो में लगे बच्चों से जानकारी लेते हो कि उनको कितने पैसे मिलते हैं ? हाँ / नहीं

26. तुमको पता है कि इस काम के अलावा दूसरे कौन–कौन से कामों से पैसा कमाया जा सकता हैं ? हाँ / नहीं

27. यदि मालिक तुम्हें नौकरी से हटा दे तो क्या तुम दूसरी नौकरी करोंगे ? हाँ / नही

28. आपको जितना काम सिखाया जाता है क्या आप उससे अधिक काम भी स्वयं करने की कोशिश करते हैं ? हाँ / नहीं

29. क्या आपने, उस्ताद के सिखाये बिना भी कोई काम सीखा है ? हाँ / नहीं

30. क्या आप पढ़ने जाने के लिए मॉ–बाप से झगड़ा करते हैं ? हाँ / नहीं

31. यदि स्कूल के समय में नौकरी का समय पड़ता हो तो क्या आप नौकरी छोड़ देंगे ? हाँ / नहीं

32. नौकरी पूरी करने के बाद बचे हुए समय में क्या आप पढाई करते है। हाँ / नहीं

33. क्या आप अपने पैसे में से कुछ पैसे पढ़ाई के लिए खर्च करते है। हाँ / नहीं

34. यदि मॉ–बाप पढ़ाई का खर्च देने से मना कर दें तो क्या आप अपनी कमाई से पढाई का खर्च पूरा करके पढ़ाई करेगें ? हाँ / नहीं

35. यदि सरकार बच्चों को कारखानों से हटा दें और उनके लिए स्कूल खोल दें तो क्या आप स्कूल जाना पसन्द करेंगे ? हाँ / नहीं

36. यदि आप को घर से अलग रख कर पढाया जाये तो क्या आप पढना चाहेंगें ? हाँ / नहीं

37. क्या आप कोशिश करके पढे लिखे बच्चों से दोस्ती करते है ताकि आप भी उन से कुछ पढना लिखना सीख जायें ? हाँ / नहीं

38. यदि सरकार रात के स्कूल खुलवाये तो क्या आप उसमें पढनें जायेंगें ? हाँ / नहीं

39. यदि सरकार आपको पढ़ने के बदले कुछ पैसा दे तो क्या आप नौकरी छोड़कर पढन शुरु कर देंगे ? हाँ / नहीं

40. जितना काम आपको सिखाया गया है उससे आगे का काम सीखने के लिये क्या आप कारखाने में छुट्टी के बाद 2 घण्टे रुकना पसन्द करेगें। हाँ / नहीं

41. क्या आप इस काम के अलावा कोई दूसरा काम सीखना पसन्द करेगे। हाँ / नहीं

42. क्या यह काम आप ने स्वयं सीखा है ? हाँ / नहीं

43. इस काम को करते हुए क्या आप कुछ और भी सीख रहे है। हाँ / नहीं